An Effort by State PCPNDT Cell, Rajasthan.

EUROPEAN UNION

Because I am a Girl

PLAN INTERNATIONAL

NATIONAL HEALTH MISSION

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान

Shikshit Rojgar Kendra Prabandhak Samiti SRKPS

Directorate of Medical, Health & Family Welfare I Tilak Marg, Jaipur (Rajasthan)

Smt. Vasundhara Raje
Hon'ble Chief Minister
Rajasthan

राजस्थान राज्य में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 का प्रभावी क्रियान्वयन

एक संकलन

EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF PRE-CONCEPTION AND PRE-NATAL DIAGNOSTIC TECHNIQUES (PROHIBITION OF SEX SELECTION) ACT, 1994 In Rajasthan

A Compilation

2017

An Effort by State PCPNDT Cell, Rajasthan.

EUROPEAN UNION

Because I am a Girl

PLAN INTERNATIONAL

NATIONAL HEALTH MISSION

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान

Shikshit Rojgar Kendra Prabandhak Samiti SRKPS

Directorate of Medical, Health & Family Welfare I Tilak Marg, Jaipur (Rajasthan)

नवीन जैन

अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी एवं शासन सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान

प्रस्तावना

राजस्थान में घटता हुआ बाल लिंगानुपात सभी जगह चर्चा का विषय है। वर्ष 2011 के अनुसार यह घटकर 888 के स्तर पर आ चुका है। यदि समय रहते इस संबंध में कानूनी प्रावधानों का कड़ाई से पालना नहीं किया जाता है तथा समाज में जागरूकता पैदा नहीं की जाती है तो वर्ष 2021 में इसके और भी भयावह होने की आंशका है। पीसीपीएनडीटी सेल स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, जयपुर द्वारा इस दायित्व को अपने कंधों पर लिया गया है। मुझे यह बताते हुये हर्ष है कि जहां एक ओर कानून की पालना सख्ती से की जा रही है वहीं जनजागरण अभियान भी पूरी लगन एवं मेहनत के साथ जारी है। पीसीपीएनडीटी टीम द्वारा राजस्थान के सभी कोनों में भ्रूण लिंग जॉच एवं हत्या में संलिप्त लोगों के विरूद्व कडी कार्यवाही की गई है जिससे भय का वातावरण है, साथ ही समाज के युवा वर्ग को इस बुराई के प्रति सजग करने के लिए '' बेटिया अनमोल है'' कार्यक्रम शुरू किया गया है जो लगभग एक वर्ष से निरन्तर जारी है।

आशा है इस पुस्तिका के प्रकाशन से कानून के प्रावधानों का और अधिक प्रचार–प्रसार होगा तथा पीसीपीएनडीटी सेल के कार्य की जानकारी जन साधारण तक पहुंचेगी। पुस्तक के प्रकाशन के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	कन्या भ्रूण हत्या एक गंभीर समस्या Female Foeticide-A Serious Problem	1
2	कन्या भ्रूण हत्या – सामाजिक समाधान Female Foeticide- Social Solutions	2
3	कन्या भ्रूण हत्या– कानूनी समाधान Female Foeticide-Legal Solution	5
4	पीसीपीएनडीटी अधिनियम – एक नजर में PCPNDT Act - At a glance	6
5	पीसीपीएनडीटी कानून के क्रियान्वयन हेतु संगठनात्मक ढांचा Constitutional Bodys Under PCPNDT Act.	9
6	अधिनियम में किये गये नयें संशोधन (Amendments in Act)	13
7	पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अन्तर्गत प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न Frequently asked Questions	14
8	केन्द्रों के पंजीकरण एवं अन्य विभिन्न व्यवहारिक पक्ष	17
9	अपराध एवं दण्ड Offences and Penalties	25
10	अधिनियम के अन्तर्गत आपराधिक कार्यवाही – उपयोगी बातें Criminal Proceedings under PCPNDT Act-Useful Tips	26
11	दोषरहित अनुसंधान एवं सम्यक परिवाद (Flawless Investigation & Proper Complaint)	28
12	प्रभावी अभियोजन (Effective prosecution)	35
13	प्रभावी विचारण (Effective Trial)	37

14	तर्कसंगत निर्णय (Well Reasoned Judgment)	41
15	PCPNDT अधिनियम–सुसंगत निर्णयज विधि (PCPNDT Act- Relevant Case Law)	43
16	पीसीपीएनडीटी एक्ट एवं भारतीय दण्ड संहिता पीसीपीएनडीटी एक्ट एवं दण्ड प्रक्रियां संहिता	53
17	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/निर्देश	55
18	जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान राज्य में लिंगानुपात, बाल–लिंगानुपात	62
19	राजस्थान में पीसीपीएनडीटी अधिनियम का क्रियान्वयन हेतु किये जा रहे कार्यः प्रमुख बिन्दु	63
20	राज्य पर्ववेक्षण बोर्ड द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय	66
21	वर्षवार डिकॉय कार्यवाहियों का विवरण	67
22	जनजागरूकता कार्यक्रम ''बेटियॉ अनमोल है''	68
23	राज्य का भारत संघ के अन्य राज्यों के भिन्न होना	75
24	राज्य द्वारा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन से जन्म पर बाल लिंगानुपात में सुधार/उपलब्धियां	76
25	मुखबिर योजना हेतु दिशा–निर्देश	77
26	डिकॉय ऑपरेशन संपादित किये जाने हेतु मार्गदर्शिका	79
27	अधिनियम के तहत कार्यवाहियों के प्रारुप	84
28	महत्वपूर्ण अधिसूचनायें	95
29	अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु जारी परिपत्र	120
30	भारत सरकार से प्राप्त महत्वपूर्ण दिशा निर्देश	184

कन्या भ्रूण हत्या एक गंभीर समस्या
Female Foeticide-A Serious Problem

समाज के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य है कि महिलाओं का समान अनुपात हो, उनको समान अधिकार मिलें एवं उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित हों। इसके बिना सभ्य एवं सुखी समाज का निर्माण असंभव है।

वैदिक काल में हमारे समाज में ''यत्र नार्यस्तु पुज्यंते रमन्ते तत्र देवता'' की धारणा व्याप्त थी। नर–नारी में कोई भेद नहीं था। कालांतर में विदेशी शासन के दौरान महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने की आड़ में पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी सामाजिक समस्यायें उत्तरोत्तर बढ़ती गई। आजादी मिलने के बाद भी हम रूढिवादी परंपराओं से मुक्ति नहीं पा सके। आज भी यह दुखद वास्तविकता है कि हमारे समाज के अधिकांश परिवारों में लड़का–लड़की की शिक्षा–दीक्षा, यहां तक कि खान पान में भेदभाव किया जाता है। लड़की को पराया धना माना जाता है। दहेज की समस्या दिनों दिन बढ़ रही है। महिलाओं के विरूद्ध यौन अपराधों में तेजी से वृद्धि हो रही है। ऊंची पढाई या कारोबार के लिये लड़कियों को बाहर भेजने पर मां–बाप सदैव भयाक्रांत एवं आशंकित रहते है। मृत्यु उपरांत कर्म काण्डों के लिये पुत्र की अनिवार्यता जैसे अंध विश्वासों ने भी इस भेदभाव को बढाया है। अधिकांश परिवारों में पुत्र की तरह पुत्री का स्वागत बॉह फैलाकर नहीं किया जाता है। इन हालात का भयावह परिणाम यह है कि अधिकांश दम्पत्ति पहली संतान भी पुत्र चाहते है। यदि पहली संतान पुत्री हो गई तो दूसरी संतान की कामना निशचित रूप से पुत्र की होती है जिसके लिये वे लिंग परीक्षण कराते है। लिंग परीक्षण में यदि कन्या भ्रूण का पता लगे तो गर्भपात कराते है। यहां तक कि जन्म के उपरांत कन्या शिशु को मारने के लिये झाड़ियों में फेंकने की घटनाऐं भी सामने आती रहती है। इसी कुत्सित मानसिकता का फायदा उठाने के लिए पिछले सालों में विभिन्न नामों से प्रि–नेटल डाईग्नोस्टिक सेंटर्स की संख्या में बेतहाश वृद्धि हुई है जहां बीमारियों की जांच की आड में प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण किया जाता है और गर्भपात कराने का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है।

हमारी जनसंख्या में बाल लिंग अनुपात (Chid Sex Ratio-CSR) निरंतर गिर रहा है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में यह अनुपात 1000 पर 927 था जो वर्ष 2011 की जनगणना में मात्र 918 रह गया। कुल 21 राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में 3 से 79 पोइंट तक की भारी गिरावट आई। राजस्थान में भी स्थिति गंभीर है जहां 1991 में यह अनुपात 100 पर 916 था जो 2001 में घटकर 909 तथा 2011 में और घटकर मात्र 888 रह गया। वर्ष 2001 में राजस्थान के सिर्फ 10 जिलों में यह अनुपात 900 से कम था जबकि वर्ष 2011 में बढकर ऐसे जिलों की संख्या 20 हो चुकी है जो गहरी चिंता का विषय है।

उपरोक्त आंकड़े प्रमाणित करते है कि या तो हमारे यहां गर्भावस्था में लिंग परीक्षण के पश्चात कन्या भ्रूण हत्या की जाती है या जन्म के उपरांत कन्या शिशु की हत्या कर दी जाती है। यह अपराध घोर अनैतिक व जघन्य होने के साथ–साथ पूरी सृष्टि व प्रकृति के लिये घातक है जिसकी परिणति महिला व्यापार, यौन अपराध, बहु पुरूष विवाह एवं अन्य सामाजिक समस्याओं के रूप में हो रही है। यदि इस दुष्प्रवृत्ति पर प्रभावी रोक नहीं लगी तो वह दिन दूर नहीं जब घटते लिंग अनुपात के कारण पैदा होने वाली समस्यायें विकराल रूप धारण करेंगी और एक सभ्य व समुन्नत समाज के रूप में रहना असंभव हो जायेगा।

इस समस्या का सामधान सिर्फ कानून बनाकर किया जाना संभव नहीं है बल्कि इसकी भयावहता के अनुरूप इसके समाधान के लिये चौतरफा गंभीर प्रयास आवश्यक है जिन पर आगे के अध्यायों में विचार किया जा रहा है।

कन्या भ्रूण हत्या – सामाजिक समाधान
Female Foeticide-Social Solutions

कन्या भ्रूण हत्या की समास्या का निराकरण सिर्फ कानून बनाकर किया जाना संभव नहीं है। इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु इसके पीछे रहें वास्तविक कारणों का विश्लेषण करना और उनके अनुरूप प्रभावी प्रयास करना आवश्यक है।

पुरूष प्रधान समाज (Male dominated Society)

वैदिक काल में हमारे समाज में नर–नारी में भेद नहीं था, बल्कि मातृसत्तात्मक परिवारों की प्रधानता थी। विदेशी शासन के दौरान महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा की पृष्ठभूमि में बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी कुरीतियों को बढ़ावा मिला और अधिकांश परिवार पितृसत्तात्मक होते गये एवं पुत्रों को प्राथमिकता दी जाने लगी। उत्पादक क्षेत्रों एवं आर्थिक संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच नहीं हो पायी, महिलाओं को घरेलू कार्य एवं बच्चों की परवरिश तक घर में सीमित रख दिया गया। इस सामाजिक पृष्ठभूमि में माता–पिता पुत्री जन्म से ही डरने लगे, पुत्र जन्म की इच्छा रखने लगे, जिसकी परिणति लिंग परीक्षण एवं कन्या भ्रूण हत्या के रूप में सामने आयी।

आजादी के बाद जमाना बदला है। महिलाओं ने समाज के प्रत्येक क्षेत्र में अपने आपको साबित किया है फिर भी यह दुखद वास्तविकता है कि पुत्र–पुत्री का भेदभाव वास्तविक रूप से समाप्त नहीं हो पाया है।

हमें सरकारी प्रयासों के साथ–साथ समाज सेवी संगठनों के माध्यम से इस सोच एवं दृष्टकोण में परिवर्तन लाना होगा, महिलाओं को समाज के प्रत्येक क्षेत्र में आगे लाने के प्रभावी प्रयास करने होंगे, जब राजनीति से लेकर सरकारी नौकरी व प्राईवेट सेक्टर जैसे हर क्षेत्र में महिलाएं उच्च स्थान प्राप्त करेंगी तो स्वतः ही पुत्र–पुत्री का भेदभाव समाप्त होने में देर नहीं लगेगी।

एकल परिवार (Nuclear Family)

हमारे समाज में प्रचलित संयुक्त परिवार प्रथा का स्थान एकल परिवार ने ले लिया है। एकल परिवार में पति–पत्नी एक तरफ जहां सुरक्षा व सम्मान के लिहाज से पुत्री के स्थान पर पुत्र चाहते हैं वहीं वे बेटी को पराया धन मानते हैं और उसकी शादी के बाद अकेलेपन के डर से भयभीत रहते है। वे बुढ़ापे के सहारे के लिए पुत्र की चाह से मुक्त नहीं हो पाते हैं, जिसकी परिणति भी लिंग परीक्षण एवं कन्या भ्रूण हत्या के रूप में सामने आती है।

हमें समाज सेवी संगठनों के माध्यम से एक सामाजिक अभियान चलाना होगा, जिसमें संयुक्त परिवार के फायदे बताने होंगे, लोगों की सोच व दृष्टिकोण में यह बदलाव लाना होगा कि वे एकल परिवार के रूप में रहते हुए भी भावनात्मक रूप से परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जुड़े रह सकते हैं, ऐसी घटनाओं को भी प्रमाण सहित उजागर करना होगा, जहां अधिकांश पुत्र शादी होते ही अलग हो जाते हैं और मां–बाप को भरण–पोषण के लिए वृद्धाश्रम की राह देखनी पड़ती है जबकि पुत्रियां आजीवन अपने माता–पिता के प्रति भावनात्मक सम्बल प्रदान करती हैं, उनके दुख–सुख में साथ देती हैं और वे किसी भी दृष्टि से पुत्र से पीछे नहीं रहती है।

अशिक्षा एवं अन्धविश्वास (Illiteracy & Superstition)

हमारे यहां 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती हैं, जहां अशिक्षा व भारी अंधविश्वास व्याप्त है, 30 प्रतिशत शहरी आबादी का भी काफी हिसा अशिक्षित हैं, उचित शिक्षा के अभाव में अधिकांश लोग अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों से अनभिज्ञ है, ज्यादातर लोग रूढ़िवादी परम्पराओं एवं अंधविश्वासों में जकड़े हुए हैं, जिससे उनमें यह धारणा व्याप्त है कि मृत्यु उपरांत पुत्र जन्म के बिना मुक्ति संभव नहीं है। यदि हम पूरे समाज में शिक्षा पर जोर दें, हर नागरिक

को शिक्षित बनायें, शिक्षा पाठ्यक्रमों में रूढ़िवादी मान्यताओं से मुक्त होने के विषयों का समावेश करें तो निश्चित रूप से लोग रूढ़िवादी मान्यताओं से मुक्त होंगे।

हमारे देश में महिला शिक्षा की स्थिति भी दयनीय हैं, कई कारणों से पढ़ाई के मामले में लड़का–लड़की में भेदभाव किया जाता है। यदि महिला शिक्षा को बढ़ावा मिलें, महिलाओं के लिए शिक्षा का उपयुक्त वातावरण पैदा किया जावें, उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जावे तो निश्चित रूप से लिंग आधारित भेद भाव पर काफी हद तक अंकुश लेगेगा, लोग अपनी पुत्रियों को आगे पढाने व आगे बढने के लिए प्रौत्साहित करेंगे और वह दिन दूर नहीं, जब स्वयं लड़की बाल विवाह के विरूद्ध उठ खड़ी होगी और ऐसी कुरीतियों के समाप्त होने में देर नहीं लगेगी।

हमें यह समझना एवं समझाना होगा कि कोई भी धर्म या शास्त्र लिंग परीक्षण या कन्या भ्रूण हत्या को मान्यता नहीं देता। प्रत्येक धर्म की दृष्टि से ऐसा करना घोर अनैतिक व पापपूर्ण कार्य हैं, जिससे कोई भी पुत्र सौ जन्मों तक भी मुक्ति दिलाने में सक्षम नहीं है। यदि उन्होंने यह अपराध किया तो वे कानून के तहत दण्डित होंगे और यदि किसी कारण से कानून से बच गये तो हत्या का आपराधिक बोध लेकर जियेंगे जो उनके लिए आत्मघाती स्थिति होगी।

दहेज प्रथा (Dowry System)

पुत्र–पुत्री में भेदभाव का बड़ा कारण समाज में व्याप्त दहेज प्रथा भी है। पुत्री जन्म होते ही उसके पिता को पुत्री के विवाह के लिए दहेज की चिंता सताने लगती है। कई बार दहेज लोभी पति व ससुराल वालों द्वारा दहेज की मांग को लेकर किये जाने वाले अत्याचारों की घटनाएं सामने आती रहती हैं, यह स्थिति माता–पिता को पुत्री जन्म के प्रति कई तरह के भय और आशंकाओं से भयाक्रान्त कर देती हैं, जिसकी परिणति लिंग परीक्षण एवं भ्रूण हत्या में होती है।

दहेज प्रथा पर नियंत्रण करने के लिए हमें दहेज विरोधी कानून को सशक्त एवं प्रभावी बनाने के साथ–साथ दहेज के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण बदलना होगा, समाज सेवी संगठनों को भी अभियान चलाकर समाज को जागृत करना होगा। केन्द्र व राज्य सरकारों के स्तर पर अपने कर्मचारियों को दहेज से दूर रहने के संबंध में कई पाबन्दियां लगाई गई है, ऐसे प्रयास जारी रखने होंगे, दहेज लोभियों का सामाजिक बहिष्कार करना होगा। यदि हम चौतरफा प्रयास कर दहेज प्रथा पर अंकुश लगाने में सफल रहे तो वह दिन दूर नहीं, जब पुत्री जन्म पर भी पुत्र जन्म से कम खुशी नहीं होगी।

महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध (Increase in offences against women)

पुत्री जन्म पर मायूसी का सबसे बड़ा कारण समाज में बढ़ते अत्याचार एवं यौन अपराध है, जिनकी वजह से पुत्री के माता–पिता आजीवन डरें, सहमें व आशंकित रहते हैं, ऐसे वातावरण में चाहते हुए भी माता–पिता अपनी पुत्री को पढाई के लिए बाहर नहीं भेज पाते है, जिसकी परिणति लिंग परीक्षण एवं कई बार कन्या भ्रूण हत्या में होती है।

महिला अत्याचार एवं यौन अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए एक से एक कठोर कानून बनते जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ कानून बनाने से इस समस्या पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, इसके लिए हमें सभी कठोर कानूनों का व्यापक प्रचार–प्रसार करना होगा, इसके साथ–साथ व्यावहारिक धरातल पर ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी कि यौन अपराध करने वालें व्यक्ति को यह दृढ अहसास और विश्वास हो कि वह कानून की नजर से बिल्कुल नहीं बचेगा और निश्चित रूप से दण्डित होगा।

सुझाव के तौर पर अभियान के रूप में यह किया जा सकता है कि महिला सिपाहियों को सादा पोशाकों में स्कूल, कॉलेज, बस, ट्रेन व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर आम लड़कियों की तरह तैनात किया जावें, उन्हें स्पाई कैमरे

उपलब्ध कराये जावें थोड़ी दूरी पर छिपकर सादा वस्त्रों में पुलिसकर्मी तैनात रहे, जैसे ही कोई मनचला व्यक्ति उनके साथ छेडछाड़ करे या यौन अपराध करने की कोशिश करें तो उसकी रिकॉर्डिंग हो, उसे मौके पर ही पकड़ा जावे और कानून के हवाले किया जावें। समाचार पत्रों एवं टीवी चैनलों पर इस खबर को अपराधी के चेहरे व पहचान के साथ प्रसारित किया जावें। यदि यह व्यवस्था नियमित रूप से 15 दिन भी पूरे देश में प्रभावी तरीके से संचालित हो तो प्रत्येक मनचला या अपराध करने वाला व्यक्ति छेड़छाड़ या यौन अपराध करने से पहले 100 बार सोचेगा और ऐसे अपराधों की संख्या नगण्य रह जायेगी।

कई मनचले लोग महिलाओं की कमजोर शारीरिक स्थिति एवं संकोची स्वभाव का नाजायज फायदा उठाते है। ऐसे में हमें व्यापक अभियान चलाकर स्कूल कॉलेजों में एवं हर मोहल्ले में महिलाओं को अपनी सुरक्षा करने की आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण देना होगा। उन्हें सुरक्षात्मक उपकरणों से सुसज्जित करना होगा। कहीं भी खतरे की स्थिति में सहायता पहुंचाने की त्वरित व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी, तभी महिलाओं का आत्मविश्वास जगेगा और कोई मनचला उन्हें छेड़ने की हिम्मत नहीं करेंगा।

उपरोक्त के अलावा हमें समाज की सोच में परिवर्तन के लिए व्यापक अभियान चलाना होगा, समाज सेवी संगठनों को आगे आना होगा, ऐसे व्यापक अभियान के परिणामस्वरूप हम नारी की वैदिक काल की प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित कर पायेंगे। महिला को गंदी नजर से देखने वाले लोगों का सामाजिक बहिष्कार करेंगे, अपराध करने वाले व्यक्ति को किसी भी सूरत में दण्डित किये बिना नहीं छोड़ेगें तो वह दिन दूर नहीं जब पुत्र की भांति पुत्री का भी परिवार में स्वागत एवं अभिनन्दन होगा।

पुत्र पुत्री में भेदभाव को समाप्त करने के लिए प्रस्तावित सरकारी पहल
(Proposed Goernment Initiatives to eliminate discrimination amongst Boys and Girls)

यद्यपि केन्द्र सरकार एवं सरकारों ने महिलाओं के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं बनायी हैं, एकल पुत्री वाले माता–पिता को पुरस्कृत करने एवं कन्या शिक्षा को बढ़ावा देने की योजनाएं भी प्रचलित हैं, लेकिन हमारा देश विविधताओं से भरा देश है। विभिन्न स्थानों पर अलग–अलग समाजों में पुत्रियों के संबंध में अपनी–अपनी सोच व धारणा है। सरकारों को इन विविधताओं के अनुरूप क्षेत्रवार पुत्री जन्म को प्रोत्साहन देने और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए प्रभावी योजनाएं बनानी होंगी। पूरे समाज की सोच एवं दृष्टिकोण को बदलने के लिए स्वयंसेवी संगठनों के साथ अभियान के तौर पर सघन प्रयास करना होगा।

अंतर्राज्यीय प्रयास (Interstate Efforts)

राजस्थान राज्य द्वारा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सख्ती से पालना किये जाने के कारण सीमावर्ती जिलों से लोगों द्वारा लिंग परीक्षण के लिये पड़ोसी राज्यों के सीमावर्ती जिलों में जाने की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में इसे रोकने हेतु सभी प्रदेशों खासकर सीमावर्ती राज्यों गुजरात, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश एवं पंजाब राज्य की सरकारों को मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए प्रभावी समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है। साथ ही हमें सीमावर्ती जिलों एवं कम लिंगानुपात वाले अन्य जिलों में विशेष अभियान चलाने की जरूरत है।

इस तरह यदि सभी संबंधित एजेंसीज पूरी निष्ठा एवं गंभीरता के साथ सुनियोजित तरीके से प्रयास करेंगी तो शीघ्र ही सत्परिणाम सामने आने लगेंगे और निश्चित रूप से इस समस्या पर काबू पाने में सफल होंगे।

कन्या भ्रूण हत्या– कानूनी समाधान
Female Foeticide-Legal Solution

हमारे समाज में पुत्री की अपेक्षा पुत्र की कामना जग जाहिर है। इस कामना की पूर्ति हेतु अधिकांश लोग दिनप्रतिदिन विकसति हो रही लिंग परीक्षण तकनीकों का सहारा लेते हैं। लिंग परीक्षण में मादा भ्रूण का पता लगने पर गर्भपात कराते हैं। जिसका परिणाम चिन्ताजनक रूप से घटते लिंग अनुपात के रूप से सामने आ रहा है। इस समस्या के कानूनी समाधान के रूप में विभिन्न कानूनी प्रावधानों का उल्लेख किया जाना समीचीन है।

संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions)

हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की गारन्टी दी गई है। संविधान के भाग–3 में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है एवं लिंग के आधार पर भेदभाव किये जाने को प्रतिबन्धित किया गया है। मूल अधिकारों में अभिव्यक्त, आवागमन, निवास, व्यवसाय की स्वातंत्रता की गारन्टी दी गई है एवं लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबन्धित किया गया है, साथ ही महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिये विशेष प्रावधान करने की व्यवस्था की गई है। संविधान के भाग 9 व 9ए में पंचायत एवं शहरी निकायों में महिलाओं के लिये सीटें आरक्षित की गई हैं। इन्हीं संवैधानिक प्रावधानों के तहत महिला सशक्तिकरण एवं महिला कल्याण की अनेक योजनाएं बनायी गई हैं।

यद्यपि संविधान में दिये गये नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्त्तव्य बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखते हैं लेकिन इनमें भी महिलाओं के सम्मान एवं गरिमा की रक्षा तथा पुरूषों के समान महिलाओं को वेतन व अन्य सुविधाएं दिये जाने के प्रावधान है, जो संबंधित कानूनों के निर्वचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, साथ ही सामाजिक दृष्टिकोण के बदलाव में सहायक होते हैं एवं सरकारों को इनके अनुरूप प्रभावी योजनायें बनाने को प्रेरित करते हैं। यद्यपि केन्द्र व राज्य सरकारों ने महिलाओं के कल्याण के लिये अनेकों योजनायें बनाई है, फिर भी समयानुकूल नई नई सार्थक योजनायें बनाने और उनका यथार्थ क्रियान्वयन सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम (Dowry Prohibition Act)

कन्या भ्रूण हत्या का सीधा संबंध समाज में व्याप्त दहेज प्रथा से है। माता पिता को पुत्री जन्म से ही दहेज की चिन्ता सताने लगती है। भारत जैसे गरीब देश में पुत्री विवाह पर होने वाले खर्चे की राशि गरीब परिवार को आर्थिक रूप से तोडकर रख देती है जिससे वह कन्या भ्रण हत्या जैसी बुराई की तरफ प्रेरित होता है। लिहाजा इस बुराई को रोकने हेतु बनाये गये दहेज प्रतिषेध अधिनियम को कठोरता से लागू करने की आवश्यकता है।

उत्तराधिकार संबंधी कानून (Laws related to successtion)

यद्यपि हमारा संविधान लिंग के आधार पर नागरिकों में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है फिर भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के पूर्व पुत्री को पुत्र की भांति अपने पिता की स्व अर्जित सम्पत्ती में अधिकार नहीं दिया गया था। यहां तक कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में भी सहदायिकी पैतृक सम्पति में पुत्र की भांति पुत्री को समान अधिकारों से वंचित रखा गया जो वर्ष 2005 के संशोधन द्वारा मिल पाया। लेकिन यह कटु वास्तविकता है कि पिता की सम्पति में पुत्री का अधिकार सिर्फ कानून की किताबों तक सीमित है। व्यावहारिक तौर पर आज भी पुत्री को पुत्र के समान पिता की स्व अर्जित या पैतृक सम्पति में वास्तव में कोई हिस्सा नहीं मिलता है जिसके लिये सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।

पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम

लिंग परीक्षण को प्रतिबंधित करने की दिशा में यह सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है। जिसका आगे अध्यायों में विस्तार से उल्लेख किया गया है।

पीसीपीएनडीटी अधिनियम – एक नजर में
PCPNDT Act - At a glance

लिंग परीक्षण एवं कन्या भ्रूण हत्या रोकने के उद्देश्य से बनाया गया पीसीपीएनडीटी अधिनियम आठ अध्यायों में विभाजित है जिसमें कुल 34 धाराऐं हैं। इस अधिनियम के तहत वर्ष 1996 में कुल 19 नियम बनाये गये। यह अधिनियम वर्ष 2003 में संशोधित हुआ। नियमों में वर्ष 2011, 2012, 2014, 2015 व 2017 में संशोधन किये गये, संशोधनानुसार वर्ष 2014 में पीसीपीएनडीटी (छः माह प्रशिक्षण) नियम 2014 जोड़ा गया।

अध्याय–1 में प्रमुख परिभाषाऐं धारा 2 में दी गई है।

अध्याय–2 की धारा 3 में आनुवांशिक परामर्श केन्द्र एवं आनुवांशिक क्लिनिकों के विनियमन संबंधी प्रावधान हैं, जिनमें पंजीकरण के बिना ऐसे केन्द्रों को संचालित करना अवैध है, साथ ही जिस व्यक्ति के पास निर्धारित योग्यता नहीं है उसे नियोजित करने व उसकी सेवा लेने पर रोक लगाई गई है। पंजीबद्व संस्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर ऐसा कार्य करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इस अध्याय की धारा 3–B में अल्ट्रासाउण्ड मशीनों आदि का विक्रय ऐसे व्यक्ति/संस्थान. को करने पर प्रतिबंध है जो इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है।

अध्याय–3 की धारा 4 में प्रसूति पूर्व निदान तकनीकी के विनियमन के प्रावधान दिये गये हैं, जिनमें आनुवांशिक विकृतियों या बीमारियों के अलावा इन निदान तकनीकों का उपयोग लिंग परीक्षण के लिए करने पर प्रतिबंध है। इस प्रतिबंध को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित केन्द्र को पूरा अभिलेख रखने व अन्य शर्तों की पालना करने के लिए पाबंद किया गया है जिसके उल्लंघन के लिए सोनोग्राफी करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध धारा 4 में उपधारणा की जाएगी की उसमें धारा 5 व 6 का उल्लंघन किया है।

इसी अध्याय की धारा 5 एवं 6 में किसी भी व्यक्ति को भ्रूण के लिंग की किसी भी प्रकार से सूचना देने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

अध्याय–4 की धारा 7 में केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के गठन का प्रावधान हैं, जिसमें केन्द्र सरकार के परिवार कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री, महिला सांसद, सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, विधि मंत्रालय, चिकित्सा क्षेत्र के सदस्य, महिला कल्याण संगठन व समाज विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों के प्रख्यात व्यक्ति शामिल किये गये हैं।

धारा 16 के अनुसार केन्द्रीय बोर्ड का कार्य इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में नीतिगत मामलों पर सलाह देना, समय–समय पर आवश्यकतानुसार नियमों में परिवर्तन के लिए सुझाव देना, लिंग परीक्षण के प्रति समाज में जागरूकता पैदा करना, आनुवांशिक परामर्श केन्द्रों आदि के लिए आचरण संहिता निर्मित करना एवं अधिनियम के अधीन गठित विभिन्न निकायों के कार्यों का अधीक्षण एवं निर्धारण करना है।

इसी अध्याय की धारा 16 क में राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड तथा केन्द्र शासित पर्यवेक्षण बोर्ड के गठन का भी प्रावधान है, जिनमें केन्द्रीय बोर्ड की भांति राज्य स्तर के प्रख्यात व्यक्ति शामिल किये गये है।

राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड का कार्य आम लोगों में लिंग निर्धारण व कन्या भ्रूण हत्या के प्रति जागरूकता पैदा करना, राज्य के समुचित प्राधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण करना व उनके विरूद्ध उपयुक्त कार्यवाही का सुझाव देना, अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन का अधीक्षण करना, उपयुक्त सुझाव देना तथा राज्य की गतिविधियों की विस्तृत रिपोर्ट केन्द्रीय बोर्ड तथा केन्द्र सरकार को प्रेषित करना है।

अध्याय–5 की धारा 17 में समुचित प्राधिकारी एवं सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान है। समुचित प्राधिकारी

प्रत्येक राज्य में एक से अधिक हो सकते हैं, जिनका कार्य आनुवांशिक परामर्श केन्द्र, आनुवांशिक प्रयोगशाला एवं आनुवांशिक क्लिनिकों को लाईसेंस प्रदान करना, उनकी मंजूरी, निलंबन व निरस्तीकरण करना, इस अधिनियम के प्रावधानों के भंग होने की शिकायत मिलने पर उचित कार्यवाही करना, सलाहकार समिति से राय प्राप्त कर पंजीयन के लिए आवेदन करने पर पंजीयन करना, शिकायत मिलने पर जांच कर पंजीयन का निलंबन व निरस्तीकरण करना, लिंग चयन तथा प्रसूति पूर्व लिंग निर्धारण के विरूद्ध जागरूकता पैदा करना तथा इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करना है।

इसी अध्याय की धारा 17(5)(6) में राज्य सरकार द्वारा सलाहकार समिति बनाने का प्रावधान हैं, जिसमें चिकित्सा विशेषज्ञ, विधि विशेषज्ञ, समाज सेवी संगठन तथा राज्य के सूचना प्रसारण विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। सलाहकार समिति समुचित प्राधिकारी के अनुरोध पर पंजीकरण हेतु आवेदन प्राप्त होने पर या शिकायत पर पंजीयन निलंबित व निरस्त करने के संबंध में राय देगी।

इसी अध्याय की धारा 17(क) में समुचित प्राधिकारी को लिंग परीक्षण कराने के क्रम में किसी व्यक्ति को सम्मन करने, दस्तावेज या वस्तु मांगने या तलाशी वारंट जारी करने की शक्तियां दी गई है।

अध्याय–6 की धारा 18–21 में आनुवांशिक परामर्श केन्द्र, आनुवांशिक प्रयोगशाला एवं आनुवांशिक क्लिनिकों के पंजीयन संबंधी प्रावधान दिये गये है। इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर पंजीकरण प्रमाण पत्र के निलंबन एवं निररस्तीकरण की व्यवस्था भी की गई है। निलंबन के आदेश से व्यथित होने पर अपील का प्रावधान भी किया गया है।

अध्याय–7 की धारा 22 में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसूति पूर्व लिंग परीक्षण से संबंधित विज्ञापन का प्रतिषेध और इसके उल्लंघन होने पर तीन वर्ष के कारावास व दस हजार रूपयें के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। धारा 23 में यदि कोई आनुवांशिक विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ या अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसे तीन वर्ष तक के कारावास व दस हजार रूपयें तक के अर्थदण्ड से दण्डित करने का प्रावधान किया गया है अपराध की पुनरावृति करने पर पांच वर्ष तक के कारावास व पचास हजार रूपयें तक के अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकेगा। साथ ही न्यायालय द्वारा आरोप विरचित करने पर प्रकरण के निपटारे तक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी का पंजीकरण निलंबित करने व दोषसिद्धि होने पर पांच वर्ष के लिए तथा अपराध की पुनरावृति होने पर स्थायी रूप से पंजीकरण निरस्त करने के प्रावधान किये गये है।

यदि कोई व्यक्ति लिंग चयन या प्रसूति पूर्व लिंग परीक्षण कराने का दोषी पाया जाता है तो वह तीन वर्ष तक के कारावास व पचास हजार रूपये तक के अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकेगा और अपराध की पुनरावृति करने पर पांच वर्ष तक के कारावास व एक लाख रूपयें तक के अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकेगा।

इसी अध्याय की धारा 24 में अधिनियम में महिला की मजबूरी के प्रति संवेदनशीलता व्यक्त करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि ऐसी महिला दण्डनीय नहीं होगी, जिसे परीक्षण व लिंग चयन के लिए मजबूर किया गया हो बल्कि इसके लिए धारा–24 में महिला के पति व अन्य रिश्तेदारों के विरूद्ध उपधारणा का प्रावधान किया गया है।

इस अध्याय की धारा 27 व 28 में इस अपराध में सभी अपराध संज्ञेय, अजमानतीय व अशमनीय बनाये गये हैं लेकिन अपराध की विशेष प्रकृति को देखते समुचित प्राधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति अथवा 15 दिन का नोटिस देने के बाद किसी निजी व्यक्ति अथवा सामाजिक संगठन के परिवाद पर प्रसंज्ञान लेने का प्रावधान किया गया है।

अध्याय–8 की धारा 29 में अभिलेख को सुरक्षित रखने का प्रावधान है। धारा 30 में समुचित प्राधिकारी को किसी आनुवांशिक क्लिनिक की तलाश व जब्ती की शक्तियां दी गई है। धारा 31 में सद्भावना में की गई कार्यवाही के

विरूद्ध इस अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही के प्रति लोक सेवकों को संरक्षण प्रदान किया गया है। धारा 31(क) कठिनाईयों के निवारण के लिए केन्द्र सरकार को आवश्यक नियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया है।

इस अध्याय की धारा 32–34 में अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार ने नियम बनाये हुए हैं जिनके तहत आवश्यकतानुसार राज्य सरकार ने अधिसूचनाएं एवं परिपत्र जारी किये हैं जो सुलभ संदर्भ हेतु इस पुस्तिका में संलग्न किये गये है।

पीसीपीएनडीटी कानून के क्रियान्वयन हेतु संगठनात्मक ढांचा

पीसीपीएनडीटी अधिनियम के क्रियान्वयन की संरचना इस प्रकार की गई है :

कानून के क्रियान्वयन की संरचना

केन्द्र स्तरीय

केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड (Central Supervisory Board)

⇩

राज्य स्तरीय

राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड (State Supervisory Board)

राज्य समुचित प्राधिकारी (State Appropriate Authority)

राज्य सलाहकार समिति (State Advisory Committee)

⇩

जिला स्तरीय

जिला समूचित प्राधिकारी (District Appropriate Authority)

जिला सलाहकार समिति (District Advisory Committee)

राज्य स्तर पर संगठनात्मक ढांचा निम्न प्रकार है :–

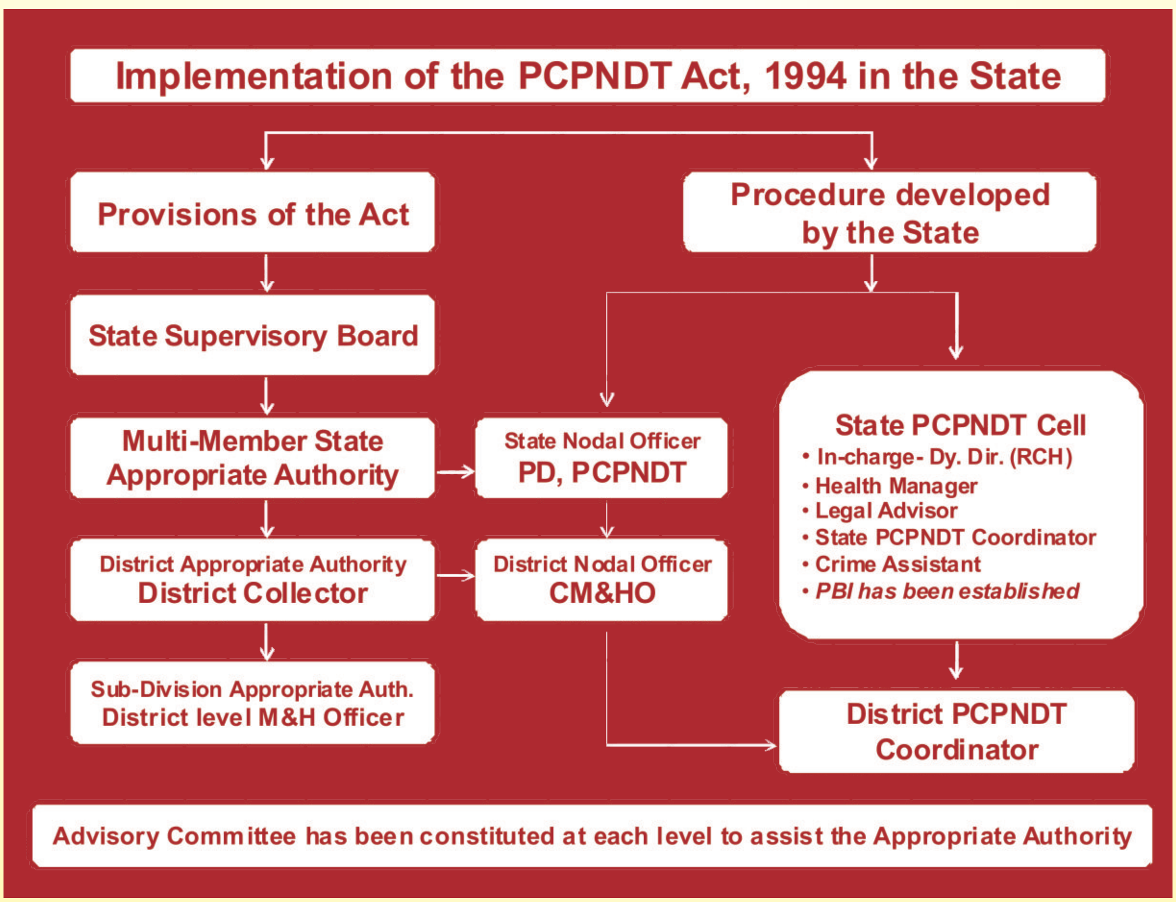

राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन (धारा 16–क)
Supervisory Board

संशोधित अधिनियम की धारा 16(क) के तहत प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा एक राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन किया जायेगा जिसमें निम्न सदस्य होंगेः–

1. प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (पदेन अध्यक्ष)
2. प्रभारी सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (पदेन उपाध्यक्ष)
3. प्रभारी सचिव/आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, विधि विभाग व चिकित्सा औषधि एवं होम्योपैथी विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि पदेन सदस्य
4. निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/भारतीय चिकित्सा पद्धति व होम्योपैथी विभाग, राज्य सरकार (पदेन सदस्य)
5. तीन महिला विधान सभा/विधान परिषद सदस्य
6. दस सदस्य जो कि निम्न प्रत्येक में से दो होंगे :–
   - विख्यात समाज विज्ञानी एवं विधि विशेषज्ञ।
   - विख्यात महिला कार्यकर्ता किसी गैर सरकारी संगठन या अन्य से।
   - विख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ या स्त्री रोग और प्रसूती तन्त्र विशेषज्ञ।
   - विख्यात शिशु रोग विशेषज्ञ/आनुवांशिकी विशेषज्ञ।
   - विख्यात रेडियोलोजिस्ट या सोनोलोजिस्ट।
7. एक अधिकारी, जो कि परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक स्तर से कम स्तर का नहीं होगा। (पदेन सदस्य सचिव)

♦ राज्य स्तर पर राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन पूर्ण है।

सलाहकार समितियों की संरचनाः धारा 17(6)

(Advisory Committees)

सलाहकार समितियों का चयन राज्य स्तर पर राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इनका मुख्य कार्य समुचित प्राधिकारी को सहायता व सलाह देना है। सलाहकार समिति में 8 सदस्य इस प्रकार होते हैः–

- तीन चिकित्सा विशेषज्ञ (स्त्री रोग, बाल रोग विशेषज्ञ, आनुवांशिक विज्ञानी)
- कानूनी विशेषज्ञ
- राज्य सूचना एवं प्रसारण विभाग का एक अधिकारी
- तीन उत्कृष्ट समाज सेवी (जिनमें महिला संगठन की कम से कम एक महिला प्रतिनिधि हो)

♦ राज्य स्तर पर सलाहकार समितियों की संरचना पूर्ण है।

क्रियान्वयन अधिकारी (समुचित प्राधिकारी)
Appropriate Authority

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 को लागू करने की जिम्मेदारी समुचित प्राधिकारियों पर डाली गई है। इसके लिए राज्य, जिला व उपखण्ड स्तर पर समुचित प्राधिकारी नियुक्त किये गए है।

राज्य स्तर पर (तीन सदस्यीय दल समुचित प्राधिकारीगण होगा) धारा 17 (3)

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का संयुक्त निदेशक से उच्च स्तर का अधिकारी

  (राजस्थान में शासन सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 को अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी अधिसूचित किया गया है।)

- विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता महिला संगठन के प्रतिनिधि के रूप में। सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी
- राज्य के विधि विभाग का अधिकारी। सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी

जिला स्तर पर समुचित प्राधिकारी

राजस्थान सरकार द्वारा मूल अधिसूचना क्रमांक प.12(38) चि.5/94–पार्ट III दिनांक 16 जून, 2001 को संशोधित कर अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त, 2007 (क्रमांक प.23/2 चि. एवं स्वा. 3/2003 पार्ट) के अनुसार सभी जिलों में जिला कलक्टर को जिला समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी नियुक्त किया गया है।

उपखण्ड स्तर पर समुचित प्राधिकारी

राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक प.23(2)चि.व स्वा. 3/2003 पार्ट दिनांक 05 जनवरी, 2012 को अधिक्रमित करते हुए अधिसूचना दिनांक 23 अप्रैल, 2015 जारी कर जिला स्तर पर जिला कलक्टर एवं उपखण्ड स्तर पर जिलेंवार मुख्य/अति0/उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा/प0क0) व जिला स्तरीय चिकित्सा अधिकारियों को उपखण्ड समुचित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है जिला मुख्यालय स्थिति उपखण्ड के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को समुचित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

समुचित प्राधिकारी के कार्य {धारा 17(4)}
Functions of Appropriate Authority

समुचित प्राधिकारी कानून को लागू करने वाली सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। जिसके कार्य निम्नलिखित हैं:–

1. सम्बन्धित नियमों का कानून के अनुसार अनुपालन करना/करवाना।
2. सलाहकार समिति की निर्धारित समयावधि (साठ दिन) में बैठक करवाना
3. सलाहकार समिति के निरीक्षण एवं सलाह के बाद अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों तथा अन्य जेनेटिक केन्द्रों को पंजीकरण प्रदान करना।
4. जेनेटिक काउन्सिलिंग सेन्टर, जेनेटिक क्लीनिक लैबोरेट्री आदि के उचित मानकों को लागू करना।
5. पंजीकरण पत्र पर इन केन्द्रों की मशीनों के सम्पूर्ण विवरण के होने की जांच करना।

6. पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र में आवश्यक योग्यता, विवरण आदि की जांच करना एवं आवश्यक समझने पर उनका सत्यापन करना।

7. केन्द्रों के नियमित निरीक्षण की व्यवस्था कर नियम के उल्लंघन न होने देने का निर्धारण करना।

8. समय–समय पर निरीक्षण कर गैर–पंजीकृत केन्द्रों को पकड़ना।

9. अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों के पंजीकरण/नवीनकरण/निस्तीकरण/निलम्बन अथवा कानूनी कार्यवाही के सम्बन्ध में सलाहकार समिति से परामर्श लेना।

10. सम्बन्धित अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जांच करना एवं अधिनियम का उल्लंघन पाये जाने पर उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध न्यायालय में मुकदमा दर्ज करवाना।

11. लिंग जांच/लिंग चयन/लिंग निर्धारण के विरूद्ध जनता में जागरूकता फैलाना।

12. राज्य सलाहकार समिति/जिला सलाहकार समिति को समय–समय पर नियम के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं से अवगत कराना।

13. शिकायत मिलने पर केन्द्र की जांच पड़ताल से उपरान्त सलाहकार समिति की संस्तुति के अनुसार कार्यवाही कर पंजीकरण को निलंबित अथवा निरस्त करना।

14. समुचित प्राधिकारी स्तर पर यह जिम्मेदारी भी है कि वह कानून से सम्बन्धित संदर्भो एवं प्रक्रियाओं की जानकारी का प्रचार–प्रसार भी करें। पीसीपीएनडीटी अधिनियम के नियम के अन्तर्गत व्याख्यित किया गया है कि जिले में पंजीकरण के माध्यम से जमा धनराशि का प्रयोग उपरोक्त गतिविधियों के लिए किया जा सकता है ।नियम 5

समुचित प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र (शक्तियॉ) (धारा 17–क): Power of Appropriate Authority

1. किसी भी ऐसे व्यक्ति को सम्मन (Notice) भेजना जिसके पास कानून के किसी प्रावधान या नियम के उल्लंघन की सूचना हो।

2. किसी भी साक्ष्य, जो उपरोक्त बिन्दु से सम्बन्धित हो, को प्रस्तुत करवाना।

किसी भी ऐसी जगह, जहां लिंग जांच तकनीकि के प्रयोग की आशंका हो, को तलाशी का वारंट जारी करना।

अधिनियम में किये गये नयें संशोधन :
(New Amendments in Act)

1. दिनांक 28.01.2015 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र के अनुसार :–

अधिनियम के नियम 1996 के नियम 18–क के उप नियम 4 के खण्ड (ii) में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

नियम 18–क (4)(ii) यह सुनिश्चित करें कि यदि उक्त अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी प्रावधान के उल्लंघन हेतु आवेदक के विरूद्ध कोई मामला किसी भी न्यायालय में लंबित हो, तो नए पंजीकरण या पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु कोई आवेदन स्वीकार ना किया जाए।

2. दिनांक 22.05.2017 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र के अनुसार पीसीपीएनडीटी नियम 1996 के पश्चात निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किये जाएंगे।

''19 क, अधिनियम की धारा 21 के खण्ड (i) और (ii) के अधीन अपील फाईल करने और उसका निपटान करने की रीति–(1)(क) केन्द्री सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्रीय समुचित प्राधिकारी या संघ राज्य क्षेत्र के समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील की सुनवाई के लिए प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक केंद्रीय (संघ) अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करेगी।

(ख) केंद्रीय (संघ) अपीलीय प्राधिकारी कम से कम संघ राज्य क्षेत्र के समुचित प्राधिकारी के पद के स्तर का होगा।

(2) (क) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य के समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील करने के प्रयोजन के लिए एक राज्य अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करेगी।

(ख) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य अपीलीय प्राधिकारी प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण या कम से कम राज्य समुचित प्राधिकारी के समकक्ष कोई अधिकारी होगा।

(3) (क) केन्द्र समुचित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध केन्द्रीय अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जाएगी।

(ख) राज्य समुचित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध राज्य अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जाएगी।

उक्त अपील, आदेश पारित किये जाने के 30 दिवस के अन्दर विहित प्रारूप में उल्लेखित दस्तावेजों, अनुक्रमणीका सहित शपथ पत्र के साथ अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।(4,5,6)

3. दिनांक 19.06.2017 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र के अनुसार पीसीपीएनडीटी नियम 1996 के नियम 5 उपनियम (1) के बाद निम्न परन्तु जोड़ा गया है।

''परन्तु आगे यह कि किसी भी स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवायें प्रदान कराने वाले सरकारी संस्थान को पंजीकरण अथवा नवीनीकरण हेतु अपेक्षित शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी''।

पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अन्तर्गत प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न
Frequently Asked Questions

प्रश्नः 1. लिंग चयन क्या है ?

उत्तरः अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी विधि/तकनीक द्वारा गर्भधारण से पहले किसी विशेष लिंग का चयन करवाना अथवा गर्भधारण करने के बाद व प्रसव से पहले गर्भ में पल रहे भ्रूण के लिंग का पता लगाना (लडका है या लडकी) लिंग चयन के अन्तर्गत आता है।

प्रश्नः 2. साधारणतया लिंग चयन व लिंग जांच हेतु किन तकनीकों का उपयोग किया जाता है?

लिंग चयनः– प्री इम्पलांटेशन आनुवांशिक निदानः यह एक नई तकनीक है जिसका दुरूपयोग लिंग चयन हेतु किया जा सकता है। इसमें टेस्ट ट्यूब (परीक्षण नली) के माध्यम से लिंग चयन किया जाता है।

लिंग जांचः

1. एमनिओसेन्टेसिसः गर्भवती महिला के गर्भ से एमनिओटिक फ्लूइड को निकालकर उसके अध्ययन के माध्यम से।
2. कोरियोनिक विलस बायोप्सीः इस तकनीक के द्वारा गर्भाशय के निचले हिस्से से ऊतक (कोरियोनिक विली, जो भ्रूण के चारों तरफ रहता है) निकालकर उसके द्वारा लड़का–लड़की का पता लगाया जाता है।
3. अल्ट्रासोनोग्राफी : सोनोग्राफी व अल्ट्रासाउण्ड के नाम से मशहूर यह तकनीक समान्यतः प्रयोग की जाने वाली निदान तकनीक है। लेकिन लिंग जांच हेतु सबसे अधिक प्रयोग इसी तकनीक का होता है।

प्रश्नः3. पीसीपीएनडीटी अधिनियम क्या कहता है ?

किसी भी तरीके/तकनीक से गर्भधारण से पूर्व लिंग चयन करवाना व प्रसवपूर्व लिंग जांच करवाने के विरूद्ध एक अधिनियम है जो कि ऐसा करना प्रतिबंधित करता है।

- लिंग चयन एवं लिंग जांच पूर्णतया प्रतिबंधित है। (धारा 3–क)
- कोई व्यक्ति जिसमें प्रसवपूर्व निदान–प्रक्रियां करने वाला व्यक्ति सम्मिलित है, संबंधित गर्भवती स्त्री या उसके नातेदारों या किसी अन्य व्यक्ति को शब्दों, संकेतों द्वारा या किसी अन्य तरीके से भ्रूण के लिंग की सूचना नहीं देगा। (धारा 5 (2))
- अल्ट्रासाउण्ड मशीन या इमेजिंग मशीन अथवा ऐसी कोई भी अन्य तकनीक जिससे भ्रूण के लिंग की जांच संभव हो, की सेवाएं देने हेतु अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र/क्लिनिक को पंजीकृत करना होगा। (धारा18–1)
- अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सभी केन्द्रों को जनता की सूचना हेतु अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में एक सूचनापट्ट, कि भ्रूण के लिंग को प्रकट करना कानूनी अपराध है, लगाना होगा। (नियम 17–1)
- कोई भी केन्द्र/व्यक्ति लिंग चयन या जांच से संबंधित किसी भी प्रकार का विज्ञापन किसी भी रूप में प्रचारित–प्रसारित नहीं करेगा। (धारा 22)

प्रश्नः4. पीसीपीएनडीटी अधिनियम किस प्रकार से चिकित्सा व्यवसायियों से संबद्ध है ?

यह अधिनियम चिकित्सा व्यवसायियों के लिए ही है, चूंकि यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि प्रसव पूर्व निदान तकनीकों का संचालन/प्रयोग इन्हीं कि द्वारा किया जाता है और यह भी स्पष्ट है कि लड़कियों की संख्या के घटने के पीछे इन तकनीकों का दुरूपयोग पूरी तरह से जिम्मेदार है। ऐसे में कुछ चिकित्सक लिंग चयन को सामाजिक भले हेतु किया गया कार्य मानते है। परंतु सबसे महत्वूपर्ण यह है कि लिंग चयन करना पूर्णतया कानून के विरूद्ध है और किसी भी रूप मे ंयह किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता है।

प्रश्नः5. क्या एक्ट तकनीक के विरूद्ध है ?

यह एक्ट तकनीक के विरूद्ध कदापि नहीं है, लेकिन यह अधिनियम इन तकनीकों के सदुपयोग की मांग करता है जो चिकित्सक इन तकनीकों का दुरूपयोग करते है, उन्हें घटते शिशु लिंगानुपात से भविष्य में समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव व अन्य समस्याओं से किसी प्रकार का वास्ता नहीं है। कोई भी तकनीक जो कि मानव स्वास्थ्य के भले से जुड़ी है, निश्चित रूप से समाज के लिए हितकारी है। हालांकि एक महिला को विशेष परिस्थितियों में गर्भपात का अधिकार है। इसके लिए हमारे देश में अधिनियम (एमटीपी एक्ट) भी बना हुआ है। लेकिन यदि यह गर्भपात लिंग चयन आधारित है तो यह गैर कानूनी होगा और यदि डॉक्टर ऐसा करते है तो यह पूरे चिकित्सकीय समाज पर एक प्रश्न चिन्ह है।

प्रश्नः6. क्या गैर एलोपैथी डॉ0 अल्ट्रासाउण्ड मशीन चला/संचालन कर सकता है ?

गैर एलोपैथी चिकित्सक मशीन पर जांचकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता। अधिनियम/नियमानुसार रेडियोलॉजिस्ट/स्त्री रोग विशेषज्ञ/सोनोलॉजिस्ट एवं विषय विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा अपने क्षेत्रों में सोनोग्राफी मशीन का संचालन किया जा सकता है, साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 09.01.2014 के अनुसार विहित रीति में छः मासिक प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सक द्वारा भी मशीन का संचालन किये जाने हेतु प्रावधान है। चिकित्सक का पंजीकरण स्टेट मेडिकल काउन्सिल में होना भी अनिवार्य है।

प्रश्नः7 क्या सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थाओं के लिए भी पंजीकरण अनिवार्य है ?

हां, किसी भी संस्थान को (प्राईवेट हो या सरकारी), यदि वहां पर लिंग जांच की क्षमता से संबंधित किसी भी प्रकार की मशीन प्रयोग करना/लगाना है तो कानून के अंतर्गत उस संस्थान/अस्पताल का पंजीकरण होना अनिवार्य है।

प्रश्नः8 क्या आपातकाल की स्थिति में पोर्टेबल अल्ट्रासाउण्ड मशीन को वाहन से ले जाया जा सकता है ?

यदि अल्ट्रासाउण्ड मशीन मोबाईल मेडिकल यूनिट के रूप में पंजीकृत है तो उसे जिले में कही भी ले जाया जा सकता है, परन्तु किसी भी स्थिति में मशीन को वाहन से बाहर नहीं निकाला जा सकता है।

प्रश्नः9 यदि किसी केन्द्र का मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो इस स्थिति में केन्द्र के पंजीकरण का क्या होगा ? इसी प्रकार अपराध सिद्ध हो जाने पर पंजीकृत इकाई का क्या होगा ?

न्यायालय में मामला विचाराधीन होने की स्थिति में केन्द्र का पंजीकरण/नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है (नियम18क(4)(ii)) और यदि अपराध सिद्ध हो जाता है तो पंजीकृत इकाई को निरस्त कर दिया जाएगा।

प्रश्नः10 अधिनियम के अंतर्गत किस–किसको सजा मिल सकती है ?

- वह व्यक्ति/चिकित्सक जो जांचकर्ता के रूप में कार्य करता है।
- ऐसा व्यक्ति जो केन्द्र/इकाई का संचालक है।
- दलाल जो लिंग जांच अथवा ऐसे किसी भी प्रकार के कार्य में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा हो।
- गर्भवती महिला का पति/परिवार अथवा महिला के वो रिश्तेदार जो लिंग जांच के लिए महिला को प्रेरित करते है।
- गर्भवती महिला, जब यह सिद्ध हो जाए की वह अपनी मर्जी से लिंग जांच करवाने गयी थी।
- ऐसा व्यक्ति/संस्था जो लिंग चयन/जांच/विशेष लिंग से संबंधित विज्ञापन जारी करता है तो विज्ञापन जारीकर्ता एवं करवाने वाला (धारा 22)
- कम्पनी/विक्रेता जो अपंजीकृत ईकाई को मशीन की बिक्री करता है।

प्रश्नः11 यदि केन्द्र/क्लिनिक अपंजीकृत है तो इस स्थिति में क्या कार्यवाही होगी ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पीसीपीएनडीटी अधिनियम के नियम 11 में उप नियम 2 के लिए नियमों को बदल दिया गया है। नये नियम के अनुसार अपंजीकृत रूप से चलाए जा रहे केन्द्रों का पता चलने पर मशीनों को जब्त कर उनके खिलाफ अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

प्रश्नः12 एक आम व्यक्ति लिंग चयन प्रथा के उन्मूलन में कैसे मदद कर सकता/सकती है ?

1. अगर किसी को उसके समाज या पड़ोस में किसी के द्वारा लिंग चयन करने अथवा कराने का पता चलता है तो इसकी सूचना समुचित प्राधिकारी/जिलाधिकारी को सबूत के साथ कर सकते है। शिकायकर्ता का नाम गोपनीय रखा जायेगा इस हेतु हैल्प लाईन नं0 104, 108, 0141–2221812 या ई–मेल (pcpndt-rj@nic.in) है।
2. यदि आपको लगता है कि किसी भी केन्द्र के द्वारा पीसीपीएनडीटी अधिनियम का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो इसकी शिकायत समुचित प्राधिकारी/जिलाधिकारी से की जा सकती है। जैसे केन्द्र का अपंजीकृतरूप से संचालन, अप्रशिक्षित या अयोग्य व्यक्ति द्वारा मशीनों का संचालन, लिंग जांच के बारे में पता चलना जैसी जानकारी पर इसकी शिकायत की जा सकती है।
3. राज्य सरकार द्वारा चलाई गई मुखबिर योजना के अंतर्गत किसी भी स्तर पर समुचित प्राधिकारी को लिंग जांच में लिप्त चिकित्सकों/केन्द्रों के बारे में गुप्त रूप से सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जायेगा तथा उसको तीन चरणों में रू. 2,50,000/– की राशि पुरस्कार के रूप में नियमानुसार दिये जाने का प्रावधान है।

केन्द्रों के पंजीकरण एवं विभिन्न व्यवहारिक पक्ष
नये केन्द्रों का पंजीकरण (नियम –4)

अधिनियम के अंतर्गत :

1. जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, जेनेटिक लेबोरेट्री, जेनेटिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक (वर्तमान में मुख्यतः इन केन्द्रों के लिए ही आवेदन प्राप्त होते है) तथा इमेजिंग सेंटर हेतु पंजीकरण किया जाता है। (नियम –4)
2. अधिनियम के अंतर्गत उस स्थान केन्द्र/क्लिनिक का पंजीकरण किया जाता है जहां पर संबंधित तकनीक को स्थापित किया जाना है।
3. इसके अतिरिक्त मोबाईल जेनेटिक क्लिनिक तथा पोर्टेबल उपकरण जो गर्भावस्था के दौरान लिंग जांच करने में अथवा गर्भधारण से पूर्व लिंग चयन में सक्षम/ संबंधित हो सकते हों, उनका भी पंजीकरण किया जाता है।यह मोबाईल यूनिट केवल अल्ट्रासोनोग्राफी की सेवाएं देने के लिए नहीं होगी। अल्ट्रासोनोग्राफी की सेवाएं अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के साथ दी जाएंगी।
4. पंजीकरण प्रमाण पत्र को केन्द्र में उपयुक्त स्थान पर दर्शाते हुए लगाना चाहिए। (धारा 19–4)
5. पंजीकरण के पश्चात ही मशीन को खरीदा जा सकता है।
6. स्थान के बदलने पर, मशीन के बेचे जाने/पंजीकृत इकाई में नयी मशीन लाने तथा मालिक के बदलाव से पूर्व समुचति प्राधिकारी की अनुमति अनिवार्य है।(नियम –13)

पंजीकरण हेतु आवश्यक औपचारिकताएं :

1. प्रत्येक पंजीकरण प्रार्थना पत्र प्रारूप ए में दो प्रतियों में दिया जाएगा। (प्रारूप ए के कालम 10 में मशीन को संचालित करने वाले डॉक्टर्स/कर्मचारीगण का पूरा नाम, शैक्षिक योग्यता को अवश्य अंकित किया जाना चाहिए।) नियम 4(1) एवं 8(1)
2. डॉक्टर्स की शैक्षिक योग्यता की प्रतियों के साथ–साथ राज्य मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण की प्रति भी अवश्य होनी चाहिए।
3. प्रत्येक पंजीकरण प्रार्थना पत्र के साथ निम्न शपथ–पत्र होंगे :

- एक शपथ पत्र (अण्डरटेकिंग) कि संस्थान जो कि गर्भस्थ शिशु की लिंग जांच करने में सक्षम तकनीक/उपकरण रखता है। गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व लिंग जांच के लिए किसी भी प्रकार के परीक्षण एवं तकनीक को उपयोग में नहीं लाएगा। जब तक की ऐसा करना अधिनियम की धारा 4(2) के तहत ना आते हो। नियम 4–1(i)

4. एक शपथ पत्र (अण्डरटेकिंग) कि संस्थान जो कि गर्भस्थ शिशु की लिंग जांच से संबंधित कोई भी तकनीक/उपकरण रखता है के द्वारा इस नोटिस कि "लिंग जांच कानूनी अपराध है/ भ्रूण का लिंग परीक्षण कानूनन अपराध है" की चेतावनी अंग्रेजी अथवा स्थानीय भाषा में लिखे दो बोर्डों का अपने संस्थान के स्पष्ट रूप से दृश्य स्थान पर प्रदर्शन किया जाएगा।
5. जिस व्यक्ति/चिकित्सक को मशीन संचालन हेतु रखना है उसकी सत्यापित शैक्षणिक योग्यताओं की प्रतिलिपियां (जो व्यक्ति जांच हेतु उपयुक्त हो) व राज्य मेडिकल काउंसिल में उसका पंजीकरण होना अनिवार्य है।

6. पंजीकरण हेतु विहित शुल्क (डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा जो की समुचित प्राधिकारी के पक्ष में देय होगी)। नियम 5
7. स्थान का नक्शा।
8. यदि संस्था/ट्रस्ट है –पंजीकरण प्रमाण पत्र।
9. सोनोग्राफी मशीन की खरीदारी हेतु कोटेशन।
10. जिस स्थान पर मशीन लगनी है वह स्थान उपयुक्त होना चाहिए साथ ही साथ वहां पानी बाथरूम इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए।

अधिनियम के अंतर्गत क्लिनिक/केन्द्र के पंजीकरण हेतु समुचित प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही:

1. प्रारूप ए पर आवेदन प्राप्त होने के पश्चात समुचित प्राधिकारी के द्वारा आवेदन की स्वीकार्यता की पावती (एकनोलेजमेंट नियम 4(2)और 8(1) देखें) जो कि प्रारूप ए में ही संलग्न होती हैं, आवेदनकर्ता को प्रदान की जाएगी।
2. आवश्यक होने पर लगाये गए दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जांच की जानी चाहिए।
3. समुचित प्राधिकारी द्वारा आवेदित केन्द्र/क्लिनिक का निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन किया जाएगा। नियम 6(4)
4. समुचित प्राधिकारी की रिपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक में प्रस्तुत की जाएगी और सभी दस्तावेजों (पंजीकरण की औपचारिकताओं में बताए गए है)की जांच के बाद सलाहकार समिति की संस्तुति के उपरांत प्रारूप बी में प्रमाण पत्र दो प्रतियों में प्रदान किया जाएगा। नियम 6(5)
5. उपरोक्त प्राप्त दो प्रतियों में से एक प्रति केन्द्र को अपने रिकॉर्ड के रूप में रखनी होगी व दूसरी केन्द्र को कार्य स्थल पर किसी सहज दृश्य स्थान पर लगानी होगी। नियम 6(2)
6. मापदण्ड या दस्तावेजों में किसी प्रकार की कमी होने पर समुचित प्राधिकारी द्वारा पंजीकरण की नामंजूरी, आवेदन प्राप्त होने के 90 दिन के अंदर प्रारूप सी में दिया जाएगा।

पंजीकरण हेतु शुल्क (नियम 5)

- आनुवांशिक परामर्श केन्द्र, आनुवांशिक प्रयोगशाला, आनुवांशिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक या इमेजिंग केन्द्र के लिए रूपयें 25000 (रूपयें पच्चीस हजार) नियम 5(1)(क)
- किसी संस्थान, अस्पताल, परिचर्याग्रह या किसी अन्य स्थान जो आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला और आनुवंशिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक या इमेजिंग केन्द्र की संयुक्त रूप से सेवाएं देने के लिए रूपयें 35000 (रूपयें पैंतीस हजार) नियम 5(1)(ख)

पंजीकरण का रद्दकरण/निलंबन (धारा 20) :

1. पीसीपीएनडीटी अधिनियम के नियमों/विधानों का उल्लंघन होने पर।
2. समुचित प्राधिकारी द्वारा आवश्यक होने पर अथवा जनता के हित में होने पर किया जा सकता है।
3. किसी पीडित व्यक्ति को सुनने के बाद ऐसा सलाहकार समिति की सलाह पर किया जा सकता है।

पंजीकरण का नवीनीकरण / वैधता / निरस्तीकरण

प्रत्येक पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी होने की तिथि से पांच वर्ष के लिए प्रभावी होता है। इस अवधि के बाद नवीनीकरण करवाया जायेगा। नियम–7

1. पंजीकरण प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त होने की तारीख से 30 दिन पूर्व कभी भी नवीनीकरण प्रार्थना पत्र प्रारूप ए में दो प्रतियों में समुचित प्राधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। नियम 8(1)
2. नवीनीकरण कराने की दशा में प्रथम पंजीकरण शुल्क की आधी फीस देय होगी। नियम 8(4)
3. नवीनीकरण प्रार्थना पत्र की प्राप्ति के बाद समुचित प्राधिकारी द्वारा जांच जिसमें स्वयं का निरीक्षण भी शामिल है किया जाएगा और अगर कोई कमीं पाई जाती है तो उनकी कमी पूर्ति एक नोटिस के जरिये आवेदक से करायेगा।
4. निरीक्षण एवं सत्यापन रिपोर्ट को सुझाव हेतु सलाहकार समिति के समक्ष रखा जायेगा। सलाहकार समिति केन्द्र के पिछले दस्तावेजों जैसे फॉर्म एफ की नियमितत सूचना, संचालक डॉक्टर की केन्द्र में नियमित उपलब्धता इत्यादि को देखते हुए अपनी संस्तुतियां समुचित प्राधिकारी के समक्ष रखेंगी।
5. नवीनीकृत पंजीकरण प्रमाण पत्र भी 5 साल के लिए दिया जाएगा और नवीनीकृत पंजीयन प्रमाण पत्र जारी होने पर पूर्व में जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की दोनों प्रतियां समुचित प्राधिकारी के समक्ष जमा कर दी जाएगी। नियम 8(5)

केन्द्र पर दूसरी नई मशीन लाने के संबंध में :

- यदि इकाई पहले से पंजीकृत है, और उस स्थिति में उसके द्वारा अपने केन्द्र / संस्थान में नई मशीन लाई जाती है तो इसकी सूचना मशीन लाने से कम से कम 30 दिन पहले समुचित प्राधिकारी को देनी होगी व मशीन लाने के बाद पंजीकरण प्रमाण पत्र में उसका मेक व मॉडल संख्या दर्ज करनी होगी। (एक प्रमाण पत्र जो संबंधित समुचित प्राधिकारी के कार्यालय में जमा है, दूसरा संचालक के पास व तीसरा केन्द्र में लगा है, तीनों में यह जानकारी दर्ज होनी चाहिए) पंजीकृत इकाई में अन्य मशीन लाने हेतु पुनः किसी प्रकार का शुल्क इत्यादि देय नहीं होगा। नियम (13)

नयी अल्ट्रासाउण्ड मशीने खरीदने व बेचने की प्रक्रियां :

1. क्लिनिक के पंजीकरण के उपरांत, पंजीकरण की प्रतिलिपि निर्माता कम्पनी को भेजनी चाहिए व साथ में खरीददार को एक शपथ पत्र भी कम्पनी को देना होगा, जिसमें यह लिखा होगा कि मेरे द्वारा मशीन का प्रयोग लिंग जांच हेतु नहीं किया जाएगा। नियम 3(क)3
2. मशीन प्राप्ति के उपरांत इसकी सूचना केन्द्र द्वारा समुचित प्राधिकारी को दी जाएगी। समुचित प्राधिकारी द्वारा मशीन का मॉडल व संख्या पंजीकरण में दर्ज की जाएगी।
3. निर्माता कम्पनी के ऊपर भी यह नियम लागू होता है कि वह मशीन की बिक्री के तीन माह के अंदर उसकी सूचना राज्य समुचित प्राधिकरण व केन्द्र सरकार को दें। नियम 3 क (2)
4. निर्माता कंपनी किसी गैर पंजीकृत इकाई को मशीन नहीं बेच सकती है धारा 3 क

केन्द्र का पता, जांचकर्ता और उपकरण के परिवर्तन के लिए :

उपरोक्त में से किसी भी परिवर्तन को संचालक द्वारा परिवर्तन से कम से कम 30 दिन पूर्व सूचित कर

समुचित प्राधिकारी से अनुमति लेकर ही परिवर्तन करना होगा। नियम 13 (परिवर्तित भारत का राजपत्र दिनांक : 4 जून 2012 परिशिष्ट – 2)

केन्द्र के स्वामित्व/प्रबंधन के हस्तान्तरण के संबंध में

चूंकि पंजीकरण हस्तान्तरणीय नहीं है इसलिए यदि केन्द्र को किसी अन्य को हस्तान्तरणीय करना हो तो पुराने पंजीकरण को रद्द माना जायेगा। इस स्थिति में पंजीकरण की दूसरी प्रतिलिपि को समुचित प्राधिकरण के समक्ष वापस करनी होगी। नये मालिक/प्रबंधक के द्वारा आवश्यक शुल्क के साथ समुचित प्राधिकरण में पुनः पंजीकरण के लिए आवेदन प्रारूप ए पर करना आवश्यक होगा। नियम 6(6) एवं 6(7)

संचालकों द्वारा ध्यान रखे जाने वाले महत्वपूर्ण बिन्दु

संचालकों द्वारा कुछ बिन्दुओं का ध्यान रखना चाहिए जो निम्नलिखित हैं:–

1. प्रत्येक केन्द्र को सामान्य, सरल एवं क्षेत्रीय भाषा में जनसामान्य की जानकारी के लिए बोर्ड लगाना चाहिए कि लिंग जांच करना/भ्रूण के लिंग की जानकारी देना कानूनन अपराध है। **नियम17(1)**
2. पीसीपीएनडीटी अधिनियम की एक किताब केन्द्र पर अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए और मांगने पर प्रार्थी अथवा निरीक्षण टीम को प्रस्तुत भी करनी चाहिए **नियम17(2)**
3. संचालक द्वारा किसी भी ऐसे चिकित्सक को अल्ट्रासाउण्ड करने हेतु नहीं रखना चाहिए जिसके पास कानून के व्याख्यित योग्यता न हो। **नियम18(2)**
4. प्रत्येक केन्द्र पर एक ऐसा रजिस्टर रखना चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार से प्रसव पूर्व गर्भ जांच तकनीकी का इस्तेमाल (मुख्यतः अल्ट्रासाउण्ड) किया गया हो, तो उसको निम्न जानकारी के साथ भरा जाना चाहिए:

   अल्ट्रासाउण्ड करवाने वाले का नाम, पति/पिता का नाम, पता, जांच का प्रकार एवं परिणाम व दिनांक क्रमवार लिखा हो। **नियम 9(1)**
5. प्रत्येक महिला जिसकी जांच की गयी हो, उसका कानून के अन्तर्गत व्याख्यित प्रपत्र भरा होना चाहिए। अल्ट्रासाउण्ड के सम्बन्ध में प्रारूप एफ भरा जाना चाहिए। **नियम 9**(4)
6. किसी भी फार्म पर अधूरी या गलत प्रकार की सूचना **धारा 5 व 6** का उल्लंघन माना जायेगा।
7. प्रत्येक प्रारूप एफ के साथ रेफरल–स्लिप इत्यादि भी संलग्न होने चाहिए। यदि किसी अस्पताल/चिकित्सक ने अपने यहां से ही मरीज को रेफर के उपरांत जांच करवाई है तो इस स्थिति में भी सैल्फ रेफरल स्लिप अनिवार्य है।
8. प्रतिमाह जांच की हुई गर्भ सम्बन्धी ऐसी सभी जांचों का ब्योरा आगामी माह की पांच तारीख तक समुचित प्राधिकारी कार्यालय को प्रारूप एफ पर भेजना चाहिए। **नियम 9 (8)**
9. समुचित प्राधिकारी के कार्यालय में मासिक रिकार्ड जमा करने के बाद रिकार्ड जमा करने का साक्ष्य भी रखना चाहिए।
10. केन्द्र पर किसी भी प्रकार के परिवर्तन जैसे– स्थान, पता, नयी मशीन खरीद, संचालक चिकित्सक की संख्या में वृद्धि पर उनके आवश्यक दस्तावेज के साथ ऐसी सूचना को समुचित प्राधिकारी को कम से कम तीस दिन पूर्व उपलब्ध कराना चाहिए व दस्तावेज रिकार्ड में भी उपलब्ध होना चाहिए। **नियम 13**

11. मशीनों का संचालन करने वाले चिकित्सक/चिकित्सकों का नाम केन्द्र में प्रदर्शित होना चाहिए, जिसमें उसकी सेवाएं देने का समय भी सम्मिलित होना चाहिए।

12. केन्द्र में कार्यरत चिकित्सक की ड्रेस पर एक बैज लगा होना चाहिए, जिसमें उसका नाम व पद लिखा होना चाहिए। **(नियम 18–Viii)**

13. प्रारूप एफ एवं जारी की जा रही रिपोर्ट पर चिकित्सक के हस्ताक्षर के साथ उसका नाम, पंजीकरण संख्या एवं पद अवश्य लिखा होना चाहिए। **(नियम 18–ix)**

14. संचालक द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिनियम का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं होना चाहिए। **(नियम 18–v)**

15. यदि मशीन किसी वजह से खराब है और उसे मरम्मत की अवश्यकता है या मशीन का उपयोग किसी कारणवश कुछ समय के लिए नहीं किया जा रहा हो तो ऐसी सूचनाएं समुचित प्राधिकारी को देनी चाहिए।

संचालकों द्वारा अभिलेखों का रख–रखाबः (धारा 29)

- अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले सभी अभिलेखों को कम से कम दो वर्षो के लिए रखा जाएगा। **धारा 29 (1)**
- यदि कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो उससे सम्बन्धित अभिलेखों/दस्तावेजों को न्यायालय द्वारा निपटारा किए जाने तक रखना चाहिए। **धारा 29 (1) नियम 9(6)**
- यदि रिकॉर्ड कम्प्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाईस में रखा गया है तो उसकी मुद्रित (प्रिंटेड) कॉपी केन्द्र के संचालक/जांचकर्ता द्वारा रखी जाएगी। **नियम 9 (7)**
- यह दस्तावेज निरीक्षण के समय समुचित प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी द्वारा नामित व्यक्ति को मांगने पर अवश्य दिखाई जानी चाहिए। **धारा 29 (2)**

समुचित प्राधिकारी के स्तर पर दस्तावेजों का रखरखावः–

समुचित प्राधिकारी के स्तर पर सभी सम्बन्धित दस्तावेजों का रखरखाव एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कानून को लागू करने में मदद करती है। देखा गया है कि दस्तावेजों के रखरखाव की कमी से कानून के क्रियान्वयन में बाधा आती है। इस स्तर पर दस्तावेज के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैंः–

1. समुचित प्राधिकारी को दस्तावेज के रखरखाव **नियम 9 (5)** के अन्तर्गत प्रस्तावित है कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रों के पंजीकरण प्रदान करने अथवा निरस्तीकरण की प्रक्रिया को **प्रारूप एच** के माध्यम से स्थायी रिकॉर्ड हेतु संकलित किया जाना है। अतः एक रजिस्टर में प्रत्येक केन्द्र के लिए एक पन्ने पर प्रारूप एच मे ंवर्णित सभी 11 बिन्दुओं पर जानकारियां संकलित की जानी चाहिए एवं समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। यह स्थायी रिकॉर्ड है। नवीनीकरण की दशा में तिथि की सूचना इस प्रपत्र में अंकित की जानी चाहिए।
2. सलाहकार समिति की बैठक की कार्यवाही लिखे जाने हेतु एक स्थायी रजिस्टर होना चाहिए, जिसमें प्रत्येक कार्यवाही किये जाने के बाद सभी सदस्यों के हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।
3. पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्र, उसकी भौतिक परीक्षण रिपोर्ट एवं अन्य सम्बन्धित दस्तावेज क्रमवार लगाकर इसका प्रस्तुतीकरण सलाहकार समिति की बैठक के दौरान सदस्यों के सम्मुख होना चाहिए।

परामर्श उपरान्त सलाहकार समिति के सदस्यों की संस्तुति पर भी हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

4. इसके अतिरिक्त केन्द्रों के नवीनीकरण, निरस्तीकरण, मासिक रिपोर्ट, डॉक्टर अथवा मालिक के बदलाव इत्यादि की सूचनाओं का भी दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए।
5. किसी भी केन्द्र के विरूद्ध, किसी मामले में वाद दायर किये जाने के मामले में सम्बन्धित सभी कानूनी दस्तावेजों को क्रमवार व्यवस्थित करना चाहिए जिससे कि उन्हे आवश्यकतानुसार उपलब्ध करवाया जा सके।
6. केन्द्रों की सम्बन्धित फाइलों में यदि उनके निरीक्षण किये गये हो तो समुचित अधिकारी द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट भी लिखित रूप में तिथिवार दर्ज की जानी चाहिए।
7. इसके अतिरिक्त समय–समय पर किये गये प्रचार–प्रसार कार्यक्रमों का संक्षिप्त प्रतिवेदन अथवा सामग्री एवं निर्माण की गयी प्रचार–प्रसार सामग्री की प्रति भी रिकॉर्ड हेतु रखी जानी चाहिए।
8. सभी केन्द्रों से प्राप्त फार्म–एफ की रिपोर्ट सुरक्षित रखनी चाहिए।

प्रारूप एच का महत्व

1. प्रारूप एच एक रजिस्टर के रूप में रिकार्ड है जो समुचित प्राधिकारी की कस्टडी में रहना चाहिए।
2. नवीनीकरण करने की दशा में पंजीकरण संख्या परिवर्तित नहीं होगी। नया पंजीकरण संचालक के बदलाव की स्थिति में ही कराना चाहिए।
3. रजिस्टर में प्रत्येक केन्द्र के प्रारूप एच के रखरखाव के लिए दो पन्ने रख लेने चाहिए।
4. प्रारूप एच के क्रमांक 11, जो अतिरिक्त सूचना का कालम है, का प्रयोग प्रार्थना पत्र के निरस्तीकरण, निलम्बन, मालिक/संचालिक के बदलाव एवं कानूनी कार्रवाई जैसी सूचनायें लिखने के लिए करना चाहिए।
5. प्रत्येक केन्द्र के प्रारूप एच के (दोनों पन्ने) समुचित प्राधिकारी द्वारा तिथि सहित सत्यापित/हस्ताक्षरित होने चाहिए एवं प्रत्येक आगामी एन्ट्री भी उसी प्रकार हस्ताक्षर की हुयी होनी चाहिए।

प्रारूप एफ का महत्व एवं इसके रिकार्डस की आवश्यकता:

प्रारूप एफ, जांच कराने वाले दम्पति के विषय में सम्पूर्ण सूचनाएं प्रदान करने के साथ गर्भ की स्थिति एवं जांच के नतीजे का ब्यौरा भी प्रदान करता है। इस फार्म के माध्यम से संदेहास्पद केस में निरीक्षण के द्वारा तथ्यों को किसी भी अवधि में सत्यापित किया जा सकता है। अतः ये आवश्यक दस्तावेज है, जिसे संकलित किया जाना चाहिए। ध्यान रहे कि फार्म में दी गयी अधूरी/त्रुटिपूर्ण (गलत) सूचनाएं भी कानून के उल्लंघन की श्रेणी में आती है।

केन्द्र के निरीक्षण की प्रक्रिया (धारा 30, नियम 12)

पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाले केन्द्रों का निरीक्षण नियमित निरीक्षण का भाग है और कभी भी इस प्रक्रियां को छापे अथवा रेड के रूप में न देखना व न ही करना चाहिए। निरीक्षण का उद्देश्य कानून की प्रक्रिया को लागू करना है न कि किसी केन्द्र की छवि को बिगाड़ना। समुचित प्राधिकारी/उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को यह अधिकार है कि वह पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाले केन्द्रों का नियमित निरीक्षण कर सकता है। यदि समुचित प्राधिकारी को लगता है कि किसी केन्द्र में कानून व नियम का उल्लंघन हो

रहा है तो व इस स्थिति में औचक निरीक्षण भी कर सकता है। (उपरोक्त प्रक्रियां में दण्ड प्रक्रियां संहिता 1973 के अंतर्गत **कार्यवाही** होगी।)

कानून के प्रावधान के अंतर्गत परिसर के निरीक्षण व मशीनों के सील करने हेतु समुचित प्राधिकारी को न्यायालय से किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

केन्द्र के निरीक्षण से पूर्व तैयारी

1. निरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल किये जाने वाले प्रपत्र (निरीक्षण प्रपत्र, मेमोरेंडम, सीजर मेमो, कारण बताओं नोटिस इत्यादि) की प्रति भी साथ रखनी चाहिए ताकि निरीक्षण में कोई बिन्दु छूटे नहीं।
2. पीसीपीएनडीटी अधिनियम की एक किताब।
3. निरीक्षण के उपरांत टीम द्वारा केन्द्र को सील करने का निर्णय लिया जा सकता है। समय एवं कठिनाई को देखते हुए अच्छा है कि पहले से तैयारी कर ली जाए। सील करने हेतु आवश्यक सामग्री कपड़ा, सील, लाख, मोमबत्ती, माचिस, कैंची, ताला, टेप इत्यादि रख लेना चाहिए।
4. निरीक्षण टीम में समुचित प्राधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति अवश्य शामिल होना चाहिए।
5. यदि निरीक्षण टीम को किसी कानून एवं व्यवस्था की गड़बड़ी का अंदेशा हो तो पुलिस की मदद भी ली जानी चाहिए।
6. इस संदर्भ में कानून के अधिनियम धारा 30 एवं नियम 12 के साथ संयुक्त रूप से देखना चाहिए तथा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रौसीजर (सीआरपीसी की धारा 99 से 104) का पालन करना चाहिए, ताकि सील व सीजर की प्रक्रियां ठीक रूप से हो पाये।
7. यदि समुचित प्रधकिारी द्वारा स्वयं निरीक्षण नहीं किया जा रहा है, तो इस स्थिति मे उसके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को इस हेतु अधिकृत किया जा सकता है।

केन्द्र के निरीक्षण के दौरान निरीक्षण टीम द्वारा ध्यान दिये जाने वाले योग्य बिन्दु

1. कार्यवाही के शुरू से ही जांचकर्ता टीम द्वारा अपना परिचाय देकर उद्देश्य बताना चाहिए एवं क्लिनिक कर्मचारियों से सहयोग का आग्रह करना चाहिए।
2. नोटिस बोर्ड का प्रदर्शन देखना चाहिए कि वह मुख्य स्थान पर लगा है या नहीं। नियम 17(1)
3. पीसीपीएनडीटी अधिनियम की किताब की उपलब्धता। धारा 17(2)
4. पंजीकरण प्रमाण पत्र का प्रदर्शन। धारा 6(2)
5. यह देखे कि अल्ट्रासाउण्ड मशीनों की संख्या व उसका रिकॉर्ड (मेक, मॉडल संख्या) पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज है कि नहीं। देखें कि सभी मशीनें पंजीकरण उपरांत ही खरीदी गई हों।
6. जांचकर्ता की पहचान एक पट्टिका के साथ प्रदर्शित होनी चाहिए कि उपयुक्त व्यक्ति ही जांच कर रहा है अथवा नहीं (वह आवेदन प्रारूप के अनुरूप है या नहीं)
7. प्रारूप जी व एफ की जांच की जाए कि वह पूर्ण है अथवा नहीं। अल्ट्रासाउण्ड सेंटर पर प्रारूप एफ की ही जांच होनी चाहिए।
8. केन्द्र के अन्य दस्तावेजों जैसे पेशेंट रजिस्टर इत्यादि की जांच से यह सुनिश्चित करना कि सभी गर्भवती महिलाओं की जांच की जानकारी प्रारूप एफ में है या नहीं।
9. यदि संस्थान में प्रसव की सुविधा हो तो पिछले रिकॉर्ड की जांच कर उनकी संख्या देखनी चाहिए ताकि

संस्थान में हुए प्रसवों में लिंग अनुपात पता चल सके।

10. डॉ0 द्वारा दी जा रही रिपोर्ट पर जांचकर्ता का पूरा नाम हस्ताक्षर सहित व पंजीकरण संख्या एवं गर्भवती महिला द्वारा सहमति हस्ताक्षर भी होने चाहिए। नियम 18
11. दस्तावेजों की एक प्रतिलिपि जांच किये गये परिसर के स्वामी या जिसके समक्ष जांच की गई है उसे भी सौंपनी चाहिए। (दस्तावेजों को सील करने के पूर्व उनकी एक फोटो कापी अवश्य कर लेनी चाहिए और रजिस्टर, रिकॉर्ड, पैड की कॉपी अथवा अन्य दस्तावेजों को हासिल कर लेना चाहिए)
12. यदि परिसर में उपरोक्त दस्तावेजों को प्राप्त करने हेतु कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिलता तो सभी दस्तावेज पंजीकृत डाक द्वारा परिसर के पते पर पहुंचाना चाहिए।
13. निरीक्षण के दौरान कम से कम दो व्यक्ति स्वतंत्र गवाह के रूप में होने चाहिए। नियम 12(1)
14. यदि उस क्षेत्र का कोई व्यक्ति गवाह के रूप में उपलब्ध नहीं होता है तो किसी अन्य स्थान/क्षेत्र के कम से कम दो व्यक्ति उपस्थित होने चाहिए।
15. निरीक्षण के दौरान उपरोक्त गवाहों का चयन समुचित प्राधिकारी अथवा अधिकृत अधिकारी के द्वारा ही किया जाएगा।

ऐसे गवाहों का चयन हो, जो मामलों में व्यक्तिगत स्वार्थ न रखते हों।

अपराध एवं दण्ड
Offences and Penalties

इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी एवं उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति

अपराधों के प्रकार	उत्तरदायी व्यक्ति
जो लोग गैर पंजीकृत इकाई को संचालित करते या सहयोग करते है।	उस तकनीक को चलाने वाला व्यक्ति, उसका मालिक और सहयोग करने वाला व्यक्ति।
निश्चित लिंग के लिये निश्चित रूप से लिंग निर्धारण का प्रयास करना भी अपराध है। **धारा 2(ण) और 3(क)** के अन्तर्गत आता है।	लिंग निर्धारण के लिए व्यक्ति/विशेषज्ञ/डॉक्टर केन्द्र का मालिक।
प्रसव पूर्व जांच अप्र शिक्षित लोगों/गैर डिग्रीधारी लोगों से करवाना भी अधिनियम का उल्लंघन है	केन्द्र धारक या संगठन व अप्रशिक्षित व्यक्ति जो यह चलाता हो उत्तरदायी होगा।
प्रसव पूर्व लिंग जांच करवाना **धारा 4(1)** के अन्तर्गत दण्डनीय है।	इकाई धारक, कम्पनी धारक, मैनेजर, सेक्रेटरी और उच्च अधिकारी या वह व्यक्ति जो इस प्रक्रिया विधि को करता हो, या उसमें सहायक हो।
गैर पंजीकृत इकाई को अल्ट्रासाउण्ड मशीन बेचने, किराये पर देने, बांटने और वितरण सम्बन्धित यंत्रो की पूर्ति और जो यंत्र भ्रूण का लिंग निर्धारण करते हों। **धारा 3(ख) व नियम 3(क)**	व्यवसायिक संस्था, कम्पनी, निर्माता, निर्यात करने वाले डीलर उत्तरदायी है।
किसी के द्वारा/प्रचार या प्रसार साधन जैसे पम्पलेट या पर्चे बांटना, इलेक्ट्रानिक मीडिया या इन्टरनेट के माध्यम से व चिकित्सक द्वारा दवा, आयुर्वेदिक दवा या विभिन्न तकनीकी का चयन का प्रचार–प्रसार जो लिंग निर्धारण करती है, अपराध है। **धारा 22**	इकाई धारक व व्यवसायिक संस्था, प्रकाशक, वेबसाइट बनाने वाले, प्रकाशक व छापने वाले जो भी इनसे सम्बन्धित प्रचारक व प्रकाशित करते है।

अधिनियम को भंग करने पर दण्डः

अपराध/अपराधी	दण्ड
रेडियोलॉजिस्ट/सोनोलॉजिस्ट/पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी/केन्द्र का स्वामी/अप्रशिक्षित व्यक्ति कर्मचारी द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये किन्हीं नियमों को उल्लंघन करने पर।	3 साल की जेल और/10,000 रू. का दण्ड (प्रथम बार अपराध करने पर) 5 साल की जेल और/50,000 रू. का दण्ड (अपराध की पुनरावृत्ति पर) अनुच्छेद 23
रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायिक द्वारा अपराध किये जाने पर।	राज्य चिकित्सा परिषद (State Medical Council) को समुचित प्राधिकारी सूचित करेगा। न्यायालय में मामला लंबित होने की दशा में पंजीकरण निलंबित एवं आरोप सिद्ध हो जाने पर प्रथम अपराध के लिए पंजीकरण 5 वर्ष के लिए समाप्त किया जायेगा एवं अपराध की पुनरावृत्ति पर पंजीकरण सदैव के लिए समाप्त **धारा 23(2)**
व्यक्ति यदि भ्रूण का लिंग जानना चाहे (यदि महिला* को पति और रिश्तेदारों द्वारा जबरन लिंग परीक्षण के लिए बाध्य किया जायें, तो इस स्थिति में महिला का पति/रिश्तेदार)। *जब तक यह सिद्ध न हो जाये कि महिला स्वयं की मर्जी से लिंग जांच हेतु गई थी। **धारा 23 (4)**	3 साल जेल की सजा और/50,000 रू. का दण्ड देना होगा। (प्रथम बार अपराध करने पर) 5 साल की जेल और/1,00,000 रू. का दण्ड (अपराध की पुनरावृत्ति पर) **धारा 23 (3)**
जो व्यक्ति लिंग परीक्षण के अधीन निर्धारण हेतु प्रचार करता है– प्रचारक व्यक्ति/संस्था व प्रकाशक।	3 साल की जेल और /1 0,000 रू. का दण्ड। **धारा 22 (3)**
कोई व्यक्ति अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों का उल्लंघन करेगा, जिनके लिए इस अधिनियम में दण्ड का स्पष्ट एवं विशिष्ट उल्लेख नहीं है।	3 महीने की जेल और 1,000 रू. का दण्ड। **धारा 25**
अपंजीकृत इकाई पाये जाने पर।	धारा 23 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

पीसीपीएनडीटी अधिनियम में लिंग परीक्षण एवं लिंग परीक्षण करने में सक्षम संस्थानों द्वारा सम्बन्धित प्रावधानों के उल्लंघन को दण्डनीय अपराध बनाया गया है। पीसीपीएनडीटी अधिनियम की धारा 28 के अनुसार न्यायालय द्वारा इन अपराधों का प्रसंज्ञान केवल परिवाद पर ही लिया जा सकता है। परिवाद निम्न व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है:–

- समुचित प्राधिकारी
- राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति। **धारा 28 1(क)**
- कोई भी अन्य व्यक्ति या सामाजिक संगठन जिसने आक्षेपित अपराध से सम्बन्ध में न्यायालय में परिवाद पेश करने के अपने आशय का 15 दिवस का नोटिस समुचित प्राधिकारी को दे दिया हो। **धारा 28 1(ख)**

कुछ समय पूर्व तक इस सम्बन्ध में विवाद था कि समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा परिवाद पेश किया जा सकता है या नहीं। कुछ मत इस प्रकार के प्राप्त हुए कि समुचित प्राधिकारी स्वयं ही परिवाद पेश कर सकता था, उसे अपनी यह व्यक्ति प्रत्यायोजित करने की अधिकारिता नहीं थी। यह विवाद **माननीय गुजरात उच्च न्यायालय** की पूर्ण पीठ के समक्ष लाया गया। न्यायिक दृष्टांत स्व प्रेरणा से बनाम गुजरात राज्य 2009 Cr.L.J. 721 के मामले में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ ने निम्न मत व्यक्त करते हुए यह व्यवस्था दी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति परिवाद पेश कर सकता है जिसे केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो:–

"Use of the words " Appropriate Authority" twice, at the beginning and end of clause (a) of sub-section(1) of section 28, clearly conveys that complaint could be made by an officer who is authorised in that behalf by the Central Government, the State Government or the Appropriate Authority, besides the Appropriate Authority itself. The Power to delegate and authorise an officer to make a complaint is clearly conferred upon all the three authorities under the provisions of section 28, and therefore, a Court can take cognizance of an offence under the Act on a complaint made by any officer authorised in that behalf by the Appropriate Authority. The first issue is answered accordingly.

इसी प्रकार का मत **माननीय बम्बई उच्च न्यायालय** ने रिट याचिका संख्या 3509/2011 डॉ0 कविता प्रमोद काम्बले बनाम महाराष्ट्र राज्य में पारित आदेश दिनांक 11.06.2013 में व्यक्त किये हैं। इस प्रकरण में डिकॉय कार्यवाही के पश्चात राजकीय चिकित्सालय के अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत परिवाद को समुचित व धारा 28 के अनुरूप माना गया।

माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत डॉ0 प्रीतेन्द्र कोर व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य 2011 Cr.L.J. 876 में पीसीपीएनडीटी सेल के प्रोजेक्ट अधिकारी द्वारा परिवाद प्रस्तुत करने में कोई अनियमितता नहीं पाई।

समुचित प्राधिकारी एवं निजी व्यक्ति सामान्यतः कानूनी विशेषज्ञ नहीं है अतः उनके द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में पेश किये जाने वाले परिवादों एवं निजी व्यक्ति द्वारा परिवाद पेश करने से पूर्व दिये जाने वाले नोटिस के प्रारूप तैयार किये गये हैं।

पुलिस द्वारा कार्यवाही

यद्यपि धारा 28 पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अन्तर्गत परिवाद पेश करने वालों में पुलिस का उल्लेख नहीं हैं

लेकिन स्पष्ट तौर पर कहीं भी पुलिस को कार्यवाही करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। ऐसी दशा में पुलिस की स्थिति निजी व्यक्ति या एन0जी0ओ0 से कम नहीं हो जाती है। अर्थात निजी व्यक्ति की भांति पुलिस को भी यह अधिनियम परिवाद पेश करने के लिए अधिकृत करता है।

इसके अलावा इस अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत सभी अपराधों को संज्ञेय बनाया गया है जिनमें दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पुलिस को मुकदमा दर्ज करने, अनुसंधान करने और बिना वारंट मुलजिम को गिरफ्तार करने की शक्ति होती है। ऐसी स्थिति में इस अधिनियम के तहत अपराध घटित होने पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करने और अनुसंधान करने पर कोई रोक नहीं है बल्कि अनुसंधान के पश्चात मामला साबित पाये जाने पर समुचित प्राधिकारी की अनुमति से या नोटिस देकर चालान के स्थान पर परिवाद पेश किया जा सकता है।

उपरोक्त स्थिति की पुष्टि विभिन्न न्यायिक निर्णयों में हुई है जिनमें से कुछ का उल्लेख आगे दिया जा रहा है।

माननीय इलाहबाद उच्च न्यायालय के प्रकरण Cr.Misc.Writ Petition No. 5086 of 2006 डॉ0 वर्षा गौतम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य MANU/UP/0857/2006 में पुलिस द्वारा धारा 312, 511 भारतीय दण्ड संहिता तथा पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अपराधों के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया था जिसे इस आधार पर चुनौती दी गई कि धारा 28 पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केवल समुचित प्राधिकारी के परिवाद पर न्यायालय अपराध का प्रसंज्ञान ले सकता है। माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने निम्न मत व्यक्त करते हुए इस तर्क को इस आधार पर मानने से इन्कार कर दिया कि धारा 28 की बाध्यता अनुसंधान से सम्बन्धित नहीं होकर अपराध के प्रसंज्ञान से सम्बन्धित है:–

"4. Firstly, is was contended that there is a bar on investigation in View of Section 28 of the Act, which prohibits cognizance by and court of an offence except on a complaint made by the concerned appropriate authority.

5. On our view the said prohibition does not apply at the atage of investigation and only relates to the stage when cognizance is sought to be taken by the concerned court. In this regard when dealing whith the question of a bar under Section 195(1)(b)(ii), it has been held in M. Narayan Das V. State of Karnataka AIR 2004 SC 768, that the said bar only applies at the time when the court takes cognizance of an offence, and not at the stage of investigation."

माननीय पंजाब एवं हरियाण उच्च न्यायालय के समक्ष सी0आर0एम0 एम–33595–एम0/2008 डॉ0 हरविन्द पाल गंभीर बनाम पंजाब राज्य में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के मामले की कार्यवाही को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के आधार पर समाप्त करने का अनुरोध किया गया जिसे यह निर्धारित करते हुए नामंजूर कर दिया गया कि इस अधिनियम में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने और अनुसंधान करने पर कोई रोक नहीं है।

राजस्थान राज्य की स्थिति

राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 10.01.2012 द्वारा इस अधिनियम की धारा 28(1)(क) के अन्तर्गत पुलिस द्वारा उप निरीक्षक पुलिस से अनिम्न पंक्ति के पुलिस अधिकारियों को इस अधिनियम के तहत सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने के लिये अधिकृत किया गया। इसके पश्चात राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.09.2012 द्वारा पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के लिए प्रदेश स्तर पर **'पीसीपीएनडीटी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन'** के नाम से पुलिस थाना बनाया गया। जिस मामले में विशेष पुलिस थाने ने मुकदमा दर्ज कर लिया है उसमें दूसरे पुलिस थाने को कार्यवाही करने की अधिकारिता अवश्य नहीं है लेकिन अधिसूचना दिनांक 10.01.2012 के तहत पुलिस उप निरीक्षक से अनिम्न रैंक का प्रत्येक अधिकारी परिवाद पेश करने के लिए अधिकृत है। ऐसी स्थित में आवश्यकता इस बात की है कि विशेष थाने के साथ–साथ सभी पुलिस थानों को कार्यवाही करने और अनुसंधान के पश्चात परिवाद पेश करने के लिए निर्देशित किया जावे।

दोषरहित अनुसंधान एवं सम्यक परिवाद
(Flawless Investigation & Proper Complaint)

पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम लिंग परिक्षण करना या कराना , द्वितीय लिंग परीक्षण करने में सक्षम व्यक्ति या संस्थानों द्वारा प्रावधानों का उल्लंधन ।

लिंग परिक्षण करना या कराना (Sex Selection)

लिंग परीक्षण करने वाले व्यक्ति एवं कराने वाले दम्पति के मध्य विश्वासपूर्ण सम्बन्ध होते हैं। दोनों के हित एक दूसरे से जुडे रहते हैं। एक पक्ष को पैसा कमाने का लालच होता है तो दूसरे को अपनी होने वाली संतान के लिंग की जानकारी करने की तीव्र इच्छा रहती है। अधिकांश मामलों में मां दूसरे परिजनों के दबाव में होती है। ऐसी दशा में संबंधित पक्षों से इसकी शिकायत करने या साक्ष्य देने की अपेक्षा करना व्यर्थ है। इन हालात में लिंग परीक्षण करने वाले व्यक्ति को पकडने के लिए डेकोय सिस्टम ही कारगर विकल्प है।

समुचित प्राधिकारी, पुलिस एवं खुफिया एजेन्सीज के साथ साथ निजी व्यक्ति या स्वंय सेवी संगठन डेकोय ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें डेकोय के रूप में शिक्षित, समझदार, साहसी एवं धैर्यवान व्यक्ति का चयन करना होगा। उसे स्पाई कैमरा उपलब्ध कराना होगा। लिंग परीक्षण करने में सक्षम व्यक्ति या संस्थानों से आम आदमी की भांति डेकोय लिंग परीक्षण कराने के लिए सम्पर्क करेगा। उसे चतुराई से उन पर विश्वास जमाना होगा। लालची व्यक्ति होने पर उससे सौदेबाजी करनी होगी ताकि उसे शक नहीं हो। लिंग चयन की आवश्यकता का भी भरोसा दिलाना होगा। पहचान साबित करने के लिए पहचान पत्र भी साथ में रखने होंगे । कुल मिलाकर वह संबंधित व्यक्ति को लिंग परीक्षण करने पर सहमत करेगा। यदि डेकोय पुरूष है और संबंधित व्यक्ति लिंग परीक्षण के लिए सहमत हो जाता है तो लिंग परीक्षण के लिए दिन व समय लेगा, निर्धारित समय पर डेकोय के रूप में किसी महिला को साथ में लेकर जायेगा, परीक्षण करायेगा और जहां तक सम्भव हो सम्पूर्ण कार्यवाही की स्पाई कैमरे के माध्यम से वीडियोग्राफी कर लेगा।

निजी व्यक्तियों सहित सभी एजेन्सीज के लोग ऐसे दम्पत्तियों पर विशेष नजर रखेंगे जिनके प्रथम संतान पुत्री है। ये उन्हें विश्वास में लेकर लिंग परिक्षण के बारे में उनकी राय जानेंगे। यदि वे इसके इच्छुक लगें तो उनसे इस बारे में किये सम्पर्कों एंव प्रयासों की जानकारी लेंगे। स्पाई कैमरे की मदद से पूरी बातचीत रिकार्ड करेंगे। यदि वे पूर्व में किसी व्यक्ति से लिंग परीक्षण करा चुके हैं तो निजी व्यक्ति की स्थिति में इसकी जानकारी पुलिस या समुचित प्राधिकारी को दी जायेगी जो संबंधित सोनोग्राफी मशीन व किये गये परीक्षण से संबंधित रिकार्ड की गहनता से जांच करेंगे। आवश्यकता होने पर सोनोग्राफी मशीन एवं अन्य सुसंगत रिकार्ड को जब्त करेंगे और पर्याप्त सबूत मिलने पर परिवाद पेश करेंगे।

यदि डेकाय ऑपरेशन में लिंग परीक्षण करने या कराने का तथ्य साबित करने के लिए पर्याप्त मौखिक, दस्तावेजी एवं वीडियोग्राफिक सामग्री एकत्रित हो जाती है तो पूरे घटनाक्रम का विवरण दर्ज करते हुए वांछित अनुमति/नोटिस के पश्चात परिवाद पेश किया जायेगा जिसके साथ पूरा असल रिकार्ड संलग्न किया जायेगा।

लिंग परीक्षण करने में सक्षम व्यक्ति या संस्थानों द्वारा प्रावधानों का उल्लंधन
(Breach of provisions by persons or institutions compitent to conduct sex dtermination):-

इस अधिनियम में विभिन्न नामों से संचालित संस्थानों या निजी व्यक्त्यिों द्वारा विभिन्न मशीनों तकनीकों से लिंग परीक्षण को रोकने के लिए पंजीकरण एवं निर्धारित रिकार्ड रखने एवं अन्य आज्ञापक कार्यवाही करने की व्यवस्था

की गई है एवं इन प्रावधानों के उल्लंघन को दण्डनीय अपराध बनाया गया है।

इस श्रेणी के अपराधों के संबंध में कार्यवाही करने के पूर्व संबंधित व्यक्ति समस्त कानून प्रावधानों की पूरी जानकारी प्राप्त करे। मौके पर जो भी कठिनाईयां आ सकती हैं, उनका पूर्वानुमान कर समाधान तैयार रखे और पूरी तैयारी के साथ आगे बढे।

निर्धारित शर्तों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने और उनका उल्लंघन करने पर विधि सम्मत कार्यवाही करने हेतु समुचित प्राधिकारी, पुलिस एवं निजी व्यक्ति ऐसे संस्थानों पर जायें। यदि वहां आवश्यक नोटिस बोर्ड लगे नहीं मिलें तो उस दिन के अखबार को हाथ में लेकर विडियोग्राफी करें। संबंधित व्यक्ति से इलाज या जांच के नाम पर पर्ची बनवायें। तदुपरान्त निर्धारित बोर्ड नहीं लगे होने या अन्य आवश्यक शर्तों की पालना नहीं होने बाबत् बातचीत करें। बातचीत को रिकार्ड करें और उल्लंघन साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत एकत्रित होने पर परिवाद पेश करें।

पंजीकृत संस्थानों पर निर्धारित समयावधि में सूचना भेजने की बाध्यता है। प्रत्येक सोनोग्राफी जांच का फार्म व रिकार्ड रखने की शर्त अधिरोपित है। यदि ऐसा संस्थान आवश्यक शर्तों की पालना नहीं करता है या कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसके संस्थान का निरीक्षण किया जा सकता है। निरीक्षण की सूरत में निरीक्षण की फर्द तैयार करनी है। यदि कोई मशीन या उपकरण अपराध साबित करने के क्रम में सबूत के तौर पर काम में आ सकता है तो उसे जब्त करना है। जब्ती की कार्यवाही के पश्चात फर्द निरीक्षण /फर्द जब्ती तैयार करनी है।

तलाशी व जब्ती के प्रावधान
(Provisions related to Search & seizure)

अधिकांश मामलों में निरीक्षण तलाशी एवं जब्ती की कार्यवाही करनी होती है ऐसी सूरत में इनसे संबंधित प्रावधानों एवं इस संबंध में बरती जाने योग्य सावधानियों का आगे उल्लेख किया जा रहा है।

पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम की धारा 30 तथा पी.सी.पी.एन.डी.टी. नियम 1996 के नियम 12 में तलाशी व जब्ती की प्रक्रिया का विवरण दिया गया है जिसमें समुचित प्राधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को तलाशी व जब्ती के सम्बन्ध में पर्याप्त शक्तियॉ दी गई हैं जो निम्न हैं :–

- तलाशी लिये जाने वाले स्थान पर प्रवेश करने की शक्ति
- किसी भी उपयुक्त समय पर तलाशी की शक्ति
- तलाशी के दौरान तलाशी अधिकारी को निम्न दस्तावेजों व सामग्रियों की जॉच निरीक्षण की शक्ति दी गई है :–

  1 पीसीपीएनडीटी अधिनियम व नियमों के तहत संधारित कोई भी अभिलेख, रजिस्टर आदि

  2 ऐसा रिकार्ड जिनमें कन्सेन्ट फार्म, रैफरल स्लिप, चार्ट, लेबोरेटरी रिजल्ट, माईक्रोस्कोपिक पिक्चर आदि सम्मिलित हैं

  3 फार्मस

  4 पुस्तकें

5 पैम्फलेट्स

6 विज्ञापन सामग्री

7 सानोग्राफी प्लेट्स व स्लाईड्स आदि

8 अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन, स्केनर, फीटोस्कोप आदि

9 अन्य कोई ऐसी सामग्री जिसके आधार पर तलाशी लेने वाले प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण उत्पन्न होता हो कि ऐसी सामग्री पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम में वर्णित अपराध कारित करने या नियमों के उल्लंघन से सम्बंधित है।

पी.सी.पी.एन.डी.टी. के तहत ली जाने वाली तलाशी व जब्ती की कार्यवाही में धारा 102 द.प्र.सं. के प्रावधान लागू होते हैं जिनके अनुसार तलाशी व जब्ती की विश्वसनीयता साबित करने हेतु दो स्थानीय व्यक्तियों को गवाह बनाने की आवश्यक्ता है। ऐसी स्थिति में यदि समुचित प्रयास करने पर स्थानीय व्यक्ति उपलब्ध व तैयार हों तो उन्हें गवाह बनाया जावे। सिर्फ स्थानिय व्यक्तियों द्वारा गवाह बनने से इन्कार करने पर या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलने पर कार्यवाही को रोकना उचित नहीं है बल्कि उस स्थिति में दूर रहने वाले व्यक्तियों को साथ में लिया जाये। उनके भी तैयार नहीं होने पर निरीक्षण दल के सदस्यों को गवाह बनाया जावे। कोई व्यक्ति नही मिलने पर इस आशय का नोट दर्ज कर फर्द जब्ती तैयार की जावे।

तलाशी की फर्द व जब्त माल की सूची पर संबंधित चिकित्सक व डायग्नोस्टिक सेन्टर के प्रभारी के भी हस्ताक्षर कराये जाने चाहिए। यदि ऐसे व्यक्ति हस्ताक्षर करने से इन्कार करते हैं तो इस आशय का नोट फर्द पर अंकित किया जाना चाहिए।

यदि चिकित्सक या अन्य व्यक्ति तलाशी में सहयोग नहीं करता है या बाधा उत्पन्न करता है तो इस आशय का नोट भी फर्द पर विस्तृत विवरण अंकित करते हुए लगाना चाहिए।

तलाशी/निरीक्षण कार्यवाही एवं इस कार्यवाही में बाधा डालने की यथासंभव विडियो रिकार्डिगं कराई जावे और कर्तव्य में बाधा उत्पन्न करने बाबत एफ.आई.आर. दर्ज कराई जावे।

तलाशी के दौरान जप्त किये गये सभी दस्तावेजात, रिकार्ड, व अन्य सामग्री की सूची दो प्रतियों में तैयार की जावे तथा दोनों प्रतियों के प्रत्येक पृष्ठ पर समुचित प्राधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी तथा तलाशी व जब्ती के साक्षियों द्वारा हस्ताक्षर किये जावें।

समुचित प्राधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी तलाशी की कार्यवाही के दौरान तलाशी करने, जब्ती करने व दस्तावेजात तैयार करने के कार्य में अपने स्टाफ का सहयोग ले सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक कार्यवाही स्वंय सम्बंधित अधिकारी द्वारा अपने हस्तलेख में ही की जावे।

उक्त सूची तलाशी वाले स्थान पर ही बना ली जानी चाहिए एवं किन्ही विशेष परिस्थितियों में यदि सूची का तलाशी स्थल पर बनाया जा सकना सम्भव एवं प्रायोगिक नहीं हो तो यह कार्य किसी अन्य स्थान पर भी किया जा सकता है। परंतु उस स्थिति में भी फर्दें तैयार करत समय यथासंभव गवाहों को मौजूद रखना चाहिए और ऐसा करने के पर्याप्त कारण फर्द का अंकित करने आवश्यक हैं।

फर्द तलाशी/जब्ती की एक प्रति उस व्यक्ति को अविलम्ब दी जानी चाहिए जिसकी अभिरक्षा से दस्तावेज, अभिलेख, रजिस्टर, पुस्तक, पेम्फलेट्स, विज्ञापन या अन्य कोई वस्तु जब्त की गई हो।

जिस व्यक्ति के आधिपत्य से उक्त दस्तावेज या सामग्री जब्त की जाती है, मांग किये जाने पर ऐसे व्यक्ति के प्रतिनिधि को भी तलाशी के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति दी जानी चाहिए।

तलाशी व जब्ती की कार्यवाही करने के उपरांत उपरोक्त 24 घन्टे की अवधि में इसकी एक रिपोर्ट मय जब्तशुदा सामान की सूची क्षेत्राधिकार रखने वाले सम्बंधित मजिस्ट्रेट से प्राप्त कर लेनी चाहिए।

उपयुक्त मामलों में जहां शांति भंग होने का अंदेशा हो वहां तलाशी व जब्ती की कार्यवाही के दौरान पुलिस की मद्द भी ली जा सकती है।

अभियोगात्मक सामग्री को जब्त करने की प्रक्रिया
(Procedure to seize the incriminating material)

यदि जब्त की गई सामग्री विनश्वर प्रकृति की है तो जब्ती करने वाले अधिकारी को ऐसी वस्तु की पहचान तथा इसके परिरक्षण के लिये तुरंत आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए तथा यदि कोई फॉरेन्सिक परीक्षण कराये जाने की आवश्यकता हो तो इसे यथाशीघ्र परीक्षण के लिये भेजना चाहिए।

जब तक विनश्वर प्रकृति की सम्पत्ति को सुरक्षित तरीके से परिरक्षित करने की व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक ऐसी वस्तु को उस रेफ्रीजरेटर आदि में ही रखा जावे जिसमें इसे डाईग्नोस्टिक सेंटर में रखा गया था। परन्तु ऐसा करने पर उस रेफ्रीजरेटर को सील कर देना चाहिये।

यदि तलाशी व जब्ती की कार्यवाही एक दिन में किया जाना सम्भव नहीं हो या इसे एक बार में पूरा किया जाना सम्भव नहीं हो तो ऐसी स्थिति में तलाशी लिये जाने वाले सम्पूर्ण परिसर को सील कर आवश्यक गार्ड आदि की व्यवस्था की जाना चाहिए।

सोनोग्राफी मशीन जब्त करने के संबंध में वर्ष 2011 से पहले माननीय पंजाब उच्च न्यायालय की दो विभिन्न पीठों के विरोधाभासी मत थे। पहले मत के अनुसार समुचित प्राधिकारी सोनोग्राफी मशीन को जब्त कर सकता था जबकि दूसरे मत के अनुसार धारा 30 के प्रावधानों की परिधि में सोनोग्राफी मशीन जब्त नहीं की जा सकती थी। विरोधाभासी मत होने पर मामला वृहद पीठ को रेफर किया गया जहां तीन न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायिक दृष्टांत डा.(श्रीमति) सुहासिनी उमेश कुमार करंजकर बनाम कोल्हापुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन व अन्य MANU/MH/0694/2011 में यह व्यवस्था दी की पी.सी.पी.एन.डी.टी. नियम के नियम 12 के स्पष्टीकरण के अनुसार समुचित अधिकारी सोनोग्राफी मशीन को जब्त करने की शक्ति प्राप्त है।

दोषी व्यक्ति को पकडने के लिए या अन्यथा की गई विडियोग्राफी में कहीं भी काट–छांट नहीं की जाएगी ताकि उसकी विश्वसनीयता बनी रहे और उस पर कोई संदेह नहीं किया जा सके।

पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम के तहत अपराधों की प्रकृति के अनुसार आवश्यक साक्ष्य संकलन पर आगे विचार किया जा रहा है।

अवैध विज्ञापन से जुडे अपराधों में साक्ष्य संकलन
(Collection of evidence in offences related to illegal advertisement)

किसी डाइग्नोस्टिक सेन्टर द्वारा लिंग जांच करने की सुविधा का विज्ञापन करने के मामलों में निम्न दस्तावेजी साक्ष्य एकत्रित की जानी चाहिए :–

• समाचार पत्र या मैग्जीन या अन्य लेख या पेम्पलेट्स, ब्रोशर आदि जिसमें विज्ञापन छापा गया हो। जिस दिन यह प्रकाशित किया गया तो उसकी दिनांक का भी उल्लेख यदि सम्भव हो तो दस्तावेज में आना चाहिए।

• विज्ञापन प्रकाशित करने या कराने वाले व्यक्ति, फर्म, मुद्रक, प्रकाशक का नाम, पता मालूम करने के साथ–साथ प्रकाशक से विज्ञापन का आदेश देने वाले व्यक्ति का विवरण

•६ डाईग्नोस्टिक सेन्टर के मालिक का नाम व पता आदि

•६ यदि विज्ञापन किसी दिवार पा चिपकाया गया हो, लिखा गया हो या किसी होर्डिंग पर हो तथा उसे सुरक्षित व प्रायोगिक तरीके से जब्त किया जाना सम्भव नहीं हो तो फोटोग्राफ लिया जा सकता है।

•६ जिस फर्म, व्यक्ति या डाईग्नोस्टिक सेन्टर की ओर से विज्ञापन निकाला गया हो उसे अपराध से जोडने के लिये फर्म के लैटर हैड, वार्षिक रिपार्ट, आयकर विवरणिका व अन्य समान प्रकृति कि दस्तावेज।

•६ उक्त सूची में वर्णित दस्तावेजात केवल उदाहरणात्मक हैं। प्रत्येक प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर आवश्यक दस्तावेजात जब्त किये जा सकते हैं जो इस सूची से भिन्न भी हो सकते हैं

लिंग परीक्षण से जुडे अपराधों में साक्ष्य का संकलन
(Collection of evidence in offences related to sex determination)

इस अपराध के संबंध में कार्यवाही करते समय डिकॉय प्रणाली के बारे में ऊपर उल्लेख किया गया है। फिर भी इस प्रकृति के अपराध को साबित करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में दम्पति की संतानों की स्थिति, उनके द्वारा कराये गये गर्भपात का विवरण, गर्भपात के पूर्व किसी प्रकार की बिमारी नहीं होने का सबूत ऐसी परिस्थितिजन्य साक्ष्य है जो उस अपराध को साबित करने में कारगर हो सकती है जिसके संबंध में निम्न दस्तावेजी साक्ष्य एकत्रित की जा सकती है :–

•६ रैफरल स्लिप

•६ कन्सेंन्ट फॉर्म

•६ लेबोरेटरी रिजल्ट

• माइक्रोस्कोपिक प्लेट या स्लाईड्स

•६ सोनोग्राफी प्लेट या स्लाईड्स

•६ मरीज व उसके परिजनों का विवरण बताने वाला रजिस्टर

•६ मरीज की केस हिस्ट्री

•६ मरीजों का विवरण यदि कम्प्यूटर या अन्य किसी इलेक्ट्रोनिक उपकरण में रखा जाता हो तो इसे विधि अनुसार किसी सी.डी. पर लिया जा सकता है

•६ भ्रूण की अल्ट्रासाउण्ड इमेज की फिल्म या प्रिन्टेड कॉपी

- मरीज द्वारा भुगतान की गई फीस का विवरण जैसे कि रसीद चैक का विवरण आदि।

लिंग परीक्षण करने में सक्षम संस्थानों द्वारा आज्ञापक प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों में साक्ष्य संकलन

(Collection of evidence in offences related to breach of mandatory provisions by institutions competent for sex determination)

इस श्रेणी के अपराधों को साबित करने के क्रम में मौके पर की गई कार्यवाही के दौरानसंकलित साक्ष्य के साथ साथ आवश्यकता होने पर समुचित प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध निम्न दस्तावेज एकत्रित कर परिवाद के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए :–

- रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति
- डाईग्नोस्टिक सेंटर के मालिक का इस आशय के शपथ पत्र की प्रति कि वह गर्भ का भ्रूण परीक्षण नहीं करेगा।
- डायग्नोस्टिक सेंटर में कार्य करने वाले कर्मचारियों की योग्यताओं का विवरण
- मेडिकल काउंसिल से एकत्रित किये गये दस्तावेजात व मेडिकल प्रेक्टिशनर के रूप में रजिस्ट्रेशन का प्रमाण .पत्र।

न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करते समय ध्यान रखने योग्य बातें

(Things to be taken care of while filing complaint in court)

परिवाद प्रस्तुत करने का कोई निर्धारित प्रारूप पीसीपीएनपडीटी अधिनियम या नियमों में नहीं दिया गया है। इस हैंड बुक में विभिन्न प्रकार के परिवादों के कुछ प्रारूप संलग्न किये गये हैं जिनमें आवश्यक परिवर्तन कर उनका उपयोग किया जा सकता है। परिवाद तैयार करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए :–

- परिवाद में अभियुक्त/अभियुक्तगण का पूरा विवरण यथा नाम, पिता का नाम, उम्र, जाति, पता आदि अंकित करना चाहिए।
- यदि अभियुक्त एक से अधिक पते उपलब्ध कहो तो दोनों का उल्लेख करें।
- परिवाद में परिवादी को स्वयं के फोन नम्बर, फैक्स नं0, ईमेल एड्रेस आदि जो भी उपलब्ध हों परिवाद में अवश्य अंकित करने चाहिए।
- अपराध को गठित करने वाले सभी सुसंगत तथ्य सुस्पष्टता से मदवार परिवाद में अंकित करने चाहिए। यह प्रयास करना चाहिए कि सभी घटनाओं का उल्लेख समयानुरूप अर्थात क्रोनोलोजिकल रूप से होना चाहिए।
- परिवाद में यह स्पष्ट करना चाहिए कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम की किस धारा के उल्लंघन के फलस्वरूप कारित होने वाले अपराध के लिए परिवाद पेश किया गया है।
- परिवाद का उ्देश्य न्यायालय को तथ्यात्मक स्थिति से अवगत कराना होता है। अतः परिवाद में सिर्फ

घटनाक्रम का उल्लेख करना चाहिए।

- परिवाद में न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं मियाद के संबंध में भी अभिकथन किया जाना आवश्यक है।
- परिवाद में तथ्यों को साबित करने के लिए प्रस्तुत की जाने वाली मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।
- परिवाद में न्याय दृष्टांतों का उल्लेख भी नहीं करना है।

परिवाद के साथ निम्न दस्तावेजात संलग्न किये जाने चाहिए
(Documents to be attached with complaint)

- परिवाद की एक अतिरिक्त प्रति
- गवाहान की सूची एवं जब्त की गई सम्पत्तियों की सूची
- तलाशी व जब्ती की फर्दें
- सभी मूल दस्तावेजात जो जब्त किये गये है। मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने की स्थिति में तुरन्त उनकी प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सुरक्षित रखनी चाहिए।
- गवाहान के बयानात
- इलेक्ट्रोनिक डाटा सीडी के अतिरिक्त पैन ड्राइव में भी रखा जाना चाहियें क्योंकि पत्रावली में शामिल किये जाने के बाद सीडी टूटने या खराब होने की संभावनायें होती है।
- वार्तालाप की इलेक्ट्रोनिक रिकॉर्डिंग या टेपरिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग का ट्रांस्क्रिप्शन भी न्यायालय में पेश करना चाहिए।

प्रभावी अभियोजन
(Effective Presecution)

आपराधिक न्याय व्यवस्था में लोक अभियोजक का रोल अत्यंत महत्वपूर्ण है। उस पर अनुसंधान एजेंसी द्वारा एकत्रित की गई सामग्री न्यायालय के समक्ष रखने और उसे साबित करने की जिम्मेदारी है। अभियोजक न्यायालय एवं समुचित प्राधिकारी के बीच की कड़ी है। उसकी एक चूक प्रकरण की विफलता का कारण बन सकती है। उसके चरित्र, ज्ञान, परिश्रम व आचरण पर प्रकरण की सफलता काफी हद तक निर्भर करती है।

अभियोजक का कर्तव्य है कि वह विचारण में सक्रिय रूप से भाग ले, सच्चाई को सामने लाने के लिए सुसंगत व आवश्यक सामग्री न्यायालय के समक्ष रखे। यदि सच्चाई तक पहुंचने के लिए किसी साक्षी या अन्य तथ्य की आवश्यकता हो तो अनुसंधान एजेंसी के माध्यम से एकत्रित करे और न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस अधिनियम से अधिकांश साक्षी महिलाएं होती है, जो न्यायालय के वातावरण एवं कानूनी विधाओं से परिचित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अभियोजक का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक साक्षी को न्यायालय में होने वाले बयान की पूरी प्रक्रिया समझायें, उसके मन से न्यायालय का भय दूर करे, उसके द्वारा न्यायालय में दी जानेवाली साक्ष्य की अहमियत उसे बतायें, उसे यह अहसास कराये कि यह उसका निजी प्रकरण नहीं है बल्कि उसकी गवाही इस सामाजिक बुराई को रोकने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है।

पीसीपीएनडीटी एक्ट नया अधिनियम है, जिसमें कई संशोधन हुए है। लोक अभियोजक का कर्तव्य है कि इस अधिनियम के संबंध में विभिन्न न्यायिक निर्णयों का अध्ययन करें, प्रत्येक बिन्दु पर सही कानूनी स्थिति न्यायालय के समक्ष रखे।

लोक अभियोजक का यह भी कर्तव्य है कि वह समुचित प्राधिकारी एवं अनुसंधान एजेंसी से सामंजस्य रखे। चूंकि समुचित प्राधिकारी तथा निजी व्यक्ति पुलिस की भांति कानूनी प्रक्रिया व अनुसंधान के तहत की जाने वाली कार्यवाहियों से परिचित नहीं होते हैं, इसलिए वह पूरे कार्य में उनकी सहायता करें। कानूनी अड़चनों को दूर करने में उनकी मदद करें और न्यायालय में पेश करने से पूर्व पूरे मामले पर गंभीरता से विचार कर परिवाद में कोई कमी नहीं रहने दें।

उपरोक्त सामान्य बातों के अलावा प्रभावी अभियोजन के लिए निम्न बातों का ध्यान रखे जाने की भी आवश्यकता है :—

- अभियोजन निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जावें कि इस अधिनियम से संबंधित एपीपी इस विशेषज्ञ अधिनियम व इसके तहत बने नियम व अधिसूचनाओं का अध्ययन करे तथा लिंग परिक्षण के भयानक परिणाम एवं सामाजिक विसंगतियों के प्रति संवेदनशील हों।
- ६ परिवाद पेश करने के पूर्व एपीपी परिवाद का परीक्षण करेगा उसमें यदि कोई कमी हो तो उसको दुरूस्त करेगा।
- यह सुनिश्चित करेगा कि परिवाद के साथ असल दस्तावेजात संलग्न है, कोई दस्तावेजात या विवरण जानबूझ कर नहीं रोका गया है।
- ६ निजी व्यक्ति या एनजीओ द्वारा परिवाद में नोटिस देने का उल्लेख कर दिया गया है।
- निजी व्यक्ति या एनजीओ द्वारा परिवाद पेश करने के मामले में सक्षम प्राधिकारी को दिए गए नोटिस की प्रति परिवाद के साथ संलग्न कर दी गई है।

- अभियुक्त के तलब होने पर या न्यायालय के समक्ष पेश करने पर उसकी जमानत का विरोध करेगा जमानत आदेश होने के सूरत में विश्वसनीय व सुदृढ जमानत पेश होना सुनिश्चित करेगा।

- त्वरित विचारण के दृष्टि से छोटी–छोटी पेशी देने का आग्रह करेगा।

- जांच पूर्व साक्ष्य में सभी महत्वपूर्ण व आवश्यक गवाहों को पेश करेगा। सभी दस्तावेजी साक्ष्य को प्रदर्शित करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि धारा 245 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत साक्ष्य अखण्डित रहने के दशा में दोषसिद्धी के लिए प्रर्याप्त है।

- धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मुल्जिम का परीक्षण करने के लिए तैयार किए गए प्रश्नों का अवलोकन कर यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक मौखिक/दस्तावेजी/इलेक्ट्रोनिक साक्ष्य या जांच रिपोर्ट प्रश्नों में शामिल हो गई है।

- ६ चार्ज की स्टेज पर लिखित बहस पेश करेगा जिसमें दोष सिद्धी के लिए प्रर्याप्त साक्ष्य एवं आधारों का उल्लेख करेगा।

- ६ चार्ज के पश्चात शेष रही साक्ष्य पेश की जाएगी।

- ६ भूल से साक्ष्य बंद हो गई हो या सूची साक्षीगण में किसी गवाह का नाम रह गया हो तो उसे तलब/परीक्षित करने हेतु धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन पेश करेगा।

- यदि कोई गवाह जिरह में मुख्य परीक्षा के कथनों से मुकर जावे तो उसे पक्षद्रोही घोषित कर जिरह की अनुमति लेकर प्रभावी जिरह करेगा।

- प्रतिरक्षा में पेश किये गये गवाहों से विस्तार से जिरह करेगा और उन्हें मिथ्या साबित करने में कोई कसर नहीं छोडेगा।

- विचारण के दौरान यदि कोई ऐसा अवैध आदेश पारित हो जो मामले की जड़ तक जाता हो और अभियुक्त को अनुचित लाभ पंहुचाता हो या प्रकरण पर विपरीत प्रभाव डालता हो, न्याय की मंशा के अनुरूप नहीं हो तो यथोचित निगरानी या धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत याचिका प्रस्तुत करेगा।

- अन्तिम बहस पूरी तैयारी के साथ करेगा। लिखित बहस भी पेश करेगा।

- ६ उन्मोचित या बरी होने पर आवश्यकरूप से निर्धारित मियाद अवधि में अपील दायर करेगा।

प्रभावी विचारण (Effective Trial)

पी.सी.पी.एन.डी.टी अधिनियम की धारा 28 के अनुसार प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा सक्षम व्यक्ति परिवाद पर अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाता है। ऐसी स्थिति मे इन मामलों का विचारण दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पुलिस रिपोर्ट से भिन्न मामलों के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगा। विचारण की प्रत्येक स्टेज के संबंध में आगे विचार किया जा रहा है।

प्रसंज्ञान (Cognizance)

दण्ड प्रक्रिया संहिता मे प्रसंज्ञान परिभाषित नही है। परिवाद पेश होने पर न्यायालय द्वारा आगे कार्यवाही करने के लिए अग्रसर होने की स्टेज पर माना जाता है कि न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान के लिया गया है। प्रसंज्ञान लेने के लिए परिवाद के अवलोकन मात्र से अपराध के तत्व दर्शित होना पर्याप्त है। इस स्टेज पर मामले के गुणावगुण पर विचार करने की आवश्यकता नही है। यदि परिवाद वान्छित नोटिस देकर निर्धारित मियाद अवधि मे सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय मे पेश किया गया है तो प्रसंज्ञान लिया जाना अनिवार्य है।

यदि निजी व्यक्ति/एन.जी.ओ. द्वारा पेश किये गये परिवाद मे नोटिस देने का उल्लेख है और नोटिस की प्रति संलग्न नही की गई है तो न्यायालय का कर्तव्य है कि वह संबंधित व्यक्ति से नोटिस की प्रति या नोटिस देने का सबूत प्राप्त करे और इसी तकनीकी कमी के आधार पर परिवाद को खारिज नही करे।

प्रसंज्ञान के पश्चात की जाने वाली कार्यवाही (Proceedings after Congizance)

यदि किसी व्यक्ति या एन.जी.ओ. ने परिवाद पेश किया है तो न्यायालय द्वारा परिवदी एवं उसके साथ मौजूद व्यक्तियों को धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परिक्षित किया जावेगा। आवश्यकता होने पर धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अग्रिम जांच की जावेगी। यदि ऐसे मौखिक परीक्षण एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य या जांच से कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार प्रतीत हो तो मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त/अभियुक्तगण को तलब किया जायेगा अन्यथा धारा 203 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परिवाद खारिज किया जायेगा।

यदि परिवाद समुचित प्राधिकारी या अन्य लोक सेवक ने पेश किया है तो धारा 200 या 202 के अन्तर्गत जॉच करने की आवश्यकता नही है और सीधे ही मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को तलब किया जाना चाहिए।

धारा 204 दण्द प्रक्रिया संहित के अन्तर्गत अभियुक्तगण को तलब करने के क्रम मे विस्तृत आदेश लिखाने की आवश्यकता नही है बल्कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त तथ्यों का सक्षेप मे उल्लेख करते हुए सकारण आदेश किया जाना वाछनीय है इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड बनाम मोहन मेंकिग व अन्य 2000 **Crl.J.1799 (sc)** मे निम्न प्रकार विधिक स्थिति प्रतिपादित की है : –

"The sessions Judge was in error in quashing the process at the first round merely on the ground that the Chief Judicial Magistrate had not passed a speaking order. There is no legal requirement imposed on a Magistrate for passing detailed order while issuing summons under S.204Cr.P.C. What is to be looked at during the stage of issuing process is whether there are allegations in the complaint by which the Managers or Directors of the company can also be proceeded against, when the company is alleged to be guilty of the offence. It was unfortunate that the Sessions Judge himself did not look into the complaint at that stage to form his own opinion whether process could have been issued By the Chief Judicial Magistrate on the basis of the averments contained in the complaint Instead the Sessions Judge relegated the work to the trial magistrate for doing the exercise over again."

इस स्टेज पर अभियुक्तगण द्वारा पेश किये जाने वाले तथ्य एवं दस्तावेज विचारणीय नही है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने डोरी लाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य 2010(2) Cr.L.R.(Raj.)1234 मे

निम्न प्रकार स्थिति स्पष्ट की है :–

"It is, indeed, trite to state that jurisdiction of a Magistrate while taking congnizance is an extremely limited one. At the time of taking congnizance, the Magistrate is concerned only with the existence of a prima facie case against the accused In fact, a congnizance is taken of the offence and not even of the offender Therefore, the Magistrate is concerned at that stage with the existence of the ingredients of the offence. At the preliminary stage of taking cognizance, the Magistrate is not permitted by law to look at evidence or documents which might be in favour of the accused."

इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल मे भूषण कुमार बनाम राज्य AIR 2012 SI[RE,EMT CPIRT 1747 मे यह प्रतिपादित किया है :–

"Section 204 of the code does not mandate the Magistrate to explicitly state the reasons for issuance of summons. It clearly states that if in the opinion of a Magistrate taking cognizance of an offence, There is sufficient ground for proceeding. Then the summons may be issued. This section mandates the Magistrate to form an opinion as to whether there exists a sufficient ground for summons to be issued but it is nowhere mentioned in the section that the explicit narration of the same is mandatory, meaning thereby that it is not a pre-requisite for deciding the validity of the summons issued."

इसी तरह इस स्टेज पर न्यायालय को माननीय को मामले के गुणावगुण पर सूक्ष्मता से विवेचन या विचार करने की आवश्यकता नही है। इस कसौटी पर भी मामले को परखने की जरूरत नही है कि अन्तोगत्वा दोषसिद्ध होगी या नही। यदि परिवाद उसके साथ पेश किये गये दस्तावेज एवं परिवाद पर की गई जांच से प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया जावे तो मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त/अभियुक्तगण को तलब किया जाना आवश्यक है।

गिरफ्तारी व जमानत (Arrest & Bail)

लिंग परीक्षण एवं उससे जुडे अपराध गंभीर प्रकृति के अपराध है जो पूरे समाज को प्रभावित करने वाले है इसी वजह से विधायिका ने इन्हे संज्ञेय व गैर जमानतीय बनाया है। इन मामलो मे अधिकाशतः अपराधी प्रभावशाली व्यक्ति होता है जो परिवादी एवं साक्षियों को डरा धमका सकता है एवं धनबल व बाहुबल से उन्हे प्रभावित कर सकता है। अतः इस आशंका के निवारण एवं सही विचारण सुनिश्चित करने के साथ ठोस साक्ष्य वाले मामले में जमानत आवेदन खारिज करना चाहिए ताकि समाज मे एक अच्छा संदेश जावे जिससे न्यायिक प्रक्रिया मजबूत बने, उसमे लोगों का विश्वास कायम रहे। यदि ऐसे मामलों मे उदारता पूर्वक जमानत की सुविधा दी गई तो दोषी व्यक्ति के हौसले बुलन्द होगे, वह अपराध की पुनरावृति करेगा और दोषियों को बढावा मिलेगा।

यदि मामला ठोस नही है सुदृढ साक्ष्य पर आधारित नही है, आपराधिक आशय गंभीर प्रकृति का नही होकर सीधे लिंग परीक्षण से जुडा हुआ नही है तो ऐसे मामलों मे जमानत लेने की स्थिति मे ऐसी समुचित शर्ते अधिरोपित करनी चाहिए कि वह जांच एजेन्सी को सहयोग करेगा, विचारण के दौरान प्रत्येक पेशी पर उपस्थित होगा, गवाहों को डरायेगा धमकायेगा नही व सबूतों को नष्ट नही करेगा।

अपराधों की विशेष प्रकृति एवं समाज पर व्यापक प्रभाव डालने की संभावनाओं को देखते हुए सामान्यतः अग्रिम जमानत की सुविधा दिया जाना उचित नही है।

आरोप पूर्व साक्ष्य (Pre Charge Evidence)

परिवाद पर सस्थित मामले मे चार्ज पूर्व शहादत लेनी होती है एवं धारा 245 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अभियुक्त को तभी आरोपित किया जा सकता है जब प्रस्तुत साक्ष्य अखण्डित रहने की सूरत मे दोषसिद्ध के लिए पर्याप्त हो। ऐसी स्थिति मे परिवादी द्वारा तमाम आवश्यक उपलब्ध साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

न्यायालय द्वारा भी जल्दबाजी मे साक्ष्य बन्द करने के स्थान पर सक्रिय रूप से विचारण की निगरानी करते हुए आवश्यक साक्ष्य लेखबद्ध किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।

आरोप विचरित करना (Framing of Charges)

आरोप पूर्व साक्ष्य लेखबद्ध करने के पश्चात् आरोप के प्रश्न पर दोनो पक्षों की बहस सुनी जाती है धारा 245 दण्ड प्रक्रिया संहिता की रोशनी मे यदि आरोप पूर्व साक्ष्य अखण्डित रहने पर दोषसिद्ध के लिए पर्याप्त नही है तो अभियुक्त को उन्मोचित किया जाना है अन्यथा पर्याप्त साक्ष्य होने पर आरोप विचरित किया जाना है।

आरोप के अपराध की तिथि, समय, स्थान एवं अपराध का इतना विवरण अंकित किया जाना आवश्यक है जिसने अभियुक्त को यह मालूम रहे कि उसके विरूद्ध क्या आरोप है।

यदि किसी पश्चात्‌वर्ती प्रक्रम पर पता लगा कि आरोप विचरित करने मे कोई गलती हो गई है तो उसे आवश्यक सुधारा जाये। आवश्यक परिवर्तन व संशोधन भी किये जाये।

आरोप सुनाते समय अभियुक्त का अभिकथन सावधानी से रिकार्ड किया जाना आवश्यक है ताकि उसका स्पष्टीकरण/बचाव रिकार्ड पर आ सके और उस स्थिति मे परिवादी अपनी अतिरिक्त आवश्यक साक्ष्य पेश कर डाले।

आरोप पश्चात् साक्ष्य (Evidence after Charge)

आरोप के पश्चात् यदि बचाव पक्ष पूर्व मे परीक्षित गवाहों से जिरह करना चाहे तो उसे अवसर व अनुमति दी जावे। पश्चात् परिवादी को अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने पर अवसर दिया जावे।

धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यदि मामले के न्यायपूर्ण विनिश्चय के लिए किसी गवाह को पुनः बुलाने की आवश्यकता है या किसी गवाह का नाम साक्षीगण की सूची मे अंकित करने से रह गया है और उसकी साक्ष्य आवश्यक है तो उस गवाह को दोनो पक्षों मे से किसी के भी आवेदन पर या न्यायालय द्वारा स्वविवेक से बुलाया जा सकता है और परीक्षित किया जा सकता है।

कई बार ऐसा होता है कि गवाह मुख्य परीक्षा मे दिये गये कथन से परिपरीक्षा मे पलट जाता है उस स्थिति मे अभियोजन पक्ष को ऐसे गवाह से पुनः परीक्षण की इजाजत देनी चाहिए और न्यायालय को भी सतर्क रहकर गवाहों के परीक्षण मे भाग लेना चाहिए। न्यायालय को सर्वदा यह ध्यान रखाना चाहिए कि साक्ष्य रिकार्ड किये जाने की प्रक्रिया एक यांत्रिक प्रक्रिया नही है। न्यायालय को इस दौरान मूक दर्शक नही बनना चाहिए बल्कि पूरी प्रक्रिया की सतर्क तरीके से निगरानी करनी चाहिए। उसे गवाहों को तंग करने के क्रम अपमानजक, अनर्गल व असंगत प्रश्नों को पूछने की अनुमति नही देनी चाहिए। साक्ष्य की अनावश्यक व असंगत लम्बी जिरह को नियंत्रित करना चाहिए।

वर्तमान मे बचाव पक्ष द्वारा गवाहों को अपने पक्ष मे करने की दृष्टि से उनके बयान कराने मे येन केन प्रकारेण देरी की जाती है। कई बार गवाह परेशान होकर उनके पक्ष मे बयान देने पर विवश हो जाता है जिससे न्यायपालिका की साख गिरती जा रही है। अतः न्यायालय सुनिश्चित करे कि धारा 309 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार उपस्थित गवाहों को उसी दिन या दिन प्रतिदिन कार्यवाही कर परीक्षित करे। अधिवक्ता के दूसरे न्यायालय मे व्यस्त होने के आधार पर या बनावटी कारणों पर गवाहों का परीक्षण स्थगित नही करे।

धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियुक्त का परीक्षण
(Examination of accused under section 313 Cr.P.C.)

इस अधिनियम के तहत विशेष प्रकृति के मामलों मे आरोप के पूर्व में यदि मुल्जिम का परीक्षण उचित व आवश्यक समझा जाये तो अवश्य करना चाहिए ताकि स्वीकृत तथ्य रिकार्ड पर आ सके, अस्पष्टता समाप्त हो सके और न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

आरोप के पश्चात् परिवादी की साक्ष्य पूरी होने पर धारा 313 सी.आर.पी.सी. के तहत अभियुक्त का परीक्षण अनिवार्य है जिसमे उसके विरूद्ध प्रस्तुत हुई सम्पूर्ण साक्ष्य के संबंध में मिश्रित व बडे प्रश्नों के स्थान पर छोटे छोटे प्रश्न बनाकर अभियुक्त का परीक्षण किया जाना आवश्यक है।

इस स्टेज पर सभी प्रश्न न्यायालय के स्वयं तैयार करने चाहिए। यह काम आशुलिपिक या सहायक लोक अभियोजक पर नही छोडना चाहिए। पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं अभियुक्त का परीक्षण करना चाहिए। सभी प्रश्नों पर अभियुक्त का व्यक्तिगत कथन अपने हाथ से लेखबद्ध करना चाहिए। अन्त मे उसका बचाव व स्पष्टीकरण भी विस्तार से लिखना चाहिए।

बयान मुल्जिम लिया जाना दोनो ही पक्षों के हित मे होता है। न्याय प्राप्ति मे सहायक होता है इस अधिनियम मे दिये गये उपधारणा के प्रावधानों की पृष्ठभूमि मे अभियुक्त के लिहाज से भी यह सहायक होता है इस अधिनियम मे दिये गये उपधारणा के प्रावधानों की पृष्ठभूमि मे अभियुक्त के लिहाज से भी यह सहायक होता है ताकि वह उपधारणा के संबंध में अपना स्पष्टीकरण दे सके और न्यायालय उसकी रोशनी मे न्यायपूर्ण निष्कर्ष पर पहुँच सके।

यदि बयान मुल्जिम मे कोई कमी रह जाये, कोई जांच रिपोर्ट या साक्ष्य के संबंध में प्रश्न छूट जाये तो दोबारा उसके संबंध में अभियुक्त का परीक्षण किया जा सकता है। यदि कोई तथ्य बहस अन्तिम के दौरान सामने आये तो उस समय भी अभियुक्त का स्पष्टीकरण रिकार्ड पर किया जा सकता है।

साक्ष्य प्रतिरक्षा (Defence Evidence)

यदि अभियुक्त प्रतिरक्षा मे साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहे तो वह लेखबद्ध करनी चाहिए। परिवादी को जिरह का अवसर देना चाहिए लेकिन इसकी आड मे बचाव पक्ष को अनावश्यक प्रकरण को लम्बा करने या असंगत एवं व्यर्थ के व्यक्तियों को साक्ष्य मे तलब कराने से रोकना चाहिए।

यदि अभियुक्त धारा 315 सीआरपीसी के तहत स्वयं के बयान कराना चाहे तो परिवादी को उससे जिरह की अनुमति देनी चाहिए और न्यायालय को भी आवश्यकता होने पर समुचित प्रश्न पूछने चाहिए।

बहस अन्तिम (Final Arguments)

दोनो पक्षों को बहस अन्तिम के समय ध्यान से सुनना चाहिए। उन्हे अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर देना चाहिए। यदि परिवादी व अभियुक्त लिखित बहस पेश करना चाहे तो उसे रिकार्ड पर लेना चाहिए।

कई बार अभियुक्तगण आवश्यकता नही होने पर भी पूरी फाईल पढने का उपक्रम करते है। तर्कों का रिपिटीशन करते है। अतः असंगत व अनर्गल बहस को नियंत्रित करना चाहिए।

बहस के दौरान अनावश्यक क्वैरीज नही करनी चाहिए। जहॉ न्याय की दृष्टि से कोई क्वैरी करनी आवश्यक हो तो अवश्य करनी चाहिए। किसी कानूनी प्रश्न पर दोनो पक्षों को अपना पक्ष रखने की अनुमति देनी चाहिए।

बहस अन्तिम पूरी होने की यथासंभव शीघ्र निर्णय सुनाया जाना आवश्यक है। किसी भी स्थिति मे निर्णय हेतु 15 दिन से अधिक की पेशी नियत नही की जानी है। निर्णय के लिए नियत तारीख पर आवश्यक रूप से निर्णय सुनाया जाना है। किसी भी आधार पर इसे मुल्तबी नही करना है ताकि अनावश्यक आक्षेपों से बचा जा सके।

तर्कसंगत निर्णय (Well Reasoned Judgment)

निर्णय किसी भी न्यायिक कार्यवाही का अन्तिम व सबसे महत्वपूर्ण अंग है अतः न्यायालय को निर्णय लिखाने के पूर्व सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से परीशीलन करना एवं संबंधित विधिक प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना जरूरी है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 के प्रावधानों के अनुरूप निर्णय लिखाते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्णय मे घटनाक्रम के तथ्यों का उल्लेख संक्षेप मे हो। अवधारणार्थ बिन्दु सटीक व स्पष्ट हो। निर्णय मे गवाहों के समस्त बयानों को ज्यों का त्यों लिखने की प्रवृत्ति से बचते हुए साक्ष्य का तार्किक विश्लेषण व मुल्यांकन करते हुए उचित निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए।

साक्ष्य का मूल्यांकन (Appreciation of evidence)

यह सही है कि आपराधिक न्याय प्राणाली (क्रिमनल जस्टिस सिस्टम) के सर्वमान्य सिद्धान्त के अनुसार दोषसिद्ध के लिए अभियोजन पक्ष पर यह अन्नय दायित्व है कि वह अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करे, लेकिन इसमे बनावट या असंगत सन्देह का कोई स्थान नही है। इस सिद्धान्त के कठोर निर्वचन का परिणाम यह नही होना चाहिए कि तुच्छ व तकनीकी आधारों पर वास्तविक अपराधी बच निकले। न्याय की सर्वोत्तम प्रणाली वह है जिसमे एक भी निर्दोष को सजा नही हो और एक भी दोषी नही बचे।

वर्तमान आपराधिक न्याय प्रणाली की यह दुखद वास्तविकता है कि वास्तविक अपराधी महत्वहीन एवं तकनीकी कमियों के आधार पर बच निकलने मे सफल हो रहे है। न्यायालय को चाहिए कि वह अभियोजन पक्ष से उतनी ही मात्रा मे साक्ष्य की अपेक्षा करे जो प्रकरण विशेष की परिस्थितियों मे समुचित प्रयासों (Reasonable efforts) से एक प्रज्ञावान व्यक्ति (Prudent Person) द्वारा एकत्रित की जा सके।

उपरोक्त पृष्ठभूमि मे हाल के वर्षों मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विनिर्णयों की श्रृखला मे उक्त प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने एवं न्याय सुनिश्चित करने के क्रम मे आवश्यक सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये है। सभी न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णयों का अध्ययन करे तथा उनमे प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप कार्यवाही करे।

साक्षीगण की साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि अक्सर गवाहों के बयान घटना के काफी समय बाद हो पाते है। इस देरी से तथ्यों की विस्मृति हो जाना स्वाभाविक है। प्रत्येक गवाह की तथ्यों को देखने, समझने, याद रखने और अभिव्यक्त करने की क्षमता भी अलग होती है। न्यायालय का वातावरण भी साक्षी के लिए सहज एवं सामान्य नही होता है। लम्बी एवं जटिल कई बार मानसिक संतुलन बिगाड देती है। ऐसे अनेकानेक कारणों से उनके साक्ष्य मे छोटे छोटे विरोधाभास आना स्वाभाविक है अतः सिर्फ इसी वजह से उनकी सम्पूर्ण साक्ष्य को नकारा जाना विधिसम्मत नही है बल्कि उसी विरोधाभास को महत्व दिये जाने क आवश्यकता है जो मामले की जड तक जाता हो और पूरे कथन को अविश्वसनीय बनाता हो।

कई बार रंजिशवश या अन्यथा तथ्यों को बढा चढा कर पेश करने की स्वभाविक मानवीय कमजोरी होती है जिसकी वजह से साक्ष्य मे सत्य व असत्य कथनों का मिश्रण हो जाता है। ऐसी स्थिति मे न्यायालय का कर्तव्य है कि वह ऐसे मिश्रण मे से सत्य तथ्यों को पृथक करने का यथासंभव प्रयास करे और प्रस्तुत साक्ष्य का समग्रता से विश्लेषण एवं मूल्याकंन करे।

पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम नया कानून है जिसके संबंध में अधिक निर्णय विधि नही आ पाई है। ऐसी स्थिति मे

विचारण न्यायालय का कर्तव्य है कि वह इस अधिनियम के प्रयोजन पर गहनता से विचार करे, इस बुराई की गभीरता एवं व्यापकता के प्रति संवेदनशील बने। इस अधिनियम मे कई कमियां गिनाई जा सकती है। कई सुधारों की अपेक्षा की जा सकती है लेकिन यह सब सोपने का काम विधायिका का है। विचारण न्यायालय का यह नैतिक व विधिक कर्तव्य है कि वह वर्तमान मे प्रभावी कानून के अनुसार न्याय सुनिश्चित करे।

इस विशेष अधिनियम के संदर्भ मे यह ध्यान रखने की जरूरत है कि लिंग परीक्षण का अपराध आपस मे मिलकर अत्यन्त गोपनीय तरीके से किया जाता है जिसका प्रत्यक्ष सबूत आना या विडियोग्राफिक पिक्चराईजशेन लगभग असम्भव है। इस अपराध से जुडे व्यक्तियों की प्रत्यक्ष साक्ष्य की अपेक्षा व्यर्थ है। ऐसी स्थिति मे उनकी साक्ष्य के अभाव मे परिवाद को मिथ्या करार दिया जाना उचित नही है।

चूंकि सक्षम प्राधिकारी उनके अधिकृत व्यक्ति व एन.जी.ओ. अधिकाशंतः कानून विशेषज्ञ नही होते है उनसे कुछ त्रुटियां हो जाना स्वाभाविक है इस स्थिति मे न्यायालय को ऐसी तकनीकी त्रुयिों को अधिक महत्व नही देना चाहिए। यदि उनकी साक्ष्य से अपराध के तत्व साबित है तो दोषसिद्ध करनी चाहिए।

विचारण न्यायालय को यह तथ्य भी ध्यान मे रखना चाहिए कि लिंग परीक्षण करने वाला व्यक्ति धनवान व प्रभावशाली होता है उसके खिलाफ गवाह बनने के लिए स्थानीय लोगों का तैयार होना अत्यन्त कठिन है ऐसी स्थिति मे यदि फर्द जब्ती/फर्द तलाशी पर स्थानीय स्वतंत्र गवाहों की साक्ष्य नही है तो इसे अधिक महत्व नही दिया देना चाहिए। इसके अलावा प्रभाववश अधिकांश मामलों मे विचारण के दौरान मौतबिर गवाह पक्षद्रोही हो जाते है लेकिन इसी वजह से परिवादी/अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराया जाना उचित नही है।

परिवादी व अनुसंधान अधिकारी कानून के विशेषज्ञ नही होते है। उनसे कई त्रुटियां व कमियां रह जाना स्वभाविक है लेकिन यदि शेष साक्ष्य से अपराध साबित है तो सिर्फ अनुसंधान मे रही त्रुटि अनियमितता या अवैधता के आधार पर शेष साक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराया जाना विधि सम्मत नही है इस मत की पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंबिका प्रसाद व अन्य बनाम दिल्ली प्रशासन **AIR2000SC718** व अन्य कई मामलों मे की है।

दण्ड (Punishment)

इस अधिनियम के तहत लिंग परीक्षण से जुडे हुए अपराधों को संज्ञेय व गैर जमानती बनाया गया है यह अपराध समाज पर व्यापक प्रभाव डालने वाला है पूरी सृष्टि व प्रकृति के खिलाफ है, इसकी परिणति महिला बहु विवाह एवं महिलाओं के खिलाफ बढते यौन अपराधों मे हो रही है। पैसे के लालच मे लोग इस जघन्य अपराध मे लिप्त है जिसकी परिणिति भारी पैमाने पर कन्या भ्रूण हत्या मे हो रही है। ऐसा व्यक्ति समाज के लिए घातक है। ऐसे व्यक्ति किसी भी दृष्टि से नरमी या उदाता पाने के अधिकारी नही हैं। उन्हे अपने कुकृत्य का सबक मिले वे इसकी पुनरावृत्ति नही करे, ऐसे दुष्कृत्य मे लिप्त अन्य लोगों को भी शिक्षा मिले, इस भयानक बुराई पर अंकुश लगे, आम लोगों के मन मे भी यह एहसास व विश्वास पैदा हो कि इस अपराध मे लिप्त होने पर बचना या दण्डित नही होना असम्भव है। इन तमाम हालात मे अभियुक्त को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना न्याय व समय की मांग है।

PCPNDT अधिनियम–सुसंगत निर्णयज विधि
(PCPNDT Act- Relevant Case Law)

PCPNDT अधिनियम, 1994 में रही कमियों को दूर करने से सम्बन्धित न्यायिक निर्णय

Centre for Enquiry into Health and allied Themes (CEHAT) and others Vs. Union of India AIR 2003 SC 3309

यद्यपि केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1994 में PCPNDT अधिनियम बनाया गया और वर्ष 1996 में इसके नियम भी बना दिये गये परन्तु इसके क्रियान्वयन की प्रभावी व्यवस्था नहीं की गई। इस पृष्ठभूमि में स्वयंसेवी संगठनों ने जनहित याचिका दायर की जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विस्तृत निर्देश जारी किये जिनके अनुसरण में वर्ष 2003 में इस अधिनियम में व्यापक संशोधन किये गये।

Voluntary Health Association of Punjab Vs. Union of India- AIR 2013 SC 1571

CEHAT बनाम भारत संघ में दिये गये विभिन्न निर्देशों की पालना सुनिश्चित न होने पर यह दूसरी जनहित याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश की गयी। इस याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कन्याओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार के सामाजिक कारणों पर भी चर्चा करते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये।

हेमन्ता रथ बनाम भारत संघ AIR 2008 (उड़ीसा) AIR 2008 Orrisa 71

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त सीहाट मामले में निर्देश देने एवं इस अधिनियम में संशोधन के बावजूद राज्य सरकारों द्वारा प्रभावी कदम नहीं उठाये गये जिस पर माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जनहित याचिका में राज्य सरकार को छः माह में प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये।

एस0के0 गुप्ता बनाम भारत संघ – डी0बी0पी0आई0एल0 संख्या–3270/2012– आदेश दिनांक 30.03.2012,23.05.2012,16.09.2014,25.11.2014,15.04.2015

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर जनहित याचिका प्रस्तुत की गई कि राज्य में इस अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। बच्चियों के उत्थान व कल्याण की व्यवस्था भी नहीं है जिसके सम्बन्ध में वांछित निर्देश जारी किये जावे।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री अरूण मिश्रा की खण्ड पीठ के आदेश दिनांक 30.03.2012 एवं 23.05.2012 द्वारा इस अधिनियम के प्रावधित एफ–फार्म को ऑन लाईन भरे जाने के निर्णय को उचित ठहराया गया। साथ ही इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों को अपने निर्णय का भाग बनाया गया एवं आपराधिक प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिये गये।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति श्री सुनील अम्बवानी की खण्ड पीठ के आदेश दिनांक 16.09.2014 द्वारा सम्बन्धित अधिवक्तागण एवं रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय को इस अधिनियम के तहत दायर प्रकरणों की स्थिति न्यायालय के समक्ष रखने एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को इस विषय पर कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात पारित आदेश दिनांक 25.11.2014 के आदेश द्वारा लम्बित आपराधिक मामलों के निस्तारण में देरी पर चिन्ता व्यक्त करते हुए सभी आपराधिक प्रकरणों और उनकी कार्यवाही स्थगित करने वाली याचिकाओं के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिये गये।

PCPNDT अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर महत्वपूर्ण निर्णय
विनोद सोनी बनाम भारत संघ – 2005 Cr.L.J.3408 (Bombay)

इस याचिका में महिला को अपने बच्चे का लिंग चयन करने एवं परिवार का स्वरूप निर्धारित करने का मूल अधिकार बताते हुए इस अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 के अन्तर्गत चुनौती दी गई लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में लिंग चयन का अधिकार शामिल नहीं मानते हुए याचिका खारिज कर दी।

विजय शर्मा बनाम भारत संघ – AIR 2008 Bombay 29

इस प्रकरण में विनोद सोनी वाले मामले के आधारों के साथ साथ यह भी कहा गया कि एम0टी0पी0 अधिनियम 1971 कई परिस्थितियों में गर्भपात की अनुपति देता है जबकि PCPNDT अधिनियम लिंग चयन के आधार पर गर्भपात को प्रतिबंधित करता है जो असंवैधानिक है। माननीय बम्बई उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि PCPNDT अधिनियम लिंग चयन को प्रतिबंधित करता है एवं एम0टी0पी0 अधिनियम भी लिंग चयन की अनुमति नहीं देता है। इन दोनों के उददेश्य अलग हैं। इनमें कोई विरोधाभास नहीं है। इस अधिनियम से संविधान के किसी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है।

लिंग परीक्षण करने में सक्षम सभी संस्थानों का पंजीकरण आवश्यक हैं

क्वॉलिफाईड प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिशर्स एण्ड होस्पिटल ऐसोसियेशन बनाम केरल राज्य 2006 (4) केरल लॉ जनरल – 81

इस प्रकरण में यह अनुतोष चाहा गया कि ऐसी लेब्रोटरी तथा निदान क्लिनिक जो अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा लिंग परीक्षण नहीं करते हैं, उन्हे पीसीपीएनडीटी अधिनियम के दायरे से बाहर रखा जावे। माननीय केरल उच्च न्यायालय ने ऐसे चिकित्सालयों को पीसीपीएनडीटी अधिनियम के दायरे से बाहर मानने से इन्कार कर दिया परन्तु यह अभिनिर्धारित किया कि इस अधिनियम का अन्तर्गत पंजीकरण केवल ऐसे जेनेटिव काउन्सलिंग सेन्टर तथा जेनेटिव लेबोरेट्रिज के लिए आवश्यक होगा, जो RRE-NATAL DIAGNOSTIC TECHNIQUES अपनाते हैं। साथ ही समुचित प्राधिकारियों को यह स्वतंत्रता दी गयी कि वह किसी भी सेन्टर या लेबोरेट्रिज का यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण कर सकते हैं कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है।

जेनेटिक काउन्सलिंग सेन्टर एवं जेनेटिक काउन्सलिंग लेब्रोटरी के लिए पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण कराना आवश्यक है।

समुचित प्राधिकारियों को ऐसे संस्थानों के निरीक्षण करने एवं प्रावधान का उल्लंघन पाये जाने पर पंजीकरण के निलम्बन की शक्तियां प्राप्त है।

अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक चलाने के लिए निर्धारित योग्यता आवश्यक है।

अनिल कुमार मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य MANU/UP/0514/2011

इस प्रकरण में याचिका कर्ता के पास BHMS की डिग्री थी तथा वह होम्योपैथी मेडिसन बोर्ड के साथ पंजीकरण था। याचिका कर्ता ने पीसपीएनडीटी नियमों के नियम 6 के अन्तर्गत अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक का पंजीकरण करवाया। पंजीकरण के उपरान्त उन्हें समुचित प्राधिकारी द्वारा यह कारण बताओ नोटिस दिया गया कि उनके पास आवश्यक अर्हता नहीं है एवं क्यों न उसके अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक का पंजीकरण कर दिया जाये। याचिका कर्ता ने इस कारण बताओं नोटिस को इस आधार पर चुनौती दी कि उसकी अर्हताओं का सत्यापन करने के उपरान्त ही अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक का पंजीकरण किया गया था और पंजीकरण के उपरान्त अब इसे निरस्त नहीं

किया जा सकता।

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पीसीपीएनडीटी अधिनियम की धारा 6 तथा पीसीपीएनडीटी के नियम 3 के प्रावधानों का विश्लेषण कर यह पाया कि याचिकाकर्ता न तो गायनेकोलॉजिस्ट था और न ही पिडियाट्रिशियन था। उसके पास जेनेटिक काउन्सलिंग के लिए भी कोई योग्यता नहीं थी। वह मेडिकल प्रेक्िशनर्स, रेडियोलोजिस्ट या जेनेटिक नहीं था और न ही भारतीय मेडिकल कॉन्सिल एक्ट में पंजीकृत था। ऐसी परिस्थितियों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा Estoppel का सिद्धान्त इन परिस्थितियों में लागू होना नहीं माना एवं याचिका खारिज कर दी।

फार्म–F के प्रपत्र में सभी इन्द्राज सही व सटीक करने की बाध्यता है, इसका उल्लंघन दण्डनीय है।

अमिता आर. पटेल बनाम गुजरात राज्य MANU/GJ/1040/2008

इस प्रकरण में याचिका कर्ता के विरूद्ध पीसीपीएनडीटी अधिनियम के उल्लंघन के लिए इस आधार पर परिवाद पेश किया गया कि उसके द्वारा प्रेषित किये गये फॉर्म–एफ पर न तो निदान का विवरण था और न ही चिकित्सक के हस्ताक्षर थे। याचिका कर्ता का यह आधार था कि उसके द्वारा पीसीपीएनडीटी अधिनियम के सभी प्रावधानों की पालना की गयी है अतः दुर्भावनावश पेश परिवाद को अपास्त किया जावे।

माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने इस प्रकरण में पीसीपीएनडीटी अधिनियम व इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों की विस्तृत व्याख्या कर यह पाया कि याचिका कर्ता द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था एवं परिवाद पर आधारित आपराधिक अभियोजन को अपास्त करने का कोई कारण नहीं था।

परिवाद पेश करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति एवं प्रक्रियात्मक त्रुटियों के सम्बन्ध में प्रतिपादित विधिक स्थिति

स्व–प्रेरणा से बनाम गुजरात राज्य 2009 क्रिमिनल लॉ जरनल 721

यह माननीय गुजरात उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का महत्वपूर्ण निर्णय है जिसमें पूर्ण पीठ को निम्न चारः–

1. क्या पीसीपीएनडीटी अधिनियम की धारा28 के अन्तर्गत न्यायालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी के परिवाद पर अपराध का प्रसंज्ञान ले सकता है ?
2. क्या पीसीपीएनडीटी अधिनियम की धारा–4 की उपधारा–3 के प्रावधानों के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि परिवाद में धारा–5 व 6 के प्रावधानों के उल्लंघन का स्पष्ट आक्षेप हो?
3. क्या धारा 5 व 6 के उल्लंघन को साबित करने का भार समुचित प्राधिकारी पर होता है?
4. क्या फॉर्म–एफ को भरे जाने में कोई कमी रहना, केवल एक प्रक्रियात्मक त्रुटि है?

माननीय गुजरात उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने पीसीपीएनडीटी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का विस्तृत विवेचन करने के उपरान्त बिन्दु संख्या–1 के संदर्भ में यह मत प्रतिपादित किया कि धारा–28 के प्रावधानों के अन्तर्गत न केवल समुचित प्राधिकारी द्वारा परिवाद पेश किया जा सकता है बल्कि राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किये गये व्यक्ति द्वारा भी परिवाद पेश किया जा सकता है।

बिन्दु संख्या–2 व 4 के सम्बन्ध में यह अभिनिर्धारित किया गया कि पीसीपीएनडीटी व इसके अन्तर्गत बनाये गये

नियमों का उददेश्य अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना है एवं फलस्वरूप प्रक्रियात्मक पहलुओं की पूर्ण रूप से सख्ती से पालना आवश्यक है।

इस प्रकार यह पाया गया कि उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा सही तरीके से रिकार्ड संधारित नहीं किया जाना अपने आप में धारा–5 व 6 के प्रावधानों के उल्लंघन के तुल्य है।

प्रश्न संख्या–3 के सम्बन्ध में यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा 5 व 6 के उल्लंघन को साबित करने का भार समुचित प्राधिकारी पर है।

पीसीपीएनडीटी अधिनिमय में लिंग चयन के विज्ञापन पर प्रतिबन्ध से सम्बन्धित निर्णय
सत्य त्रिलोक केसरी उर्फ सत्य नारायण बनाम महाराष्ट्र राज्य 2012(6) एल जे सोफट 389

इस प्रकरण में याचिका कर्ता द्वारा एक दैनिक समाचार पत्र में यह लेख छापा गया था कि लड़का कैसे पैदा किया जावे। उसके विरूद्ध लिंग चयन के विज्ञापन से सम्बन्धित अभियोजन प्रारम्भ किया गया, जिसे याचिका कर्ता द्वारा इस आधार पर चुनौती दी गयी कि उसका लेख उसके द्वारा की गयी रिसर्च पर आधारित था। जिसका अभिप्राय लिंग चयन का विज्ञापन कभी नहीं हो सकता था।

माननीय बम्बई उच्च न्यायालय ने इस प्रकरण में यह पाया कि याचिकाकर्ता ने बहुत चतुराई से, लेख के माध्यम से, लिंग चयन की सुविधा का विज्ञापन किया था और उसका कृत्य पीसीपीएनडीटी अधिनियम की धारा 22(1), (2) का उल्लंघन था।

पीसीपीएनडीटी अधिनियम में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना वैध
डॉ0 वर्षा गौतम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य MANU/UP/0857/2006

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के अन्तर्गत प्रत्येक अपराध संज्ञेय है जिसके सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है।

तलाशी व सोनोग्राफी मशीन की जब्ती से सम्बन्धित निर्णय
डॉ0 सुभाषणी महेश कंरजकर बनाम कोल्हापुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन

यह निर्णय सोनोग्राफी मशीन की जब्ती के सम्बन्ध में माननीय बम्बई उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इस निर्णय से पूर्व माननीय बम्बई उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के भिन्न–भिन्न दो पीठों के अलग–अलग निर्णय थे। प्रथम मत यह था कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम की कार्यवाही के दौरान सोनोग्राफी मशीन जब्त नहीं की जा सकती है जबकि दूसरे मत के अनुसार ऐसा किया जा सकता था। एकल न्यायाधीशों के विरोधाभासी मत होने के कारण मामला पूर्ण पीठ के समक्ष आया। पूर्ण पीठ द्वारा पीसीपीएनडीटी के नियम 12 के स्पष्टीकरण 2 व 3 का विश्लेषण कर यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस नियम का कार्यवाही के दौरान सोनोग्राफी मशीन को जब्त किया जा सकता है।

पंजीकरण निरस्त करना एवं आपराधिक कार्यवाही दोनों भिन्न है

चित्रा अग्रवाल बनाम उत्तरांचल राज्य ए0आई0आर0 2006 यू0टी0आर0 78

इस मामले में माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि आपराधिक कार्यवाही एवं पंजीकरण के निरस्तीकरण की कार्यवाही, दोनों भिन्न–भिन्न कार्यवाहियां हैं, जो साथ–साथ चल सकती है।

पीसीपीएनडीटी एक्ट के अन्तर्गत संस्थित मामलों में पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित वारन्ट मामलों के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जायेगी

डॉ0 रविन्द्र बनाम महाराष्ट्र राज्य 2012(10) एज0जे0 सोफ्ट 138

इस प्रकरण में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अपराधों के लिए तीन वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है एवं परिवाद पर ही प्रसंज्ञान लिया जा सकता है। अतः इनका विचारण पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित वारन्ट मामलों की भांति होगा, जिसमें आरोप पूर्व साक्ष्य लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है।न्यायालय बिना साक्ष्य लेखबद्ध किये सीधे ही आरोप विरचित कर विचारण प्रारम्भ नहीं कर सकता है।

आपराधिक न्यायालय का कर्तव्य–निर्दोष को सजा नहीं तो दोषी भी छूटे नहीं

(a) **In Hema v. State, through Inspector of Police, Nadras, 2013(1)WLC(SC)Cri. 280** Hon'ble Apex Court ovserved, " Where our criminal justice system orovides safeguards of fair trial and innocence till proven guilty to an accused, there it also contemplates that a criminal trial is meant for doing justice to all, the accused, the society and a fair chance to prove to the prosecution. Then alone can law and order be maintained. the courts do not merely discharge the function to ensure that no innocent man is punished, but also that a guilty man does not escape. Both are pblic duties of the Judge. During the course of the trial, the learned Presiding Judge is expected to work objectively and in a correct erspective. Where the prosecution attempts to misdirect the trial on the basis of peprfunctory or designedly defective investigation, there the court is to be deeply cautious and ensure that despite such an attempt, the determinative process is not subverted. For truly attaining this object of a "fair trial" the court should leave no stone unturned to do justice and protect the interest of the society as well.

(b) in **Ambica Prasad & ors. v. Delhi Administration, AIR 2000 SC 718** Hon'ble Apex Court observed that in a case of fefective investigation it would not be proper to acquit the accused if the case is otherwise establisheed conclusively. A criminal trial is meant for doing justice to the accused, victim and the society so that law and order is maintained, A Judge does not preside over a criminal trial merely to seee that no innocent man is punished. A judge also presided to see that a guilty man does not escape. One is as important as the other. Both are public duties, which the Judge has to perform.

(c) **I BState of U.P. Vs. Ram Veer Singh and Another 2007(6) Supreme 164,** Hon'ble the Apex Court has helf that the paramount consideration of the Court is to ensure that miscarriage of justice is prevented. A miscarriage of justice which may arise from acquittal of the guilty is no less than from the conviction of an innocent. In a case where admissible evidence is ignored, a duty is cast upon the appellate court to re-appreciate the evidence where the acccused has been acquitted, for the purpose of ascertaining as to whether any of the accused really committed any offence or not."

परिवाद या प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का विस्तृत विवरण आवश्यक नहीं है

In **State of U.P. Vs. Harban Sahai & others, 1998 (2) SCR 1056** Hon'ble Apex Court held FIR is not a chronicle of the exhaustive details of the occurence, not is it a catalogue of everything including minor particulars of the events which took place, for jettisoning an otherwise sturdy account of the eye-witness is not a commendable approach in evaluation of evidenc.

गवाहों की संख्या का कोई महत्व नहीं–किसी तथ्य को साबित मानने के लिए एकल साक्षी की विश्ववसनीय साक्ष्य पर्याप्त

In **Chittar Lal v. State of Rajasthan AIR 2003 SC 3590** Hon'ble Apex Court observed that it cannot be said that conviction should not have been made on the basis of a single witness's testimony. The legislative recognition of the fact that no parlticular number of witnesses canb be insisted upon is amply reflected in Section 134 of Evidence Act, 1872. Administration of justice can be affected and hampered in number of witnesses were to be insisted upon. It is not seldom that a crime has been committed in the presence of one witness, leaving aside those cases which are not of unknown occurence where detemination of guilt depends entirely on circumstantial evidence. if plurality of witnesses would have been the legislative intent, caseds whetre the testimony of a single witness only could be available, in number of crimes offender would have gone unpunished. It is the quality of evindence of the single witness whose testimony has to be tested on the touchstone of credibility and reliability. If the testimony is found to be reliable, there is no legal impediment to convict the accused on such proof. iIt is the quality and not the quantity of evidence which is necessary for proving or disproving a fact.

हितबद्ध साक्षीगण की साक्ष्य पूरी तरह अविश्वसनीय नहीं होती, सिर्फ अधिक सावधानी के साथ विश्लेषण एवं मूल्यांकन योग्य होती है

(a) In **Mallanna v. State of Karnataka reported in (2007) 8 SCC 523,** Hon'ble Apex Court held that the evidence of interested witnesses cannot be thrown out and the only requirement for the Court is to consider their evidence with great care and caution and if such evidence does not satisfy the test of credibility, then the cour can disbelieve the same.

(b) In **Ponnam Chandraiah v. State of A.P., AIR 2008 SC 3209** Hon'ble Court observed that in regard to the intestednes of the witnesses for futrthering the prosecution version, relationship is not a factor to affect the credibility of a witness. It is more often that not that a relation would not conceal the actual culprit and make allegations against an innocent person. Foundation has to belaid if a plea of false implication is made. In such cases the court has to adopt a careful approach and analyse evidence to find out whether it is cogent and credible. The ground that the witness being a close relative and consequently being a partisan witness, should not be relied upon, has no substance.

पक्षद्रोही साक्षी की साक्ष्य पूरी तरह अविश्वसनीय नहीं है, बल्कि उसका विश्वसनीय भाग काम में लिया जा सकता है

(a) In **Ramesh Harijan v. State of U.P. AIR 2012 SC 1979** Honb'le Apex Court held that it is a settled legal proposition that the evidence of a prosecution witness cannot be rejected in toto merely because the prosecution chose to treat him as hostile and cross examine him. The evidence of such witnesses cannot be treated as effaced or washed off the record altogether but the same can be accepted to the extent that their version is found to be dependable on a careful scrutiny thereof.

(b) In **State of U.P. v. Ramesh Prasad Misra & Anr., AIR 1996 SC 2766,** this court held that evidence of a hostile witness would not be totally rejected if spoken in favour of the prosecution or the accused but required to be subjected to close scrutiny and that portion of the evidence which is consistent with the case of the prosecution or defence can be relied upon.

(c) Thus, the law can be summarised to the effect that the evidence of a hostile witness cannot be

discarded as a whole, and relevant parts thereof which are admissible in law, canbe used by the prosecution or the defence.

साक्ष्य में मामूली विसंगतियों को अनुचित महत्व नहीं देना चाहिए

(a) In **Appabhai & Anr. V. State of Gujarat, AIR 1988 SC 696** Hon/ble Apex Court has cautioned the courts below not to give undue importance to minor discrepancies which do not shake the badsic version of the prosecution case. The court by calling into aid its vast experience of men and matters in different cases must evaluate the entire material on record by excluding the exaggerated version fiven by any witness for the reason that witnessed now a days go on adding embellishments to their version erhaps for the fear of their testimony being rejected by the court. However, the courts should not dis-velieve the evidence of such witnesses altogether if they are otherwise trustworthy.

तुच्छ या छोटे–मोटे विरोधाभास के कारण वाह की साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं है

(a) In **Babasahed Apparao Patil v. State of Maharashtra, 2008(15) SCALE 205** Hon'ble Apex Court observed that some discrpancies in the ocular account of a witness, unless those are vital, cannot per se affect the credibility of the evidence of the witness. nless the contradictions are material, the same cannot be used to jettison the evidence in its entirety. Trivial discrepancies ought not to obliterate otherwise acceptable evidence. Merely because there is inconsistency in evidence, it is not sufficient to impaire the credibility of the witness. It is only when discrepancies in the evidence of a witness are so inncompatible with the credibility of his version that the court would be justified in dicarding his evidenc.

(b) **In Swaran Sing v. State of Punjab, (2000) 5 SCC 668** Hon'ble Apex Court observed that minor discrepancies in the testimony of investigating office due to delayed trial, does not affect the credibility of the prosecution case as it is not unlikely that hc would not remember the details of the investigation due to passage of the time.

साक्षी के कथन की अधिकांश बाते असत्य साबित होने पर भी शेष सत्य बातों पर विश्वास किया जा सकता है

(a) In **Sucha Singh v. State of Punjab, AIR 2003 SC 3617,** Hon'ble Apex court had taken note of its various earlier judgements and held that even if major prortion of the evidence is found to be deficient, in case residue is sufficient to prove guilt of an accused, it is the duty of the court to separate grain from chaff. Falsity of particular material witness or material particular would not ruin it from the beginning to end. The masim falsus in uno falsus in omnibus has no application in India and the witness cannot be branded as a liar. In case this maxim is aaplied in all the cases it is to be feared that administration of criminal justice would coe to a dead stop. Witnesses just cannot help in giiving embroidery to a story, however , true in the main. Therefore, it has to be appraised in each case as to what extent the evidence is worthy of credence, and merely because in some respects the court considers the same to be insufficient or unworthy of reliance, it does not necessarily follow as a matter of law that it must be disregarded in all respects as well.

सिर्फ स्थानीय व्यक्तियों के साक्ष्य में नहीं आने के कारण ही अभियोजन कहानी अविश्वसनीय नहीं हो जाती है

In **State of U.P. vs. Anil Singh, Air 1988 Sc 1998** Hon'ble Apex Court ovserved that the public are generally reluctant to come forward to depose before the Court. It is, therefore, not correct to reject the prosecution version only on the ground that ll witnesses to the occurrence have not been examined. Nor it is proper to reject the case for want of corroboration bye independent witnesses if the case made out is otherwise true and acdeptable. It is the duty of the Court to cull out the nuggets of truth from the evidence ubnless there is reason to believe that the inconsistencies or falsehood are so glaring as utterly to destroy confidence in the witnesses. It is necessary to remeber that a jude does not preside over a criminal trial merely to see that no innocent man is punished. A Judge also presides to see that a guilty man dos not escape. One is as important as the other. Both are public duties which the Judge has toperform The Court gabe its anxious consideration to all material facts and circumstances of the ase and came to the conclusion that the decision of the High court could not be supported.

आदमी झूठ बोल सकता है लेकिन परिस्थितयां झूंठ नहीं बोलती, इस क्रम में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के विश्लेषण के संबंध में मार्गदर्शन

In **Vijay Kumar v. State Gove. of NCT of Delhi 2010 AIR SCW 3954,** Hon'ble Apex Court ovserve, "in dealing with circumstantial evidence there is always a danger that conjecture or suspicion lingering on mind may take place of proof... However, it is no derogation of evidence to say that is is circumstantial. Human agency may be faulty in expressing picturisation of actual incident, but the circumstances cannot fail ... In cases where evidence is of a circumstantial nature, the circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should, in the first instance, be fully established. Each fact sought to be relied upon must be proved individually. However, in applying this principle, a distinction must be made between facts called primay or basic on the one hand and inference of facts to be drawn from them, on the other. With regard to proof of primary facts, the court has to judge the evidence and decide whether that evidence proves a particular fact and if that fact is proved, the question whether that fact leads to an inference of guilt of the accused person shoulbd be considered, In dealing with this aspect of the problem, the doctrine of benefit of doubt applies. Although, there should not be any missing links in the case, yet it is not essential that each of the links must appear on the surface of the evidence adduced and some of these links may habe to be inferred from the proved facts. in Drawing these inferences, the court must have regard to the common course of natural events and to human conduct and their relations to the facts of the particular case... the court has to consider the total cumulative effect of all the proved facts, each one of which reinforces the conclusion of guilt and if the combined effect of all these facts taken together is conclusive in establishing theguilt of the accused, the conviction would be justified even though it may be that one or more of these facts by itself or themselves is, or are not decisive. The facts established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused and should exclude every hypothesis, except the one sought to be proved.

गवाहों की रंजिश दुधारी तलवार है, ऐसे साक्षी की साक्ष्य का विश्लेषण अतिरिक्त सावधानीपूर्वक आवयश्यक है, लेकिन रंजिश के कारण से साक्ष्य नकारे जाने योग्य नहीं है

(a) In **Anil Rai V. State of Bihar, AIr 2001 SC 3173** Hon'ble Apex Court observed that the admitte position of law is that enmity is a double edged weapon which can be motive for crime as also the ground for false implictation of the accused persons. In case of inimical witnesses, the courts are required to scrutinize their testimon with anxious care to find out whether their testimony inspires confidence to be acceptable notwithstanding the existence of enmity.

In **Anil Rai v. State of Bihar, AIR 2001 Sc 3173** Hon'ble Apex Court observed that the testimony of the innimical eye witnesses can be relied upon if it is consistent and reliable. It cannot be discarded

merely on the ground of alleged animosity.

आपराधिक प्रकरण का निर्णय न्याय दृष्टान्तों पर आधारित होने के बजाय तथ्यात्मक घटनाक्रम पर होना चाहिए

In **lali Ram and anr. V. State of M.P., 2008 (10) JT, 67 Sc** Hon'ble Apex Court ovserved that a decision has to be considered in the background of the factual scenario. In criminal cases the question of a precedent particularly relating to appreciation of evidence is really of no consequence. The criminal cases are decided on the basis of facts and not on the basis of case law.

अनुसंधान में अनियमितता या अवैधता होने मात्र से शेष अभियोजन साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाती है

In **Ambika Prasad & ors. v. Delhi administration, AIR 2000 SC 718, 2000(1) SCR342, 2000(2) SCC 646, 2000)1_ SCALE 219, 2000(1)JT 273,** Hon'ble Apex Court ovserved that in a case of defective investigation it would not be proper to acquit the accused if the case is otherwise established conclusively. A criminal trial is meant for doing justice to the accused, victim and the society so that law and order is maintained. A judge does not preside over a criminal trial merely to see that no innocent man is punished. A judge also presides to see that a guilty man does not escape. one is as important as the other. Bothe are public duties, which the Judge has to perform.

अनुसंधान अधिकारी के परीक्षित नहीं होने के कारण ही शेष साक्षीगण की साक्ष्य पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए

(a) In **Behari Prasad and ors. v. State of Bihar, [1996] 2 SCC 317,** this Court held that non examination of the investigating officer is not fatal to prosecution case especially when no prejudice was likely to be suffered by the accused.

(b) In **Bahadur Naik v. State of Bihar, [2000] 9 SCC 153,** this Court held that when no material contradictions have been brought out., then non examination of the investigating officer as a witness for prosecution was of no consequence and under such circumstance no prejudice had been caused to the accused by such non examination.

अपराध के अनुरूप समुचित दण्ड अधिरोपित करना न्यायालय का कर्तव्य

In **Mulla & Anr. v. State of U.P., 2010 Cr. L.J. 1440 SC,** Hon'ble Apex Court observed that the punishment must fit the crime. it is the duty of the court to impose proper punishment depending upon the decree of criminality and desirability to impose such punishment. As a measure of social necessity and also as a means of deterring other potential offenders, the sentence should be appropriate befitting the crime.

राजस्थान राज्य से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय

पीसीपीएनडीटी एक्ट से संबंधित माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्देश

IN THE SUPREME COURT OF INDIA CIVIL ORIGINAL JURISDICTION

WRIT PETITION (CIVIL) NO. 349 OF 2006 **Order dated 11.08.2016**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा उक्त रिट में आदेश पारित कर समस्त सोनोग्राफी केन्द्रों द्वारा सोनोग्राफी के समय

भरे जाने वाले फॉर्म एफ का संधारण आवश्यक रूप से किये जाने हेतु आदेश पारित किये। **(para 35.)**

1- D.B.Civil Writ Petition (PIL) No.3270/2012 **Order dated 23.5.2012**

माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा उक्त रिट में आदेश दिनांक **23.5.2012** पारित कर समस्त सोनोग्राफी मशीनों पर आगामी चार माह में एक्टिव ट्रेकर/साईलेंट ऑब्जर्वर लगाये जाने एवं सोनोग्राफी केन्द्रों द्वारा गर्भवती महिला की सोनोग्राफी के लिए भरे जाने वाले फॉर्म एफ को 24 घंटे में विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु पारित किया गया।

Order dated 15.04.2015

माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा उक्त रिट में समस्त सोनोग्राफी केन्द्रों पर आगामी तीन माह अर्थात् दिनांक 15.07.2015 के पश्चात लगाये जाने वाली सोनोग्राफी मशीनों पर जीपीएस लगाये जाने का आदेश पारित किया गया।

[...]**where the offense has been reported to the Magistrate, the State Appropriate Authority will not have any power to release the machine. These powers will be exercised by the Magistrate, where the Criminal Case is pending consideration, subject to the same condition as are prescribed in rule 11(2) of the PCPNDT Rules of 1996**.

Cr.Mis. Petition No.1439/2017 **Order dated 11.05.2017**

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में प्रस्तुत एसबी क्रिमिनल मिस0 पिटिशन .नं0 1439/2017 में अंतर्राज्यीय डिकॉय कार्यवाही में राजस्थान पीबीआई थाने द्वारा कार्यवाही किये जाने के क्षेत्राधिकार को चुनौती दी गई। जिसमें माननीय न्यायालय ने निर्णय पारित कर की गयी कार्यवाही को दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 178 के अनुसार सही मान पिटिशनर की पिटिशन को निम्न प्रकार आदेश पारित कर खारीज किया गया है।

[....]Therefore, it can very well be said offence is partly committed within the local area of Raisinghnagar so as attract clause (b) of Section 178 Cr.P.C. in the matter. As such, the argument of the learned counsel though appears to be quite alluring but not of substance in the backdrop of facts and circumstances of the case and consequently rejected. (9 of 9) [CRLMP-1439/2017] The judgment of this Court in B.K. Koli (supra) is clearly distinguishable wherein offence was not committed within the jurisdiction of Sikar rather it was committed at Delhi. The only reason for registration of FIR at Sikar (Rajasthan) was the place of residence of accused. Thus, the ratio of that judgment cannot render any assistance to the petitioner. It is also noteworthy that matter is at the investigation stage and therefore at this stage inte-rference with the statutory right of police to investigate the matter cannot be thwarted. Thus, keeping in view the facts and circumstances of the case in entirety, I feel dissuaded to interfere in the matter. The upshot of the above discussion is that there is no merit in this petition and same is accordingly dismissed.

Section 315. Act done with intent to prevent child being born alive or to cause it to die after birth.—

"Whoever before the birth of any child does any act with the intention of thereby preventing that child from being born alive or causing it to die after its birth, and does by such act prevent that child from being born alive, or causes it to die after its birth, shall, if such act be not caused in good faith for the purpose of saving the life of the mother, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, or with fine, or with both."

Section511. Punishment for attempting to commit offences punishable with imprisonment for life or other imprisonment.—

"Whoever attempts to commit an offence punishable by this Code with 1[imprisonment for life] or imprisonment, or to cause such an offence to be committed, and in such attempt does any act towards the commission of the offence, shall, where no express provision is made by this Code for the punishment of such attempt, be punished with 2[imprisonment of any description provided for the offence, for a term which may extend to one-half of the imprisonment for life or, as the case may be, one-half of the longest term of imprisonment provided for that offence], or with such fine as is provided for the offence, or with both"

पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत लिंग चयन/अवधारण को धारा 23 के तहत दण्डनीय बनाया गया है। जिसके साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा **315,511** जोड़ा जाना विधि सम्मत है, क्योंकि आरोपी द्वारा लिंग चयन/अवधारण किये जाने का उद्‌देश्य भा.द.सं. की धारा 315 के अनुसार एक शिशु को जीवित जन्म लेने से रोकना है।

Section[120A. Definition of criminal conspiracy.—

"When two or more persons agree to do, or cause to be done,—

(1) an illegal act, or

(2) an act which is not illegal by illegal means, such an agreement is designated a criminal conspiracy: Provided that no agreement except an agreement to commit an offence shall amount to a criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof. Explanation.—It is immaterial whether the illegal act is the ultimate object of such agreement, or is merely incidental to that object.]"

section[120B. Punishment of criminal conspiracy.—

(1) Whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offence punishable with death, 2[imprisonment for life] or rigorous imprisonment for a term of two years or upwards, shall, where no express provision is made in this Code for the punishment of such a conspiracy, be punished in the same manner as if he had abetted such offence.

(2) Whoever is a party to a criminal conspiracy other than a criminal conspiracy to commit an offence punishable as aforesaid shall be punished with imprisonment of either description for a term not exceeding six months, or with fine or with both.]

पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत लिंग चयन/अवधारण को धारा 23 के तहत दण्डनीय बनाया गया है। जिसके साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120 बी को जोड़ा जाना विधि सम्मत है, क्योंकि लिंग चयन अवधारण करने हेतु सक्रिय व्यक्तियों द्वारा अपराधिक षड्यंत्र रचा जाकर इस कार्य में सहयोग किया जाता है।

पीसीपीएनडीटी अधिनियम एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता

section178. जांच या विचारण का स्थान :—

(ख) जहां अपराध अंशतः एक स्थानीय क्षेत्र में और अंशतः किसी दूसरे में किया गया है अथवा

(ग) जहां अपराध चालू रहने वाला है और उसका किया जाना एक से अधिक स्थानीय रोत्रों में चालू रहता है।

section156. संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति

(1) Any officer in charge of a police station may, without the order of a Magistrate, investigate any cognizable case which a Court having jurisdiction over the local area within the limits of such station would have power to inquire into or try under the provisions of Chapter XIII.

(2) No proceeding of a police officer in any such case shall at any stage be called in question on the ground that the case was one which such officer was not empowered under this section to investigate.

(3) **Any Magistrate empowered under section 190** may order such an investigation as above- mentioned.

section190. मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान

(1) Subject to the provisions of this Chapter, any Magistrate of the first class, and any Magistrate of the second class specially empowered in this behalf under sub- section (2), may take cognizance of any offence-

(a) upon receiving a **complaint of facts** which constitute such offence;

(b) upon a police report of such facts;

(c) upon information received from any person other than a police officer, or upon his own knowledge, that such offence has been committed.

(2) The Chief Judicial Magistrate may empower any Magistrate of the second class to take cognizance under sub-section (1) of such offences as are within his competence to inquire into or try.

section200. परिवादों की परीक्षा**.**

A Magistrate taking cognizance of an offence on complaint shall examine upon oath the complainant and the witnesses present, if any, and the substance of such examination shall be reduced to writing and shall be signed by the complainant and the witnesses, and also by the Magistrate: Provided that, when the complaint is made in writing, the Magistrate need not examine the complainant and the witnesses-

(a) **if a public servant** acting or- purporting to act in the discharge of his official duties or a Court has made the complaint; or

(b) if the Magistrate makes over the case for inquiry or trial to another Magistrate under section 192: Provided further that if the Magistrate makes over the case to another Magistrate under section 192 after examining the complainant and the witnesses, the latter Magistrate need not re- examine them.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय/निर्देश :–

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) संख्या 349/2006 अंतर्गत Voluntary Health Association of Punjab Vs. Union of India & Others में पारित निर्णय दिनांक 08.11.2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन को निर्णित करते हुए निम्न दिशा निर्देश प्रदान किये है :–

S.No.	दिये गये निर्देश
a	All the States and the Union Territories in India shall maintain a centralized database of civil registration records from all registration units so that information can be made available from the website regarding the number of boys and girls being born.
b	The information that shall be displayed on the website shall contain the birth information for each District, Municipality, Corporation or Gram Panchayat so that a visual comparison of boys and girls born can be immediately seen.
c	The statutory authorities if not constituted as envisaged under the Act shall be constituted forthwith and the competent authorities shall take steps for the reconstitution of the statutory bodies so that they can become immediately functional after expiry of the term. That apart, they shall meet regularly so that the provisions of the Act can be implemented in reality and the effectiveness of the legislation is felt and realized in the society.
d	The provisions contained in Sections 22 and 23 shall be strictly adhered to. Section 23(2) shall be duly complied with and it shall be reported by the authorities so that the State Medical Council takes necessary action after the intimation is given under the said provision. The Appropriate Authorities who have been appointed under Sections 17(1) and 17(2) shall be imparted periodical training to carry out the functions as required under various provisions of the Act.
e	If there has been violation of any of the provisions of the Act or the Rules, proper action has to be taken by the authorities under the Act so that the legally inapposite acts are immediately curbed.
f	The Courts which deal with the complaints under the Act shall be fast tracked and the concerned High Courts shall issue appropriate directions in that regard.
g	The judicial officers who are to deal with these cases under the Act shall be periodically imparted training in the Judicial Academies or Training Institutes, as the case may be, so that they can be sensitive and develop the requisite sensitivity as projected in the objects and reasons of the Act and its various provisions and in view of the need of the society.
h	The Director of Prosecution or, if the said post is not there, the Legal Remembrancer or the Law Secretary shall take stock of things with regard to the lodging of prosecution so that the purpose of the Act is subserved.
I	The Courts that deal with the complaints under the Act shall deal with the matters in promptitude and submit the quarterly report to the High Courts through the concerned Sessions and District Judge.

j The learned Chief Justices of each of the High Courts in the country are requested to constitute a Committee of three Judges that can periodically oversee the progress of the cases.

k The awareness campaigns with regard to the provisions of the Act as well as the social awareness shall be undertaken as per the direction No 9.8 in the order dated March 4, 2013 passed in Voluntary Health Association of Punjab (supra).

l The State Legal Services Authorities of the States shall give emphasis on this campaign during the spread of legal aid and involve the para-legal volunteers.

m The Union of India and the States shall see to it that appropriate directions are issued to the authorities of All India Radio and Doordarshan functioning in various States to give wide publicity pertaining to the saving of the girl child and the grave dangers the society shall face because of female foeticide.

n All the appropriate authorities including the States and districts notified under the Act shall submit quarterly progress report to the Government of India through the State Government and maintain Form H for keeping the information of all registrations readily available as per sub-rule 6 of Rule 18A of the Rules.

o The States and Union Territories shall implement the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) (Six Months Training) Rules, 2014 forthwith considering that the training provided therein is imperative for realising the objects and purpose of this Act.

p As the Union of India and some States framed incentive schemes for the girl child, the States that have not framed such schemes, may introduce such schemes.

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ,जयपुर द्वारा जनहित याचिका (पीआईएल) सं0 3270/12 एस0के0 गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित निर्देश।

S.No.	Direction issued on Dated 15.04.2015	Direction issued on Dated 27.07.2015
1	The law Enforcement Agencies are directed to increase their vigilance over the unregistered PCPNDT Clinics. Whenever any unregistered PCPNDT Clinic is found, the ultrasound sonography machine should be immediately seized and the seizure be reported to the State Appropriate Authority and the Magistrate to initiate proceedings for its confiscation. The ultrasound sonography machine shall not be released by the courts until the conclusion of the proceedings under the PCPNDT Act.	As regards the direction no. 1 there is no report forthcoming from the State Government about the number of Seizures made of the Ultra-sound machines running without obtaining the license. We also find that our directions for seizure and confiscation and that the restrictions to release the Ultra-sound machines by the Appropriate Authority, when the matter has been reported and cognizance has been taken by the Magistrate, has not been properly understood. The power of releasing the Ultra-sound machines under sub-rule (2) of Rule 11 of the Rules with the Appropriate Authority has been

		rampantly misused with all the unlicensed Ultra-sound machines coming back in the market. In the circumstances, we had given directions that where the Magistrate had taken cognizance, the Court alone will be authorized to pass order in respect of release of the Ultra-sound machines and that the release will have to wait until the conclusion of the proceedings under the PCPNDT Act. No data has been provided to us as to how many cases, the Ultra-sound machines were released by the Appropriate Authority after the cognizance was taken by the Magistrate. Let the data be produced by the next date of hearing. These observations will take care of the directions no. 1 and 7
2	All the registered Medical Practitioners, authorized by amendment in rule 3(3) of the PCPNDT Rules of 1996 made in the year 2012, to carry out the sonography test, shall sign the sonography reports. The digital signatures will not be allowed. Each & every report will be accompanied with the photo copy or printed copy of the registration certificate of the PCPNDT clinic.	We are informed that with regard to direction no. 2, the State Government has issued necessary directions for signing of all the Sonography reports by the registered medical practitioners/doctors and restraining them from making the digital signature. Though the direction has been accepted and forwarded, there is no report as to whether the direction is being complied with, in the circumstances, we issue further direction that with regard to direction no. 2, a news item will be carried out and published in the newspaper, in which the insistence on signatures of registered medical practitioners/doctors on the Sonography reports will be made compulsory giving all the patients a right to obtain the report with the signatures and full name of the registered medical practitioners/doctors.
3	Every sale of the ultrasound sonography machine whether static or portable under section 3(B) of the PCPNDT Act will be reported by the manufacturers to the State Appropriate Authority. The manufacturing companies and dealers will obtain sufficient proof of the registration or application for registration before sale of the machine. The reporting will also include the sale of the second hand ultrasound sonography machine with the proof of sale to be registered as PCPNDT Clinic. Every sale of machine in violation of	

4.	these directions will be treated as unauthorized sale, on which the machine will be liable to be seized. A GPS will be required to be attached to check the location of the ultrasound sonography machine. Every manufacturer wills install a GPS System at the time of sale of machine for tracing the location of the ultrasound sonography machine. The State Appropriate Authority will develop the technical know how of attaching a GPS on every machine within a period of three months. After three months, the sale of Ultrasound sonography machine without attaching GPS System will not be permitted.	With regard to directions no. 3 and 4, we are distressed to find that the compliance report does not even mention the name of the manufactures and the dealers, nor any material has been annexed to show that the directions issued on 15th April, 2015 have been communicated to the manufactures of the Ultra-sound machines and the dealers. In the absence of any such report, we are unable to accept the statement that every manufactures has been required to install a Global Positioning System (GPS) on the Ultrasound machines and that the ultrasound machines sold after 15th April, 2015 have been installed with Global Positioning System. in the next compliance report, the court will expect the name of the manufactures and the dealers and the number of the written communications to them, failing which the sale of Ultrasound machines shall be declared illegal and no license will be given for the ultrasound machines which do not bear Global Positioning System and those which have been sold after 15th April 2015 their licenses will be suspended.
5	The active trackers installed on sonography machines are of no use until the control rooms are established. The State Government will ensure that sufficient number of control rooms are established and a nodal officer is appointed for continuous monitoring of control room servers.=	As regards the direction no. 5 on the installation of active trackers, we are informed that a control room has been set up at the Headquarter of Health Department at Jaipur. The minutes of the meeting would show that for operating the control room, the amount was proposed in the PIP for Financial Year 2015-16 and that as soon as the approval was to be received, the amount will be disbursed. This note in the proceeding of the meting dated 01.07.2015 clearly suggests that even if a control room has been set up, it is non-functional for want of budget and thus, we find that the direction no. 5 has not been complied with at all.
6	Until the rules are amended, providing for a procedure for an appeal against the order under the PCPNDT Act, it is provided that the appeal may be filed within a period of thirty days beyond which the appellant will have to give sufficient reasons for filing the appeal to the satisfaction of the appellate authority, and that a copy of the order will be annexed	As regards the direction no. 6, we are informed that the procedure has been provided for filing appeal under rule 19 of the Rules. We make it clear that we had not issued any direction providing procedures for appeals under rule 19, but for appeals under section 21 of the PCPNDT Act. for which there are no machinery provisions either under the PCPNDT Act or under the Rules for appeals against the orders of the Appropriate

	with the grounds of memorandum of appeal. The appeal must be decided expeditiously and as far as possible within a period of six months.	Authority to the Central Government or the State Government, as the case may be. We thus clarify that the direction no. 6 is applicable to the appeals under section 21 of the PCPNDT Act and not in respect of the appeals under rule 19 of the Rules.
7	The order under Rule 11(2) of the PCPNDT Rules of 1996 for release of machines on payment of penalty equal to five times of the registrations fee on reporting any violation of PCPNDT Act or rules will not be passed until the Appropriate Authority is fully satisfied with the undertaking of compliance of the PCPNDT Act and Rules. It will be within the authority of the Appropriate Authority to take any security including bank Guarantee for releasing the Ultrasound Sonography Machine and where the offense has been reported to the Magistrate, the State Appropriate Authority will not have any power to release the machine. These powers will be exercised by the Magistrate, where the Criminal Case is pending consideration, subject to the same condition as are prescribed in rule 11(2) of the PCPNDT Rules of 1996.	As regards the direction no. 1 there is no report forthcoming from the State Government about the number of Seizures made of the Ultra-sound machines running without obtaining the license. We also find that our directions for seizure and confiscation and that the restrictions to release the Ultra-sound machines by the Appropriate Authority, when the matter has been reported and cognizance has been taken by the Magistrate, has not been properly understood. The power of releasing the Ultra-sound machines under sub-rule (2) of Rule 11 of the Rules with the Appropriate Authority has been rampantly misused with all the unlicensed Ultra-sound machines coming back in the market. In the circumstances, we had given directions that where the Magistrate had taken cognizance, the Court alone will be authorized to pass order in respect of release of the Ultra-sound machines and that the release will have to wait until the conclusion of the proceedings under the PCPNDT Act. No data has been provided to us as to how many cases, the Ultra-sound machines were released by the Appropriate Authority after the cognizance was taken by the Magistrate. Let the data be produced by the next date of hearing. These observations will take care of the directions no. 1 and 7
8	The State Govt. is directed to establish special PCPNDT Court in the districts of Sriganganagar, Hanumangarh, Churu, Jhunjhunu, Sikar and Alwar where the situation of female foeticide has worsened, as evidenced by the fall in the GIRL CHILD SEX Ratio in these districts. The State Government will establish the Special PCPNDT Court in these districts in addition to the 7 PCPNDT Court in the State Of Rajasthan, within a period of three months.	AS regards the direction no. 8, we had not given direction for consideration, but to establish the Special PCPNDT Courts in the Districts of Sri Ganganagar, hanumangarh, Churu, Jhunjhunu. Sikar and Alwar, which are bordering the State of Punjab and have the worst girl child sex ratio in the State. The direction was given after a long deliberation and considering the need of the Special PCPNDT Courts on the basis of the number of pending cases. The State Government has, in our opinion, wilfully and deliberately disobeyed the direction no. 8 and for that, we direct that the Principal Secretary,

		Medical and Health Department, Government of Rajasthan, jaipur and the Principal Secretary, Law Government of Rajasthan, jaipur to remain present in Court on the next date, for framing charges against them, unless these courts are established by the next date and appropriate notification is produced before the Court alongwith the sanction of the budget both for the courts as well as for staff.
9	The court where the cases under the PCPNDT Act are pending or the courts in which the revisions are pending, are directed to expedite the proceedings and conclude the trial within a period of six months. These directions are in addition to the direction issued earlier by this court to conclude the trials. Any pendency of trial under the PCPNDT Act beyond 6 months, will be taken adversely by the High Court on its Administrative side.	The direction no. 9 required the presiding Officers of the Courts where the cases for offences under PCPNDT Act are pending, to expedite the proceedings and conclude the trial within six months. In this regard, we have perused the progress report submitted by the Registrar General, Rajasthan High Court and find that in 7 Special PCPNDT Courts from 01.06.2015 to 30.06.2015, only 7 cases were disposed of leaving the pendency at the end of 30th June, 2015 at 369 in the Special PCPNDT Courts at Ajmer, Bharatpur, Bikaner, jaipur Metropolitan, Jodhpur Metropolitan, Kota and Udaipur.
10	The society at large has to be vigilant about the pernicious practice of female foeticide, which is conceived in secrecy and executed in deceit in connivance with the medical practitioners. The member of the society are given freedom to report these crimes to the State Appropriate Authority and the District Appropriate Authority. The complaints addressed to the District Magistrate or any other Appropriate Authority will be immediately reported to the State Appropriate Authority for taking steps. Wherever the complaints are found to be genuine, on making inspection, the complainant will be rewarded and for which the State Govt will issue Appropriate Scheme within 3 months. The decoy operations will be encouraged and for which the State Govt. will issue guidelines for both carrying out the decoy operation and for rewarding the participants in the successful decoy operations	

11	All the Judicial Magistrates/ Metropolitan Magistrate will be issued directions by the Registrar General of the Rajasthan High Court that wherever the Special PCPNDT Court are not established, they can take cognizance, conduct enquiry and trial for all offences of violation of PCPNDT Act and the Rules.	
12 13. 14.	The State Govt is requested to continue its efforts to encourage and expand the scope of the schemes for welfare of GIRL CHILD. The State Govt has taken sufficient measures for public awakening, such as 'BADHAI SANDESH' on the birth of GIRL CHILD, involvement of various NGO's and Govt Organisations in 'BETI BACHAO BETI PADHAO' and in developing the 'ASHA SOFTWARE' for timely and seamless online payment under the various scheme to the beneficiary. The fall in the ratio of GIRL CHILD in the state of Rajasthan, however, requires the State Govt to increase and expand the scope of the existing scheme and to initiate more schemes, for public awareness for protection of GIRL CHILD. The State Govt will also consider to make education of the Girl Child in the state completely free; to increase the percentage of reservation for woman in public employment from 30 percent to 50 percent; and to provide measures to limit the expenditure in weddings at all levels. The State Govt, NGO's, Charitable Societies and the School both Govt and Private must be encouraged and given special grants to organise programmes for development of the Girl Child and awareness against female foeticide and female infanticide.	As regards the directions no. 12, 13 and 14 are concerned, there is no report of compliance except stating that the State Government is contemplating on the same lines and making the policies and schemes for saving the girl child as well as for encouraging the education for girl child. We are informed that in the State of Gujarat, a decision has been taken for providing the free education for girls in the Government as well as Private Schools. We do not find any reason as to why the State of Rajasthan providing free education to the girls in the Government Schools, also cannot provide free education to the girls in the Private Schools as well and consider to increasing the reservation for women and putting a limit on the expenditure in wedding ceremonies. We expect that the State Government to consider and make a report on these issues in its next compliance report. We make it clear that we do not want making of people ware about the policies and schemes of the State Government by way of publications, Seminars and Camps. We want positive efforts in the direction of curbing the fall of girl child sex ratio in the State of Rajasthan, which has far reaching implication, by strict and meaningful implementation of PCPNDT Act.

जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान राज्य में लिंगानुपात, बाल–लिंगानुपात

राजस्थान राज्य में लिंगानुपात व बाल–लिंगानुपात की स्थिति निम्नानुसार है :–

वर्ष	1991	2001	2011	1991–2001	2001–2011
लिंगानुपात	910	921	928	. 11	. 7
बाल–लिंगानुपात (0–6 वर्ष)	916	909	888	.7	.21

राजस्थान राज्य का बाल लिंगानुपात वर्ष 2001 के अनुसार राज्य में प्रत्येक हजार लड़को पर 909 लड़किया थी। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में प्रत्येक हजार लड़कों पर 888 लड़कियां रह गई। जबकि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रत्येक हजार लड़कों पर 919 लड़कियां थी।

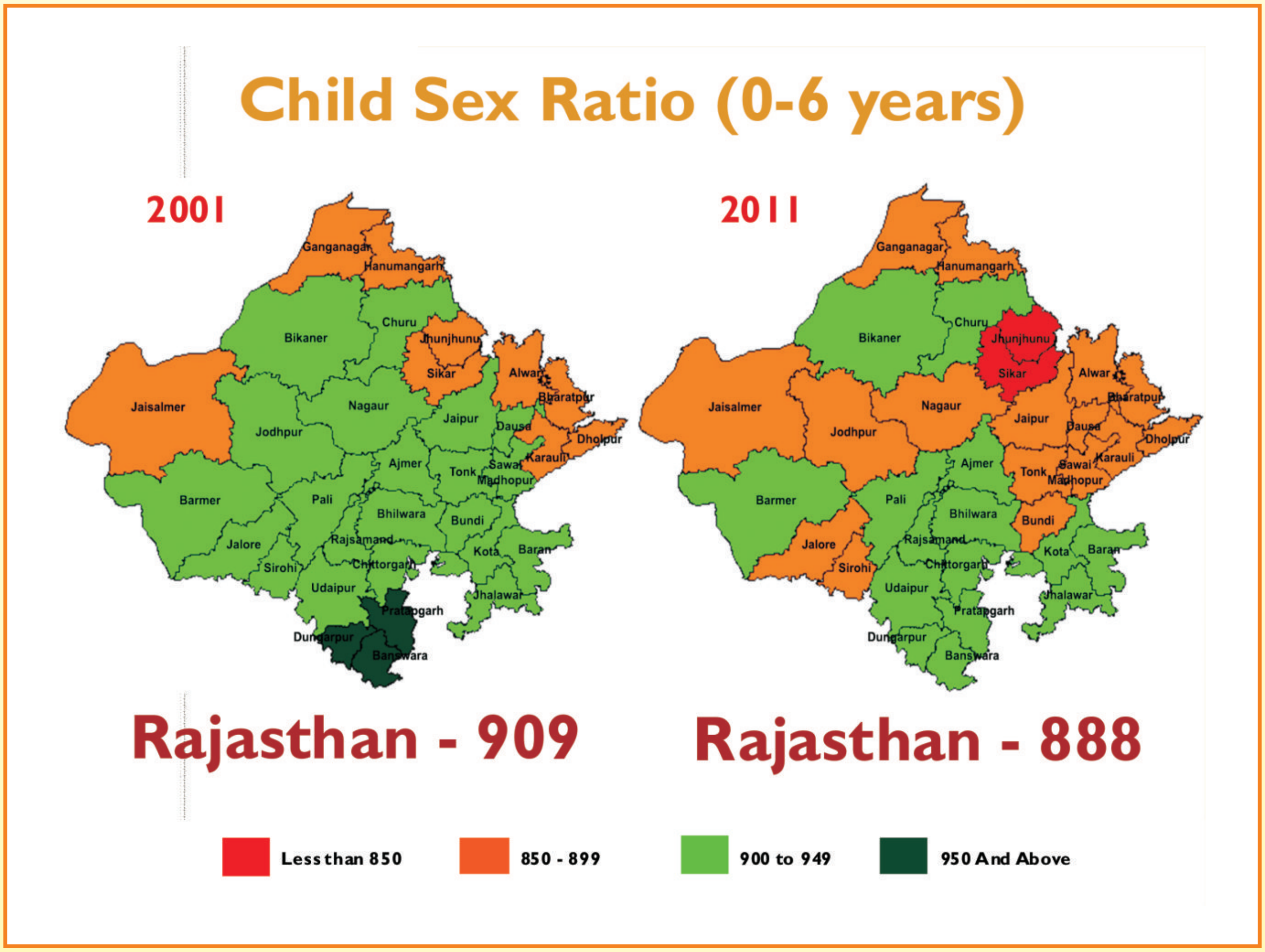

राजस्थान में पीसीपीएनडीटी अधिनियम का क्रियान्वयन हेतु किये जा रहे कार्यः प्रमुख बिन्दु

पीसीपीएनडीटी (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुरूप इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राजस्थान में जो कदम उठाए गए हैं उनका संक्षिप्त ब्यौरा यहां प्रस्तुत किया गया है।

- **पीसीपीएनडीटी सैल की स्थापना**

अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में 2008 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। प्रकोष्ठ का प्रभारी उपनिदेशक स्तर का अधिकारी होता है जिसे राज्य समुचित प्राधिकारी द्वारा मनोनीत किया जाता है। प्रकोष्ठ के तीन पदों में से एक विधि सलाहकार तथा एक स्वास्थ्य प्रबंधक के पद का प्रावधान है।

- **समुचित प्राधिकारी**

राज्य स्तर पर बहुसदस्यीय राज्य समुचित प्राधिकारी का गठन शासन सचिव (चि0 एवं स्वा0 तथा परिवार कल्याण) की अध्यक्षता में किया गया है। दो अन्य सदस्यों में से महिला संगठन से एक महिला प्रतिनिधि तथा राज्य विधि विभाग का एक अधिकारी सम्मिलित है।

- **नोडल ऑफिसर**

राज्य स्तर पर निदेशक (प0क0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को राज्य नोडल अधिकारी नामित किया गया है। जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जिला नोडल ऑफिसर नामित किया गया है।

- **सलाहकार समिति**

समुचित प्राधिकारी को सलाह देने के लिए आठ सदस्यीय राज्य सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इसमें तीन चिकित्सा अधिकारी तीन सामाजिक कार्यकर्ता, जिसमें एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता का होना आवश्यक हैः एक विधि विशेषज्ञः तथा राज्य सूचना एवं प्रसार विभाग का एक अधिकारी सम्मिलित है। सामान्यतः 60 दिवस की अवधि में सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की जाती है।

- **समुचित प्राधिकारियों द्वारा राज्य में जून 2017 तक की गई कार्रवाईः**

कुल पंजीकरण (सरकारी–222+ निजी–2601)	2823
निरीक्षण	11980
निलम्बन / निरस्तीकरण	196 / 431
सील / सीजर	499
न्यायालय परिवाद में	656
अभियुक्तों को दोष सिद्ध न्यायालयों द्वारा	146

- प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अभियोजन विभाग को निर्देश प्रसारित करने हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग को पत्र लिखा गया है एवं समस्त सहायक निदेशक अभियोजन को गर्भधारण–पूर्ण और प्रसर्व–पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 से सम्बन्धित न्यायालयों में विचाराधीन सभी प्रकरणों को लोकहित से जुड़े होने के

कारण शीर्ष प्राथमिकता के साथ सुनवाई एवं निपटारा कराये जाने हेतु पत्र लिखा गया है।

- प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग को महानिदेशक पुलिस को पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज प्रकरणों में सम्बन्धित न्यायालय द्वारा अभियुक्तों के विरूद्ध जारी किये गये जमानतीय/गैर जमानतीय वारंट्स को आवश्यक रूप से तामील कराये जाने हेतु निर्देश प्रसारित किये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखा गया है।

- राज्य सरकार द्वारा निरीक्षण प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने तथा निरीक्षण प्रारूप में एकरूपता लाने के लिये पीआईआर (च्ब्छक्ज् प्देचमबजपवद त्मचवतज) की व्यवस्था 01.01.2011 से लागू की गयी है राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर 2 निरीक्षण दलों का गठन किया गया है तथा निरीक्षण प्रक्रिया को सुदृढ बनाने तथा निरीक्षण प्रारूप में एकरूपता लाने के लिये पीआईआर (पीसीपीएनडीटी निरीक्षण रिपोर्ट) की व्यवस्था लागू की गयी है। यह प्रक्रिया सतत रूप से जारी है। इस वर्ष जून 2017 तक राज्य निरीक्षण दलों द्वारा 1355 निरीक्षण किये गये है।

- समुचित प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही को प्रभावी बनाने के लिये सभी संभाग मुख्यालयों पर संभाग स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है।

- राज्य में कार्यरत निःशुल्क चिकित्सा परामर्श 104 व 108 टोल फ्री नम्बर सेवा पर कन्या भ्रूण हत्या व लिंग परीक्षण की शिकायत दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध करवायी गयी है। इस पर आने वाली शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाता है।

- राजस्थान मेडिकल कॉन्सिल द्वारा 21 चिकित्सकों के पंजीकरण निलम्बित किये गये है।

- लिंग जांच में लिप्त चिकित्सकों को सूचना देने वाले व्यक्तियों के लिये ''मुखबिर योजना'' प्रारम्भ की गयी है, जिसमें तीन चरण में कुल 2.50 लाख रूपये की राशि प्रदान की जाती है। (विस्तृत दिशा निर्देश आदेश क्रमांक राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ/स्वा0प्रबं0/2017/250 दिनांक 26.04.2017), सितम्बर, 2017 तक मुखबिर योजना के तहत 83 सफल डिकॉय ऑपरेशन किये जा चुके है।

- माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में ओ0टी0एस जयपुर में राज्य में बाल–लिंगानुपात की गिरावट पर चर्चा एवं राज्य स्तरीय भावी कार्ययोजना पर सुझावों के लिए गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि एवं अधिकारियों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया।

- माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर द्वारा पीआईएल 3270/2012 में दिये गये निर्देशानुसार राज्य के समस्त पंजीकृत केन्द्रों को यह आदेशित किया गया है कि वे अपने केन्द्र पर संरक्षित फार्म एफ का ऑनलाईन सबमिशन करें एवं समस्त पंजीकृत केन्द्र अपनी प्रत्येक सोनोग्राफी मशीन पर एक्टिव ट्रेकर/साईलेंट आब्जर्वर उपकरण संबद्ध करें।

- पी0आई0एल 3270/2012 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की शिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु सभी जिला स्तर पर विशिष्ठ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय सृजिंत एवं स्थापित किये गये है।(अधिसूचना 17 नवम्बर, 2015)

- राज्य में पीसीपीएनडीटी अधिनियम का उल्लंघन कर लिंग परीक्षण करने वाले चिकित्सको/सहयोगियो/दलालो के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने हेतु सम्पूर्ण राज्य के क्षेत्राधिकार के

लिये ''पीसीपीएनडीटी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन'' के नाम से एक पुलिस स्टेशन, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर में संचालित है। जिसका क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य का क्षेत्र होगा।

- विभाग द्वारा एन आई सी राजस्थान के सहयोग से पीसीपीएनडीटी अधिनियम के लिये विकसित मोनीटरिंग सिस्टम के सॉटवेयर को नंदन नीलकणि द्वारा नई दिल्ली मेंॅ झब्ब्- वतकमत व िउमतपज.2013 एवार्ड प्रदान किया गया।

- दिनांक 23.09.2016 को माननीय केन्द्रीय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्री श्री फग्गन सिंह फुलस्ते एवं माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्री राजस्थान श्री राजेन्द्र सिंह राठौड द्वारा ''बेटियां अनमोल है'' कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अभियान के तहत विभाग द्वारा विभिन्न कॉलेज/ महाविद्यालय /शोपिंग मॉल, फैशन शॉज, कार रैली, म्यूजिकल कॉनसर्ट, लिटरेचर फेस्टीवल अवार्ड सैरेमनी में ''बेटियां अनमोल है'' सम्बन्धित ऑडियों/वीडियों फिल्म, पावर पोंइट प्रजटेंशन, प्रश्नोंत्तरीय कार्यक्रम, नुक्कड नाटक द्वारा ''बेटियां अनमोल है'' विषय की प्रस्तुति की जा रही है। अब तक कॉलेज सेमीनार के माध्यम से एक लाख से ज्यादा युवाओं को जागरूक किया जा चुका है। दिनांक 17.03.2017 को नई दिल्ली में राजस्थान राज्य द्वारा चलाये जा रहे प्रोग्राम ''डॉटर्स आर प्रिशियस'' को राष्ट्र स्तरीय प्लेटिनम स्कॉच अवॉर्ड से नवाजा गया।

- बेटियां अनमोल है कार्यक्रम के तहत देश–विदेश की प्रसिद्ध हस्तियों द्वारा जन–जागरूकता अभियान का प्रचार–प्रसार किया गया जैसे कि पद्म श्री गुलाबों सपेरा, अभिनेता शक्ति कपूर, बालिका अभिनेत्री रूहानिका धवन, अभिनेत्री मुग्धा गोडसे, अभिनेता नकुल मेहता, मिसेज इण्डियां अंजली राउत, कैरल ग्रेशियस, लक्ष्मी राणा, सामाजिक कार्यकर्ता अपरा कुच्चल, सामाजिक कार्यकर्ता जयश्री पैरिवाल, रूक्क्षमणी कुमारी आदि।

- भ्रूण लिंग परीक्षण में लिप्त डाक्टर को रंगे हाथो पकड़ने की योजना के तहत अब तक राज्य में 83 डिकॉय ऑपरेशन किये गये हैं, 2016 में कुल 25 डिकॉय ऑपरेशन किये जा चुके है जिनमें से 09 अंतर्राज्यीय सफल डिकॉय कार्यवाही रही है। वर्ष 2017 में 29 कार्यवाही की जा चुकी है जिनमें से 11 अंतर्राज्यीय सफल डिकॉय कार्यवाही रही है।

- राजस्थान राज्य में पीसीपीएनडीटी अधिनियम की शत प्रतिशत अनुपालना करते हुए राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड एवं राज्य सलाहकार समिति की बैठक गत वर्षों में तय समय पर आयोजित की जा रही है तथा राज्य सलाहकार समिति में आयें सभी प्रकरणों का शत–प्रतिशत निस्तारण किया गया है तथा राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड में लिये गये सभी निर्णयों की अनुपालना की जा चुकी है।

- राज्य सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालो में संस्थागत प्रसव बेटी के जन्म पर बधाई संदेश दिया जा रहा है। यह व्यवस्था 11 अक्टूबर, 2014 से शुरू की गयी है तथा अब तक लाखों बेटियों को संदेश दिया जा चुका है।

- पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये राज्य के प्रत्येक जिले में पीसीपीएनडीटी समन्वयक तैनात है, जो समुचित अधिकारियो को निरीक्षण करने, कानूनी सलाह देने, माननीय न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने में सहायता प्रदान करने एवं ''बेटी बचाओ'' की सामाजिक जागृति पैदा करने के लिये आईईसी का कार्य भी कर रहे है।

ू राज्य सरकार की वैबसाईट (ूण्तंरेंजीलंण्दपबण्पदध्चबचदकजणीजउ) पर सभी सम्बन्धित दस्तावेज उपलब्ध है।

राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयः–

1. डिकॉय कार्यवाही में लगने वाली धनराशि का पुर्नभरण सम्बन्धित जिलों के पीसीपीडीटी नियम, 1996 के नियम 5 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली राशि से किया जायेंगा। (बैठक दिनांक 15.06.2016)

2. निर्धारित दायरे में आने वाली गर्भवती महिलाओं कि की जा रही ट्रेकिंग जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी द्वारा लगातार जारी रखे जाने का निर्णय साथ ही गर्भवती महिलाओं फॉर्म एफ जिनमें महिलाओं की दो से अधिक बेटियां होने का विवरण है की कांउन्सलिंग आशा सहियोगनी, आंगनवाडी कार्यकर्त्ता एवं एनएचएम कर्मीयों के माध्यम से कराया जाना का निर्णय।(बैठक दिनांक 15.06.2016)

3. YDC के माध्यम से महाविद्यालयों में कन्या भ्रूण हत्या रोके जाने के सम्बन्ध में जागरूकता अभियान/कार्यक्रम कराया जाना का निर्णय।(बैठक दिनांक 15.06.2016)

4. डिकॉय कार्यवाहीओं में लगने वाले धनराशि, प्रलोभन राशि एवं मुखबिर योजना में मुखबिर, बोगस ग्राहक व सहियोगी महिला को दिये जाने वाली सम्पूर्ण धनराशि का पुर्नभरण कार्यवाही डिकॉय किये जाने वाले सम्बन्धित जिले में पीसीपीएनडीटी नियम, 1996 के नियम 5 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली राशि से किया जायेगा।(बैठक दिनांक 03.10.2016)

5. गवाहों की वित्तीय समस्याओं को देखते हुए जिलों में चल रहे पीसीपीएनडीटी परिवादों में गवाह के यात्रा, ढहरने व खाने पीने में खर्च धनराशि का भुगतान सम्बन्धित जिले में पीसीपीएनडीटी नियम, 1996 के नियम 5 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली राशि से किया जायेगा।(बैठक दिनांक 03.10.2016)

6. मुखबिर योजना में स्वीकृत प्रौत्साहन राशि 2,00000/– (अक्षरे दो लाख रूपये) से बढाकर 2,50,000/– (अक्षरे दो लाख पचास हजार रूपये) किये जाने एवं पूर्वानुसार 2:2:1 के अनुपात में बांटे जाने का निर्णय।(बैठक दिनांक 03.07.2017)

7. अन्तर्जिला निरीक्षणों हेतु अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी द्वारा राज्य स्तरीय निरीक्षण दलों का गठन कर अन्तर्जिला निरीक्षण कराये जाने का निर्णय।(बैठक दिनांक 03.07.2017)

जिलों में सीलशुदा मशीनों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में सुरक्षित रखे जाने के लिये स्टोर चिन्हीत कराये जाने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किये जाने का निर्णय।(बैठक दिनांक 03.07.2017)

वर्षवार डिकॉय कार्यवाहियों का विवरण

वर्ष	डिकॉय कार्यवाहियों की संख्या	अन्तर्राराज्यीय डिकॉय कार्यवाहियों की संख्या	अन्तर्राज्यीय डिकॉय कार्यवाहियों की संख्या
2009	3	3	0
2010	8	8	0
2011	3	3	0
2012	2	2	0
2013	5	5	0
2014	3	3	0
2015	5	5	0
2016	25	16	9
जनवरी, 2017 . 08.08.2017	29	18	11
कुल	83	63	20

अन्तर्राज्यीय डिकॉय कार्यवाहियों की राज्यवार संख्या (13/12/2009 – 08/08/2017)

गुजरात	**6**
उत्तर प्रदेश	**7**
पंजाब	**3**
मध्यप्रदेश	**2**
हरियाणा	**2**
कुल	**20**

- माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में प्रस्तुत एसबी क्रिमिनल मिस0 पिटिशन .नं0 1439/2017 में अंतर्राज्यीय डिकॉय कार्यवाही में राजस्थान पीबीआई थाने द्वारा कार्यवाही किये जाने के क्षेत्राधिकार को चुनौती दी गई। जिसमें माननीय न्यायालय ने निर्णय पारित कर की गयी कार्यवाही को दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 178 के अनुसार सही मान पिटिशनर की पिटिशन को खारीज किया गया है।

''बेटियां अनमोल है''– कैम्पेन

राजस्थान राज्य में गिरते बाल लिंगानुपात (ब्मदेने 2011 में 888 प्रति हजार) चिंता का विषय है इसके मद्देनजर पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य में राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर द्वारा लगातार भ्रूण लिंग परीक्षण में संलिप्त व्यक्तियों को डिकॉय ऑपरेशन के जरिए पकडा जा रहा है तथा वर्ष 2017 में 29 डिकॉय ऑपरेशन किये गये हैं। इन गतिविधियों के अतिरिक्त राज्य में "Daughters Are Precious" कैम्पेन में विभिन्न महाविद्यालयों व सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। यह कार्यक्रम दो घंटे में आयोजित किया जाता है जिसमें श्री नवीन जैन, शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर द्वारा एक प्रजेन्टेशन दिया जाता है तथा कन्या भ्रूण हत्या पर बनाई गई भावनात्मक वीडियों डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है तत्पश्चात एक प्रश्नोत्तरी आयोजित कर सही जवाब देने वाले प्रतिभागीयों को ईनाम प्रदान किया जाता है।

अब तक 170 से ज्यादा कॉलेजों में सेमीनार के माध्यम से लगभग डेढ़ लाख युवाओं को जागरूक किया जा चुका है।

''बेटियां अनमोल है''

कार्यक्रम को राजस्थान में होने वाले सभी कार्यक्रमों से जोडा गया जो कि निम्न हैः—

1. दिनांक 05.03.2017 को '' अलंकृता विमेन एम्पावरमेन्ट संस्था'' द्वारा आयोजित महिला कार रैली में ''बेटियां अनमोल है'' की थीम पर महिलाओं द्वारा कार रैली की गई जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया जहॉ कन्या भ्रूण हत्या पर जानकारी दी गई व कन्या भ्रूण हत्या नहीं कराने का प्रण भी दिलाया गया।

2. दिनांक 14.04.2017 को ''नारी तुझे सलाम'' कार्यक्रम के तहत अपने–अपने क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य करने के लिए 40 से ज्यादा महिलाओं का सम्मान किया गया तथा ''बेटियां अनमोल हैं'' कार्यक्रम के आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया।

3. दिनांक 10.03.2017 को डी.एन.ए. न्यूज पेपर द्वारा उनियारा गार्डन में ''बेटियां अनमोल हैं'' कैम्पेन को फैशन शॉ के माध्यम से प्रमोट किया गया जहां भावनात्मक वीडियों के द्वारा कन्या भ्रूण हत्या न करवाने का संदेश डिजाइनर्स एवं मॉडल्स् द्वारा दिया गया।

4. दिनांक 29.05.2017 को भारत निर्माण फाउंडेशन द्वारा ''चौथे एशियाड लिटरेचर फेस्टिवल'' का आयोजन किया गया जहां ''बेटियॉ अनमोल है'' विषय पर पैनल द्वारा विस्तृत चर्चा की गई तथा इसके सुदृढीकरण पर विचार किया गया।

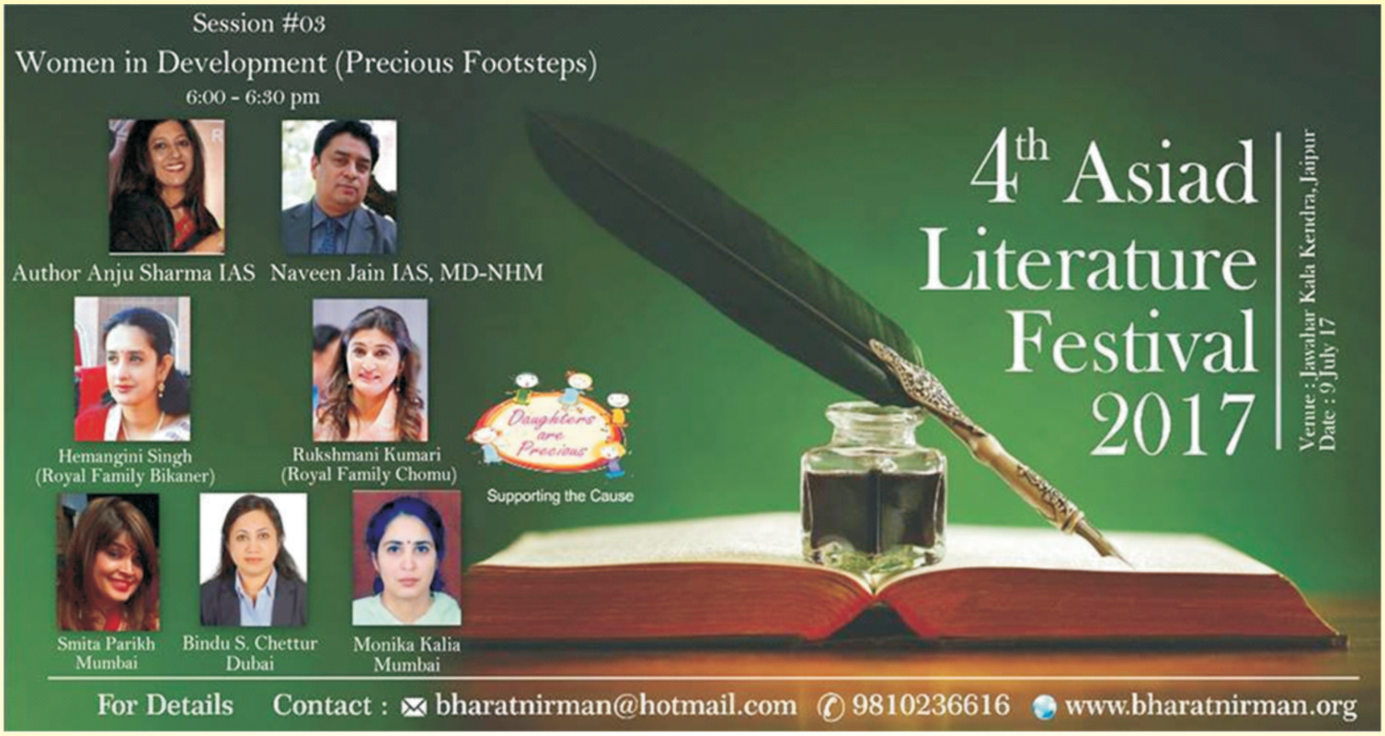

5. दिनांक 29.05.2017 को मणिपाल यूनिवर्सिटी द्वारा कराये गये कार्यक्रम में ''बेटियां अनमोल है'' पर भावनात्मक नृत्यनाटिका द्वारा कन्या भ्रूण हत्या न करवाने का संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 1000 से ज्यादा लोग उपस्थित थे।

6. दिनांक 12.08.2017 को होटल हॉलीडे इन में ''बेटियां अनमोल है'' विशेष दिवस मनाया गया जिसकी लाईव प्रस्तुती ''जी राजस्थान न्यूज'' चैनल पर दिखाया गया। कार्यक्रम की शुरूआत पैनल चर्चा से हुइ जिसे टेलीविजन होस्ट अनिता हाडा सागवान ने संचालन किया तथा चर्चा में जी.टी.वी. के श्री जगदीशचन्द्र, टी.वी. एक्टर नकुल मेहता, टी.वी. एक्टर मीर अली, सामाजिक कार्यकर्ता अपरा कुच्चल एवं राजन चौधरी, पदम श्री गुलाबों सपेरा तथा मिस ग्लोव 2016 डिम्पल पटेल उपस्थित रहे। मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन श्री नवीन जैन आई.ए.एस. ने आखिर में आभार व्यक्त किया।

7. बेटियां अनमोल है कार्यक्रम के तहत देश–विदेश की प्रसिद्ध हस्तियों द्वारा जन–जागरूकता अभियान का प्रचार–प्रसार किया गया जैसे कि पद्म श्री गुलाबों सपेरा, अभिनेता शक्ति कपूर, बालिका अभिनेत्री रूहानिका धवन, अभिनेत्री मुग्धा गोडसे, अभिनेता नकुल मेहता, मिसेज इण्डियां अंजली राउत, कैरल ग्रेशियस, लक्ष्मी राणा, सामाजिक कार्यकर्ता अपरा कुच्चल, सामाजिक कार्यकर्ता जयश्री पैरिवाल, रूक्क्षमणी कुमारी आदि।

8. जन जागरूकता अभियान के तहत राजस्थान राज्य के सभी अटल सेवा केन्द्रों पर मुखबिर योजना एवं शिकायत नं0 104 एवं 108 के प्रचार एवं प्रसार हेतु पोस्टर्स बनवाकर लगवाये गये है। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय ''बेटियां अनमोल है'', डिकॉय ऑपरेशन तथा राज्य स्तरीय पीसीपीएनडीटी सैल द्वारा किये गये कार्यों का विवरण एवं प्रचार–प्रसार हेतु ब्रोशर बनाकर वितरित किये गये।

राजस्थान राज्य का भारत संघ के अन्य राज्यों से भिन्नता

- ट्रेकिंग डिवाईस (एक्टिव ट्रेकर/साइलेन्ट ऑबजरर्व)
- जी0पी0एस0 सिस्टम
- इम्पेक्ट सॉटवेयर
- पीसीपीएनडीटी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (पीबीआई थाना)
- मुखबिर योजना
- डिकॉय कार्यवाहियां
- अन्तर्राज्यीय कार्यशालायें
- डॉटर्स आर प्रिशियस अभियान
- जिला समन्वयक
- संगठनात्मक ढांचे की पूर्णता एवं निरन्तर बैठकें
- राज्य निरीक्षण दलों का गठन
- गर्भवती महिलाओं की ट्रेकिंग
- बेटी बचाओं प्रकोष्ठ
- युवा एवं सामुदायिक स्तर पर जागरूकता का कार्यक्रम
- लिंग परीक्षण की शिकायतों की गहन जांच एवं त्वरित निस्तारण

राज्य द्वारा पीसीपीएनडीटी के अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में बाल लिंगानुपात में सकारात्मक सुधार

प्रेग्नेंसी एण्ड चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम (PCTS) में वर्ष 2012 से वर्ष 2016 तक प्राप्त आंकडों के अनुसार गत 4 वर्षों में सरकारी संस्थानों पर हुये संस्थागत प्रसव के दर्ज पंजीकरण के आधार पर जन्म पर लिंगानुपात 939 है।

S.No.	year	Live Birth			Sex Ratio at birth
		Male	Female	Total	
1.	2012	752451	680503	1432954	904
2.	2013	764993	703763	1468756	920
3.	2014	740275	686236	1426511	927
4.	2015	731295	679928	1411223	930
5.	2016	727104	682692	1409796	939

- जन्म पर बाल लिंगानुपात में इस सुधार से भविष्य में बाल लिंगानुपात में सुधार होना अवशश्भावी है।

राज्य द्वारा अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए किये गये प्रभावी कार्यों से राज्य को प्राप्त उलब्धियां

- पीसीपीएनडीटी अधिनियम के लिये विकसित मोनीटरिंग सिस्टम के सॉटवेयर को नंदन नीलकणि द्वारा नई दिल्ली में SKOTCH order of merit-2013 एवार्ड प्रदान किया गया।
- दिनांक 17.03.2017 को नई दिल्ली में राजस्थान राज्य द्वारा चलाये जा रहे प्रोग्राम "डॉटर्स आर प्रिशियस" को राष्ट्र स्तरीय प्लेटिनम स्कॉच अवॉर्ड से नवाजा गया।

मुखबिर योजना हेतु दिशा–निर्देश

राज्य में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये मुखबिर योजना प्रारम्भ की गयी है। चिकित्सक को तकनीक के दुरूपयोग को रोकने के लिये गोपनीय रूप से सूचना जनता से प्राप्त करना आवश्यक है तथा ऐसी सूचना को प्रदान करने के लिये जनता को अभिप्रेरित करना भी आवश्यक है। इसमें जनसहयोग की आवश्यकता है। इस योजना के द्वारा लिंग परीक्षण के दोषी व्यक्तियो तक विभाग की पहुँच को सुनिश्चित करते हुये उन्हे कानून के दायरे में लाया जा सकता है। समाज में यह संदेश दिया जा सकता है कि लिंग परीक्षण करने/कराने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध जनसूचना के आधार पर उन्हे दण्डित कराया जा सकता है तथा इसके लिये भ्रूण लिंग परीक्षण करने वाले व्यक्ति/चिकित्सक की सूचना विभाग को देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखते हुये उसको विभाग द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।

राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी किये गये पत्र क्रमांक राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ/स्वा0 प्रबं0/2015/410 दिनांक 31.03.2015 को अधिक्रमित करते हुये राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी ''मुखबिर योजना'' से संबंधित दिशा निर्देश, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की बैठक दिनांक 03.02.2017 में लिए गये निर्णय अनुसार निम्न प्रकार संशोधित कर जारी किये जाते है :–

मुखबिर योजना के उद्देश्य :–

1. समाज मे घटते हुए बाल लिंगानुपात पर रोक लगाने का प्रयास करना।
2. ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही कर उन्हें कानून के शिकंजे में लाना जो कि तकनीक का दुरूपयोग से भ्रूण का लिंग परीक्षण कर बेटियों को जन्म लेने से रोक रहे है।
3. समाज को बेटी बचाने के लिये जागरूक करना व इस कार्य के लिये उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना।
4. गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक के दुरूपयोग को रोकना।

मुखबिर योजना के लाभ :–

यदि लोग इस योजना के द्वारा चिकित्सकों को भ्रूण लिंग परीक्षण में लिप्त पाये जाने पर कानून के दायरे में लाने के लिये मदद करते है, तो उन चिकित्सकों में भय का वातावरण पैदा होगा जो तकनीक के दुरूपयोग से बेटी के जन्म को रोक रहे है।

कार्य नीति :–

मुखबिर द्वारा की गयी भ्रूण लिंग परीक्षण किये जाने की सूचना के आधार पर, समुचित प्राधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी, समुचित प्राधिकारी द्वारा सूचना का सत्यापन किया जायेगा। सूचना के सत्यापन में बोगस ग्राहक (गर्भवती महिला) की उपलब्धता के आधार पर डिकॉय कार्यवाही सम्पादित की जायेगी, जिसमें मुखबिर द्वारा दी गयी सूचना एवं सहयोग में चिकित्सक का नाम तथा गर्भवती महिला के भ्रूण का लिंग परीक्षण किया जाना साबित होने पर, मुखबिर पुरस्कार के प्रथम किस्त का हकदार होगा।

मुखबिर योजना हेतु विभाग द्वारा निर्धारित पुरस्कार :–

1. सफल डिकॉय ऑपरेशन करवाने पर सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दो लाख पचास हजार रूपये स्वीकृत की जायेगी।
2. प्रोत्साहन राशि रूपये दो लाख पचास हजार में से 40 प्रतिशत मुखबिर, 40 प्रतिशत गर्भवती महिला एवं 20 प्रतिशत गर्भवती महिला का सहयोगी को निम्न तीन किस्तो मे दी जायेगी :–

क्र0 सं0	कुल प्रोत्साहन राशि 2,50,000/—(रूपये दो लाख पचास हजार रूपये मात्र)	मुखबिर 40% (1,00,000 रूपये)	गर्भवती महिला 40%(1,00,000 रूपये)	गर्भवती महिला का सहयोगी 20% (50,000 रूपये)
1	प्रथम किस्त :— डिकॉय ऑपरेशन के तुरन्त बाद	33,250 /—	33,250 /—	16,625 /—
2	द्वितीय किस्त :— न्यायालय में बयान के दौरान डिकॉय ऑपरेशन की स्पष्ट पुष्टि करने के पश्चात	33,250 /—	33,250 /—	16,625 /—
3	तृतीय किस्त :— न्यायालय के निर्णय के पश्चात	33,500 /—	33,500 /—	16,750 /—
		1,00,000 /—	1,00,000 /—	50,000/—

3. डिकॉय ऑपरेशन के लिये गर्भवती महिला को सोनोग्राफी फीस राशि व अन्य व्यय का अग्रिम भुगतान समुचित प्राधिकारी द्वारा मुखबिर योजना की मद संख्या ।ण्7ण्2ण्3 में से स्वीकृत किया जायेगा।

5. मुखबिर योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सूचना :—

राज्य स्तर पर :—

1. अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी।
2. राज्य नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं निदेशक (प0क0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
3. उप निदेशक (आरसीएच) एवं प्रभारी राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
4. प्राधिकृत अधिकारी, राज्य समुचित प्राधिकारी।

जिला स्तर पर :—

1. जिला समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं जिला कलक्टर।
2. जिला नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।

उपखण्ड स्तर पर :—

1. उपखण्ड समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं जिला स्तरीय चिकित्सा अधिकारी।

मुखबिर बनने की सूचना 104/108 टोल फ्री सेवा पर भी दी जा सकती है।

- उक्त दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2017—18 से प्रभावी होंगे।

डिकॉय ऑपरेशन संपादित किये जाने हेतु मार्गदर्शिका

1. प्रस्तावना :–

राज्य में चिकित्सकों को गर्भधारण–पूर्व एवं प्रसव–पूर्व निदान तकनीक के दुरूपयोग को रोकने के लिए गोपनीय रूप से सूचना जनता से प्राप्त करना आवश्यक है तथा ऐसी सूचना को प्रदान करने के लिए जनता को अभिप्रेरित करना भी आवश्यक है, इसके लिए ''मुखबिर योजना'' विभाग द्वारा लागू की गई है, इसमें जनसहयोग की आवश्यकता है। मुखबिर की सूचना पर आवश्यक हो जाता है कि डिकॉय ऑपरेशन किया जाकर दोषी चिकित्सक को गर्भधारण–पूर्व एवं प्रसव–पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के दायरे में लाया जावें।

2. डिकॉय ऑपरेशन के उद्देश्य :–

a. राज्य मे घटते हुए बाल लिंगानुपात पर रोक लगाने का प्रयास।

b. गर्भधारण–पूर्व एवं प्रसव–पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 का प्रभावी क्रियान्वयन।

3. कार्य नीति :–

डिकॉय ऑपरेशन संपादित करने के लिए निम्न मार्गदर्शिका प्रस्तुत की जा रही है, जो न्युनतम मानदण्ड दर्शाती है जिससे की गर्भधारण–पूर्व एवं प्रसव–पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध साक्ष्य जुटाऐं जा सके।

4. समुचित प्राधिकारी हेतु दिशा–निर्देश :–

a. ऐसे चिकित्सक/पंजी.त केन्द्रों की सूची तैयार की जावे जहां लिंग चयन किया जाना संदिग्ध है।

b. इस हेतु गैर सरकारी संगठनों/सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि की मदद ली जा सकती है।

c. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर संविदा पर कार्य कर चुके पूर्व कर्मचारियों की जिलेवार सूची बनाई जावें जिसे राज्य स्तर पर संकलित की जावे। ऐसे व्यक्ति/महिला वर्तमान में कहां पर कार्यरत है, सूची में अंकित किया जावे।

5. डिकॉय ऑपरेशन हेतु कार्य नीति :–

निम्न मानदण्ड समस्त उन लोगों (विभाग के अधिकारी/कर्मचारी) पर लागू होंगे जो कि समुचित प्राधिकारी/प्राधि.त अधिकारी के साथ डिकॉय ऑपरेशन हेतु सहयोग करेंगे :–

a. डिकॉय ऑपरेशन, संबधित समुचित प्राधिकारी के पर्यवेक्षण मे किया जावेगा।

b. उचित रहेगा की डिकॉय ऑपरेशन संपादित किये जाने से पहले एवं बाद में फोटो लिये जावें या निरन्तर विडियो रिकोर्डिंग की जावे ताकि आवश्यकता पड़ने पर डिकॉय की याददास्त हेतु उसे दिखाया जा सके। विडियों रिकॉर्डिंग किये जाने हेतु संबंधित व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जा सकती है।

c. डिकॉय ऑपरेशन के दौरान विडियो, ओडियो की गुप्त रिकार्डिंग भी की जा सकती है।

d. डिकॉय ऑपरेशन हेतु जिला स्तर पर निर्णय लिया जाकर उपयोग में आने वाले उपकरण खरीदे

जा सकते है।

e. बोगस गर्भवती महिला का असली पता सुरक्षा व अन्य कारणों से छिपाकर कार्यवाही के दौरान बोगस नाम व पता रखा जाये।

f. बोगस गर्भवती महिला के जन्म लेने वाले शिशू के लिये बीमा पॉलिसी का प्रावधान रखा जाये।

g. बोगस गर्भवती महिला के साथ जहां तक संभव हो सादे कपडों में महिला पुलिस कार्मिक को भेजा जाये1

6. डिकॉय ऑपरेशन पूर्व तैयारी :–

a. गैर सरकारी संगठन की सहायता से यथासंभव ऐसी महिला तैयार की जावे, जो गर्भवती हो एवं इस कार्य में स्वेच्छा से सहयोग प्रदान करें तथा उसका मेडिकल चेकअप करवाया जावे या गर्भवती होने के प्रमाण पत्रावली पर लिये जावे ताकि साक्ष्य में यह सुनिश्चित किया जा सके की वह गर्भवती है। गर्भवती महिला से इस आशय का शपथपत्र लिया जावें की वह स्वैच्छा से जनहित मे उक्त कार्य मे सहयोग दे रही है, तथा वह अपने गर्भ में पल रहे भ्रूण का लिंग पता नहीं करवाना चाहती, भ्रूण के लिंग का पता चलने पर गर्भसमापन नहीं करवाएगीं।

b. गर्भवती महिला का चयन करते समय विशेष रूप से ध्यान रखा जायें कि उक्त महिला को 14 से 22 सप्ताह का गर्भ हो।

c. उपयोग में लिये जाने वाले रूपयों की छायाप्रति करवाकर फर्द बनाकर रूपये डिकॉय को सुपुर्द किये जावे।

d. चिकित्सक/पंजी.त केन्द्र को चिन्हित किया जावे।

e. उचित होगा की गैर सरकारी संगठन के सदस्य/सामाजिक कार्यकर्ता को इस कार्य में सहयोगी के रूप में लिया जावें जिनका विवरण स्पष्ट रूप से रखा जावें।

f. जिस क्षेत्र में डिकॉय ऑपरेशन सम्पादित किया जाना है उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन के दूरभाष नम्बर ले लिये जावें। आवश्यकतानुसार स्थानीय पुलिस को समय पूर्व सूचित किया जावे जिससे आवश्यकता पड़ने पर उचित मदद ली जा सके।

7. डिकॉय ऑपरेशन की रूपरेखा :–

a. पूरे ब्योरे की नोटशीट तैयार की जावें ''रवानगी से अन्त तक''

b. समस्त सूचनाओं का संकलन किया जावे, जैसे :– डिकॉय हेतु महिला का पता एवं उसके गर्भवती हाने के प्रमाण पत्र, अन्य सहयोगी/गवाह, चिकित्सक का पूर्ण पता आदि।

c. एक टीम गठित की जावे जिसमें ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हो जो ''बेटी बचाओ'' अभियान हेतु कार्य कर रहे हो एवं सूचना को लीक न करें। टीम का गठन आवश्यकता अनुसार किया जावें।

d. डिकॉय की पहचान को गुप्त रखते हुए डिकॉय ऑपरेशन पूर्ण गोपनीय रूप से संपादित किया जावे। टीम के सदस्य संयम से अपनी भूमिका निभाये।

e. टीम के प्रत्येक सदस्य को ब्रीफ किया जाकर उसकी भूमिका समझा दी जावे एवं कोई सन्देह हो तो समाधान किया जावे।

f. डिकॉय ऑपरेशन की सूचना टीम के सदस्यों के अलावा किसी को उजागर न हो। किसी कारणवश मिडिया पहुंच जावे तो उससे उचित दूरी बनाये रखे।

g. डिकॉय के दौरान ओडियो टेप/विडीयो टेप का प्रयोग किया जाकर चिकित्सक और डिकॉय के मध्य की वार्तालाप को रिकार्ड किये जाने का प्रयास किया जावें तथा उसे न्यायालय मे साक्ष्य के रूप मे प्रयोग किया जावें।

h. टीम अपने साथ निरीक्षण एवं अनुसंधान किट साथ ले।

8. डिकॉय ऑपरेशन के दौरान कार्यवाही :–

a. डिकॉय ऑपरेशन से पूर्व डिकॉय एवं पूरी टीम को ब्रीफ किया जावे। टीम के प्रत्येक सदस्य को उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य स्पष्ट हो।

b. डिकॉय ऑपरेशन सुनियोजित तरीके से संपादित किया जावे।

c. डिकॉय एवं उसके साथ एक सहयोगी को एक स्थान पर छोडकर अन्य टीम के सदस्य उसके बुलावे का इन्तजार करे (बुलावे के लिये कोई संकेत तय किया जा सकता है)।

d. डिकॉय संदिग्ध चिकित्सक के पास जाकर अपनी भूमिका निर्देशानुसार निभाये।

e. लिंग जाँच हो जाने के पश्चात, डिकॉय अपने टीम लीडर को संकेत से बुलाये एवं टीम लीडर आवश्यक कार्यवाही शुरू करे।

f. टीम द्वारा संदिग्ध क्लिनिक/स्थान/वाहन आदि के समस्त द्वारा बन्द कर दिये जावें। किसी भी व्यक्ति को अंदर से बाहर एवं बाहर से अंदर जाने की इजाजत नही हो।

g. टीम के पहुंचने के पश्चात आरोपी चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ के मोबाईल फोन बन्द कर दिये जावे एवं किसी फोन से कोई फोन करने की इजाजत नही दी जावे।

h. आरोपी चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ को जहां के तहां बैठे रहने की हिदायत की जावे।

i. डिकॉय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। इस कार्य के लिये टीम में से एक सदस्य को पूर्व से ही मनोनीत किया जावे एवं डिकॉय को उस स्थान से सुरक्षित बाहर ले जाने की व्यवस्था करें ताकि किसी प्रकार की हानि नही हो।

j. चिकित्सालय/क्लिनिक का समुचित प्राधिकारी/प्राधि.त अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाकर पीसीपीएनडीटी इन्सपेक्शन रिपोर्ट (च्प्त्) भरते हुए अधिनियम का उल्लंघन पाये जाने पर फार्म बी, फार्म एफ, ओपीडी रजिस्टर, जन्म रजिस्टर, रेफरल स्लिप, सोनोग्राफी मशीन इत्यादि को सील/सीज किया जावें तथा आवश्यकता पडने पर एफएसएल की मदद ली जावे, ट्रेकर/साइलेन्ट आब्जर्वर या अन्य उपकरण को भी सीज किया जावें, समस्त रिकार्ड को जब्त कर सील/सीजर की कार्यवाही दो निष्पक्ष गवाहों की उपस्थिति में आवश्यकतानुसार की जावे।

k. चिकित्सालय परिसर में अपंजीकृत सोनोग्राफी मशीन या इससे संबंधित दस्तावेजों के बरामदगी

हेतु निरीक्षण किया जावें।

l. सील/सीजर मीमो तैयार कर इसकी एक प्रति आरोपी चिकित्सक को दी जावे एवं उससे रूपये आदि बरामद हो तो उसकी भी जब्ति बनाकर उसे लिफाफे मे सील किया जावें। चिकित्सक द्वारा डिकॉय महिला से लिये गये रूपयों को जब्त कर पूर्व में कराई गई रूपयों कि छाया प्रति से नोट के नम्बर का मिलान कर यह सुनिश्चित करे कि नोट वही है जो डिकॉय सम्पादन के पूर्व महिला को दिये गये थे।

m. गिरतारी कानून अनुसार की जावे।

n. कानून अनुसार मुलजिमान के हस्ताक्षर प्रत्येक फर्द, जब्ती, गिरतारी आदि पर करवाये जावें।

o. महिलाओं की तलाशी महिला टीम सदस्य से करवायी जावे।

p. डिकॉय आपरेशन के समस्त सदस्य टीम लीडर के प्रति उत्तरदायी हो एवं ऑपरेशन के दौरान भद्रता से पेश आवे।

9. डिकॉय ऑपरेशन संपादित किये जाने के पश्चात के दिशा–निर्देश :–

a. डिकॉय को तुरन्त सुरक्षित स्थान पर ले जाया जावें ताकि आरोपी चिकित्सक उसकी पहचान नही जान सके ताकि भविष्य में उसे डरा/धमका नहीं सके तथा परामर्श किया जाकर उसे अपने घर पहुंचाया जावे।

b. सम्पूर्ण डिकॉय ऑपरेशन को डायरी/नोटशीट पर वर्णित करे जिसमें किये गये प्रत्येक कार्य का उल्लेख हो एवं निष्पक्ष गवाहों की उपस्थिति में समस्त कार्य सम्पादन हो। आरोपी चिकित्सक एवं उसके सहयोगियों के बयान लेखबद्ध किये जावें।

c. साक्ष्यों एवं गर्भवती महिला के बयान/वचन लेखबद्ध किये जाकर एक प्रति उन्हें देते हुए समस्त अभिलेख (इलेक्ट्रानिक या अन्यथा) को कब्जे मे लिया जावें एंव समुचित प्राधिकारी की अभिरक्षा में रखा जावें।

d. केंद्र में अधिनियम का उल्लंघन पाये जाने पर सलाहकार समिति की उक्त केंद्र के रजिस्ट्रेशन को निलम्बित करने या निरस्त करने के लिये सलाह ली जाकर समुचित प्राधिकारी उचित निर्णय लेवे।

e. डिकॉय के पश्चात शीघ्र जाँच एंव अनुसंधान समाप्त किया जाकर निष्कर्ष पर पहुंच कर विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया जावे जिसमें अधिनियम के समस्त उल्लंघनों का वर्णन हो एवं अधिनियम की गंभीरता बताये हुये इसका समाज पर प्रभाव के बारे में भी अवश्य लिखे यदि दौराने अनुंसधान किसी अन्य अधिनियम या भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों का भी आवश्यकतानुसार उल्लेख करे।

10. विशेष ध्यान रखने योग्य बाते :–

a. आवश्यकतानुसार पुलिस की सहायता प्राप्त की जा सकती है।

b. यह विशेष रूप से ध्यान रखा जावे की डिकॉय को संदिग्ध चिकित्सक या अन्य व्यक्ति द्वारा प्रभावित नहीं किया जावे तथा साक्षी के रूप में उसको आवश्यकतानुसार विधिक सहायता प्रदान

की जावे।

c. डिकॉय के साथ अन्य महिला प्रतिनिधी सहयोगी के रूप में सम्पूर्ण ऑपरेशन में अवश्य साथ रहें।

d. डिकॉय को कोर्ट की प्रक्रिया के बारे में अवश्य जानकारी दी जावे। ताकि वह मानसिक रूप से आगे सहयोग के लिये अपने आप को तैयार रखे एवं समय समय पर उसे कि गयी कार्यवाही से अवगत कराते रहे।

e. यह अनुशंसा की जाती है कि डिकॉय ऑपरेशन का शीघ्र अनुसंधान किया जाकर इसे विधिक लक्ष्य तक पहुचाया जावे एवं उसके पश्चात भी यह सुनिश्चित किया जावे कि न्याय में देरी न हो एवं अभियुक्त छूट न जावे। शीघ्र कार्यवाही से डिकॉय का संबल बढ़ेगा।

11. **थाने में एफआईआरः** –सफल डिकॉय ऑपरेशन के पश्चात समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने की कार्यवाही करें।

पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानानुसार राज्य में समस्त संवैधानिक समितियों जैसे राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड, राज्य/जिला/उपखण्ड समुचित प्राधिकारी एवं राज्य/जिला एवं उपखण्ड सलाहकार समितियों का गठन पूर्ण है। जिन्हें राजस्थान राजपत्र में भी समय–समय पर अधिसूचित करया गया है।

अधिनियम के तहत कार्यवाहियों के प्रारूप

1. फर्द निरीक्षण/जब्ती का प्रारुप

निरीक्षण / जब्ती की दिंनाक व समय ....

निरीक्षण / जब्ती करने वाले अधिकारी का पूर्ण नाम व पता..

निरीक्षण/ जब्ती के स्थान का विवरण मय पूर्ण पता..

अन्तर्गत धारा .... पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 (जिस अपराध के लिये जब्ती की गई है उन धाराओं को अंकित किया जावें)

गवाहान के नाम व पते

1. श्री....................................
2. श्री.......................................

(सभी गवाहानका पूर्ण नाम, पिता का नाम, आयु, जाति व पता अंकित किया जावे)

आज दिंनाक................. को समय .... बजे..........मुझ ....(निरीक्षण करने वाले अधिकारी का पूर्ण नाम व पदनाम) द्वारा .... (डाईग्नोस्टिक सेंटर/ क्लिनिक आदि का पूर्ण नाम व पता) का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने पर पाया गया कि उक्त डाईग्नोस्टिक सेंटर/क्लिनिक /लैब पर श्री.................. (अभियुक्त का नाम) द्वारा जन्म पूर्व लिंग परिक्षण किया जा रहा था/ डाईग्नोस्टिक सेंटर या क्लिनिक पंजीकृत नही था/ निर्धारित प्रारुप में सूचना पट्ट नही लगा रखा था/निर्धारित रजिस्टरों का संधारण नही किया जा रहा था / फार्म एफ नही भरा जा रहा था/ सोनोग्राफी किये जाने की सूचना निर्धारित प्रारुप में नही भेजी जा रही थी/ अन्य आज्ञापक प्रावधानों का उल्लधन किया जा रहा था जो धारा .... पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 एवं नियम पीसीपीएनडीटी नियम के तहत दण्डनीय अपराध है।

चूंकि उक्त डाईग्नोस्टिक सेंटर/क्लिनिक के निम्न उपकरण/कागजात/रजिस्टर आदि को सबूत के रुप में जब्त किया जाना अति आवश्यक हो गया है। अतः उपरोक्त गवाहान व .... (प्रतिष्ठान का संचालक यदि मौजूद हो) की उपस्थिति में निम्न उपकरण/कागजात/ रजिस्टर आदि जब्त कर सील किये गये।

(जब्त किये गये उपकरण /कागजात/ रजिस्टर आदि का पूर्ण विवरण अंकित जावे)

1. ....
2. ....

फर्द निरीक्षण /जब्त तैयार की जाकर संचालक एवं गवाहान को पढकर सुनाई व समझाई गई तथा उन्होनें सुन समझकर सही मानकर हस्ताक्षर किये। जब्तशुदा आर्टिकल्स को कपडें में बंद कर सील किया गया। नमूना सील फर्द पर अंकित किये गये, सील को गवाहान के समक्ष नष्ट किया गया। फर्द जब्ती की एक प्रति उक्त–संचालक को दी गई।

हस्ताक्षर गवाह

हस्ताक्षर गवाह

हस्ताक्षर प्रतिष्ठान का स्वामी या उसका प्रतिनिधि

नमूना सील   नमूना सील

चैकिंग / जब्ती करने वाले

अधिकारी का नाम पदनाम व हस्ताक्षर

बरती जाने वाली सावधानियॉ :–

सील किये गये उपकरण / सामान का पूरा विवरण अंकित किया जावे।

1. यदि तलाशी व जब्ती के दौरान प्रतिष्ठान का स्वामी या उसका प्रतिनिधि मौजूद है तो फर्द की प्रति उसे दी जावे, हस्ताक्षर से इंकार करने पर इस आशय का नोट दर्ज किया जावे।
2. यदि निरीक्षण के समय प्रतिष्ठान का स्वामी या उसका प्रतिनिधि मौजूद नही हो या भाग गया हो या बाधा पैदा की हो तो उसका विवरण अंकित किया जावे।

तलाशी के समय स्थानीय व्यक्ति मिलने पर उन्हे गवाह बनाये। स्थानीय व्यक्तियों के मना करने पर या नही मिलने पर दूसरे स्थान के लोगो को गवाह बनायें कोई स्वंतत्र साक्षी नही मिलने पर दल के सदस्यों के गवाह के रुप में हस्ताक्षर कराये जावे एवं इस आशय का आवश्यक नोट फर्द जब्ती पर अंकित किया जावे।

2. निजी व्यक्ति /एन. जी.ओ द्वारा पारिवाद पेश करने से पूर्व समुचित प्राधिकारी को दिये जाने वाले नोटिस का प्रारुप

प्रेषकः– परिवादी का नाम, पिता का नाम,पता/संबंधित एन.जी.ओ. का विवरण

प्रेषित :–

समुचित प्राधिकारी
पीसीपीएनडीटी अधिनियम, एवं
जिला कलेक्टर......................

विषय :– पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अन्तर्गत परिवाद पेश करने के क्रम में।

1. यह कि प्रार्थी .... एनजीओ............. का पदाधिकारी है जो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के क्षेत्र में कार्यरत है।
2. यह कि परिवादी को विश्वसनीय सूचना मिली कि कस्बा चिडावा जिला झुंझुनू में कुछ डाईग्नोस्टिक सेंटर पर मोटी रकम लेकर लिंग परीक्षण किया जाता है।
3. यह कि उक्त सूचना पर परिवादी एनजीओ द्वारा अपने प्रतिनिधियों के जरिए सूचना का सत्यापन कराया गया तो पाया गया कि .... डाईग्नोस्टिक सेंटर पर अवैध रुप से लिंग परीक्षण किया जाता है तथा उसके लिये मोटी रकम वसूल की जाती है।
4. यह कि दिनांक 05.01.2015 को दोपहर 2:00 बजे परिवादी अपने विश्वसनीय पुरुष एवं महिला साथियो को लेकर कस्बा चिडावा पहुचा जिनमें से राम सिंह व प्रमिला को स्पाई कैमरे व 5000/ रुपये दिये। दोनो को हिदायत दी कि वे पति पत्नी के रुप में .... नाम के सेंटर पर जायें संचालक से लिंग परीक्षण कराने के बारे मे बात करें, सौदेबाजी करें, उस पर विश्वास जमायें और सारी बातचीत और सोनोग्राफी की बातचीत को कैमरे में रिकार्ड करे। सोनोग्राफी के समय परिवादी के मोबाईल पर मिस काल देवें।
5. यह कि परिवादी के मोबाईल पर मिस काल आते ही परिवादी व उसका साथी श्यामसिंह उक्त केन्द्र पर पहुॅचें। केन्द्र पर ऐसा बोर्ड लगा हुआ नही था कि यहा लिंग परीक्षण नही किया जाता है या लिंग परीक्षण कराना दण्डनीय अपराध है। परिवादी ने उसी दिन का अखबार हाथ मे लेकर केन्द्र की फोटोग्राफी की। अंदर जाकर देखा तो उसका संचालक .... उक्त महिला की सोनोग्राफी कर बोला कि कृष्ण भगवान की जय। उसी समय परिवादी व उसकी टीम के सदस्यों को देखकर वह सकपकाया और कार्यवाही नही करने के लिये लालच दिया।
6. धटनाक्रम के दौरान तैयार की गई सीडी और परिवादी के साथ मौजूद रहे साक्षीगण के शपथ पत्र संलग्न है।
7. इस तरह............ डाईग्नोस्टिक सेंटर के संचाल .... ने धारा.............. पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है।

अतः आप इसके विरुद्ध सक्षम न्यायालय मे परिवद पेश करें या परिवादी को परिवाद पेश करने के लिये अधिकृत करें अन्यथा 15 दिन पश्चात परिवादी द्वारा सक्षम न्यायालय मे परिवाद पेश किया जावेगा।

नोटः– उदाहरण के तौर पर नोटिस के प्रारुप में काल्पनिक धटनाक्रम का उल्लेख किया गया है जिसके अनुरुप वास्तविक धटनाक्रम हेतु नोटिस तैयार किया जा सकता है।

3.एनजीओ/निजी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले परिवाद का प्रारुप
न्यायालय विशिष्ठ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

(पीसीपीएनडीटी प्रकरण)..

परिवाद संख्या .... सन 2014

....(नाम एनजीओ / निजी व्यक्ति)

बनाम

....(नाम एनजीओ / निजी व्यक्ति)

बनाम

....(नाम अभियुक्त / अभियुक्तगण)

परिवाद अंतर्गत धारा .... पीसीपीएनडीटी

महोदय,

परिवादी निम्न निवेदन करता है :-

1. यह कि परिवादी समाजसेवी है/एनजीओं है जो कि पंजीकृत स्वयं सेवी संगठन का पदाधिकारी है। परिवादी/संगठन (एनजीओं का नाम) कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के क्षेत्र में कार्यरत है।
2. घअनाक्रम का विवरण अंकित करें।

   लिंग परीक्षण का काल्पनिक घटनाक्रम उदाहरण के तौर पर इअंकित किया जा रहा है जिसके अनुरूप वास्तविक घटनाक्रम आवश्यक परिवर्तनों के साथ अंकित करें।
3. यह कि परिवादी को विश्वसनीय सूचना मिली कि कस्बा चिडावा जिला झुंझुनू में कुछ डाईग्नोस्टिक सेंटर्स पर मोटी रकम लेकर लिंग परीक्षण किया जाता है।
4. यह कि उक्त सूचना पर परिवादी एनजीओं द्वारा अपने प्रतिनिधियों के जरिए सूचना का सत्यापन कराया गया तो पाया गया कि .... डाईग्नोस्टिक सेंटर पर अवैध रूप से लिंग परीक्षण किया जाता है तथा उसके लिये मोटी रकम वसूल की जाती है।
5. यह कि दिनांक 05.01.2015 को 2.00 बजे परिवादी अपने विश्वसनीय पुरूष एवं महिला साथियों को लेकर कस्बा चिडावा पहुंचा जिनमें से राम सिंह व प्रमिला को स्पाई कैमरे व 5000/– रूपयें दिये । देनों को हिदायत दी कि वे पति पत्नी के रूप में .... नाम के सेंटर पर जायें संचालक से लिंग परीक्षण कराने के बारे में बात करें, सौदेबाजी करें, उस पर विश्वास जमायें और सारी बातचीत और सोनोग्राफी की गतिविधि को कैमरे में रिकार्ड करें। सोनोग्राफी के समय परिवादी के मोबाईल पर मिस काल देवें।
6. यह कि परिवादी के मोबाई पर मिस कॉल आने पर परिवादी व उसका साथी श्यामसिंह उक्त केन्द्र पर पहुंचे।
7. यह कि उक्त केन्द्र पर ऐसा बोर्ड लगा हुआ नहीं था कि यहां लिंग परीक्षण नहीं किया जाता है या लिंग परीक्षण कराना दण्डनीय अपराध है। परिवादी ने उसी दिन का अखबार हाथ में लेकर केनद्र की फोटोग्राफी की।
8. यह कि परिवादी ने अंदर जाकर देखा तो सेंटर का संचालक .... उक्त महिला की सोनोग्राफी कर भ्रूण के लिंग की जानकारी देने के आशय से बोला कि ''कृष्ण भगवान की जय''। उसी समय परिवादी व उसकी टीम के सदस्यों को देखकर वह सकपकाया और कार्यवाही नहीं करने के लिये लालच दिया।

9. यह कि परिवादी ने जिले के समुचित प्राधिकारी एवं जिला मजिसट्रेट को नोटिस दिया कि दोषी व्यहक्ति के खिलाफ परिवाद पेश किया जावें या उसे अधिकृत किया जावें अन्यथा परिवादी के द्वारा परिवाद पेश कर दिया जावेगा।

10. यह कि नोटिस की अवधि निकल जाने के बावजूद समुचित प्राधिकारी ने उक्त व्यक्ति के खिलाफ परिवाद पेश नहीं किया।

या

यह कि समुचित प्राधिकारी ने परिवादी एनजीओं को ही परिवाद पेश करने के लिये अधिकृत कर दिया। समुचित प्राधिकारी का पत्र संलग्न है। अतः परिवादी द्वारा अभियुक्तगण के खिलाफ विधिवत परिवाद पेश किया जा रहा है।

11. यह कि उक्त घटनाक्रम में की गई वीडियोग्राफी की सीडी एव ंउसकी प्रत्यालिपि परिवाद के साथ संलगन की जा रही है।

12. यह कि अभियुक्त डॉ0 .... द्वारा पीसीपीएनपडीटी अधिनियम की धारा .... का अपराध कारित किया गया है।

13. यह कि उपरोक्त संस्थान माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से न्यायालय श्रीमान को श्रवणाधिकार प्राप्त है।

14. यह कि परिवाद अंदर यम अवधि प्रस्तुत है।

अतः परिवादी की प्राथ्रना है कि उपरोक्त सेंटर के संचालक अभियुक्त .... के विरूद्ध धारा .... पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर कठोर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

....

(नाम एनजीओं)

जरिए

श्री ....

सूची दस्तावेजात

1. ....

2. ....

सूची गवाहान

१. ....

२. ....

(नाम एनजीओं)

जरिए

श्री ....

4.प्रभारी अधिकारी पुलिस थाना पीसीपीएनडीटी/पुलिस उप निरीक्षक से अनिम्न पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले परिवाद का प्रारूप

न्यायालय विशिष्ठ अपर मुख्य न्यायिक मजिसट्रेट, (पीसीपीएनडीटी प्रकरण) ....

परिवाद संख्या .... सन् **2014**

सरकार बनाम जरिये, ..., ऑफिसर इंचार्ज, ''पुलिस थाना पीसीपीएनडीटी ब्यूरों ऑफ इन्वेस्टिगेशन'' चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान ....

.... परिवादी

बनाम

1. नाम .... पिता का नाम.......... उम्र............. जाति............ पूरा पता....................... मोबाईल नं0 .. ..ईमेल आईडी................. (यदि कोई हो तो)
2. ....
3. ....
4. ....

(सभी अभियुक्तगण का विवरण अंकित करें)

.... **अभियुक्त/ अभियुक्तगण**

परिवाद अंतर्गत धारा .... पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994

महोदय,

परिवादी की और से परिवाद निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यह कि राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या होम (जी–25) दिनांक 17.09.2012 द्वारा पीसीपीएनडीटी के अंतर्गत विशेष पुलिस थाना पीसीपीएनडीटी ब्यूरों ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीापित किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार की अधिसूचना/परिपत्र दिनांक 10.01.2012 द्वारा पुलिस उपनिरीक्षक से अनिम्न रैंक के अधिकारी को इस अधिनियम में कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया गया है।
2. यह कि परिवादी (पुलिस उप निरीक्षक से अनिम्न रैंक का अधिकारी ....रैंक का नाम लिखें) है, जो वर्तमान में इंचार्ज पुलिस थाना पीसीपीएनडीटी ब्यूरों ऑफ इन्वेस्टिगेशन में पदस्थापित है।

या

यह कि पतरवादी वर्तमान में .... रैंक का अधिकारी है जो पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु विधिवत अधिकृत है।

3. घटनाक्रम का विवरण अंकित करें।

(लिंग परीक्षण का कालपनिक घटनाक्रम उदाहरण के तौर पर अंति किया जा रहा है जिसके अनुरूप वास्तविक घटनाक्रम आवश्यक परिवव्रनों के साथ अंकित करें)

4. यह कि दिनांक 05.01.2015 को परिवादी को विश्वसनीय सूचना मिली क कि एबीसी सोनोग्राफी सेंटर, रमनप नगर, जयपुर पर रकम लेकर लिंग परीक्षण किया जा रहा हैं इस सूचना पर परिवादी ने अपने साथ रामसिंह व श्यामसिंह दोपुलिसकर्मियों को साथ लिया, पडौस के प्रतिष्ठित व्यक्ति जयसिंह व वीरसिंह को गवाह बनने के लिए अनुरोध किया जा`स्वेच्छा से गवाह बनने के लिए तैयार हुए। उन्हें साथ लिकर 2.00 पीएम पर उक्त सेंटर पर पहुंचे तो एक महिला की सोनोग्राफी करता मिला। महिला ने अपना नाम रावती बताया और अपने ससुराल वालों के दबाव में लिंग परीक्षण कराना जाहिर किया। उससे उसके पति व परिजनों के नाम पूछें जिन्हें परिवाद में अभियुक्त बताया गया है। टीम को देखकर सोनोग्राफी करने वाला व्यक्ति सकपकाया और भागने लगा, जिस पर उसे अपना परिचय दिया, तसल्ली देकर पूछताछ की तो उसने अपना नाम डॉ0 .... बताया और स्वयं को उस केन्द्र का संचालक व मालिक बताया। निरीक्षण करने पर उसके कब्जे में चीन निर्मित पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन मिली, पूछताछ करने पर उसने सोनोग्राफी मशीन का कोई पंजीकरण होना नहीं बताया, तलाशी लेने पर टेबल की दराज से लाईनदार काज मिला, जिस पर कई महिलाओं के नाम अंकित थे, जिनके आगे कृष्ण दुर्गा लिखे हुए थे, तथा प्राप्त की गई रकम व काया रकम के इन्द्राज थे। गहनता से पूछताछ करने पर उक्त संचालक ने बताया कि इस कागज पर भ्रूण लिंग परीक्षण कराने आई महिलाओं का हिसाब है, जिसमें कृष्ण का मतलब लड़का और दुर्गा का मतलब लड़कीहै।

   सोनोग्राफी रजिस्टर में दिनांक 25.12.2014 के बाद का कोई इन्द्राज नहीं मिला, केन्द्र पर कुछ खाली फार्म–एफ मिलें, जिनमें डाक्टर की सील व हस्तांक्षर अंकित पाये गये, जिससे स्पष्ट है कि अयोग्य व्यक्तियों के द्वारा भी डाक्टर की अनुपस्थिति में गर्भवती महिलओं की सोनोग्राफी की जाती है। निरीक्षण करने पर ऐसा नोटिस बोर्ड भी ला हुआ नहीं मिला कि यहां लिंग परीक्षण नहीं किया जता है या लिंग परीक्षण करना दण्डनीय अपराध है।

5. यह कि मौके पर ही अल्ट्रासाउण्ड मशीन, सोनोग्राफी का रजिस्टर, लिंग परीक्षण के हिसाब के कागज जब्त किये गये। फर्द निरीखण व जब्ती मौके पर तैयार की गई।

   फर्द जब्ती पर संचालक ने हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया।

   या

   फर्द जब्ती पर संचालक ने हसताक्षर किये एवं गवाहों के भी हस्ताक्षर करायें।

   या

   गवाहों ने हस्ताक्षर करने से इंकार किया, जिस पर बतौर गवाह टीम के 2 सदस्यों के हस्ताक्षर कराये गये।

6. यह कि उक्त संचालक को गिरफ्तार किया गया एवं वापस थाने पर आकर मुकदमा नं0 .... दर्ज किया जाकर अनसंधान प्रारंभ किया गया। दौराने अनुसंधान साक्षीगण 1– .... 2– .... 3–............ 4– .... के बयान लिये गये। घटनासिल का नक्शा मौका बनाया गया। संस्थान के पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रापित की गई।

7. यह कि उक्त महिला रामवती के पसे दो पुत्रियां थी। अभियुक्त क्रम 2 व 3, उसके पति नवल सिंह व सास नाथी देवी ने उसे लिंग परीक्षण के लिए मजबूर किया और अभियुक्त क्रम –1 डॉ0 .... ने पेसे लेकर लिंग परीक्षण किया। बिना पंजीकरण के सोनोग्राफी मशीन खरीदी। लिंग परीक्षण नहीं करने व दण्डनीय अपराध होने बाबत आवश्यक सूचना पट्ट नहीं लगाया। इस तरह इन अभियुक्तगण ने धारा .... पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध किया।

8. यह कि उक्त घटना श्रीमान के क्षेत्राधिकार में घटित हुई है। अतः न्यायालय श्रीमान को मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

9. यह कि परिवाद अंदर समयावधि प्रस्तुत है।

अतः अभियुक्तगण ....पुत्र............... जाति ....उम्र............... वर्ष निवासी....................... के विरूद्ध परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि उनके विरू0 उपरोक्त अपराधों का प्रसंज्ञान लिया जाकर बाद विचारण दण्डित करने की कृपा करें।

हस्ताक्षर

प्रभारी

(परिवादी का नाम, पदनाम व पूर्ण विवरण मय सील)

सूची दस्तावेजात

१. ....

२. ....

सूची गवाहान

१. ....

२. ....

हस्ताक्षर

प्रभारी

(परिवादी का नाम, पदनाम व पूर्ण विवरण मय सील)

5.बोगस ग्राहक वाले मामले में पेश किये जाने वाले परिवाद का प्रारूप

न्यायालय विशिष्ठ अपर मुख्य न्यायिक मजिसट्रेट (पीसीपीएनडीटी प्रकरण) ....

परिवाद संख्या .... सन् 2014

नाम .... पिता का नाम......... उम्र............. जाति............ पूरा पता........................ मोबाईल नं0 .. ..ईमेल आईडी................. (यदि कोई हो तो)

बनाम

नाम .... पिता का नाम......... उम्र............. जाति............ पूरा पता........................ मोबाईल नं0 .. ..ईमेल आईडी................. (यदि कोई हो तो)

.... अभियुक्त/अभियुक्तगण

परिवाद अंतर्गत धारा .... पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994

महोदय,

परिवदी की ओर से परिवाद निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यह कि परिवादी उपखण्ड अधिकारी नवलगढ के साथ साथ पीसीपीएनडीटी अधिनियम के ख्अंतर्गत विधिवत नियुक्त समुचित प्राधिकारी है, जो इस अधिनियम के अंतर्गत परिवाद पेश करने हेतु सक्षम है। (संबंधित अधिसूचना/परिपत्र/आदेश) संलग्न है।

2. घटनाक्रम का विवरण अंकित करें।

   लिंग परीक्षण का काल्पनिक घटनाक्रम उदाहरण के तौर पर अंकित किया जा रहा है जिसके अनुरूप वास्तविक घटनाक्रम आवश्यक परिवव्रनों के साथ्त अंकित करें।

3. यह कि परिवादी को दिनांक 05.01.2015 को विश्वसनीय सूचना मिली कि एक व्यक्ति कस्ब नवलगढ़ में सरकारी अस्पताल के पास के मकान में मोटी रकम लेकरचायनीज पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन से भ्रूण लिंग परीक्षण करता है। इससूचना पर एक टीम गठित की गई। रामलाल एवं केसरबाई को बुलाकर सूचना के बारे में बतमाया तो वे कार्यवाही में स्वेच्छा से भाग लेने पर सहमत हुए, जिस पर उन्हें एक–एक हजार रूपयें के 5 नोट अर्थात 5000/– रूपयें लघु हस्ताक्षर कर दिये एवं साथ में स्पाई कैमराािी दिया ओर इस हिदायत के साथ दोनों को भेजा कि वे सरकारी अस्पाताल के पास स्थित मकान में व्यक्ति से भ्रूण लिंग परीक्षण के बारे में बाते करें, पूरी बातचीत रिकार्ड करें ओर जैसे ही वह व्यक्ति रूपयें लेकर भ्रूण लिंग परीक्षण करने लगे तो मिस काल देकर ईशारा करें या परिवादी के मोबाई पर मिस्ड कॉल दें।

4. यह कि परिवादी की टीम ने पड़ौस में प्रतिष्ठित जयसिंह व वीरसिंह को बुलाया। अनुरोध करने पर वे

गवाह बनने हेतु तैयार हुए। उन्हें साथ लेकर परिवादी व उसकी टीम थोडी दूर पर छिपकर खडी हो गई। थोडी देर में बोगस ग्राह का मिस्ड कॉल आने पर परिवादी तथा उसकी टीम व गवाह मौके पर पहुंचे तो एक व्यक्ति उक्त केसरबाई की सोनोग्राफी करता हुआ मिला। हमारी टीम को देखकर उसने भागने की कोशिश की। तसल्ली सेपूछताछ करने पर उसने सोनोग्राफी मशीन का कोई पंजीकरण नहीं बताया तथा कहा कि वह चीन निर्मित सोनोग्राफी मशीन नागालैण्ड से खरीकर लाया है जिससे वह लिंग परीक्षण करता है। इस पर कमरे की तलाशी ली गई। तलाशी लेने पर टेबल की दराज से 15000/– रूपयें मिले जिनमें परिवादी के लघुहस्ताक्षरित 5000/– रूपयें भी थे। एक लाईनदार कागज मिला, जिस पर कई महिलाओं के नाम अंकित थे, जिनके आगे कृष्ण–दुर्गा लिखे हुए थे, आगे प्राप्त की गई रकम व बकाया रकम के इनद्राज थे। गहनता से पूछताछ करने पर उक्त संचालक ने बताया कि यह भ्रूण लिंग परीक्ष कराने आई महिलाओं का हिसाब है, जिसमें कृष्ण का मतलब लड़का और दुर्गा का मतलब लड़की है।

5. यह कि मौके पर ही अल्ट्रासाउण्ड मशीन, लिंग परीक्षण के हिसाब के कागज तथा धनराशि जब्त किये गये। फर्द निरीक्षण/जब्ती मौके पर तैयार की गई।

   फर्द जब्ती पर संचालक ने हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया।

या

   फर्द जब्ती पर संचालक ने हसताक्षर किये एवं गवाहों के भी हस्ताक्षर करायें।

या

   गवाहों ने हस्ताक्षर करने से इंकार किया, जिस पर बतौर गवाह टीम के 2 सदस्यों के हस्ताक्षर कराये गये।

6. यह कि उक्त संचालक को गिरफ्तार किया गया एवं वापस थाने पर आकर मुकदमा नं0 .... दर्ज किया जाकर अनसंधान प्रारंभ किया गया। दौराने अनुसंधान साक्षीगण 1– .... 2– .... 3–............. 4– .... के बयान लिये गये। घटनासिल का नक्शा मौका बनाया गया।

7. यह कि उपरोक्तानुसार अभियुक्त .... पुत्र ....जाति..............उम्र............ वर्ष निवासी............... के विरूद्ध पीसीपीएनडीटी अधिनियम की धारा .... का अपराध साबित है।

8. यह कि उक्त घअना श्रीमान के क्षेत्राधिकार में धटित हुई है। अतः न्यायालय श्रीमान को मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

9. यह कि परिवाद अंदर समयावधि प्रस्तुत है।

   अतः अभियुक्त......................पुत्र.................जाति.........उम्र.......वर्ष निवासी.................के विरूद्ध परिवाद

प्रस्तुत कर निवेदन है कि उसके विरूद्ध उपरोक्त अपराधों का प्रसंज्ञान लिया जाकर विचारण दण्डित करने की कृपा करें।

हस्ताक्षर

प्रभारी

(परिवादी का नाम, पदनाम व पूर्ण विवरण मय सील)

सूची दस्तावेजात

1. ....

2. ....

सूची गवाहान

1. ....

2. ....

हस्ताक्षर

प्रभारी

(परिवादी का नाम, पदनाम व पूर्ण विवरण मय सील)

महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं

सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

Rajbil/2000@1717
Rajasthan Gazette]
Extraordinary

Published By Authority

आषाढ 13, शुक्रवार शाके 1925–जुलाई 4, 2013
Asadha 13, Friday Saka 1925- July 4, 2003

भाग 1 (ब)
महत्वपूर्ण सरकारी आशाये
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 1, 2003

संख्या एफ 23 (2) चिकि. एवं स्वा. ग्रुप 312003 पार्ट गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 16 ए की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड का निम्नानुसार गठन करती है –

1. राज्य मंत्री, परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। — अध्यक्ष
2. शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, जयपुर। — उपाध्यक्ष
3. शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
4. शासन सचिव, समाज कल्याण विभाग,जयपुर।
5. शासन सचिव, विधि विभाग, जयपुर।
6. शासन सचिव, आयुर्वेद एवं होम्योपैथी विभाग, जयपुर।
7. निदेशक (परिवार कल्याण), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
8. राजस्थान विधान सभा को तीन महिला सदस्य (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)
9. सामाजिक विज्ञानी (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)
10. विधि विशेषज्ञ (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत) गैर सरकारी संस्थाओं की दो विख्यात सक्रिय महिला कार्यकर्ता (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)
11. दो विख्यात स्त्री एवं प्रसुती रोग विशेषज्ञ (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)
12. विख्यात शिशु रोग विशेषज्ञ (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)
13. विख्यात अनुवाशिंकी रोग विशेषज्ञ (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)
14. विख्यात रेडियोलोजिस्ट (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)
15. विख्यात सोनोलोजिस्ट (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)
16. अतिरिक्त निदेशक (प.क.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर। — सदस्य सचिव

नोट –

1. राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की बैठक प्रत्येक चार माह में अवश्य होगी।

2'. राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड में क्र.स. 8 से 16 में उल्लेखित सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,
डी.एन. पाण्डे,
उप शासनसचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

सत्यमेव जयते

Rajbil/2000@1717
Rajasthan Gazette]
Extraordinary

Published By Authority

अग्रहायण 22, गुरूवार शाके 1934–दिसम्बर 13, 2012
Agrahayana, 22, Thursday, Saka, 1934, Dec. 13, 2012

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आशाये

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 29, 2012

संख्या एफ 23 (2) चिस्वा./गुप–3/2003 पार्ट : गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 (1994 का अधिनियम संख्याक 57) की धारा 16 ए की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग द्वारा जारी पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ.23 (2) चिकि. एवं स्वा/ग्रुप–3/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 01.07.2003 जिससे राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन किया गया था में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात –

उक्त अधिसूचना में विद्यमान क्र.स. 1,2,3,4,5 एवं 6 एवं उनकी प्रविष्टियों को क्रमशः निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता हैं अर्थात

1. प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान अध्यक्ष
2. प्रभारी सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान उपाध्यक्ष
3. प्रभारी सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर या उनके प्रतिनिधि
4. प्रभारी सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर या उनके प्रतिनिधि
5. प्रभारी सचिव, विधि विभाग, जयपुर या उनके प्रतिनिधि
6. प्रभारी सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर या उनके प्रतिनिधि

राज्यपाल की आज्ञा से,
राज्यपाल की आज्ञा से
चुन्नीलाल कायल
शासन उप सचिव

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

सत्यमेव जयते

Rajbil/2000@1717
Rajasthan Gazette]
Extraordinary

Published By Authority

भाद्र 18, मंगलवार शाके 1936–सितम्बर 9, 2014
Bhadra 18 Tuesday, Saka 1936-September 9, 2014

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आशाये

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग अधिसूचना

जयपुर, 3 सितम्बर 2014

संख्या एफ 23 (2) चिकि. एवं स्वा./ग्रुप–3/2003 पार्ट : गर्भधारण पूर्व और प्रसव–पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) 1994 की धारा 1 एस ए उप –धारा (2) के खण्ड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग के समसख्ंयक अधिसूचना दिनांक 01.07.2003 से गठित राजय पर्यवेक्षण बोर्ड में क्रम संख्या 8 पर उल्लेखित सदस्यों के रूप में निम्नलिखित महिला विधान सभा सदस्य को मनोनीत किया जाता है –

1. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, माननीय विधायक, रामगंजमण्डी (कोटा)
2. श्रीमती अल्का सिंह गुर्जर, माननीय विधायक, बांदीकुई (दौसा)
3. श्रीमती अनिता भदेल, माननीय विधायक, अजमेर (दक्षिण)

उक्त सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन वर्ष का होना

राज्यपाल की आज्ञा से
चुन्नीलाल कायल
शासन उप सचिव

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

सत्यमेव जयते

Rajbil/2000@1717
Rajasthan Gazette]
Extraordinary

Published By Authority

ज्येष्ठ 4, सोमवार, शाके 1937–मई 25, 2015
Jyaistha 4 Monday, Saka 1937-May 25, 2015

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आशाये

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग अधिसूचना

जयपुर, मई 21, 2015

संख्या एफ 23 (2) चिकि. एवं स्वा./ग्रुप–3/2003 पार्ट : गर्भधारण पूर्व और प्रसव–पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) 1994 की धारा 16 ए की उप धारा (2) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड के गठन हेतु पूर्व में विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूयना दिनांक 01.07.2003 के क्रम में संख्या 9 से 16 पर उल्लेखित सदस्यों का निम्नानुसार मनोनयन करती है :–

1. डॉ. नीता पाटनी (सामाजिक विज्ञानी)
2. श्री कान सिंह राठौड, (विधि विशेषज्ञ)
3. श्रीमती सीमा दया (महिला कार्यकर्ता)
4. श्रीमती मंजू शर्मा (महिला कार्यकर्ता)
5. डॉ. सुमन मेहन्दी रत्ता (महिला रोग विशेषज्ञ)
6. डॉ. मृदुल गहलोत (महिला रोग विशेषज्ञ)
7. डॉ. तरूण पाटनी (अनुवांशिकी विज्ञानी)
8. डॉ. सुषमा शर्मा (अनुवांशिकी विज्ञानी)
9. डॉ. सतीश जैन (रेडियोलॉजिस्ट)
10. डॉ. गोपाल सिंह भाटी (सोनोलोजिस्ट)

उक्त सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन वर्ष का होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से
नीतू बारूपाल
शासन उप सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप–तृतीय
शासन सचिवालय (राज0)

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

सत्यमेव जयते

Rajbil/2000@1717
Rajasthan Gazette]
Extraordinary

Published By Authority

श्रवण 3, बुधवा, शाके 1923– जुलाई 25, 2001
Sravama 3, Wednesday, Saka 1923-July 25, 2001

नियुक्तियों, छुट्टियों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियाँ

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग

अधिसूचनायें

जयपुर, जुलाई, 25, 2001

संख्या न. 12 (38) वि. 5/94–तृतीय : प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राज्य के समपूर्ण क्षेत्र लिए निदेशक (प.क.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर को समुचित प्राधिकारी नियुक्त करती है '

जयपुर, जुलाई 25, 2001

संख्या न. 12 (38) वि. 5/94–पार्ट –तृतीय :प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राज्य के समपूर्ण क्षेत्र लिए नियुक्त समुचित प्राधिकारी को उनके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने एवं सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन करती है। जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे –

1. सवाईमानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग का विभागाध्यक्ष।
2. सवाईमानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर के शिशु रोग विभाग का विभागाध्यक्ष
3. आनुवांशिकी विज्ञानी (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)
4. तीन विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें से कम से कम एक महिला संगठन के प्रतिनिधि में से होगा तथा
5. निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर में कार्यरत उप विधि परामर्श।

नोट –

1. सलाहकार समिति में क्रम से एक व दो पर अंकित सदस्यों में से जो भी वरिष्ठ होगा, वह सलाहकार समिति का अध्यक्ष होगा।
2. सलाहकार समिति में क्रम सं 1, 2, 5 एवं 6 के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का रहेगा।
3. सलाहकार समिति किन्ही दो बैठकों को मध्य 60 दिवस से अधिक का अन्तराल नहीं होगा।

आज्ञा से
पी. लाल,
उप शासन सचिव

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

Rajbil/2000@1717
Rajasthan Gazette]
Extraordinary

Published By Authority

सत्यमेव जयते

आषाढ़ 13 शुक्रवार, शाके 1925–जुलाई 4, 2003
Asadha 13, Friday, Saka 1925-July, 4, 2003

भाग 1 (क)
नियुक्तियों, छुट्टियों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियाँ
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग अधिसूचना
जयपुर, जुलाई, 1 2003

संख्या एफ 23 (2) चिकि. एवं स्वा. । ग्रुप–3 । 2003 । पार्ट : गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक प. 12 (38) चिकि. 5194–पार्ट–तृतीय दिनांक 25 जुलाई, 2001 को अधिक्रमित करते हुए राज्य सरकार राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए समुचित प्राधिकारी की नियुक्ति निम्नानुसार करती है '

1. निदेशक (परिवार कल्याण) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की नियुक्ति सेवाऐं निम्नानुसार करती हैं – अध्यक्ष
2. महिला संगठन से सम्बन्धित एक विख्यात महिला कार्यकर्ता (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत) – सदस्य
3. राज्य के विधि विभाग का एक अधिकारी (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत) – सदस्य

आज्ञा से
डी.एन. पाण्डे,
उप शासन सचिव

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

Rajbil/2000@1717
Rajasthan Gazette]
Extraordinary

Published By Authority

सत्यमेव जयते

माघ 18 शुक्रवार, शाके 1938–फरवरी 7, 2017
Magha 18, Tuesday, Saka 1938, February, 7, 2017

भाग 4 (ग) उपखण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राजय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 2, 2017/

एस.ओ. 133 :– गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उपधारा (2) सपठित उप धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ–23 (2) चिकि. एवं स्वा./ग्रुप–3/2003/पार्ट दिनांक 01.07.2003 समय समय पर यथा संशोधित में निम्नलिखित संशोधन करती है।

अर्थात –

संशोधन

उक्त अधिसूचना में विद्यमान अभिव्यक्ति ''विशिठ शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें'' के स्थान पर ''शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग'' प्रतिस्थापित किया जावेगा।

(संख्या प.23 (2) चिस्वा/ग्रुप–3/2003 पार्ट)
राज्यपाल की आज्ञा से
अजय असवाल,
संयुक्त शासन सचिव,

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

सत्यमेव जयते

Rajbil/2000@1717
Rajasthan Gazette]
Extraordinary

Published By Authority

आषाढ़ 30, मगवाल, शाके 1937–जुलाई 21, 2015
Asadha 13, Tuesday, Saka 1937-July, 21, 201

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 16, 2015

संख्या एफ 23 (2) चिकि. एवं स्वा./2003। पार्ट : गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 57) की धारा 17 की उप धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए नियुक्त समुचित प्राधिकारी को उनके कार्यों के निर्वहन में सहायता एवं सलाह दने के लिए इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 12 (38) चि.5/पार्ट तृतीय दिनांक 25.07.2001 से गठित सलाहकार समिति में क्रम संख्या 4 में उल्लेखित तीन विख्यात सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में निम्न का मनोनयन किया जाता है।

1. श्रीमती भावना जगवानी, 56 गीतापथ, सूरज नगर वेस्ट, सिविल लाइन्स, जयपुर।
2. डॉ. अम्बला बत्रा, डी–49, सुभाष मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।
3. श्रीमती रूपा नेत्रा, अलंरकर्त्रा विला, 125 आनन्द नगर, सिरसी रोड़, जयपुर।

उक्त मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन वर्ष का होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से
नीतू बारूपाल,
उप शासन सचिव,

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

Rajbil/2000@1717
Rajasthan Gazette]
Extraordinary

Published By Authority

सत्यमेव जयते

ज्येष्ठ 30, बुधवार, शाके 1923–जून 20, 2001
Jyaisiha 30, Wednesday,, Saka 1923-June, 20, 2001

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें

चिकित्सा (ग्रुप–5) विभाग अधिसूचना

जयपुर, जून, 16, 2001

संख्या प. 12 (38) चिकि. 5/94–पार्ट :–तृतीय प्रसव पूर्व निदान तकनीकी (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में पूर्व में जारी समस्ति आज्ञाओं को अधिक्रमित करते हुए राज्य सरकार जिला स्तर पर उपखण्ड स्तर पर निम्नानुसार 2 समुचित अधिकारी नियुक्त करती है :–

जिला स्तर पर :–

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी – सम्पूर्ण जिले के लिए

उपखण्ड स्तर पर :–

1. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) – जिला मुख्यालय पर स्थित उप खण्ड के लिए
2. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी – संबंधित उपखण्ड के लिए (जिला मुख्यालय पर स्थित उप खण्ड के अतिरिक्त)

जयपुर, जून 16, 2001

संख्या प. 12 (38) चिकि. 5/94–पार्ट–तृतीय प्रसव पूर्व निदान तकनीकी (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार समस्त समुचित प्राधिकारियों को उनके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने एवं सलाह देने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक सलाहकार समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नांकित सदस्य होगें :–

1. वरिष्ठतम वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ
2. वरिष्ठतम वरिष्ठ शिशुरोग विशेषज्ञ
3. अनुवांशिकी विज्ञानी (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)
4. तीन विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें से कम से कम एक महिला सगठन के प्रतिनिधि में से होगा। (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)
5. जिला सूचना एवं प्रसार अधिकारी
6. विधि विशेष (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)

नोट –

1. सलाहकार समिति में क्रम सं एक व दो पर अंकित सदस्यों में से जो भी वरिष्ठ होगा वह सलाहकार समिति का अध्यक्ष होगा।
2. सलाहकार समिति में क्र.स. 1,2 एवं 5 के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का रहेगा।
3. सलाहकार समिति को किन्हीं दो बैठकों के मध्य 60 दिवससे अधिक का अन्तराल नहीं होगा।

आज्ञा से
पी. लाल
उप शासन सचिव,

जयपुर जून, 16, 2001

संख्या प. 12 (38) चिकि. 4–पार्ट–तृतीय प्रसव पूर्व निदान तकनीकी (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार समस्त समुचित प्राधिकारियों को उनके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने एवं सलाह देने के लिए प्रत्येक उपखण्ड क्षेत्र के एक सलाहकार समिति का गठन करती है। जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :–

1. वरिष्ठतम कनिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ
2. वरिष्ठतम कनिष्ठ शिशुरोग विशेषज्ञ
3. अनुवांशिकी विज्ञानी (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)
4. तीन विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें से कम से कम एक महिला सगठन के प्रतिनिधि में से होगा। (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)
5. जिला सूचना एवं प्रसार अधिकारी अथवा प्रतिनिधि
6. विधि विशेष (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)

नोट –

1. सलाहकार समिति में क्रम सं एक व दो पर अंकित सदस्यों में से जो भी वरिष्ठ होगा वह सलाहकार समिति का अध्यक्ष होगा।
2. सलाहकार समिति में क्र.स. 1,2 एवं 5 के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का रहेगा।
3. सलाहकार समिति को किन्हीं दो बैठकों के मध्य 60 दिवससे अधिक का अन्तराल नहीं होगा।

आज्ञा से
पी. लाल
उप शासन सचिव,

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

Rajbil/2000@1717
Rajasthan Gazette]
Extraordinary

Published By Authority

सत्यमेव जयते

वैशाख 4, शुक्रवार, शाके 1937–अप्रेल 24, 2015
Vaisakha 4, Friday, Saka 1937-April, 24, 2015

भाग 1 (ख)
महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें
चिकित्सा (ग्रुप–3) विभाग अधिसूचना
जयपुर, अप्रैल 23, 2015

संख्या एफ 12 (2) चिकि. स्वा. 3/2003–पार्ट :– गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्या 57) की धारा 17 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वार इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक प . 23 (2) चि. एवं स्वा. 3 /2003 पार्ट दिनांक 05.01.2012 को अधिक्रमित करते हुए जिला स्तर एवं उपखण्ड स्तर पर समुचित प्राधिकारी की नियुक्ति निम्नानुसार करती हैं :–

1. जिला स्तर पर सम्पूर्ण – जिला कलक्टर
   राजस्व जिले के लिए

2. उपखण्ड स्तर पर नीचे दी गयी सारणी के कॉलम 2 में वर्णित राजस्व उपखण्ड क्षेत्र के लिए कॉलम 3 में वर्णित अधिकारी

सारणी

क्र.स.	राजस्व उपखण्ड	पदनाम
1.	अजमेर जिला अजमेर	संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जाने अजमेर
2.	ब्यावर जिला अजमेरु	जिला क्षय रोग अधिकारी ब्यावर
3.	केकड़ी जिला अजमेर	अति0 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प. क.) अजमेर
4.	किशनगढ़ जिला अजमेर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर
5.	नसीराबाद जिला अजमेर	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर
6.	मसूदा जिला अजमेर	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) अजमेर
7.	पीसांगन जिला अजमेर	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) अजमेर
8.	सरवाड जिला अजमेर	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प. क.) अजमेर
9.	भिनाय जिला अजमेर	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर
10.	पुष्कर जिला अजमेर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर
11.	रूपनगर जिला अजमेर	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर
12.	टाटगढ जिला अजमेर	जिला क्षय रोग अधिकारी ब्यावरा
13.	अलवर जिला अलवर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर
14.	रामगढ़ जिला अलवर	जिला क्षय रोग अधिकारी ब्यावर
15.	थानागाजी जिला अलवर	उप मुख्य चिकित्सा वं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), अलवर
16.	राजगढ़ जिला अलवर	जिला प्रजनन व शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर
17.	लक्ष्मणगढ जिला अलवर	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), अलवर
18.	कठूमर जिला अलवर	जिला क्षय रोग अधिकारी अलवर
19.	किशनगढ़ बास जिला अलवर	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), अलवर
20.	मुण्डावर जिला अलवर	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), अलवर
21.	तिजारा जिला अलवर	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), अलवर
22.	कोटाकासिम जिला अलवर	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), अलवर
23.	बहरोड जिला अलवर	जिला प्रजनन व शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर
24.	बानसूर जिला अलवर	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), अलवर
25.	नीमराणा जिला अलवर	जिला प्रजनन व शिशु स्वास्थ्य अधिकारी अलवर
26.	रेणी जिला अलवर	जिला क्षय रोग अधिकारी अलवर
27.	बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा
28.	घाटोल जिला बांसवाडा	अति0 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), बांसवाडा
29.	कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), बासंवाड़ा
30.	बागौदोरा जिला बांसवाडा	जिला प्रजनन व शिशु स्वास्थ्य अधिकारी अलवर

31.	गढी जिला जिला बांसवाडा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा
32.	छोटी सरवन जिला बांसवाडा	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), अलवर
33.	आनन्दपुरी जिला बांसवाडा	जिला क्षय रोग अधिकारी, बासंवाड़ा
34.	सज्जनगढ़ जिला बांसवाडा	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), बासंवाड़ा
35.	बारां जिला बारां	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां
36.	छबडा जिला बारां	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी बारां
37.	अटरू जिला बारां	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वस्थ्य अधिकारी (प.क.) बारां
38.	किशनगंज जिला बारां	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वस्थ्य अधिकारी (प.क.) बारां
39.	मांगारोल जिला बारां	जिला क्षय रोग अधिकारी बरां
40.	शाहबाद जिला बारां	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वस्थ्य अधिकारी (स्वा.) बारां
41.	छीपाबडौद जिला बरां	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी बारां
42.	अन्ता जिला बरां	जिला क्षय रोग अधिकारी बरां
43.	बाडमेर जिला बाड़मेर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां
44.	बालोतरा जिला बाड़मेर	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), अलवर
45.	मुडामलानी जिला बाड़मेर	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), बासंवाड़ा
46.	शिव जिला बाड़मेर	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर
47.	बायतु जिला बाड़मेर	प्रजजन एवं शिशूस्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर
48.	चौहटन जिला बाड़मेर	जिला क्षय रोग अधिकारी, बाडमेर
49.	रामसर जिला बाड़मेर	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर
50.	सिवाना जिला बाड़मेरा	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), बाडमेर
51.	सिंणधरी जिला बाड़मेर	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), बाडमेर
52.	सेडवा जला बाडमेर	जिला क्षय रोग अधिकारी, बाडमेर
53.	धोरीमन्ना जिला बाडमेर	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), बाडमेर
54.	भरतपुर जिला भरतपुर	संयुक्त निदेशक चिकित्सा सेवाएं, जोन, भरतपुर
55.	डीग जिला भरतपुर	जिला प्रजनन एवं शिंशु स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर
56.	कामा जिला भरतपुर	जिला प्रजनन एवं शिंशु स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर
57.	बयाना जिला भरतपुर	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), भरतपुर
58.	कुम्हेर जिला भरतपुर	जिला प्रजनन एवं शिंशु स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर
59.	वैर जिला भरतपुर	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), भरतपुर
60.	नंदबई जिला भरतपुर	जिला क्षय रोग अधिकारी, भरतपुर
61.	रूपवास जिला भरतपुर	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), भरतपुर
62.	नगर जिला भरतपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर
63.	पहाडी जिला भरतपुर	जिला क्षय रोग अधिकारी, भरतपुर

64.	भुसावर जिला भरतपुर	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), भरतपुर
65.	भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर
66.	शाहपुरा जिला भीलवाड़ा	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), भरतपुर
67.	गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा	जिला क्षय रोग अधिकारी, भरतपुर
68.	बनेडा जिला भीलवाड़ा	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), भरतपुर
69.	माण्डल जिला भीलवाड़ा	जिला प्रजनन एवं शिंशु स्वास्थ्य अधिकारी, (आरसीएचओ) भीलवाड़ा
70.	माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), भीलवाड़ा
71.	गंगापुर जिला भीलवाड़ा	जिला प्रजनन एवं शिंशु स्वास्थ्य अधिकारी, (आरसीएचओ) भीलवाड़ा
72.	जहाजपुर जिला भीलवाड़ा	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), भीलवाड़ा
73.	रायपुर जिला भीलवाड़ा	जिला प्रजनन एवं शिंशु स्वास्थ्य अधिकारी, (आरसीएचओ) भीलवाड़ा
74.	बिजौलिया जिला भीलवाड़ा	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), भीलवाड़ा
75.	कोटडी जिला भीलवाड़ा	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), भीलवाड़ा
76.	आसीन्द जिला भीलवाड़ा	जिला क्षय रोग अधिकारी, भीलवाड़ा
77.	फुलियाकलों जिला भीलवाड़ा	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), भीलवाड़ा
78.	हमीरगढ जिला भीलवाड़ा	जिला प्रजनन एवं शिंशु स्वास्थ्य अधिकारी, (आरसीएचओ) भीलवाड़ा
79.	करेडा जिला भीलवाड़ा	जिला प्रजनन एवं शिंशु स्वास्थ्य अधिकारी, (आरसीएचओ) भीलवाड़ा
80.	बदनोर जिला भीलवाडा	जिला क्षय रोग अधिकारी भीलवाडा
81.	बीकानेर जिला बीकानेर	संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, बीकानेर जोन बीकानेर
82.	खाजूवाला जिला बीकानेर	जिला प्रजनन एवं शिंशु स्वास्थ्य अधिकारी, (आरसीएचओ) बीकानेर
83.	नोखा जिला बीकानेर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर
84.	श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), बीकानेर
85.	लूणकरनसर जिला बीकानेर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर
86.	कोलायत जिला बीकानेर	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), बीकानेर
87.	पूगल जिा बीकानेर	जिला क्षय रोग अधिकारी, बीकानेर
88.	छत्तरगढ जिला बीकानेर	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), बीकानेर
89.	बून्दी जिला बूंदी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बूंदी
90.	नैनवा जिला बूंदी	जिला क्षय रोग अधिकारी, बूंदी
91.	केशोराय पाटन जिला बूंदी	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), बूंदी
92.	ण्डिोली जिला बूंदी	जिला क्षय रोग अधिकारी, बूंदी
93.	लाखेरी जिला बूंदी	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), बूंदी
94.	तालेडा जिला बूंदी	जिला प्रजनन एवं शिंशु स्वास्थ्य अधिकारी, (आरसीएचओ) बूंदी
95.	चित्तौडगढ़ जिला चित्तौडगढ़	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौडगढ़
96.	कपासन जिला चित्तौडगढ़	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), चित्तौडगढ़

97.	निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौडगढ़
98.	बैंगु जिला चित्तौडगढ़	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), चित्तौडगढ़
99.	बडीसादडी जिला चित्तौडगढ़	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौडगढ़
100.	गंगरोर जिला चित्तौडगढ़	जिला क्षय रोग निवारण, चित्तौडगढ़
101.	रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), चित्तौडगढ़
102.	राशमी जिला चित्तौडगढ़	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), चित्तौडगढ़
103.	भ्देसर जिला चित्तौडगढ़	जिला क्षय रोग निवारण, चित्तौडगढ़
104.	डूंगला जिला चित्तौडगढ़	जिला क्षय रोग निवारण, चित्तौडगढ़
105.	भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), चित्तौडगढ़
106.	चूरू जिला चूरू	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), चूरू
107.	राजगढ जिला चूरू	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, चूरू
108.	रतनगढ जिला चूरू	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ चूरू
109.	सुजानगढ जिला चूरू	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), चूरू
110.	सरदारशहर जिला चूरू	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), चूरू
111.	तारानगर जिला चूरू	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, चूरू
112.	बिदासर जिला चूरू	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), चूरू
113.	दौसा जिला दौसा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ चूरू
114.	बांदीकुई जिला दौसा	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), दौसा
115.	महवा जिला दौसा	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), दौसा
116.	सिकराय जिला दौसा	जिला क्षय रोग अधिकारी, दौसा
117.	लालसोट जिला दौसा	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, (आरसीएचओ) दौसा
118.	नागलराजावतान जिला दौसा	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), दौसा
119.	रामगढ पचवारा जिला दौसा	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा
120.	धौलपुर जिला धौलपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर
121.	बाडी जिला धौलपुर	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), धौलपुर
122.	बसेडी जिला धौलपुर	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर
123.	सैपऊ जिला धौलपुर	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), धौलपुर
124.	राजाखेडा जिला धौलपुर	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), धौलपुर
125.	सरमथुरा जिला धौलपुर	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर
126.	डूंगरपुर जिला डूंगरपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर
127.	सागवाडा जला डूंगरपुर	जिला क्षय रोग अधिकारी, डूंगरपुर
128.	सीमलवाडा जिला डूगरपुर	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), डूंगरपुर
129.	आसपुर जिला डूंगरपुर	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), डूंगरपुर

130.	बिछीवाडा जिला डूंगरपुर	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, (आरसीएचओ) डूंगरपुर
131.	सावला जिला डूंगरपुर	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), डूंगरपुर
132.	गलियाकोट जिला डूंगरपुर	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), डूंगरपुर
133.	चिकली जिला डूंगरपुर	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), डूंगरपुर
134.	श्री गंगानगर जिला श्रीगंगानगर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर
135.	करणपुर जिला श्रीगंगानगर	जिला क्षय रोग अधिकारी, श्रीगंगानगर
136.	रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर
137.	अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), श्रीगंगानगर
138.	घडसाना जिला श्रीगंगानगर	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य),श्रीगंगानगर
139.	सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), श्रीगंगानगर
140.	सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर	जिला क्षय रोग अधिकारी, श्रीगंगानगर
141.	पदमपुर जिला श्रीगंगानगर	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर
142.	विजयनगर जिला श्रीगंगानगर	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), श्रीगंगानगर
143.	हनुमानगढ जिला हनुमानगढ	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़
144.	सांगरिया जिला हनुमानगढ	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), हनुमानगढ़
145.	नोहर जिला हनुमानगढ़	जिला क्षय रोग अधिकारी (डीटीओ), हनुमानगढ़
146.	टिब्बी जिला हनुमानगढ़	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), हनुमानगढ़
147.	रावतसर जिला हनुमानगढ़	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), हनुमानगढ़
148.	पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), हनुमानगढ़
149.	भादरा जिला हनुमानगढ़	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, (आरसीएचओ) हनुमानगढ़
150.	जयपुर जिला जयपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम
151.	बस्सी जिला जयपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय
152.	सांगानेर जिला जयपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय
153.	चाकसू जिला जयपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय
154.	आमेर जिला जयपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम
155.	कोटपूतली जिला जयपुर	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), जयपुर प्रथम
156.	सांभर जिला जयपुर	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), जयपुर द्वितीय
157.	जमवारामगढ़ जिला जयपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम
158.	विराटनगर जिला जयपुर	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), जयपुर प्रथम
159.	चौंमू जिला जयपुर	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), जयपुर द्वितीय
160.	शाहपुरा जिला जयपुर	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), जयपुर प्रथम
161.	दूदू जिला जयपुर	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), जयपुर द्वितीय
162.	फागी जिला जयपुर	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), जयपुर द्वितीय

163.	जैसलमेर जिला जयपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर
164.	फतेहगढ़ जिला जैसलमेर	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), जैसलमेर
165.	पोकरण जिला जैसलमेर	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), जैसलमेर
166.	भनियाणा जिला जैसलमेर	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर
167.	जालौर जिला जालौर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर
168.	आहोर जिला जालौर	जिला क्षय रोग अधिकारी, जालौर
169.	भीनमाल जिला जालौर	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), जालौर
170.	रानीवाडा जिला जालौर	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर
171.	सांचौर जिला जालौर	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर
172.	सायला जिला जालौर	जिला क्षय रोग अधिकारी, जालौर
173.	बागोडा जिला जालौर	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), जालौर
174.	जसवन्तपुरा जिला जालौर	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर
175.	चितलवाना जिला जालौर	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर
176.	झालावाड़ जिला झालावाड़	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़
177.	भवानीमण्डी जिला झालावाड़	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), झालावाड़
178.	अकलेरा जिला झालावाड़	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़
179.	खानुर जिला झालावाड़	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), झालावाड़
180.	पिडावा जिला झालावाड़	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), झालावाड़
181.	मनोहरथाना जिला झालावाड़	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़
182.	गंगधार जिला झालावाड़	जिला क्षय रोग निवारण अधिकारी, झालावाड़
183.	असनावर जिला झालावाड़	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), झालावाड़
184.	झुन्झुनू जिला झुन्झुनू	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू
185.	चिडावा जिला झुन्झुनू	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), झुन्झुनू
186.	खेतड़ी जिला झुन्झुनू	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू
187.	उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू	उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), झुन्झुनू
188.	नवलगढ़ जिला झुन्झुनू	उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), झुन्झुनू
189.	बुहाना जिला झुन्झुनू	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू
190.	मलसीसर जिला झुन्झुनू	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), झुन्झुनू
191.	सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), झुन्झुनू
192.	जोधपुर जिला जोधपुर	संयुक्त निदेशक जोन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोधपुर
193.	फलोदी जिला जोधपुर	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), जोधपुर
194.	पीपाड़ शहर जिला जोधपुर	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू
195.	ओसियां जिला जोधपुर	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), झुन्झुनू

196.	शेरगढ जिला जोधपुर	जिला क्षय रोग अधिकारी, जोधपुर
197.	लूणी जिला जोधपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर
198.	भोपालगढ जिला जोधपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर
199.	बाबडी जिला जोधपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर
200.	बाप जिला जोधपुर	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी परिवार कल्याण जोधपुर
201.	बालेसर जिला जोधपुर	जिला क्षय रोग अधिकारी, जोधपुर
202.	बिलाडा जिला जोधपुर	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर
203.	करौली जिला करौली	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली
204.	हिण्डौन जिला करौली	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली
205.	मण्डरायल जिला करौली	जिला क्षय रोग अधिकारी, करौली
206.	सपोटरा जिला करौली	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), करौली
207.	टोडाभीम जिला करौली	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, करौली
208.	नादोती जिला करौली	उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), करौली
209.	कोटा जिला कोटा	संयुक्त निदेशक जोन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, कोटा
210.	रामगंजमण्डी जिला कोटा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा
211.	दीगोद जिला कोटा	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा
212.	सांगोद जिला कोटा	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), कोटा
213.	इटावा जिला कोटा	उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), कोटा
214.	कनवास जिला कोटा	जिला क्षय रोग अधिकारी, कोटा
215.	नागौर जिला नागौर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर
216.	मेडता जिला नागौर	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी परिवार कल्याण नागौर
217.	डीडवाना जिला नागौर	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर
218.	परबतसर जिला नागौर	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), नागौर
219.	जायल जला नागौर	जिला क्षय रोग निवारण अधिकारी, नागौर
220.	डेगाना जिला नागौर	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी परिवार कल्याण नागौर
221.	नावा जिला नागौर	उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), नागौर
222.	मकराना जिला नागौर	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर
223.	लाडनूं जिला नागौर	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर
224.	खींवसर जिला नागौर	जिला क्षय रोग निवारक अधिकारी, नागौर
225.	कुचामन सिटी जिला नागौर	उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), नागौर
226.	रियाबडी जिला नागौर	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी परिवार कल्याण नागौर
227.	पाली जिला पाली	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली
228.	बाली जिला पाली	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी परिवार कल्याण पाली

229.	सोजत जिला पाली	उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), पाली
230.	जैतारण जिला पाली	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, पाली
231.	देसूरी जिला पाली	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी परिवार कल्याण पाली
232.	सुमेरपुर जिला पाली	जिला क्षय रोग अधिकारी, पाली
233.	रोहट जिला पाली	जिला प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अधिकारी, पाली
234.	मारवाड जंक्शन जिला पाली	उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), पाली
235.	रायपुर जिला पाली	जिला प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अधिकारी, पाली
236.	रानी जिला पाली	जिला क्षय रोग अधिकारी, पाली
237.	प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़	जिला नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं
		मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़
238.	घरियावद जिला प्रतापगढ	उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), प्रतापगढ़
239.	अरनोद जिला प्रतापगढ	जिला प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ
240.	छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़
241.	पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़	उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), प्रतापगढ
242.	राजसमन्द जिला राजसमंद	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द
243.	नाथद्वारा जिला राजसमंद	उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), राजसमंद
244.	भीम जिला राजसमंद	जिला प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमंद
245.	कुम्भलगढ़ जिला राजसमंद	उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), राजसमंद
246.	रेलमगरा जिला राजसमंद	उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), राजसमंद
247.	आमेट जिला राजसमंद	उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), राजसमंद
248.	देवगढ़ जिला राजसमंद	जिला प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमंद
249.	सवाई माधोपुर जिला सवाईमाधोपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर
250.	गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), सवाईमाधोपुर
251.	बौंली जिला सवाईमाधोपुर	उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), सवाईमाधोपुर
252.	बामनवास जिला सवाईमाधोपुर	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), सवाईमाधोपुर
253.	खण्डार जिला सवाईमाधोपुर	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, सवाईमाधोपुर
254.	चौंथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, सवाईमाधोपुर
255.	मलारना डूंगर जिला सवाईमाधोपुर	उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), सवाईमाधोपुर
256.	वजीरपुर जिला सवाईमाधोपुर	जिला क्षय रोग अधिकारी, सवाईमाधोपुर
257.	सीकर जिला सीकर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर
258.	फतेहपुर जिला सीकर	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), सीकर
259.	नीमकाथाना जिला सीकर	उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), सीकर
260.	लक्ष्मणगढ जिला सीकर	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), सीकर

261.	दातारामगढ जिला सीकर	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर
262.	श्रीमाधोपुर जिला सीकर	उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), सीकर
263.	धोद जिला सीकर	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर
264.	रामगढ शेखावटी जिला सीकर	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), सीकर
265.	खण्डेला जिला सीकर	उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), सीकर
266.	सिरोही जिला सिरोही	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही
267.	आबुपर्वत जिला सिरोही	उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), सिरोही
268.	रेवदर जिला सिरोही	उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), सिरोही
269.	पिण्डावा जिला सिरोही	उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), सिरोही
270.	शिवगंज जिला सिरोही	उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), सिरोही
271.	टोंक जिला टोंक	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक
272.	निवाई जिला टोंक	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), टोंक
273.	उनियारा जिला टोंक	उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), टोंक
274.	देवली जिला टोंक	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), टोंक
275.	पीपलू जिला टोंक	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
276.	मालुपरा जिला टोंक	जिला प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
277.	टोारायसिंह जिला टोंक	उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), टोंक
278.	गिर्वा जिला उदयपुर	संयुक्त निदेशक, चिकित्सा सेवाएं, जोन, उदयपुर
279.	वल्लभनगर जिला उदयपुर	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी परिवार कल्याण उदयपुर
280.	मावली जिला उदयपुर	अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी परिवार कल्याण उदयपुर
281.	खेरवाडा जिला उदयपुर	उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), उदयपुर
282.	झाडोल जिला उदयपुर	जिला क्षय रोग निवारण अधिकारी, उदयपुर
283.	कोटडा जिला उदयपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर
284.	सलुम्बर जिला उदयपुर	जिला प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर
285.	लसाडिया जिला उदयपुर	जिला प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर
286.	सराडा जिला उदयपुर	उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), उदयपुर
287.	ऋषभदेव जिला उदयपुर	उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), उदयपुर
288.	गोगुन्दा जिला उदयपुर	जिला क्षय रोग निवारण अधिकारी, उदयपुर
289.	बडगांव जिला उदयपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर

राज्यपाल की आज्ञा से,

नीतू बारूपाल,

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांक प. 23 (2) चि. एव सव्झ.3/2003 पार्ट दिनांक 10.01.2012

अधिसूचना

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 28 की उपधारा के खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राज्य सरकार एतद द्वारा पुलिस द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन अनुसंधान किये गये मामलों में उप निरीक्षक पुलिस से अनिम्न पंक्ति के (Not Below the rank of sub inspector of Police) पुलिस अधिकारियों को अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से
(सत्यप्रकाश बसवाला)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाथ्र एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, राजस्थान सरकारी ,जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय गृह मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, विधि, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।

निजी सचिव, अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी एवं विशिष्ठ शासन सचिव, परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक एनआरएचएम, राजस्था, जयपुर।

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

सत्यमेव जयते

Rajbil/2000@1717
Rajasthan Gazette]
Extraordinary

Published By Authority

वैशाख 4, शुक्रवार, शाके 1937–अप्रेल 24, 2015
Vaisakha 4, Friday, Saka 1937-April, 24, 2015

भाग 4 (ग)
उपखण्ड (द्वितीय)
राजस्थान सरकार द्वारा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं

HOME (G-2) DEPARTMENT
NOTIFICATION
JAIPUR, SEPTEMBER 17, 2012

S.O. 137 : In exercise of the powers conferred by clause (s) of section 2 of the code of criminal procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) and all other powers enabling it in this behalf the state Government is pleased.

1. to declare the office of chariperson, State Appropriate Authority Rajashan at Jaipur appinted under section 17 of the pre conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 (Central Act No. 57 of 1994) to be a Police Station by name of "PCPANDT Bureau of Investigation " at Jaipur and whose territorial jurisdiction shall extend over the whole of he area of the State of Rajasthan and the location of the above Police Station shall be within campus of office of Chairperson, State Appropriate Authority, Directorate, of medical & Health Department, Rajasthan Jaipur or any other place as may be detremined by State Government from time to time.

2. t o direct that the aforesaid Police Station shall deal with all cognizable offences under the Pre-conception and Pre-natal Diagnostice Techniques (Prohibition of Sex Station) Act, 1994 (Central Act No. 57 of 1994) the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 (Central Act No. 34 of 1971) and the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisment) Act, 1954 (Central Act No. 21 of 1954) and offences udner Indian Penal Code along with offences under the above Act of 1994, 1971 and 1954 and

3. to direct tha the powers of an officer in charge of the Police Station shall be exercisable by all officers of and above the Rank of Sub inspector of Police posted in PCPNDT Burean of Investigation" Senior ranking Police officers Posted in the PCPNDT Bureau of Investigation shall have all the power of officers in charge of Police station.

[No. F 27 (Ka) (7) Home 2/2012]
By Order of the Government
O.P. Yadav

Deputy Secretary to Government

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 2 (3) न्याय/2012 जयपुर/ दिनांक 17 नवम्बर 2015

अधिसूचना

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 11 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01.06.2012 द्वारा सृजित विशिष्ट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी. एन.डी.टी. एक्ट प्रकरण) न्यायालय अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, महानगर, जोधपुर महानगर, कोटा एवं उदयपुर का क्षेत्राधिकार क्रमशः अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर महानगर, जोधपुर महानगर, कोटा एवं उदयपुर सम्भाग के स्थान पर क्रमशः अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर जिला निर्धारित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से
(दीपक माहेश्वरी)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक/सामान्य/द्वितीय/11/2012/1539/ **दिनांक – 19.11.2015**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. समस्त रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर पीठ, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) रा.उ.न्या. जोधपुर को इस निवेदन के साथ कि उक्त अधिसूचना की प्रति उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की जावे।
3. समस्त जिला एवं सेंशन न्यायाधीश/समस्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिूसचना की प्रति सभी अधीनस्थ न्यायालयों को भी भिजवाई जावें, इस संभाग मुख्यालय के अतिरिक्त जिला न्यायाधीाश तदनुसार क्षेत्राधिकार निर्धारित करें।
4. संबंधित न्यायालय।
5. प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक, गोपनीय शाखा/स्था. रा.न्या. से./अधी. न्यायालय स्थात्र/साख्यिकी/बजट/भवन/अंक मिलान लिपिक/कम्प्यूटर सेल (समस्त जिला न्यायालय को ई–मेल करने हेतु) राजस्थान उच्च न्यायालय, जौधपुर।

रजिस्ट्रार (नियम)

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांक प. 23 (2 चिस्वा/ग्रुप–3/2003/पार्ट/ जयपुर/ दिनांक 21.08. 2017

अधिसूचना

गर्भाधारण पूर्व और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) नियम, 1996 के नियम 19 क के उप नियम (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा गर्भधारण पूर्व और प्रसंग पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन राज्य के समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरूद्वअपील करने के प्रयोजन के लिए प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग को राज्य अपीलीय प्राधिकारी, नियुक्त करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से
(अजय असवाल)
संयुक्त शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाथ्र एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रभारी मंत्री, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य मंत्री, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान,जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं होम्योपैथी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, (परिवार कल्याण), राजस्थान, जयपुर।
12. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
13. अनुभागधिकारी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
14. सहायक आयुक्त (पॉलिसी) स्वास्थ्य एवं प.कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।

15. निदेशक (पी.एन.डी.टी.) स्वास्थ्य एवं प.क. मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
16. निजी सचिव, कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
17. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
18. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
19. निदेशक (प.क.) / (जन स्वास्थ्य) / (आई.ई.सी. / (एड्स) मुख्यालय।
20. परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
21. समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
22. विशेषाधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
23. समस्त संयुक्त निदेशक (जोन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
24. समस्त उपखण्ड अधिकारी, राजस्थान।
25. उप विधि परामर्शी, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयुर।
26. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
27. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
28. समस्त अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) / (स्वास्थ्य), राजस्थान।
29. समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), राजस्थान।
30. समस्त जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
31. समस्त जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान।
32. जन सम्पर्क अधिकारी , निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. (आईईसी) जयपुर।
33. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया इसे आज के असाधारण राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित करने का श्रम करें।
34. रक्षित पत्रावली।

(अजय असवाल)
संयुक्त शासन सचिव

महत्वपूर्ण परिपत्र

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सेवाएं
राज्य पी.सी.पी.एन.डी.टी. सैल
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक राज्य पी.सी.पी.एन.डी.टी. सैल/2008/199 दिनांक 21.05.2010

परिपत्र क्रमांक–1/2010

निदेशालय के यह ध्यान में अया हैं कि जिला स्तर पर पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम के अन्तर्गत, समुचित अधिकारियों द्वारा पंजीकृत केन्द्रों के निरीक्षण प्रभावी रूप से नहीं किये जाकर अधिनियम के अनुरूप से विधिक कार्यवाही नहीं की जा रही है, साथ ही पी.सी.पी.एन.डी.टी. समन्वयकों द्वारा भी, अधिनिरयम के क्रियान्वयन में प्रभावी भूमिका नहीं निभाई जा रही है। फलस्वरूप अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन एवं विधिक रूप से अभिलेख का संधारण करने के लिए कार्यसम्पादन में सुधार की आवश्यकता है।

अतः निर्देशानुसार लेख है ं कि पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम के राज्य में प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पंजीकृत केन्द्रों का निरीक्षण अभिलेख के संधारण, पी.सी.पी.एन.डी.टी. जिला समन्वयकों (संविदा कर्मी) के कार्यमूल्यांकन संविदा विस्तार, संविदा समाप्ति से संबंधित निर्णय एवं समन्वयकों द्वारा पी.सी.पी.एन.डी.टी. से संबंधित कार्य सम्पादन के बारे में निम्नलिखित निर्देश प्रदान किये जाते है :–

1. पी.सी.पी.एन.डी.टी. समन्यकों का निष्पादन मूल्यांकन प्रपत्र (Performance Appraisal Form) में कार्य मूल्यांकन, सीएमएचओ द्वारा किये जाने के साथ ही समानान्तर रूप से निदेशालय से प्रभारी पी.सी.पी.एन.डी.टी. प्रकोष्ठ के द्वारा किया जाकर समीक्षक प्राधिकारी के रूप में अतिरिक्त निदेशक आरसीएच/निदेशक आरसीएच के द्वारा टिप्पणी के साथ प्रपत्र, मिशन निदेशक एनआरएचएम को प्रस्तुत किये जायेगें।

2. समन्वयकों के संविदा विस्तार/संविदा समाप्ति से संबंधित निर्णय राज्य पी.सी.पी.एन.डी.टी. प्रकोष्ठ के माध्यम से निदेशक (प.क.) की अभिशंषा पर मिशन निदेाक एनआरएचएम के अनुमोदन के पश्चात क्रियान्वित होगें।

3. जिला समन्वयकों द्वारा जिले में पी.सी.पी.एन.डी.टी. से संबंधित कार्य सम्पादन के बारे में मासिक कार्य विवरण पत्र, निदेशालय में प्रभारी पी.सी.पी.एन.डी.टी. प्रकोष्ठ को प्रत्येक माह की समाप्ति पर, एक सप्ताह में प्रस्तुत किया जायेगा। जिसमें समन्वयकों द्वारा पिछले माह में, उनके द्वारा किये गये फार्म ''एफ'' की जांच एवं पी.सी.पी.एन.डी.टी. से संबंधित रिकार्ड संधारण इत्यादि, किये गये कार्यों के मानदण्डों का पूर्ण विवरण अंकित किया जाकर उनके द्वारा प्रस्तावित की गई कार्यवाही से संबंधित नोटशीट/यू.ओ. नोट की प्रतिलिपि संलग्न की जायेगी जिसके आधार पर निदेशालय द्वारा उनके कार्य का आंकलन किया जायेगा।

4. जिला पी.सी.पी.एन.डी.टी. समन्वयकों द्वारा मासिक प्रतिवेदन में प्रस्तावित की गई कार्यवाही की प्रगति के बारे में, निदेशालय द्वारा पर्यवेक्षण किया जायेगा उवं उक्त प्रस्तावित कार्यवाही पर सीएमएचओ द्वारा विधिक रूप से निर्देश दिये जाकर, अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त आदेश की पालना सख्ती से सुनिश्चित की जावे।

S.d/-
(डॉ. एम.एल.जैन)
राज्य नोडल अध्किारी (पी.सी.पी.एन.डी.टी.) एवं
निदेशक (प0क0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाथ्र एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ट शासन सचिव व मिशन निदेशक (एनआरएचएम) राजस्थान।
2. निजी सचिव, अति. निदेशक (आर.सी.एच) राजस्थान।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान।
4. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी एवं जिला कलेक्टर, राजस्थान।
5. समस्त जिला नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
6. समस्त जिला पी.सी.पी.एन.डी.टी. समन्वयक, राजस्थान।
7. सैन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय।

S.d/-
(डॉ. एम.एल.जैन)
राज्य नोडल अध्किारी (पी.सी.पी.एन.डी.टी.) एवं
निदेशक (प0क0)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Directorate of Medical Health & Family Welfare

Sate P.C.P.N.D.T. Cell

Rajasthan, Jaipur

State PCPNDT Cell/ 2010/Cir/219 **Date : 11.06.2010**

Circular No. 2/2010

Sub : Registration and regulation of Sonography Centre

1. The Undersigned is directed to invite attention to provision contained in PCPNDT Act, 1994 (hereinafter called the Act) which provide for grant, renewal permission and regulation to registration certificates of sonography centres accordance with the Act.
2. It has been brought to the notice of the Directorate that presently centres registered are frequently running their activities keeping their machine in continually change of place, one builidng to another building/ vehicle as additional machine on otherwise, only on thew basis of intimation and extending their activities, more then one machine (which is note permissible without prior permission of the appropriate authority) without availabiltiy of qualified employee authorized or place, under the cover ship of earlier granted certificae or one qualified emplyee.
3. Is has been also found by state inspection Team (SIT) during inspection of centre in Jaipur that one of empoyee expertise radiologist keeping more than one and up to four ultrasounds machines, in the building at one registered place, without proper grant upon application or intimation as per the Act.
4. **In this Context is entirely appropriate to mentioned Legal scenario as follows :**

   "As per provision of PCPNDT Act (Rule 6) certificate of registration.

   1) The Appropriate Authority shall, after making such enquiry and after satisfying itself that the applicaiton has complied with all the requirments, place the application before the Advisory committee for its advice.
   2) Having regard to the advise of the Advisory Committee the apropiate authority shall grant a certificate of registration in duplicate.

   Provide that the Appropriate Authority may grant a certificate of registration to a Genetic Laboratory or a Genetic Clinic to conduct one or more specified prenatal diagnostice tests or procedures, depending on the availabity of place, equipment and qulaified employee ,and standards maintained by such laboratory or clinic"

As per intention of the Act, as mentioned above, additional machine provision only applies when initially application of registration was applied for one or more tests and registration was granted as per provision of rule 6 (1) after satisfying about availability of place, equipment and qualified employee but; if once registration was granted initially for one test, only for one machine (equipment) and afterwards if requisition for additional machine (equipment) comes, then it must be examined again under **Rule 6 (1) after making enquiry and after satisfaction of the appropriate authority about availability of place, equipment and qualified employee and standards maintained by such laboratory or clinic,** thereafter proposal should be placed b efore the advisory committee and permission for additional machine may be granted to earlier certificate issued . Hence this is the legal position of additionlal machine to be taken on earlier certificate, so only intimation of additional machine is not proper accordance wit hthe act (intimation refers only change of machine rather than additional)

PCPNDT Rule - 13. Intimation of change in employee, Place or equipment.

"Every Genetice Counseling centre, Genetice Laboratoryof Genetic Clinic Shall intimate every change of employee, Place address and quipment installed to the Appropriate Authority within a period of thirty days of such change".

As mentioned above (PCPNDT Act, Rule 13) it is understood that machine may be changed from registered, only under intimation to the Appropriate Authority, means on the event of every change of equipment. Thus the rule does not confer any additional machine to be taken on earlier certificate only under intimation to the Appropriate Authority.

5. **Regulation of centres accordance with the Act :**

With a view to existing grant and regulation, the matter has been examined and it has been further decided that all registration certificates should be examined stricty accordance with the act, as follows :

1. The appropriate Authority may review all registreation certificates issued and be examine, how many machine are at centre concerned in comparison of qualified employee authorized and availability of place to oeprate them, if there is gap between and then reconcile the issue accordance with the ACt, Excessive machine may be put under sealing if it's granted & taken in accordance with the Act.
2. Show cause notice under PCPNDT Rule 6 (3) may by issued to centre concerned to produce their eligibility for aailability of qualified employee, authorized to operate those machine including place, as per requirment of the Act.
3. If earlier , there is any intimation or afterwards any application comes for additional machine, to be taken or earlier certificate, the Appropriate Authority shall after complying provision under rule 6 (1) and (2) after making such enquiry and after satisfying itself,

about availability of place, equiment, qualified employee and standards maintained by such laboratory or clinic place the application before the advisory committee for its advise. Having regard to the adivse of the Adisory committee the Appropriate authority shall, grant fresh permission, for additionlal machine to be taken on earlier certificate issued.

4. Under Rule 6(3) if, after inquiry and after giving an opportunity of being heard to the applicant and having regard to the adivise of the advisory committee, the appropriate authority is satisfied that the application has not complied with the requirments of the Act and these rules, it shall, for the reasons to be recorded in writing, reject the application for registration for additional machine and communicate such rejection to the application as specified in form "C"

6. In has been further decided tha the Appropriate Authority shall send compliance report within one month, along with cerficiation, that all registration certificates are accordance with the Act. This order shall take effect Immediately.

State Nodal Officer (PCPNDT)
& Director (FW)
Medical and Health Department
Rajasthan , jaipur

State PCPNDT Cell/ 2011/Cir

Copy to information and necessary action :

1. **PS Principal Secreatry, Medical Health & FW, Rajasthan, Jaipur**
2. **PS to Special Secreatry Helath & Chairperson Sate Appropriate Authority, Rajasthan, Jaipur**
3. **Additional Director (RCH) Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur.**
4. **ALL JD' Zone Medical & Health Services Rajasthan, Jaipur.**
6. **All Dist. Appropriate Authorities & Dist. Collector Rajasthan.**
7. **All Dist. Nodal Officer & CMHO'S Rajasthan.**
8. **All Sub - District Appropriate Authorities Rajasthan, Jaipur**
9. **Central Server Room, HQ jaipur, Rajasthan,**

State Nodal Officer (PCPNDT)
& Director (FW)
Medical and Health Services
Rajasthan , jaipur

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Directorate of Medical Health & Family Welfare

Sate P.C.P.N.D.T. Cell

Rajasthan, Jaipur

State PCPNDT Cell/ 2010/Cir/347 **Date : 20-08-2010**

CIRCULAR NO. 3/2010

Sub : Maintenance of Register Performa "H" by the Appropriate Authority Accordance with PCPNDT Act, 1994

1) The Undersigned is directed to invite attention to provision contained in PCPNDT Act, 1994 (hereinafter called the Act) which provide maintenance of records, Register Performa "H" for application received for grant, regulation to registration certificates of centres under the Act.

2) It has been brought to the notice of the Directorate the that Appropriate Authorities are not maintaining the records; Register Performa "H" for application rejected/registered centres, as per requirments of the Act.

3) It is understood that maintenance of register Performa"H" which is known as a mater register of records, for application rejected and certificate issued, thereafter on the part of regulation by the Appropriate Authority are most essential as prescribed by the ct and any deficiency or inaccuracy found there in shall, amount of be treated as violation of section 25 of the Act on the part of the Appropriate Authority, for mainteance of records.

4) It has been also found during inspection of records that complete make and model no of sonography machine is neither available on records and nor mentioned on Certificate issued. It is necessary to mention here that equipment can be identified by only its specific identification numb er, which is called body No. of machine, mentioned in bill or installation report. Hence regulation of equipment could be possible only by checking of body no of machine rather than only make and Model.

5) **In this context is entriely appropriate to mention Legal scenario as follows**

PCPNDT Act, 1994, under rule 1996 (Sec. Rule 9 (5)

(Rule 9) Maintenance and preservation of records

(5) The Appropriate Authority shall maintain a permanent record of application for grant or renewal of certificate of registration as specified in Form H. Letters of intimation of every change

of employee, place, address and equipment installed shall also be preserved as permanent records.

Copy of Form : "H" is enclosed with circular, for compliance as per intention of the Act, it is understood that, guidance of the Appropriate Authority as mentioned in form "H" should be followed strictly. Each Column of Form and guidelines to he Appropriate Authority shall maintain as per requirment of the Act.

6. **Maintenance of Register Performa "H" by the Appropriate Authority Accordance with the Act :**

With a view to all application received grant and regulaiton about maintenance of records Register Performa "H" the matter has been examined and it has been further decided that register Performa "H" should be put in order, accordance with the Act, as follow :

A. The Appropriate Authority may review all files of registration applications received/rejected/certificates issued and be examining, if maintenance of register performa "H" is not accordance with the act. Then reconcile the issue accordance with the act. It is understood that all columns are perform "H" should be completed with information concerned , any deficiency or inaccuracy ofthe records shall be rectified under authentication of the appropriate authority, if it's not maintained & taken in accordance with the Act.

B. Mode land make along with body No. of equipments shold be verified for each equipment and taken in account on records, in furtherance of this follow up should be made in the regulation of each equipment in case of sale, transfer or change of place or otherwise, so pin pointed information could be ascertained and made available, on the event of as and when required by legal agencies, as per requirements of the Act.

C. Is has been further decided that the Appropriate Authority shall send compliance report within two months, along with certification that register Performa "H" for all application/certificates are maintained in the office of the Appropriate Authority. Accordance Act.

This order shall take effect immediately.

(Dr. M.L.)
State Nodal Officer (PCPNDT)
& Director (FW)
Medical and Health Department
Rajasthan , jaipur

State PCPNDT Cell/ 2011/Cir/347

Copy to information and necessary action :

1. PS Principal Secreatry, Medical Health & FW, Rajasthan, Jaipur
2. PS to Special Secreatry Helath & Chairperson Sate Appropriate Authority, Rajasthan, Jaipur
3. All Dist. Appropriate Authorities & Dist. Collector Rajasthan.
4. ALL JD' Zone Medical & Health Services Rajasthan, Jaipur.
5. Additional Director (RCH) Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur.
6. Deputy Director (RCH) Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur.
7. All Dist. Nodal Officer & CMHO'S Rajasthan.
8. All Sub - District Appropriate Authorities Rajasthan, Jaipur
9. Health Manger/LA State PCPNDT Cell, Rajasthan, Jaipur
10. Central Server Room, HQ jaipur, Rajasthan,

(Dr. M.L.)
State Nodal Officer (PCPNDT)
& Director (FW)
Medical and Health Department
Rajasthan , jaipur

FORM - H
[See Rule 9 (5)]

PERMANENT RECORD OF APPLICATION FOR REGISTRATION, GRANT OF REGISTRATION RECEPTION OF APPLICATION FOR REGISTRATION RENEWALS OF REGISTRATION.

1. SI No.
2. File Number of Appropriate Authoirty.
3. Date of receipt of Application for grant of registration.
4. Name, Address, Phone/Fax Etc. of Applicant.
5. Name and Address (es) of Genetic Counseling Centre*/Genetic Laboratory*/Genetice Clinic*
6. Date on which case considered by advisory committee and recommendation of advisory committee in Summary.
7. Out come of application (State granted/rejected and date of issue of orders.)
8. Registration number allotted and date of expirty of registration.
9. Renewals (date of renewal and renewed up to)
10. File number in which renewals dealt.
11. Additional information, if any

Name, Designation and Signature
of Appropriate Authority

Guidance of Appropriate Authority

a. Form H is a permanent record to be maintained as a register, in the custody of the Appropriate Authority.
b. * Means strike out whichever is not applicable.
c. Against 7, record date of issue of roder in Form B or Form C
d. On renewal, the registration number of the Genetic Counseling Centre/Genetic Laboratory/ Genetic Clinic will not change. A fresh registration number will be allotted in the event of change ownership or management.
e. No registration number shall be allotted twice.
f. Each Genetic Counseling Centre/Genetice Laboratory/Genetic Clinic may be allotted a folio consisting of two facing pages of the Register for recording Form H.
g. The Space provided for additional infomation may be used for recording suspension, cancellation, rejection of application for renewal, change of ownership/Management, outcome of any legal proceedings, etc.
h. Every folio (i.e. 2 pages) of the register shall be authenticated by signature of the appropriate authority with date and every subsequent entry shall also be similarly authenticated.

1. Strike out whichever is not applicable or not necessary. All enclosure are to be authenticated by signature of the applicant.
2. Strike out whichever is not applicable or necessary.
3. Strike out whichever is not applicable or not necessary.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Directorate of Medical Health & Family Welfare

Sate P.C.P.N.D.T. Cell

Rajasthan, Jaipur

State PCPNDT Cell/ 2010/Cir/348 **Date : 20-08-2010**

CIRCULAR NO. 4/2010

Sub : Registration and Regulation of Mobile Sonography Centres.

1. The Undersigned is directed to invite attention to provision contained in PCPNDT Act, 1994 (hereinafter called the Act) which provide for grant regulation to registraiton certificates of Mobile Sonogrpahy accordance with the Act.
2. It has been brought to the notice of the Directorate that presently Mobile Centres registered are frequently running their activities, keeping their machnine in continually change of place, one building to another building/vehicle as mobile centre.
3. It has been found by State Inspection Team (SIT) during inspection of centre in Jaipur that certificate issued by the Appropriate Authority was as mobile Centre, but Centre was running in the building. It is necessary to mention here that, at that palce two sonography machines were found and sealed by team, which both of machines were shown on the mobile certificate b ased upon Vehicle Maruti Swift Regisration number, on erroneous manner.(Marutif Swift car is not entitled for registration as mobile Vehicle.)
4. It has been also found during inspection of records at Jodhpur that one3 registered mobile centre is visiting various places and which places/building have been deemed to be registered, on certification of that mobile centre, in furtherance of that, all that places are being used for conducting Sonography, based upon one mobile machine and which vehicle is provided to that mobile centre, has been not mentioned anywhere on record too (it is understood that mobile machine's registered places is registered vehicle and it can not be used in other place/building apart from registered vehicle.
5. **In this context it is entirely appropriate to mention Legal scenario as follows :**

   PCPNDT Act, 1994, under section 2 (D) mobile centre is defined as under Section 2- Definition

   (d) "Genetic Clinic"" means a clinic, institute, hospital nursing home or any place, by whatever name called, which is used for conducting pre natal diagnostic procedures. Explanation - for the purpose of this clause, ' Genetic Clinic" includes a vehicle, where ultrasound machine or imaging machine or scanner or other equpment capable of determining sex of the foetus or a portable

equipment which has the potential for detection of sex during pregancy or selection of sex before conception is used.

Thus as per provision of the act, as mentioned above for the purpose of Vehicle, Where ultrasound machine is used means Vehicle is presumably which type of Van or ambulance, where machine and patient both along with qualified employees could be accommodated in which manner, where comfortably test may be carried out inside the vehicle concerned.

6. Now legal status of provisions, to change of equipment (machine) in certain condition accordance with the act is as follows :

   PCPNDT Rule 13. Intimation of changes in employees, place or equipment -

   Every Genetice Conseling Centre, Genetic laboratory or Genetic Clinic shall intimate every change of employee, place, address and equipment installed, to the Appropriate Authority within a period of thirty days of such change.

   As mentioned above (The Act. Rule 13) machine may be shifted outside said vehicle (Registered Place) ony under intimation to he concerned Appropriate Authority, only on the event of every change of equipment, otherwise, if machine is found outside from the registered Place (Vehicle) then it attracts the violation under the Act. Hence this rule does not confer any additonal machine to be taken on earlier cerfificate only under intimation to the appropriate authority because grant of certificate for additional machine is restricted under the provision mentioned in rule 6 of the act, subject to availability of place, equipment and qualified employee, and standards maintained by such laboratory or clinic (Thus on mobile registration additonal machine require much larger vehicle for availability of place, equipment and qualified employees.

7. It is understood that if centre is visiting door to door by means of any other type of transporation and machine is alwasy under shifting process inside and outside of any building/ vehicle and if more than one machine found on mobile registration without authorization (vehicle should be more larger to accommodate all concerned with prior sanction of the appropriate authority) then it cover under violation of tha ct.

8. **Regulation of Mobile Centres accordance with the Act :**

   With a view to existing grant and regualtion, the matter has been examined at the forum of the State Appropriate Authority and it has been further decided that all mobile registration certificates should be examined strictly accordance with the Act, As follows -

   a. The Appropriate Authority shall review all mobile registration certificates issued and be examining, if issuance of certificates is not accordance with the Act the reconcile the issue accordance with the Act, Excessive machines mayh be put under sealing, if it's not granted & taken in accordance with the act.;

   b. Show cause notice under 20 (1) PCPNDT Act may be issued to centre concerned to produce their eligibility along with the documents (vehicle no. make and model) as mobile centre as

per requirment of the act;

c. If after giving a reasonable apportunikty (may be 15 days) of being heard to the centre concern 20 (2) the act and having regard to advise of the adisory comittee, the appropriate authority is satisfied that there has been a breach of the provision of the act or rule, it may suspend its registration for such period as it may think fit or cancel its registrations as the case may be;

9. It has been further decided that the appropriate authority shall send compliance report within one month, along with certification, that all mobile registration certificates are accordance with the act.

This order shall take effect immediatley.

(Dr. M.L.)
State Nodal Officer (PCPNDT)
& Director (FW)
Medical and Health Department
Rajasthan , jaipur

State PCPNDT Cell/ 2011/Cir/348 **Date : 28-08-2010**

Copy to information and necessary action :

1. **PS Principal Secreatry, Medical Health & FW, Rajasthan, Jaipur**
2. **PS to Special Secreatry Helath & Chairperson Sate Appropriate Authority, Rajasthan, Jaipur**
3. **All Dist. Appropriate Authorities & Dist. Collector Rajasthan.**
4. **ALL JD' Zone Medical & Health Services Rajasthan, Jaipur.**
5. **Additional Director (RCH) Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur.**
6. **Deputy Director (RCH) Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur.**
7. **All Dist. Nodal Officer & CMHO'S Rajasthan.**
8. **All Sub - District Appropriate Authorities Rajasthan, Jaipur**
9. **Health Manger/LA State PCPNDT Cell, Rajasthan, Jaipur**
10. **Central Server Room, HQ jaipur, Rajasthan,**

(Dr. M.L.)
State Nodal Officer (PCPNDT)
& Director (FW)
Medical and Health Department
Rajasthan , jaipur

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Directorate of Medical Health & Family Welfare
Sate P.C.P.N.D.T. Cell
Rajasthan, Jaipur

State PCPNDT Cell/ 2010/Cir/349 **Date : 20-08-2010**

CIRCULAR NO. 5/2010

Sub : Registration and Regulation of Genetic Counseling Centre, Genetic Clinic and Genetic Laboratory

1. The Undersigned is directed to invite attention to provision contained in PCPNDT Act, 1994 (hereinafter called the Act) which provide for grant regulation to registraiton certificates of Genetice Counseling centre, clinic and Laboratory, accordance with the Act.
2. It has been brought to the notice of the appropriate authority that presently centres registered are conducting their activities and not complying with provision of the act and grant of the registration centres are not in accordance with the act.
3. It has been found by State Inspection Team (SIT) during inspection of centre in Jaipur that certificate issued by the Appropriate Authority was as mobile Centre, but Centre was running in the building. It is necessary to mention here that, at that palce two sonography machines were found and sealed by team, which both of machines were shown on the mobile certificate based upon Vehicle Maruti Swift Regisration number, on erroneous manner.(Marutif Swift car is not entitled for registration as mobile Vehicle.)
4. It has been also found during inspection of records at Jodhpur that one registered mobile centre is visiting various places and which places/building have been deemed to be registered, on certification of that mobile centre, in furtherance of that, all that places are being used for conducting Sonography, based upon one mobile machine and which vehicle is provided to that mobile centre, has been not mentioned anywhere on record too (it is understood that mobile machine's registered places is registered vehicle and it can not be used in other place/building apart from registered vehicle.
5. As mentioned above two instances, the state appropriate authority has taken serious view about implementation of the act in the state and further observed that the Appropriate Authorities have acted in gross violation of the provisons of the Act on the part of registration of centres.
6. **Regulation of Centres accordance with the Act :**

   With a view to existing grant and regulation, the matter has been examined at the forum of the State Appropriate Authority and it has been further decided that all registration certificates should be examined strictly accordance with tha Act, as follows :

   a. The appropriate Authority shall conduct enquiry in each and every case and satisfy themselves

personally as to the copliance of standards and other requirments udner the provision of the act adn record the fact of such satisfaction on the file.

b. Conduct periodical inspection and aduit of all the genetic counseling c entres clinic and laboratores within thier jurisdiction and meet even slightest deviation with remedial and penal measures :

c. Report the outcome of such inspections and audit and action taken thereon to the State Appropriate Authority.

7. It has been further decided that the Appropriate Authorities shall send compliance report within two months, along with certification, that all registration certificates are accordacne with the Act.

This order will come enforce with immediate effect.

(Dr. M.L. Jain)
State Nodal Officer (PCPNDT)
& Director (FW)
Medical and Health Department
Rajasthan , jaipur

State PCPNDT Cell/ 2011/Cir/349 Date : 28-08-2010

Copy to information and necessary action :

1. **PS Principal Secreatry, Medical Health & FW, Rajasthan, Jaipur**
2. **PS to Special Secreatry Helath & Chairperson Sate Appropriate Authority, Rajasthan, Jaipur**
3. **All Dist. Appropriate Authorities & Dist. Collector Rajasthan.**
4. **ALL JD' Zone Medical & Health Services Rajasthan, Jaipur.**
5. **Additional Director (RCH) Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur.**
6. **Deputy Director (RCH) Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur.**
7. **All Dist. Nodal Officer & CMHO'S Rajasthan.**
8. **All Sub - District Appropriate Authorities Rajasthan, Jaipur**
9. **Health Manger/LA State PCPNDT Cell, Rajasthan, Jaipur**
10. **Central Server Room, HQ jaipur, Rajasthan,**

(Dr. M.L. Jain)
State Nodal Officer (PCPNDT)
& Director (FW)
Medical and Health Department
Rajasthan , jaipur

राजस्थान सरकार
निदेशलय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं
राज्य पी.सी.पी.एन.डी.टी. प्रकोष्ठ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःराज्य पी.सी.पी.एन.डी.टी.प्रकोष्ठ/2010/360 दिनांक : 8/9/10

परिपत्र क्रमांक – 6/2010

निदेशालय के यह ध्यान में लाया गया है कि पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम 1994 के अन्तर्गत अपीलों की सुनवाई के दौरान, राज्य समुचित प्राधिकारी के समक्ष, विभाग की ओर से पक्ष प्रस्तुतकर्ता, प्राधिकारी, दस्तावेजों का पूर्ण अवलोकन करके, तैयारी के साथ प्रस्तुत नही होते है, फलस्वरूप अपीलों की सुनवाई के दौरान विभागीय प्रत्यर्थी समुचित प्राधिकारी के द्वारा पक्ष समुचित रूप से प्रस्तुत करने में रूकावट उत्पन्न होती है तथा यह भी ध्यान में लाया गया है कि पक्ष प्रस्तुतकर्ता, प्राधिकारी के साथ, जिला समन्वयक पी.सी.पी.एन.डी.टी. के नही आने के कारण पक्ष प्रस्तुतकर्ता प्राधिकारी को, वास्तविक स्थिति एवं संबंधित रिकार्ड के बारे में पूर्ण जानकारी का अभाव रहता है। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी स्तर पर अपीलों की सुनवाई के दौरान, विभागीय पक्ष प्रस्तुतकर्ता प्राधिकारी द्वारा, विभाग का पक्ष, प्रकरण के तथ्यों के आधार पर पूर्ण तैयारी के साथ प्रस्तुत किया जावे।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम के अन्तर्गत, अपीलों की सुनवाई के दौरान, संबंधित समुचित प्राधिकारी के समक्ष, विभाग का पक्ष प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा सक्षम रूप से प्रस्तुत करने के लिये निम्नलिखित निर्देश प्रदान किये जाते हैः–

1. जिला समुचित प्राधिकारी अथवा राज्य समुचित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते समय संबंधित पक्ष प्रस्तुतकर्ता अधिकारी पूर्ण दस्तावेजों का अवलोकन करके पूर्ण तैयारी के साथ उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
2. अपीलों की सुनवाई के दौरान पक्ष प्रस्तुतकर्ता संबंधित प्राधिकारी के साथ, जिला पी.सी.पी.एन.डी.टी. समन्वयक को भी आवश्यक रूप से उपस्थित रहने के लिये निर्देश प्रदान किये जावें।
3. राज्य समुचित प्राधिकारी के समक्ष, पक्ष प्रस्तुतकर्ता प्राधिकारी, विभाग का पक्ष प्रस्तुत करने के लिये, उपनिदेशक (आरसीएच) एवं प्रभारी पी.सी.पी.एन.डी.टी. प्रकोष्ट तथा विधि विशेषज्ञ पी.सी.पी.एन.डी.टी. प्रकोष्ट के सम्पर्क में रहकर, समुचित सहायता प्राप्त करते हुये, विभागीय पक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
4. उपनिदेशक (आरसीएच) एवं प्रभारी पी.सी.पी.एन.डी.टी. प्रकोष्ट तथा विधि विशेषज्ञ पी.सी.पी.एन.डी.टी. प्रकोष्ट, राज्य समुचित प्राधिकारी के समक्ष, अपीलों की सुनवाई के दौरान, विभाग का पक्ष प्रस्तुत करने के लिये, संबंधित पक्ष प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को समुचित सहायता प्रदान करते हुये, विभाग का पक्ष राज्य

समुचित प्राधिकारी के समक्ष सक्षमता से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेशों की सख्ती से पालना की जावें।

sd/-
(डां. एम.एल. जैन)
राज्य नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं
निदेशक (प.क.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (आर.सी.एच) राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी एवं जिला कलेक्टर, राजस्थान।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
6. उपनिदेशक (आर.सी.एच.) एवं प्रभारी पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ट, राजस्थान, जयपुर।
7. विधि विशेषज्ञ / स्वास्थ्य प्रबंधक, राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ट, राजस्थान जयपुर।
8. समस्त जिला नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान
9. समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान।
10. सैन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय।

sd/-
(डां. एम.एल. जैन)
राज्य नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं
निदेशक (प.क.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशलय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं
राज्य पी.सी.पी.एन.डी.टी. प्रकोष्ठ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःराज्य पी.सी.पी.एन.डी.टी.प्रकोष्ठ/2010/460 दिनांक : 25/11/2010

परिपत्र क्रमांक – 7/2010

पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अन्तर्गत परिवाद प्रस्तुत करने एवं रिकार्ड संधारण से संबंधित सामान्य दिशा निर्देश

1. राज्य समुचित प्राधिकारी के यह ध्यान में लाया गया है कि, राज्य में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु, जिलों के द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही नहीं की जा रही हैं, पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों की धारा 17 (4) (जी) के अन्तर्गत, राज्य समुचित प्राधिकारी के पास राज्य में अधिनियम के प्रावधानों और नियमों के क्रियान्वयन पर, पर्यवेक्षण करना प्रमुख कार्य है। वर्तमान में जिलों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह ध्यान में आया है कि, समुचित प्राधिकारी निरीक्षण के दौरान, अधिनियम का उल्लंघन पाये जाने के पश्चात भी, विधिक रूप से न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत नहीं करके, विधिक प्रावधनों की अवहेलना कर रहे है, जो गंभीरता की विषयवस्तु है।

2. समुचित प्राधिकारियों के प्रमुख कार्यो में, अधिनियम की धारा 17(4)(सी) के अनुसार अधिनियम/नियमों के उल्लंघन की शिकायतों में, अनुसंधान करना एवं तत्काल कार्यवाही करना तथा धारा 17 (ई) के अन्तर्गत संबंधित केन्द्र के विरूद्ध विधिक कार्यवाही किया जाना एवं धारा 17(4)(जी) के अन्तर्गत अधिनियम/नियमों के क्रियान्वयन पर पर्यवेक्षण रखना, आदि प्रमुख उत्तरदायित्व संबंधित समुचित प्राधिकारी में निहित है।

3. इस अधिनियम का प्रत्येक अपराध संज्ञेय, अजमानती एवं अशमनीय होकर विधिक रूप से गंभीरता धारण करता है। संज्ञेय अपराध में परिवाद प्रस्तुत नहीं करके अपने स्तर पर ही कार्यवाही को समाप्त किया जाना, विधिक आदेशों की अवज्ञा के साथ ही, संबंधित समुचित प्राधिकारी पर विभागीय कार्यवाही एवं अपराधिक उत्तरदायित्व भी निर्धारण करता है। लोक सेवक के रूप में विधिक आदेशों की अवज्ञा करते हुये, अपराध की स्थिति को छुपाया जाकर, दोषी व्यक्ति को विधिक दण्ड से बचाने का कृत्य विभागीय जांच की विषय वस्तु होने के साथ ही पीसीपीएनडीटी अधिनियम एवं भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

4. श्री गंगानगर जिले में, अधिनियम के अन्तर्गत घटित अपराधों के संबंध में, समुचित प्राधिकारियों द्वारा संज्ञेय अपराध में परिवाद प्रस्तुत नहीं किया गया, फलस्वरूप संबंधित समुचित प्राधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित की गई है।

5. जिलों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह भी पाया गया है कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अन्तर्गत जिलों में संधारित की जा रही पत्रावलियां एवं रिकार्ड संधारण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में, नोटशीट का संधारण किये बिना, निर्णय लिये जाकर आदेश जारी किये जाते है, जो उचित नही है। अधिनियम के अन्तर्गत संधारित किया जाने वाला समस्त अभिलेख, न्यायिक कार्यवाही से संबंधित विषय वस्तु होकर, समय–समय पर न्यायालय अथवा

समक्ष प्राधिकारी के समक्ष अभिलेख का प्रमाणीकरण किया जाना, विधिक रूप से आवश्यक हो जाता है। अभिलेख संधारण में पाई गई त्रुटियां अधिनियम के उल्लंघन की विषयवस्तु होकर दण्डनीय अपराध भी है।

6. जिलों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह भी पाया गया है कि जिलो में अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप, रिकार्ड का संधारण नहीं किया जा रहा है एवं जिलों के द्वारा राज्य समुचित प्राधिकारी को समुचित सूचना उपलब्ध नही कराई जा रही है, फलस्वरूप अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। राज्य स्तर के सभी प्रकार की सूचनाओं की प्राप्ति के फलस्वरूप ही राज्य समुचित प्राधिकारी के द्वारा समुचित पर्यवेक्षण एवं अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना संभव है।

7. पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र स्वीकृत किये जाने से पूर्व, नियम 6 की अनुपालना में समुचित प्राधिकारी के द्वारा केन्द्र से संबंध्ति जांच रिपोर्ट पूर्ण की जाकर, पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के प्रश्न पर, सलाहकार समिति की बैठक में सलाह प्राप्त करके, पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वीकृति एवं अस्वीकृति जारी की जती है, किन्तु वर्तमान में जिलों से प्राप्त सूचना के आधार पर यह पाया गया है कि केन्द्र सें संबंधित, समुचित प्राध्किारी के द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट एवं सलाहकार समिति की बैठक में प्राप्त की गई सलाह से संबंधित निर्णय की प्रति, संबंधित पंजीयन पत्रावलियों में उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, कि पंजीयन पत्रावलियां अधिनियम की अनुपालना के अनुरूप वैधानिक रूप से पूर्ण की जावे एवं पजीयन प्रमाण पत्रों की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति प्रावधानों के अनुरूप अभिलेख में संधारित की जावे।

8. राज्य में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित विषय पर राज्य समुचित प्राधिकारी की बैठक में, अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में गहनता से विचार किया गया। राज्य समुचित प्राधिकारी के द्वारा इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया जाकर राज्य में अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये निम्न प्रकार से निर्णय लिये जाकर, समस्त समुचित प्राधिकारियों को एतद् द्वारा निम्न निर्देश प्रदान किये जाते हैः–

(1) जिला नोडल अधिकारी एवं सीएमएचओ कार्यालय के पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ में, प्राप्त शिकायतों/निरीक्षणों से संबंधित एक स्थाई रजिस्टर संधारित किया जावे, जिसमें अब तक किये गये निरीक्षणों/शिकायतों को क्रमानुसार दर्ज किया जाकर, अभिलेख का स्थाई रजिस्टर (निरीक्षण/परिवाद रजिस्टर) संधारण किये जावे। इस रजिस्टर में प्रत्येक मामले में विधिक रूप से क्या कार्यवाही की गई एवं अंतिम नतीजे के बारे में भी प्रविष्टियां सुनिश्चित की जावें, ताकि अधिनियम की अनुपालना में विधिक रूप से, समुचित रिकार्ड संधारित किया जा सकें।

(2) निरीक्षण/शिकायत (वेबसाईट पर प्राप्त शिकायत सहित) प्राप्ति पर, संधारित रजिस्टर में क्रमबद्ध प्रकरणों को दर्ज कर, मामले से संबंधित निरीक्षण/शिकायत की प्रति राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ में प्रेषित की जावें।

(3) प्रत्येक प्रकरण में अनुसंधान के पश्चात अंतिम प्रतिवेदन (नतीजा) दिये जाने पर राज्य, प्रकोष्ठ को अंतिम प्रतिवेदन है की प्रतिलिपि एवं संबंधित समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियां भेजी जावें, जिसमें अंतिम प्रतिवेदन की स्थिति में, न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने पर परिवाद की प्रति मय दस्तावेजात एवं परिवाद नहीं प्रस्तुत करने पर, परिवाद नहीं प्रस्तुत करने एवं कार्यवाही को समाप्त करने के क्या कारण

रहे है कि विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट मय संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां सहित, राज्य प्रकोष्ठ में भेजी जावें।

(4) पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अन्तर्गत अब तक अन्तिम नतीजे दिये गये प्रकरणों में परिवाद प्रस्तुत किये गये प्रकरण तथा जिन प्रकरणों को कार्यवाही समाप्त करके नस्तीबद्ध (फाईल) किया गया है, कि अलग–अलग क्रमानुसार सूची बनाई जाकर संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां सहित राज्य प्रकोष्ठ को सूचना प्रेषित करते हुये रिकार्ड का संधारण किया जावें।

(5) अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों, सूचनाओं, सहमति पत्रों, प्रतिवेदनों, चार्ट, प्रारूप एवं अपेक्षित सभी अन्य दस्तावेजों अथवा स्वतः प्रेरणा के आधार पर लिए गए समस्त निर्णय नोटशीट पर संधारित किये जाकर उनको मूर्तरूप देने के लिए आदेश जारी किये जावे एवं संबंधित आदेश की प्रतिलिपि पत्रावली में आवश्यक रूप से रखी जावे।

(6) जिलों में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अन्तर्गत संधारित की जाने वाली पत्रावलियों से संबंधित समस्त प्रक्रिया, पत्रावलियों पर नियमानुसार नोटशीट संधारित करके पूर्ण की जावे ताकि प्राप्त आवेदन पत्रो, एवं जारी किये जाने वाले आदेशों एवं निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में उत्तरदायित्व का निर्धारण एवं पत्रावली की प्रक्रिया (Process-Day to Day Movement) अभिलेख पर उपलब्ध हो सके जिसको विधिक परिप्रेक्ष्य में आवश्यकतानुसार साबित किया जा सके।

(7) जिलों में केन्द्रो के द्वारा जाने वाले फार्म (फार्म एफ इत्यादि) की प्राप्ति से संबंधित स्थाई अभिलेख संधारण के लिये एक रजिस्टर रखा जाकर, प्रत्येक केन्द्र से प्राप्त होने वाले फार्मस की संख्या एवं प्राप्त होने की दिनांक सहित स्थाई अभिलेख का संधारण किया जावे।

(8) पंजीकरण आवेदन पत्रों पर की गई जांच रिपोर्ट एवं उस पर सलाहकार समिति के द्वार दी गई सलाह से संबंधित बैठक के मिनिट्स का विवरण, संबंधित पंजीकरण पत्रावली में आवश्यक रूप से संलग्न किया जावे एवं इस संबंध में राज्य समुचित प्राधिकारी के द्वारा पूर्व मे दिये गये निर्देशों की अनुपालना में जारी परिपत्र नं. 5/2010 की पालना में जांच की जाकर संबंधित पूर्ण रिकार्ड संधारित किया जावे।

9. अतः यह निर्देशित किया जाता है कि, समस्त समुचित प्राधिकारियों के द्वारा उक्त आदेश की सख्ती से पालना की जावे तथा इस पर की गई कार्यवाही से संबंधित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में राज्य समुचित प्राधिकारी को प्रेतिषत किया जाना सुनिश्चित करें एवं उक्त आदेश का उल्लंघन पाया जाने पर संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होंगे।

Sd/-
(डां. प्रीतम बी यशवन्त आई.ए.एस.)
अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी एवं
विशिष्ठ शासन सचिव (प.क.)
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
3. सदस्य राज्य समुचित, उपविधि परामर्शी (वाद) विधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सहायक निदेशक (आर.सी.एच.) राजस्थान जयपुर।
5. निजी सहायक अतिरिक्त निदेशक (आर.सी.एच.) राजस्थान जयपुर।
6. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी एवं जिला कलेक्टर, राजस्थान।
7. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर।
8. उपनिदेशक (आर.सी.एच.) एवं प्रभारी पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ट, राजस्थान जयपुर।
9. समस्त जिला नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान
10. विधि विशेषज्ञ / स्वास्थ्य प्रबंधक, राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ट, राजस्थान, जयपुर।
11. समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान।
12. सैन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय जयपुर।

Sd/-
(डां. प्रीतम बी यशवन्त आई.ए.एस.)
अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी एवं
विशिष्ठ शासन सचिव (प.क.)
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
राजस्थान जयपुर।

राजस्थान सरकार
कार्यालय राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःराज्य पी.सी.पी.एन.डी.टी.प्रकोष्ठ / 2010 / 461 दिनांक : 25 / 11 / 2010

परिपत्र क्रमांक – 8 / 2010

पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अन्तर्गत सलाहकार समिति की भूमिका

1. राज्य समुचित प्राधिकारी के यह ध्यान में लाया गया है कि, राज्य में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के क्रियान्वयन में सलाहकार समितियों की भूमिका के बारे में अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान होने के पश्चात भी समुचित प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम की अनुपालना में विधि सम्मत निर्णय नही लिये जा रहे है एवं सलाहकार समितियों की सलाह पर आपराधिक प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है जो विधि सम्मत नहीं होकर गंभीरता का विषय है।

2. जिलों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह भी जानकारी में आया है कि समुचित प्राधिकारियों के द्वारा केन्द्रों के निरीक्षण अथवा शिकायतों के आधार पर अधिनियम का उल्लंघन पाये जाने के पश्चात्, सलाहकार समिति की बैठक में आयोजित कर, आपराधिक कार्यवाही से संबंधित निर्णय, सलाहकार समिति की बैठक में पारित करवाये जाते है, फलस्वरूप उन निर्णरूों के आधार पर आपराधिक प्रकरणों में कार्यवाहियों को समाप्त कर दिया जाता है जो विधि सम्मत नही है, क्योंकि अधिनियम की प्रत्येक धारा एवं नियम का उल्लंघन पाये जाने पर धारा 23 एवं 25 के अन्तर्गत, न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करना समुचित प्राधिकारी के लिये विधिक रूप से आवश्यक हो जाता है।

3. अधिनियम में सलाहकार समिति की भूमिका के संबंध में, यहां यह उल्लेखनीय है कि धारा 17(4)(डी) के अन्तर्गत सलाहकार समिति की सलाह केवल पंजीयन प्रमाण पत्र के आवेदन पर एवं पंजीयन प्रमाण पत्र के निलम्बन या निरस्त करने की शिकायत पर तथा धारा 17(4)(आई) के अन्तर्गत प्राप्त शिकायत पर अनुसंधान के पश्चात पंजीयन प्रमाण पत्र के निलम्बन एवं निरस्तीकरण के सम्बन्ध में ही प्राप्त ही जा सकती है, अर्थात केवल पंजीयन प्रमाण पत्र के विनियमन पर ही सलाहकार समिति की सलाह प्राप्त की जा सकती है एवं शिकायतों की जांच में अनुसंधान के पश्चापत प्राप्त तथ्यों के आधार पर, केन्द्र के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही पर निर्णय लेने के लिये, सलाहकार समिति की सलाह प्राप्त नहीं की जा सकती है एवं इस सम्बन्ध में सलाहकार समिति से प्राप्त की गई, अथवा ली गई सलाह, विधिक रूप से व्यर्थ एवं शून्य (Null & Void) है एवं इस प्रकार से लिये गये निर्णय विधिक प्रावधानों के क्षेत्राधिकार से बाहर लिये गये निर्णय है, जो किसी भी प्रकार से सलाहकार समिति के सदस्यों अथवा समुचित प्राधिकारी को अपने विधिक उत्तरदायित्व से मुक्ति प्रदान नहीं करते है, अर्थात इस प्रकार से लिये गये निर्णय विभागीय जांच की विषय–वस्तु होने के साथ ही आपराधिक उत्तरदायित्व का भी निर्धारण करते है।

4. राज्य समुचित प्राधिकारी की बैठक में इन समस्त तथ्यों पर विचार किया जाकर इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया गया एवं राज्य समुचित प्राधिकारी के द्वारा राज्य में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये निम्न प्रकार से निर्णय लिये जाकर समस्त समुचित प्राधिकारियों को एतद् द्वारा निम्न निर्देश प्रदान किये जाते हैः–

   (1) आपराधिक प्रकरणों में केन्द्रो के विरूद्ध परिवाद प्रस्तुत करने से संबंधित निर्णय, समुचित प्राधिकारी के द्वारा अपने स्तर पर लिये जाकर अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं सलाहकार समिति की राय, आपराधिक प्रकरणों में प्राप्त नहीं की जावे।

   (2) आपराधिक प्रकरणों में, सलाहकार समिति द्वारा अब तक पूर्व में दी गई सलाह पर, लिये गये निर्णयों का

पुर्वावलोकन किया जावें एवं प्रकरणवार प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर समुचित प्राधिकारी के द्वारा उन समस्त निर्णयों पर पुनः समीक्षा करके, निर्णय लेते हुये नतीजा प्रदान किया जावें तथा ऐसे प्रकरणों एवं पूर्व में सलाहकार समितियों की सलाह लेने वाले समुचित प्राधिकारियों की सूची तुरन्त राज्य समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत की जावे।

5. अतः यह निर्देशित किया जाता है कि समस्त समुचित प्राधिकारियों के द्वारा उक्त आदेश की सख्ती से पालना की जावे तथा इस पर की गई कार्यवाही से संबंधित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में राज्य समुचित प्राधिकारी को प्रेषित किया जाना आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जावे। उक्त आदेश का किसी प्रकार से उल्लंघन पाया जाने पर संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होंगे।

Sd/-
(डां. प्रीतम बी यशवन्त आई.ए.एस.)
अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी एवं
विशिष्ठ शासन सचिव (प.क.)
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
3. सदस्य राज्य समुचित, उपविधि परामर्शी (वाद) विधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सहायक निदेशक (आर.सी.एच.) राजस्थान जयपुर।
5. निजी सहायक अतिरिक्त निदेशक (आर.सी.एच.) राजस्थान जयपुर।
6. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी एवं जिला कलेक्टर, राजस्थान।
7. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर।
8. उपनिदेशक (आर.सी.एच.) एवं प्रभारी पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ट, राजस्थान जयपुर।
9. समस्त जिला नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान
10. विधि विशेषज्ञ / स्वास्थ्य प्रबंधक, राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ट, राजस्थान, जयपुर।
11. समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान।
12. सैन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय जयपुर।

sd/-
(डां. एम.एल. जैन)
राज्य नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं
निदेशक (प.क.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःराज्य पी.सी.पी.एन.डी.टी.सैल / 2010 / 462 दिनांक : 25 / 11 / 2010

परिपत्र क्रमांक – 9 / 2010

पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अन्तर्गत गई तलाशी, जब्ती, न्यायालय को सूचना प्रदान करने एवं समन्वयक की भूमिका के बारे में सामान्य दिशा – निर्देश

1. राज्य समुचित प्राधिकारी के यह ध्यान में लाया गया है कि, जिला पाली में समुचित प्राधिकारी द्वारा, जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी को निरीक्षण एवं सील सीजर की कार्यवाही के लिये अधिकृत किया गया है, जिसके संबंध में एक केन्द्र के द्वारा जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी के विरूद्ध, पुलिस थाने में अभियोग पंजीबद्ध कराया जाकर उसके द्वारा की गई कार्यवाही एवं उसके आश्य पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न किये गये है।

2. जिलों से प्राप्त सूचना के आधार पर यह भी पाया गया है कि उपखण्ड समुचित प्राधिकारी न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने में स्वयं को असहज अनुभव करते है एवं विधिक कार्यवाही एवं परिवाद की प्रक्रिया से संबंधित कार्यो में, विधिक रूप से रूचि प्रदर्शित नहीं करते है, फलस्वरूप अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। जिलों में निरीक्षण कार्यवाही के समय, अभिलेख में पाई गई त्रुटियों को निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित किया जाता है, किन्तु सम्बन्धित अभिलेख साक्ष्य के तौर पर सीज नही किया जाता, फलस्वरूप न्यायालय में तथ्यों को साबित नहीं किया जा सकता है। जिलो से प्राप्त सूचना के अनुसार यह भी पाया गया है कि प्रकरण में परिवाद प्रस्तुत करते समय परिवाद के संलग्न मूल रिकार्ड प्रस्तुत नही किया जाकर, अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की जा रही है, जो विधि सम्मत नही है।

3. यह भी ध्यान में लाया गया है कि समुचित प्राधिकारियों द्वारा अपराध का उल्लंघन पाया लाने पर, मशीनों को सील सीज करने के पश्चात अपने स्तर पर ही रिलीज कर दिया जाता है जो विधि सम्मत नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत, उल्लंघन के फलस्वरूप किये गये सील / सीजर आपराधिक प्रकरणे मे वास्ते साक्ष्य, वजह सबूत किया जाते है एवं इस प्रकार किये गये सील सीजर, न्यायालय के कार्य क्षेत्र की परिधि में होकर न्यायालय के आदेश से ही संबंधित सम्पत्ति को उन्मोचित (रिलीज) किया जा सकता है। समुचित प्राधिकारी को आपराधिक प्रकरणों में की गई सील सीजर की सम्पति मुक्त करने के विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। जिला समन्वयकों द्वारा भी स्पष्ट विधिक राय पत्रावलियों पर नहीं दी जाकर विधिक कार्यवाही सम्पादन हेतु प्रयास नही किये जा रहे है अथवा समुचित प्राधिकारियों द्वारा भी समन्वयक की विधिक सलाह लेने के प्रयास प्रदर्शित नही किये जा रहे है।

4. राज्य समुचित प्राधिकारी की बैठक में उपरोक्त बिन्दुओं से संबंधित किया गया एवं पाया गया कि अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये तलाशी, जब्ती, उससे संबंधित न्यायालय को सूचना तथा सम्पत्ति का उन्मोचन एवं समन्वयक की भूमिका के बारे में समुचित निर्देश प्रदान किया जाना आवश्यक है, फलस्वरूप राज्य समुचित प्राधिकारी के द्वारा, इस विषय पर राज्य में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये निम्न प्रकार से निर्णय लिये जाकर एतद् द्वारा समस्त समुचित प्राधिकारियों को निम्न निर्देश प्रदान किये जाते हैः–

   (1) समुचित प्राधिकारी में निहित उत्तरदायित्व एवं कार्यवाही की पारदर्शिता के परिप्रेक्ष्य में जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी को निरीक्षण एवं सीजर की कार्यवाही के लिये अधिकृत नही किया जावे, इसके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी के नेंतृत्व में निरीक्षण दल का गठन किया जाकर, जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी को दल के सदस्य के रूप में मनोनीत किया जा सकता है, क्योंकि इससे कार्यवाही की पारदर्शिता भी बनी रहेगी एवं निरीक्षण हेतु अन्य अधिकारी को अधिकृत करना विधिक रूप से अधिनियम से मान्य है।

(2) अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत समुचित प्राधिकारी स्वयं अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी (Officer) के द्वारा तलाशी एवं जब्ती की कार्यवाही की जा सकती है, ऐसी स्थिति में समुचित प्राधिकारी द्वारा अन्य अधिकारी को तलाशी व जब्ति के लिये अधिकृत किया जाकर जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक को भी निरीक्षण दल में अन्य सदस्यों के साथ सदस्य मनोनीत किया जा सकता है, इसी प्रकार परिवार प्रस्तुत करने लिये भी किसी अधिकारी (Officer) को समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किया जाकर, अधिनियम के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जा सकती है।

(3) अधिनियम के उल्लंघन के फलस्वरूप की गई कार्यवाही के दौरान किये गये सील एवं सीजर, दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत किये जाते है एवं इस संबंध में सील एवं सीजर की गई सम्पत्ति को, समुचित प्राधिकारी द्वारा अपने स्तर पर निस्तारण/रिलीज नहीं किया जा सकता, क्योकि आपराधिक प्रकरण में निस्तारण की कार्यवाही भी दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है, अर्थात् ऐसी की गई सील एवं सीजर का निस्तारण न्यायालय के आदेश से ही विधित किया जावे।

(4) जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी का प्रत्येक प्रकरण मे यह उत्तरदायित्व होगा कि प्राप्त तथ्यों के आधार पर संबंधित समुचित प्राधिकारी को विधिक सलाह/सहायता प्रदान की जावेगी एवं समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में जिला समन्वयक से विधिक सलाह प्राप्त की जा सकेगी।

(5) निरीक्षण के समय अभिलेख में पाये गये उल्लंघन से संबंधित अभिलेख को आवश्यक रूप से सील किया जावे एवं परिवाद के साथ सक्षम न्यायालय में मूल अभिलेख को प्रस्तुत किया जावे।

(6) राज्य समुचित प्राधिकारी बहुसदस्यीय प्राधिकारी है एवं राज्य में अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पर्यवेक्षण के परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा निर्णय लिये जाकर, क्रियान्विती हेतु आदेश जारी किये जाते है, जिसमें न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने से संबंधित आदेश भी है, चूंकि बहुसदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी का न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित होना क्रियात्मक रूप से संभव एवं समुचित नहीं है, एवं उनके द्वारा जो भी निर्णय लिये जाते है, प्राप्त साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर लिये जाते है, ऐसी स्थिति में परिवाद प्रस्तुत करने से संबंधित आदेशों को संबंधित समुचित प्राधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा न्यायालय में साबित किया जा सकेगा एवं राज्य समुचित प्राधिकारी के अध्यक्ष तथा सदस्यों को न्यायालय में प्रस्तुत परिवाद को साक्षीगणों की सूची में नही रखा जावे।

(7) न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने पर मूल दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किये जाकर दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां कार्यालय पत्रावली रखी जावे।

(8) चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की मार्ग निर्देशिका में अंकित निर्देशों की अनुपालना में, प्रत्येक सील एवं सीजर की सूचना सक्ष्म न्यायालय में आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे।

5. अतः यह निर्देशित किया जाता है कि समस्त समुचित प्राधिकारियों के द्वारा उक्त आदेश की सख्ती से पालना की जावे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होंगे।

Sd/-
(डां. प्रीतम बी यशवन्त आई.ए.एस.)
अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी एवं
विशिष्ठ शासन सचिव (प.क.)
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
3. सदस्य राज्य समुचित, उपविधि परामर्शी (वाद) विधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सहायक निदेशक (आर.सी.एच.) राजस्थान जयपुर।
5. निजी सहायक अतिरिक्त निदेशक (आर.सी.एच.) राजस्थान जयपुर।
6. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी एवं जिला कलेक्टर, राजस्थान।
7. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर।
8. उपनिदेशक (आर.सी.एच.) एवं प्रभारी पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ट, राजस्थान जयपुर।
9. समस्त जिला नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान
10. विधि विशेषज्ञ / स्वास्थ्य प्रबंधक, राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ट, राजस्थान, जयपुर।
11. समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान।
12. सैन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय जयपुर।

sd/-
(डां. एम.एल. जैन)
राज्य नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं
निदेशक (प.क.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःराज्य पी.सी.पी.एन.डी.टी.सैल / 2010 / 463 दिनांक : 25 / 11 / 2010

परिपत्र क्रमांक – 10 / 2010

पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरणों को अन्वेषणधीन रखने से संबंधित सामान्य दिशा–निर्देश

1. राज्य समुचित प्राधिकारी के यह ध्यान में लाया गया है कि, वर्तमान में सवमुचित प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण / शिकायतो पर कार्यवाही की जाकर पत्रावलियों को लम्बे समय तक अन्वेषणाधीन रखा जाता है, जबकि पीसीपीएनडीटी अधिनियम से संबंधित प्रकरण औसत रूप से एक से दो माह में (प्रकरण की प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में) निस्तारित किये जा सकते है, लेकिन समुचित प्राधिकारी अनावश्यक रूप से अपने स्तर पर प्रकरणों को लम्बित रख रहे है, एवं यह भी पाया गया है कि, प्रकरणों पर कार्यवाही को अपने स्तर पर ही रोक दिया जाता है, जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है।

2. राज्य समुचित प्राधिकारी के यह ध्यान में लाया गया है कि, वर्तमान में राज्य स्तर पर जिलो में लम्बित प्रकरणों के सम्बन्ध में, राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ में पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं होने के फलस्वरूप, राज्य समुचित प्राधिकारी के द्वारा समुचित पर्यवेक्षण का अभाव रहता है, फलस्वरूप अन्वेषणाधीन रखे जाने वाले प्रकरणों के द्वारा समुचित पर्यवेक्षण का अभाव रहता है, दृष्टि से दिशा निर्देश दिया जाना आवश्यक है, ताकि अन्वेषणाधीन प्रकरणों की अवधि एवं उनके अनुसंधारत रखने के औचित्य पर भी समुचित रूप से पर्यवेक्षण रखा जाकर प्रकरणों को अनावश्यक रूप से समुचित प्राधिकारियों के स्तर पर लम्बित नही रख जा सके।

3. राज्य समुचित प्राधिकारी की बैठक में अधिनियम के अन्तर्गत लम्बित अनुसंधानरत प्रकरणों एवं उनकी अवधि के सम्बन्ध में विचार किया गया फलस्वरूप निम्न प्रकार से निर्णय किया जाकर समस्त समुचित प्राधिकारियों को एतद् द्वारा निम्न निर्देश प्रदान करते हुए प्रकरणों को अनुसंधानरत रखा जाने के लिये इस प्रकार समय सीमा निर्धारित की जाती हैः–

   (1) प्रथम एक माह तक प्रकरण अनुसंधारत समुचित प्राधिकारी के स्तर पर रखा जा सकेगा।

   (2) एक माह के पश्चात आगामी दो माह तक (एक–एक माह के लिये) प्रकरण के अनुसंधानरत रखे जाने की स्वीकृति, जिला समुचित प्राधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर प्रदान की जा सकेगी।

   (3) तीन माह से अधिक प्रकरण अनुसंधानरत होने पर प्रत्येक एक माह के लिये प्रकरण अनुसंधानरत रखने की स्वीकृति, राज्य समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।

   (4) बिन्दु सं. 3(2) एवं 3(3) में वर्णित स्वीकृति संबंधित अनुसंधान अधिकारी के द्वारा पूर्व प्राप्त की गई स्वीकृति की समयावधि समाप्त होने से पूर्व, सक्षम अधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रपत्र संलग्न) में प्रस्तुत की जाकर प्राप्त की जावे, जिसमें प्रकरण को अनुसंधान रखने के कारणों बाबत् पूर्ण औचित्य प्रकट किया जाकर, तथ्य अंकित करते हुये स्वीकृति प्राप्त की जावे।

   (5) वर्तमान में एक मह से अधिक समस्त अन्वेषणाधीन प्रकरणों में, संबंधित अनुसंधान अधिकारी के द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रकरण अनुसंधानरत रखने की स्वीकृति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

   (6) जिलों में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों / निरीक्षणों से संबंधित कितने प्रकरण समुचित प्राधिकारी के पास वर्तमान में अन्वेषणाधीन होकर लम्बित चल रहे है, यह सूचना लम्बित प्रकरणों

की सूची सहित, प्रत्येक माह की मासिक रिपोर्ट के साथ राज्य प्रकोष्ठ में प्रेषित की जावे।

4. अतः यह निर्देशित किया जाता है कि समस्त समुचित प्राधिकारियों के द्वारा उक्त आदेश की सख्ती से पालना की जावे तथा इस पर ही गई कार्यवाही से संबंधित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में राज्य समुचित प्राधिकारी को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें एवं उक्त आदेशों किसी भी प्रकार से उल्लंघन पाया जाने पर संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होंगे।

Sd/-
(डां. प्रीतम बी यशवन्त आई.ए.एस.)
अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी एवं
विशिष्ठ शासन सचिव (प.क.)
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
3. सदस्य राज्य समुचित, उपविधि परामर्शी (वाद) विधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सहायक निदेशक (आर.सी.एच.) राजस्थान जयपुर।
5. निजी सहायक अतिरिक्त निदेशक (आर.सी.एच.) राजस्थान जयपुर।
6. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी एवं जिला कलेक्टर, राजस्थान।
7. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर।
8. उपनिदेशक (आर.सी.एच.) एवं प्रभारी पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ट, राजस्थान जयपुर।
9. समस्त जिला नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान
10. विधि विशेषज्ञ / स्वास्थ्य प्रबंधक, राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ट, राजस्थान, जयपुर।
11. समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान।
12. सैन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय जयपुर।

sd/-
(डां. एम.एल. जैन)
राज्य नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं
निदेशक (प.क.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

प्रकरण अनुसंधारत रखने की स्वीकृति का प्रारूप
(प्रारूप दो प्रतियों में प्रस्तुत करें)

क्रमांक दिनांक

प्रेषकः– समुचित प्राधिकारी...

प्रेषितिः– *1. राज्य समुचित प्राधिकारी, द्वारा राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ जयपुर

*2. जिला समुचित प्राधिकारी, जिला...

विषय : प्रकरण अनुसंधानरत रखने की स्वीकृति बाबत् प्रकरण विरूद्ध..............

....

महोदय,

निवेदन है कि प्रकरण को दिनांक .... से .... तक अनुसंधानरत रखने की स्वीकृति प्रदान करावें, स्वीकृति प्राप्त करने करने बाबत् रिपोर्ट दो प्रतियों में प्रस्तुत है। प्रकरण में अब तक, सक्षम प्राधिकारी.. के द्वारा आदेश क्रमांक.. दिनांक .... के जरिये दिनांक .... से... तक प्रकरण अनुसंधानरत रखने की स्वीकृति प्राप्त की गई है एवं अब तक प्रकरण में निम्न कार्यवाही पूर्ण की जाकर वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :– (संक्षेप में प्रकरण के तथ्य एवं अब तक पूर्ण की गई कार्यवाही का विवरण अंकित करे)

....

....

....

प्रकरण अनुसंधानरत रखने के कारण (संक्षेप में प्रकरण मे की जाने वाली कार्यवाही के बाबत् तथ्य एवं विवरण अंकित करे)

....

....

....

....

....

....

*जिला समुचित प्राधिकारी/राज्य समुचित प्राधिकारी

क्रमांक दिनांक

प्रकरण विरूद्ध...

में दिनांक .... से .... तक प्रकरण अनुसंधानरत रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस अवधि में प्रकरण का आवश्यक रूप से निस्तारण किया जावे।

सक्षम प्राधिकारी

(जिला समुचित प्राधिकारी/राज्य समुचित प्राधिकारी)

राजस्थान सरकार

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःपीसीपीएनडीटी.सेल / 2010 / 523 दिनांक : 07 / 12 / 2010

परिपत्र क्रमांक – 11 / 2010

पीसीपीएनडीटी एक्ट, 1994 के अन्तर्गत निरीक्षण प्रक्रिया को सुदृढ करने हेतु राज्य में **PCPNDT INSPECTION REPORT (PIR)** प्रणाली लागू करने के क्रम में दिशा निर्देश

1. राज्य सरकार के यह ध्यान में लाया गया है कि गर्भाधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 (इसके पश्चात अधिनियम सम्बोधित किया जायेगा) के अन्तर्गत किये जा रहे निरीक्षणों से संबंधित वर्तमान में जिलों में जो निरीक्षण प्रक्रिया अपनाई जा रही है, वह प्रभावी नहीं है एवं अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन लिये आवश्यक है कि, निरीक्षण प्रक्रिया को सुदृढ रूप से लागू किया जावें।

2. यहॉ यह भी निर्देशित किया जाना समीचीन है कि प्रत्येक अधिनियम **(Act)** के अन्तर्गत संधारित समस्त अभिलेखों का अधिकृत दस्तावेजों पर ही संधारण किया जाना विधिक अनिवार्यता है वर्तमान में जिला स्तर पर अधिनियम के अन्तर्गत संधारित अभिलेख में एकरूपता नहीं होने एवं अधिकृत दस्तावेजों पर संधारित नहीं होने के कारण, विधिक ग्राहय्ता **(Legal Admissbility)** पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है।

3. राज्य में अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन एवं निरीक्षणों से संबंधित, अभिलेख संधारण में समानता के परिप्रेक्ष्य में तथा निरीक्षणों को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि निरीक्षणों के संबंध में एक प्रारूप PCPNDT INSPECTION REPORT (PIR) प्रणाली लागू की जावे, फलस्वरूप पीआईआर प्रणाली को दिनांक 01.01.11 से निम्न प्रकार से लागू करने के लिए एतद् द्वारा निम्न निर्देश प्रदान किये जाते हैः–

    1. निदेशालय द्वारा समुचित प्राधिकारियों को निरीक्षण के लिए पीआईआर प्रारूप का रजिस्टर उपलब्ध कराया जावेगा, जिसके प्रत्येक प्रारूप पर एक अलग क्रमानुसार पीआईआर प्रारूप की संख्या भी अंकित होगी अर्थात् उस अधिकृत दस्तावेज पर ही निरीक्षण कार्यवाही सम्पन्न की जावे। प्रत्येक निरीक्षण को एक स्थाई पीआईआर संख्या आवंटित की जाकर समुचित प्राधिकारियें द्वारा स्थाई अभिलेख संधारित किया जावे एवं समुचित प्राधिकारियों द्वारा उक्त प्रारूप को क्रमानुसार उपयोग में लाया जावें। एक बार उपयोग में लाये गये पीआईआर को नष्ट नहीं किया जाकर यह एक स्थाई संरक्षित अभिलेखों में रखा जावेगा।

    2. निदेशालय द्वारा प्रत्येक समुचित प्राधिकारी को वितरित उक्त पीआईआर रजिस्टर पर राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ की सील लगी होगी एवं उस रजिस्टर में उपलब्ध पेज संख्या को प्रभारी पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ के द्वारा प्रमाणित किया जाकर संबंधित पीआईआर रजिस्टर समुचित प्राधिकारियों को निदेशालय के द्वारा वितरण किये जायेंगे। एवं राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ मे उन वितरण किये गये पीआईआर रजिस्टरों का स्थाई रिकार्ड संधारित किया जावें। उक्त प्रणाली लागू होने के पश्चात् इस अधिनियम के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही से संबंधित समस्त निरीक्षण समुचित प्राधिकारियों द्वारा पीआईआर के प्रारूप मे दर्ज किये जाकर पीआईआर की एक प्रमाणित फोटो प्रति तुरन्त राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ को प्रेषित की जावे ताकि राज्य स्तर पर प्रभावी पर्यवेक्षण रखा जा सके।

    3. पीआईआर के प्रत्येक प्रारूप के एक क्रमांक पर दो प्रतियां (Duplicate) होगी, जिसमें मूल प्रति निरीक्षण पत्रावली मे तथा कार्बन प्रति पीआईआर रजिस्टर में स्थाई रूप से संधारित होकर संरक्षित होगी। प्रत्येक

निरीक्षण को समुचित प्राधिकारी द्वारा क्रमानुसार/वर्षवार क्रमांक दिया जाकर प्रत्येक निरीक्षण का प्रकरण/निरीक्षण क्रमांक आवंटित किया जावेगा अर्थात् उदाहरणस्वरूप उपखण्ड समुचित प्राधिकारी जयपुर प्रथम, जयपुर के द्वारा 01 जनवरी 2011 को यदि निरीक्षण किया गया है तो पीआईआर क्रमांक 1/2011 दिनांक 01.01.2011 तथा समुचित प्राधिकारी जयपुर प्रथम अंकित किया जाकर प्रकरण को चिन्हित किया जावेगा। इस प्रकार यह प्रकरण उक्त पीआईआर नम्बर से स्थाई नामित होगा, इसके पश्चात जयपुर प्रथम समुचित प्राधिकारी द्वारा किये जा रहे समस्त निरीक्षण उसी पीआईआर रजिस्टर में क्रमानुसार दर्ज किये जाकर स्थाई अभिलेख संधारित किया जावे तथा एक पीआईआर रजिस्टर पूर्ण उपयोग में लाया जाने पर दूसरा पीआईआर रजिस्टर को प्रयोग में लाया जावेगा। उक्त रजिस्टर में से कोई भी प्रारूप, कारणवश प्रयोग मे नही लिये जाने अथवा प्रयोग के दौरान गलत भर जाने के फलस्वरूप निरस्त किया जाकर उसकी प्रति भी राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ को अविलम्ब प्रेषित की जावेगी अर्थात पीआईआर के समस्त प्रारूपों की प्रमाणित प्रतियां क्रमानुसार ही राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ में स्वीकार की जा सकेगी।

4. प्रत्येक समुचित प्राधिकारी के द्वारा क्रमानुसार निरीक्षण पर क्षेत्रवार क्रमानुसार वार्षिक अवधि के पीआईआर नम्बरों को पंजीकृत किया जावे जो 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक एक वर्ष के लिये क्रमबद्ध संख्या के रूप में पंजीकृत होगे एवं नये वर्ष पुनः क्रमांक 1 से पीआईआर पंजीकरण प्रारम्भ होगा।

5. संबंधित समुचित प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि उनको प्राप्त पीआईआर रजिस्टर पूर्ण उपयोग लेने से पूर्व ही अतिरिक्त पीआईआर रजिस्टर की प्रतियां राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ से प्राप्त की जाकर अपने पास रिजर्व मे रखी जवे तथ पीआईआर रजिस्टरों को समुचित प्राधिकारी द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखा जावे।

6. राज्य सरकार द्वारा यूएनएफपीए (UNFPA) के सहयोग से एक शिकायत प्राप्ति वैबसाईट www.hamaribeti.nic.in शुरू की गई है। जिस पर किसी भी व्यक्ति द्वारा पीसीपीएनडीटी एक्ट,1994 के उल्लंघन के संबंध में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। उक्त शिकायते राज्य, जिला एवं उपखण्ड स्तर पर पहुँचती है। जिसका विधिक निस्तारण करना संबंधित समुचित प्राधिकारी का उत्तरदायित्व है। उक्त शिकायत के निस्तारण के दौरान, समुचित प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाकर निरीक्षण से संबंधित पीआईआर क्रमांक का उल्लेख, शिकायत पर की गई कार्यवाही संबंधित विवरण में बेवसाईट पर दर्ज किया जावे, जिससे पीआईआर नम्बर शिकायत के निस्तारण पश्चात स्थाई रूप से बेवसाईट पर कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध हो सके।

7. राज्य समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी परिपत्र संख्या 7/2020 की अनुपालना में खोले गये निरीक्षण/परिवाद रजिस्टर में प्रत्येक पीआईआर को क्रमानुसार दर्ज किया जाकर स्थाई अभिलेख संधारित किया जावे।

4. अतः यह निर्देशित किया जाता है कि समस्त समुचित प्राधिकारियों के द्वारा उक्त आदेश की सख्ती से पालना की जावे तथ इस पर की गई कार्यवाही से संबंधित पालना रिपोर्ट पीआईआर प्रणाली लागू होने के 7 दिवस में राज्य समुचित प्राधिकारी को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें एवं उक्त आदेश का किसी भी प्रकार से उल्लंघन पाया जाने पर संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

यह आदेश 01 जनवरी 2011 से प्रभावशील होंगे।

sd/-
(बी.एन. शर्मा आई.ए.एस.)
प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
विभाग, राजस्थान सरकार

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
3. सदस्य राज्य समुचित, उपविधि परामर्शी (वाद) विधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. डॉ0 (श्रीमती) परम नवदीप सिंह, विधायक सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी राजस्थान जयपुर
5. राज्य नोडल अधिकारी, पीसीपीएनडीटी एवं निदेशक, (आरसीएच) राजस्थान जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक (आर.सी.एच.) राजस्थान जयपुर।
7. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी एवं जिला कलेक्टर, राजस्थान।
8. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर।
9. उपनिदेशक (आर.सी.एच.) एवं प्रभारी पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ट, राजस्थान जयपुर।
10. समस्त जिला नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान
11. विधि विशेषज्ञ / स्वास्थ्य प्रबंधक, राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ट, राजस्थान, जयपुर।
12. समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान।
13. सैन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय जयपुर।

sd/-
डां. प्रीतम बी यशवन्त आई.ए.एस.)
विशिष्ठ शासन सचिव (प0क0)
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
विभाग, राजस्थान सरकार

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
राज्य पी0सी0पी0एन0डी0टी0 प्रकोष्ठ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः राज्य पीसीपीएनडीटी.प्रकोष्ठ/2011/2793 दिनांक : 02/12/2011

परिपत्र–12/2011

विषयः– फार्म ''एफ'' की ऑडिट का कार्य जिला समन्वयक द्वारा सम्पादन कराया जाकर विधिक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

1. निदेशालय के यह ध्यान में आया है कि जिला पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ में फार्म ''एफ'' ऑडिट हेतु कम्प्यूटर ऑपरेटर मय कम्प्यूटर ऐजेन्सी के मार्फत लिये जाने की स्वीकृति निदेशालय से प्रदान किये जाने के पश्चात् भी जिलों में फार्म ''एफ'' की ऑडिट कार्य सुचारू रूप से प्रारम्भ नहीं किया गया है। जिला पीसीएनडीटी समन्वयक के द्वारा फार्म ''एफ'' की ऑडिट की जाकर पायी गयी कमियों पर ऑडिट रिपोर्ट संबंधित उपखण्ड समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत करते हुये विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कराने का दायित्व है, जो कि जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयको द्वारा सम्पादित नहीं किया जा रहा है फलस्वरूप संबंधित समुचित प्राधिकारी को वस्तविक स्थिति की जानकारी का अभाव रहता है एवं अभिलेख संधारण में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किये गये उल्लंघन की विधिक कार्यवाही सुनिश्चित नही की जा रही है।

2. पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 (इसके पश्चात अधिनियम संबोधित किया जायेगा) की धारा 4(3) के अनुसार ''गर्भवती महिला पर अल्ट्रासोनोग्राफी करने वाला व्यक्ति ऐसे तरीके मे जिलसे विहित किया जायें क्लिनिक मे उसका पूर्ण रिकार्ड रखेगा और उसमें पायी गयी कोई भी कमी या अयर्थाथता अधिनियम की धारा 5 या धारा 6 के प्रावधानों के उल्लंघन में परिमाणित होगा, जब तक की ऐसी अल्ट्रासोनाग्राफी करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिकूलता साबित नही हो''। अभिलेख मे पायी गयी कमी या अयथार्थता के संबंध में माननीय गुजराज उच्च न्यायालय द्वारा Suo Moto Vs. State of Gujarat (2009 CriL.1721) में दिनांक 30.09.2008 को निर्णित निम्न विवद्यक तथ्यें का निर्धारण किया गया हैः–

(i) Whether the burden lies on the authority to prove that there was contravention of the provisions of Section 5 and 6 of the PNDT Act?

(ii) Whether any deficiency or inaccuracy in filling From-F as required under the statutory provisions is merely a procedural lapse?

माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक तथ्यों पर निम्न प्रकार से निर्णय दिया गयाः–

(i) In a case based upon allegation of deficiency or inaccuracy in maintenance of record in the prescribed manner as required under Sub-section (3) of Section 4 of the PNDT Act, the burden to prove that there was contravention of the provisions of Section 5 or 6 does not lie upon the prosectuion.

(ii) Deficiency or inaccuracy in filling From F prescribed under Rule 9 of he Rules made under the PNDT Act, being a deficiency or inaccuracy in keeping reecord in the prescribed manner it is not a procedural lapse but an independent offence amounting to contravention of the provisions of Section 5 or 6 of the PNDT Act and has to be treated and tried acordingly. It does not however, mean that each inaccuracy or deficiency in

maintaining the requisite record may be as serious as violation of the provisions of Section 5 or 6 of the Act and the Court would be justified while imposing punishment upon conviction in taking a lenient view in cases of only technical, formal or insignificant lapses in filling up the forms.

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत केन्द्र को अभिलेख का संधारण किया जाना आवश्यक है तथा अभिलेख संधारण पर पर्यवेक्षण एवं फार्म ''एफ'' की ऑडिट का कार्य एक सतत् प्रक्रिया है एवं इसके आधार पर केन्द्रों द्वारा प्रत्येक की गयी सोनोग्राफी के अभिलेख पर समुचित प्राधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण रखा जाकर अधिनियम के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करायी जा सकती है। अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य मे अभिलेख की ऑडिट मे पाये गये उल्लंघन/साशय लोप का निर्धारण माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा किये गये विनिश्चय एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किया जावे।

3. जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक द्वारा प्रत्येक माह में ''सभी पंजीकृत केन्द्रों द्वारा भेजे गये'' फार्म ''एफ'' की ऑडिट की जाकर, उसका विवरण अगले माह का 5 तारीख तक संलग्न प्रारूप (प्रारूप 'क' एवं 'ख') में निदेशालय भिजवाया जावे। समान्यतया एक दिवस में 100 फार्म 'एफ' की ऑडिट की जा सकती है, एवं जिला समन्वयक द्वारा रोस्टर के आधार पर यह सुनिश्चित किया जावें की प्रत्येक केन्द्र के हर माह में कम से कम 50 फार्म ''एफ'' की ऑडिट का कार्य सम्पन्न कराया जावे एवं जहां पर 50 से अधिक पंजीकृत केन्द्र है वहां पर रोस्टर के आधार पर क्रमानुसार प्रत्येक केन्द्र द्वारा भेजे गये फार्म ''एफ'' की ऑडिट का कार्य सुनिश्चित कराया जावे। सोनोग्राफी रजिस्टर तथा फार्म ''एफ'' में उपलब्ध सूचना का तुलनात्मक रूप में परीक्षण किया जाकर अभिलेख में कमी तथा अयथार्थता का आंकलन किया जावें। निरीक्षण कार्यवाही के समय प्राप्त अभिलेख की ऑडिट के क्रम में सोनोग्राफी रजिस्टर की ऑडिट प्रपत्र ''ग'' एवं ''घ'' (संलग्न) के अनुसार एवं रसीद बुकों की ऑडिट प्रपत्र ''ड'' (संलग्न) के अनुसार सम्पन्न कराया जाकर ऑडिट रिपोर्ट मुख्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

4. अतः निर्देशानुसार लेख है उपरोक्त दिशा निर्देशों की पालना की जाकर प्रत्येक जिला समन्वयक द्वारा केन्द्रों के फार्म ''एफ'' की ऑडिट का कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न किया जावे एवं सबंधित समुचित प्राधिकारी एवं जिला नोडल अधिकारी के द्वारा ऑडिट कार्य अपने निकटतम पर्यवेक्षण में पूर्ण कराया जाकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पालना की जाना सुनिश्चित किया जावें। प्रत्येक माह में किये गये फार्म एफ की ऑडिट का विवरण अगले माह की 5 तारीख तक निदेशालय को प्रेषित किया जाना आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जावे। उक्त आदेश की किसी भी प्रकार से अवहेलना किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है एवं तत्काल प्रभावशील होग।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ''प्रपत्र'' ।

sd/-
निदेशक (प0क0) एवं
राज्य नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव (प0क0) एवं अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं जिला कलेक्टर, राजस्थान।
4. उपनिदेशक (आर.सी.एच.) एवं प्रभारी पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ट, राजस्थान जयपुर।
5. समस्त जिला नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान
6. समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान।
7. सैन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

sd/-
निदेशक (प0क0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

प्रपत्र 'क'

संस्था का नाम तथा पता जिला..

फार्म ''एफ'' मे पीसीपीएनडीटी एक्ट / नियमों के उल्लंघन से संबंधित पाई गई अनियमितताओं साशय अवैध लोप की सूचना

बिन्दू सं0	अनियमितताओं का विवरण	फार्म ''एफ'' का कॉलम नं0	योग सामान्य लोप
1	क्लिनिक का नमा व पता अंकित नहीं है	1	
2	रजिस्ट्रेशन नं0 अंकित नहीं है	2	
3	रोगी का नाम व उम्र अंकित नही है	3	
4	कुल बच्चों की संख्या मय लिंगवार की सूचना अंकित नही है	4	
5	पति/पिता का नाम अंकित नहीं है	5	
6	पूर्ण पता मय टेलीफोन नम्बर यदि हो अंकित नहीं है	6	
7	रेफरल डॉ0 का नाम व पता एवं रेफरिल स्लिप उपलब्ध नही है	7	
8	अंतिम महावरी की अवधि/गर्भ के सप्ताह की सूचना अंकित नही है	8	
9	परिवार के आनुवंशकीय/चिकित्सकीय रोग का विवरण अंकित नही है	9	
10	गर्भ पूर्व निदान के संकेतक अंकित नही है	10	
11	डॉ0 का नाम, रजिस्ट्रेशन नं0 जिनके द्वारा प्रक्रिया पूर्ण की गई का विवरण अंकित नही है	11	
12	प्रक्रिया में यदि कोई जटिलता हो का विवरण अंकित नही है	12	
13	प्रयोगशाला परीक्षण अभिशंषित किये गये हो का विवरण अंकित नही है	13	
14	प्रसव पूर्व निदान प्रक्रिया के परिणाम का विवरण अंकित नही है	14	
15	प्रक्रिया पूर्ण की गई की दिनांक अंकित नही है	15	
16	सहमति प्राप्त करने की दिनांक अंकित नही है	16	
17	प्रसव पूर्व निदान प्रक्रिया के परिणाम को सूचित करने की दिनांक/व्यक्ति का नाम अंकित नही है	17	
18	एमटीपी की सलाह/पूर्णता की गई का विवरण अंकित नही है (In case of invasive)	18	
19	एमटीपी करने की दिनंक अंकित नही है	19	
20	डॉ0 का नाम/हस्ताक्षर/रजिस्ट्रेशन नं0 अंकित नही है	Det.D	
21	फार्म ''एफ'' भरने की दिनांक/स्थान अंकित नही है	Dt. Place	
22	गर्भवती महिला की घोषणा मय हस्ताक्षर के अंकित नही है	DOPW	
23	सोनोग्राफी करने वाले डॉ0 का घोषणा पत्र मय नाम व हस्ताक्षर अंकित नही है।	DD	
	कुल ''एफ'' फार्म–कुल योग साशय लोप/उल्लंघन		

संकेतः–

Details of Doctor = Detl. Dr.

Date & Place = Dt. Place

Declaration of Pregnant Woman = DOPW

Declaration of Doctor = D.D.

प्रपत्र 'ख'

संस्था का नाम एवं पता

फार्म ''एफ'' मे पीसीपीएनडीटी एक्ट/नियमों के उल्लंघन से संबंधित पाई गई अनियमितताओं साशय अवैध लोप की सूचना (दिनांक से दिनांक तक)

क्र स.	दिनांक	मरीज का नाम	अनियमितताओं/ साशय अवैध लोप बिन्दुवार क्रमांक																							कुल लोप
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1																										
2																										

INDICATION :- No=N Yes=Y

अधिनियम की पालना किया जाना :– Yes=Y

अधिनियम की पालना नही किया जाना:– No=N

उपरोक्त प्रारूप मे फार्म 'एफ' का क्रमांक देते हुये प्रारूप में दिनांक एवं मरीज का नाम भरा जावें। 1 से 23 बिन्दू तक प्रारूप क में वर्णितानुसार एवं अधिनियम के अन्तर्गत फार्म एफ के निर्धारित प्रारूप को आधार मानकर अधिनियम की पालना नही की जाकर लोप पाये जाने पर N एवं अधिनियम की पालना की जाकर लोप नही पाये जाने पर Y भरा जावे। इसी प्रकार क्रम संख्या में पाये गये लोप कुल लोप के नीचे अंकित किये जावे एवं बिन्दु संख्या मे पाये गये लेप का सर्व योग के सामने अंकित किये जावें।

प्रपत्र 'ग'

संस्था का नाम एवं पता रजिस्टर के संधारण मे पायी गयी अनियमिताएं/साशय, अवैध लोप का लेखा

(दिनांक से दिनांक तक)

रजिस्टर का संधारण देखे नियम 9 (1)			
क्र. सं.	पायी गयी अनियमिताए / साशय अवैध लोप का विवरण	रजिस्टर का कॉलम नं0	कुल अनियमिताएं/साशय अवैध लोप
1	क्रम संख्या	1	
2	स्त्री अथवा पुरूष का नाम एवं पता	2	
3	जॉच	3	
4	पिता अथवा पति का नाम	4	
5	जॉच की दिनांक	5	
6	रजिस्टर में इन्द्राज लेकिन 'एफ' फार्म उपलब्ध नहीं	6	
	कुल अनियमिताएं/साशय, अवैध लोप		

प्रपत्र 'घ'

संस्था का नाम एवं पता रजिस्टर के संधारण मे पायी गयी अनियमिताएं/साशय, अ वैध लोप का लेखा (दिनांक से दिनांक तक)										
रजिस्टर का संधारण देखे नियम 9(1)										
क्र. सं.	रजिस्टर की क्रम सं0	दिनांक	नाम	पायी गयी अनियमिताएं/साशय अवैध लोप का कॉलम वार विवरण						कुल लोप
				1	2	3	4	5	6	
				क्रम सं0	स्त्री अथवा पुरूष का नाम एवं पता	जॉच	पिता अथवा पति का नाम	जॉच की दिनांक	रजिस्टर में इन्द्राज लेकिन 'एफ' फॉर्म उपलब्ध नही	
1										
2										
लोप का सर्व योग										
Indication:-No=N, Yes=Y										
0=0 ILLEGAL OMISSION/VIOLATION										
नोटः										

उपरोक्त प्रारूप में रजिस्टर में लिखी गयी प्रत्येक प्रविष्टियों की ऑडिट की जावें। अधिनियम की पालना नही की जाकर लोप पाये जाने पर N एवं अधिनियम की पालना की जाकर लोप नही पाये जाने पर Y भरा जावें। इसी प्रकार पये गये लेप का सर्व योग प्रारूप की दायें कॉलम में अंकित किया जावें। नोट वाले कॉलम मे अगर कोई विशेष नोट की जाने वाली टिप्पणी हो तो अंकित की जावें जैसे की रजिस्टर मे नाप होने के उपरान्त भी फार्म ''एफ'' नही पाया जाना इत्यादि।

प्रपत्र 'ड'

संस्था का नाम एवं पता केन्द्र से सीज की गयी रसीदों बुको मे उपलब्ध विवरण						
क्र. सं.	रसीद का नं.	दिनांक	मरीज का नाम उम्र एवं लिंग	की जाने वाली जॉच का विवरण	प्राप्ति राशि	फार्म 'एफ' संधारित किया या नहीं Y/N
1						
2						
3						
नोटः						

नोट :– ऑडिट मे पाये उल्लंघन के बारे में विस्तृत तथा स्पष्ट नोट प्रत्येक तालिका के नीचे अलग से स्पष्टीकरण के रूप में अंकित किया जावे ताकि उल्लंघन का भली भांति उल्लेख किया जाकर स्पष्ट किया जा सके।

GOVERNMENT OF Rajasthan
Directorate of Medical Health & Family Welfare
State P.C.N.D.T. Cell
Rajasthan, Jaipur

State PCNDT Cell/2010/cir/2888 **Date-21.12.2011**

CIRCULAR NO. 13/2011

Subject:- Keeping of form "F" along with personal record of patient in safe custody under the PCPNDT Act 1994 and to prevent the unauthorized access of such records"

1. The undersigned is directed to invite attention to provision contained in the Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994(hereinafter called the PCPNDT Act) Medical Termination of Pregnancy Act 1971 (hereinafter called the MTP Act and the Right to Information Act 2005 (hereinafter called the RTI Act) which provides for preventing the unauthorized access of form "F" along with personal records of patients sent from sonography centres.
2. It has been observed during correspondence with Dist PCPNDT cells and enquiries of complaints received against sonography centres that photo copies of Form "F" under the RTI Act, which is not in accordance with law, it has been found during the enquiry that photo copies of Form "F" which were enclosed with complaint against centres were not issued by the concerned CMHO and original form "F" of those photo copies were found missing from the records of CMHO office. It causes grievous concern for maintenance of records under the PCPNDT Act.
3. It has been also observed that many RTI Act application asking for copies of Form "F" have been considered by the District CMHO Jaipur I & Jaipur II and copies of form "F" were issued, which requires due attention of the department. This matter attrct provisions of RTI Act as well as other laws because Form "F" is the personal records of pregnant women, whose disclosure attract to invasion into the patient's right to privacy and attract provisions of MTP Act too.
4. It has been further recently brought to notice of the directorate that form "F" are not being kept in the safe custody and are laying in the common place in inappropriate manner within the reach of every employee of the office at CMHO office Jaipur I and Jaipur II. There is not sufficient place or separate room for keeping the personal medical records of patients as per intention of the provision of the PCPNDT Act as well as above said laws. It requires directions to be issued to concerned officers to keep medical Form "F" of patients in safe custody with appropriate manner and access of such information may be restricted subject to condition under the RTI Act.
5. **In this context it is entirely appropriate to mention Legal Seenario as follows:-**

   The applications which are received under RTI act asking for photo copies form "F" should be viewed under the entire context of laws and should be analysed properly under the provisions of the RTI Act, keeping in view the provisions of MTP Act and the matter recently decided by the Hon'ble Bombay HIgh Court regarding the submission on form "F" and images of patients stored in silent observer equipment embedded with sonography machine.

   The provision of the MTP Act and PCPNDT Act are reflecting on same panorama on maintenance of record as per parameter of pregnancy related information. After filling of form "F" for pregnant women is continuation of that termination of pregnancy take place if required. Filling of form "F" is mandatory for pregnant women under the PCPNDT Act. There are column in form "F" as follows :-

   18. was MTP advised/conducted?

   19. Date of MTP which carried out.

   The MTP Act does not permits the disclose of any information related to termination of pregnancy which also attract to provisions regarding maintenance of record under PCPNDT Act in the same manner on unwarrented in vasion of the privacy of the individual. As mentioned above form "F" is same document which bear information for pregnancy along with MTP. Thus form "F" is protected document, which covered under MTP act too.
6. ***Provisions of Maintenance of records in safe custody along with secrecy under the MTP Act are as follows :-***

   Medical Termination of Pregnancy REgulations, 2003

   4. *Custody of forms,-*

(1) The consent given by a pregnant women for the termination of her pregnancy, together with the certified opinion recorded section 3 or section 5, as the case may be and the intimation of termination of pregnancy shall be placed in an envelope which shall be sealed by the registered medical practitioner of practitioners by whom such termination of prignency was performed and until that envelope is sent to the head of the hospital or owner of the approved place or the Chief Medical Officer of the state, it shall be kept in the safe custody of he concerned registered medical practitioner or practitioners, as the case may be.

(2) On every envelope refereed to in sub-regulation (I) pertaining to the termination of pregnancy under section 3, there shall be noted the serial number assigned to the pregnant women in the admission registger and the name of the registered medical practitioner or practitioners by whom the pregnancy was terminated and such envelope shall be marked "SECRET"

(3) Every envelope referred to in sub-regulation (2) shall be sent immediately after the termination of the pregnancy to the head of the hospital or owner of the approved place where the pregnancy was terminated.

(4) On receipt of the envelope refereed to in sub-regulation(3), the head of the hospital or owner of the approved place shall arrange to keep the same in safe custody.

(5) On every envelope referred to in sub-regulation (1), pertaining to the termination of pregnancy under section 5, there shall be noted the name and address of the registered medical practitioner by whom the pregnancy was terminated and the date on which the pregnancy was terminated and such envelope shall be marked "SECRET".

EXPLANTION

The columns pertaining to the Hospital or approved place and the serial number assigned to the pregnant women in the Admission Register shall be left blank in form I in the case of termination performed under section 5.

5. Maintenance of Admission Register,-

(3) Admission Register shall be a secret document and the information contained therein as to the name and other particulars of the pregnant women shall not be disclosed to any person.

6. Admission Register not to be open to inspection,-

The Admission Register shall be kept in the safe custody of the head of the hospital or owner of the approved place, or by any person authorized by such head or owner and save as otherwise provided in sub-regulation (5) of regulation 4 shall not be open for inspection by any person except under the authority of law:-

Provided that the registered medical practitioner on the application of an employed women whose pregnancy has been terminated, grant a certificate for the purpose of enabling her to obtain leave from her employer, Provided further that any such employer shall not disclose this information to any other person.

7. *In context of a recent case of the PCPNDT Act, regarding submission of form "F" and maintenance of records, observtion held by Hon'ble Bombay HIgh Court that access to the information contained in the sonography test by any other person would be subject to invasion into the patient's right to privacy are as follows :-*

(High Court of Judicature At Bombay Civil Appellate Jurisdiction (Writ Petition No. 797 of 2011) Dr. Jignesh Gokuldas Thakker, versus Union of India & Others Judgment Pronounced on: 26 August 2011 CORAM : Mohit S. Shah, C.J. & Smt. R.P. Sondurabaldota,J.)

In this petition, the petitioner has challenged action of Collector and District Magistrate, Kolhapur in issuing Circular dated 10 March 2010 Whereby all doctors, sinologists and radiologists practing in Kolhapur District are called upon to install device Silent Observer in their sonography/ultra-sounds machines. According to the petitioner, this machine and its sofware enables the collector to directly review at district headquarters at Kolhapur to scan images of the patient which is illegal, against the provisions of the act and invades privacy of the pateients. It is contended that under the Rules, the ultra-sound clinics and other bodies governed by Act and the Rules are given time upto 5th day of the next month for submitting information in the format which is to be signed by the doctor and the patient. However, public notice dated 14 January 2011 (Exhibit "F") issued by the collector and District Magistrate requiring the doctors/sonologists/Radiologists to transmit form - F on line within 24 hours is without authority of law

(Para-4)

At the hearing of the petition, the learned advocate as well as the learned counsel for the petitioner sought

discarge, as the Coordinator of the petitioner-association himself desired to argue the case. Accordingly, Dr. Jignesh G. Thakker, Coordinator of the petitioner-association made the following submission:-

(i) The impugned letter/circular of the collector and District Magistrate, Kolhapur requiring the doctors/radiologists/sonologists to submit form "F" is without authority of law and not supported by any provisions of the act or the Rules.

(ii) The patient gives consent for sonography test to be conducted by the concerned doctor/radiologists/

Sonologists and gives no consent for giving access to the information contained in the sonography test to any other person. Hence, there is invasion into the patient's right to privacy.

(iii) The sonography test is undertaken by a preganant women in view of faith and trust on the rediologists/sonologsists/doctor that all the information relating the test will remain confidential and private. However, the impugned actions of the Collector and District Magistrate, Kohapur result into breach of confidentiality and privacy and therefore, constitute an offence punishable under section 72 of the information Technology Act, 2000.

(Para-13)

Having regard to the aforesaid principles and considering the matter in the factual backdrop already highlighted hereinabove that the information contained in "F" form submitted on line is submitted only to the collector and District Magistrate and that except the authorized officer no third party can have access to it and that the information contained in the silent observer remains embedded on the ultrasound machine and that after analysis of the information contained in "F" form submitted on-line, the appropriate authority or the officer authorized by the authority has to access the information contained in the silent observer including the visual images, we are of the considered opinion that there is no vilation of the doctor's duty of confidentiality or the patient's right to privacy.

(Para 40)

Before parting with the matter, in order to allay an apprehension that any person, other than the appropriate authority or a medical person may have access to such information, we make it clear that the appropriate authority shall not allow access to such date stored in a silent observer to a non medical officer except himself and senior oficer not below the rank of Deputy Collector and that no access shall be given to such images in silent observer to any lower officer of the Revenue Department or to any officer in the Police Department below the rank of Deputy Superintendent of Police, except when such information is required in connection with or for the purpose of registration of offence. As regards medical personnel, only medical officer of the rank of Civil surgeon or deans or medical college or officers - incharge in the silent observer. In our view, it will be open to the radiologists/sonologsists/doctor incharge of ultrasounds clinic to require that such images in a silent observer may be accessed by such a medical officer in the presence of the appropriate authority or an officer authorized by the appropriate authority.

subject to the above observations, Hon'ble High Court find no merit in this petition. The petition is accordingly, dismissed.

8. The Provision of the RTI Act is follows :-

The Right to information Act, 2005

Section 8, (1) Notwithstanding anything contained in this Act, there shall be no obligation to give any citizen,-

(i) information which relates to personal information the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual unless the Central Public Information officer or the State Public Information or the appellate authority, as the case may be, is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information;

9. **Regulations for keeping of Form "F" along with personal records of patients in safe custody under the PCPNDT Act 1994 and to prevent the unauthorized access of such records:-**

As mentioned above, after having reegard to the context of entire laws on this issue and placing reliance upon citiation of Hon'ble Bombay High Court regarding directions upon access of information of pregnancy including Form "F". It is undestood that access of form "F" is protected under section 8 (1) (J) of RTI Act 2005, which would otherwise cause unwarranted invasion of the privacy of the individual unless it should be decided at appropriate forum as per intenion of the RTI Act.

With a view to above mentioned facts the matter has been examined and it has been further decided

that keepign of Form "F" along with personal records of patient shall be ensured in safe custody as per provision of the PCPNDT Act. The unauthorized access of such records should not be allowed and all District Nodal Officers & CMHO's are directed that:-

(1) All records maintained under the PCPNDT Act shall be examined and ensured that all the form "F" along with personal medical records of patients shall be kept in safe custody in separate room and shall not allow access to such information to unauthorized person against the laws.

(2) Custodian of such recrods along with CMHO would be held responsible if unauthorized access of such information is found and departmental enquiries on misconduct would be initiated against such person for non compliance of this order.

(3) Acess of such information under RTI Act is restricted subject to the condition of the provision of the section 8 (1) Ij) which would cause unwarranted invasion of the privacyof the individual accordingly, Unless the Central Public Information Officer or the state pubLic information officer or the appellate authority, as the case may be, is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information.

(4) All such records obtained under the PCPNDT Act shall be kept as directed and send a compliance report of action taken within 15 days with satisfaction that all such records have been placed under the safe custody and unauthorized access is not possible in any manner.

This issue bears approval of competent authority and order shall take effect immediately.

(Gayatri Rathore, I.A.S.)
Special Secretary (FW)
Medical and Health Department
Rajasthan, Jaipur

State PCPNDT Cell/2011/cir/ **Date**

Copy to information and necessary action:-

1. PS to Principal Secretary, Medical Health Dept., Rajasthan, Jaipur.
2. PS to Chairperson, State Appropriate Authority & Special Secretary Health Rajasthan, Jaipur.
3. Director (FW) & State Nodal Officer, PCPNDT, Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur.
4. All Dist. Appropriate Authorities, Distt. Collector, Rajasthan.
5. All Joint Director Zones, Medical & Health Services, Rajasthan.
6. Additional Director (RCH) Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur.
7. Deputy Director (RCH) & Incharge State PCPNDT Cell, Medical & Health Services Rajasthan, Jaipur.
8. All Dist. Nodal Officers & CMHO's Rajasthan.
9. All Sub-District Appropriate Authorities, Rajasthan
10. Health Manager/Legal Expert/Crime Bench, State PCPNDT Cell, Rajasthan, Jaipur.
11. Central Server Room, HQ Jaipur, Rajasthan.

Direcor (RCH) &
State Nodal Officer,
Medical and Health Services
Rajasthan, Jaipur

राजस्थान सरकार
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःपीसीपीएनडीटी.सेल / 2012 / 198 दिनांक : 15 / 02 / 2012

परिपत्र क्रमांक – 14 / 2012

पीसीपीएनडीटी एक्ट, 1994 के अन्तर्गत प्रकरणों में विधिक सलाह प्राप्त की जाकर न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने से संबंधित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किये जाने के क्रम में दिशा निर्देश

1. राज्य सरकार के यह ध्यान में लाया गया है कि गर्भधारण–पूर्व अैर प्रसव–पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 (इसके पश्चात अधिनियम सम्बोधित किया जायेगा) के अन्तर्गत निरीक्षणों एवं शिकायतों से संबंधित प्रकरणों में अनुसंधान पूर्ण किया जाकर, ठोस साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन विशेषज्ञ की विधिक सलाह प्राप्त करते हुए पूर्ण विधिक प्रारूप तैयार कर परिवाद प्रस्तुत किया जाना समीचीन है।

2. अधिनियम के अन्तर्गत जिला स्तर पर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किये जा रहे परिवाद वर्तमान में उपखण्ड समुचित प्राधिकारी एवं जिला समुचित प्राधिकारी के द्वारा अपने स्तर पर निर्णय लिया जाकर प्रस्तुत किये जा रहे है। जिला स्तर से प्रस्तुत किये जा रहे इन प्रकरणों में विधिक सलाह लिये जाने का कार्य संबंधित समुचित प्राधिकारी पर ही निर्भर है एवं जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयकों द्वारा भी अपने स्तर पर उनके ज्ञान के आधार पर प्रकरणों के परिवाद का प्रारूप तैयार कर न्यायालय मे प्रकरण प्रस्तुत किया जा रहे है। फलस्वरूप इसमें प्रभावी प्रक्रिया का निर्धारण किया जाना समीचीन है।

3. यहॉ यह भी निर्देशित किया जाना समीचीन है कि इस अधिनियम का उल्लंघन किया जाना संज्ञेय, अजमानती एवं अशमनीय अपराध है। अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन लिये यह आवश्यक है कि समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुसंधान में ठोस साक्ष्य एकत्रित कर विधिक सलाह के आधार पर अनुसंधान मे रही कमियों की पूर्ति करते हुये परिवाद प्रस्तुत किये जावें कि प्रकरणों में सफलता प्राप्त की जाकर अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।

4. वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ में विशिष्ठ लोक अभियोजक (पीसीपीएनडीटी) नियुक्त किया जा चुका है। फलस्वरूप राज्य स्तर से प्रकरणों के अभियोजन का पर्यवेक्षण एवं विशिष्ठ लोक अभियोजक (पीसीपीएनडीटी) से प्रकरणों के सम्बन्ध में विधिक सलाह ली जाकर परिवाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। प्रकरणो मे विधिक सलाह के आधार पर परिवाद प्रस्तुत करने की प्रशासनिक स्वीकृति विभिन्न स्तरों पर प्रदान करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश प्रदान किये जाना ाी समीचीन है ताकि राज्य स्तर से प्रकरणों के अभियोजन पर सुचारू पर्यवेक्षण करते हुये अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके।

5. राज्य में सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले परिवाद के प्रकरणों पर विशिष्ठ लोक अभियोजक (पीसीपीएनडीटी) से विधिक सलाह ली जाकर, अनुसंधान मे रह रही कमियों की पूर्ति के पश्चात परिवाद ठोस साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करने के लिये यह निर्देशित किया जाना समीचीन है कि परिवाद प्रस्तुत करने से पूर्व संबंधित समुचित प्राधिकारी के द्वारा जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक के साथ अन्तिम प्रतिवेदन रिपोर्ट के निर्धारित प्रारूप में पत्रावली प्रभारी राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ को प्रेषित कर विशिष्ठ लोक अभियोजक (पीसीपीएनडीटी) की कानूनी राय प्राप्त की जावें तत्पश्चात कानूनी राय के अनुसार प्रकरण मे रही कमियों की पूर्ति की जाकर न्यायालय में

परिवाद प्रस्तुत किया जावें।

6. राज्य स्तर से विधिक सलाह प्राप्त करने के पश्चात उपखण्ड समुचित प्राधिकारियों के द्वारा अनुसंधान किये जाने वाले प्रकरणों में परिवाद प्रस्तुत करने की प्रशासनिक स्वीकृति जिला समुचित प्राधिकारी एवं जिला कलेक्टर के द्वारा प्रदान की जायेगी एवं जिला समुचित प्राधिकारी के द्वारा अनुसंधान किये जाने वाले प्रकरणों में परिवाद प्रस्तुत करने की प्रशासनिक स्वीकृति अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी के द्वारा प्रदान की जायेगी।

7. जिलों के प्रकरणों में राज्य स्तर से विधिक सलाह प्राप्त की जाने के पश्चात् संबंधित समुचित प्राधिकारी की राय में प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक सलाह में किसी प्रकार का मतान्तर पाये जाने पर प्रकरण का निस्तारण करने से संबंधित अंतिम निर्णय अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी के निर्देशानुसार ही प्रदान किया जा सकेगा।

8. बहुसदस्यीय राज्य समुचित प्राधिकारी के द्वारा अनुसंधान किये गये प्रकरणों में राज्य समुचित प्राधिकारी के निर्णय के पश्चात् परिवाद प्रस्तुत करने की प्रशासनिक स्वीकृति अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी के द्वारा प्रदान की जायेगी।

9. अतः यह निर्देशित किया जाता है कि समस्त समुचित प्राधिकारियों के द्वारा उक्त आदेश की सख्ती से पालना की जावे तथा उक्त आदेश का किसी भी प्रकार से उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होंगे।

sd/-

(बी.एन. शर्मा आई.ए.एस.)
प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
विभाग, राजस्थान सरकार

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
4. सदस्य राज्य समुचित, उपविधि परामर्शी (वाद) विधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. डॉ0 (श्रीमती) परम नवदीप सिंह, विधायक सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी, राजस्थान, जयपुर
6. राज्य नोडल अधिकारी, पीसीपीएनडीटी एवं निदेशक (आरसीएच) राजस्थान जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक (आरसीएच) राजस्थान जयपुर।

8. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी एवं जिला कलेक्टर, राजस्थान।

9. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर।

10. उपनिदेशक (आर.सी.एच.) एवं प्रभारी पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ट, राजस्थान जयपुर।

11. समस्त उपखण्ड अधिकारी एवं समुचित प्राधिकारी, राजस्थान।

12. समस्त जिला नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान

13. विशिष्ठ लोक अभियोजक (पीसीपीएनडीटी) राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ राजस्थान।

14. विधि विशेषज्ञ/स्वास्थ्य प्रबंधक, राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ट, राजस्थान, जयपुर।

15. समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान।

16. सैन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय जयपुर।

sd/-
विशिष्ठ शासन सचिव (प0क0)
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
विभाग, राजस्थान सरकार
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःपीसीपीएनडीटी.सेल / 2012 / 199 दिनांक : 15 / 02 / 2012

परिपत्र क्रमांक – 15 / 2012

पीसीपीएनडीटी एक्ट, 1994 के अन्तर्गत प्रकरणों से संबंधित अनुसंधान कार्य, निस्तारण, अभियोजन प्रक्रिया तथा स्थायी अभिलेखसंधारण के क्रम में दिशा–निर्देश

1. राज्य सरकार के यह ध्यान में लाया गया है कि गर्भधारण–पूर्व अैर प्रसव–पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 (इसके पश्चात् अधिनियम सम्बोधित किया जायेगा) के अन्तर्गत निरीक्षणों एवं शिकायतों से संबंधित जांच / अनुसधान किया जाकर, वर्तमान में जिलों के द्वारा न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिये अनुसंधान से ठोस साक्ष्यों के आधार पर प्रकरणों का निस्तारण, अभियोजन प्रक्रिया तथा स्थायी अभिलेख संधारण के क्रम में दिशा–निर्देश प्रदान किया जाना समीचीन है।

2. यह भी ध्यान में लाया गया है कि "अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरणों में अनुसंधान के पश्चात् अंतिम प्रतिवेदन (नतीजा) दिया जाने एवं स्थायी अभिलेख संधारित किया जाने के संबंध में जिला स्तर पर समुचित अभिलेख का संधारण नहीं किया जा रहा है। जिलों के द्वारा प्रस्तुत की जा रही सूचना के अनुसार अन्तिम नतीजे के प्रकरण से संबंधित पूर्ण विवरण सहित दस्तावेज संलग्न नहीं करके, मात्र यह सूचना निदेशालय को प्रेषित की जा रही है कि इस प्रकरण में क्लोजर रिपोर्ट प्रदान की जा चुकी है एवं जिलों के द्वारा यह सूचना प्रस्तुत नहीं की जा रही है कि उनके पास अधिनियम के अन्तर्गत कितने प्रकरण अन्वेक्षणाधीन है एवं उनके क्या कारण है"।

3. जिलों से प्राप्त सूचना के आधार पर यह भी पाया गया है कि समुचित प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण कार्यवाही किये जाने के पश्चात् संबंधित केन्द्र की पंजीयन पत्रावली एवं केन्द्र से सीज किये गये दस्तावेजों का परीक्षण नही किया जाकर, मात्र निरीक्षण के समय मौके पर पाये गये उल्लंघन के परिपेक्ष्य में अपूर्ण अनुसंधान के आधार पर ही परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किये जा रहे है जो अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है।

4. यहॉ यह भी निर्देशित किया जाना समीचीन है कि इस अधिनियम का उल्लंघन किया जाना संज्ञेय, अजमानती एवं अशमनीय अपराध है एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में अपराध घटित होने से संबंधित साक्ष्य की अस्पष्टता होने पर उन तथ्यों के बारे में अनुसंधान किया जाना समुचित प्राधिकारी का दायित्व है। निरीक्षण के दौरान निरीक्षण अधिकारी का यह कर्तव्य है कि अधिनियमों के प्रावधानो के अनुरूप निरीक्षण में पायी गयी कमियों / उल्लंघन का पूर्ण विवरण वह उपलब्ध दस्तावेज पर अंकित करे तत्पश्चात् अनुसंधान के दौरान पंजीयन पत्रावली एवं सीज किये गये तथा समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत किये गये उपलब्ध रिकार्ड से समग्र साक्ष्य संकलन कर अनुसंधान रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में नतीजा प्रदान करें। निरीक्षण के समय तैयार किये गये दस्तावेजों में किसी प्रकार की सूचना की कमी अथवा अपूर्णता पाये जाने पर अनुसंधान के दौरान साक्ष्य संकलन से पूर्णता प्राप्त की जाकर, उल्लंघन पाये जाने पर न्यायालय में ठोस साक्ष्यों के आधार पर परिवाद प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जावें ताकि प्रकरण में सफलता प्राप्त की जा सके।

5. समुचित प्राधिकारी के द्वारा प्रशासनिक रूप से अपने वरिष्ठतम सक्षम प्राधिकारी से प्रकरण के अंतिम नतीजे का अनुमोदन प्राप्त किये बिना अपने स्तर पर ही संबंधित पंजीकृत केन्द्र को निरीक्षण के दौरान सीज किये अभिलेख को लौटा दिया जाता है जिसके फलस्वरूप अनुसंधान के नतीजे बाबत तर्कसंगत तथ्यों की जानकारी पर्यवेक्षणीय सक्षम प्राधिकारी को प्राप्त नहीं होने से प्रकरणों के नतीजे पर समुचित पर्यवेक्षण रखा जाना संभव नहीं हो रहा है।

6. राज्य सरकार के द्वारा प्रकोष्ठ में विशिष्ठ लोक अभियोजक (पीसीपीएनडीटी) की नियुक्ति की जाने के पश्चात्

सभी प्रकरणों में विधिक सलाह के आधार पर परिवाद प्रस्तुत किये जाने के दिशा निर्देश अलग से परिपत्र जारी किया जाकर प्रदान किये जा रहे है इसी संदर्भ में प्रकरणों में अनुसंधान पूर्ण किया जाकर नतीजा प्रदान किये जाने एवं प्रकरणों से अंतिम नतीजे के प्रारूप ''अंतिम प्रतिवेदन रिपोर्ट'' को निर्धारित किया जाकर, उसी के अनुरूप जिलों से प्रत्येक प्रकरण में सूचना प्राप्त करते हुये प्रकरणों का तर्कसंगत निस्तारण करने के लिये राज्य स्तर से पर्यवेक्षण रखा जाना समीचीन है।

7. राज्य में अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अनुसंधान कार्य पूर्ण किया जाकर, प्रकरण का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। प्रत्येक प्रकरण में अनुसंधान पश्चात् उल्लंघन पाये जाने पर ठोस साक्ष्यों सहित परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किये जावें एवं विभिन्न स्तरों पर पर्यवेक्षण रखा जाकर, प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित कर अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार के द्वारा एतद से निम्न निर्देश प्रदान किये जाते हैः–

   1. अधिनियम के अन्तर्गत सभी प्रकरणों में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण अभिलेख का परीक्षण कर अनुसंधान पूर्ण किया जावे एवं परिशिष्ट ''अ'' के प्रारूप में नतीजा प्रदान कर विधिक सलाह एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

   2. अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये सभी प्रकरणों के नतीजे की ''अंतिम प्रतिवेदन रिपोर्ट'' संलग्न परिशिष्ट ''अ'' के प्रारूप में संलग्न दस्तावेजों सहित राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ को प्रेषित की जाकर, अभिलेख का समुचित संधारण किया जावे।

   3. अधिनियम के अन्तर्गत अब तक अन्तिम नतीजे दिये गये प्रकरण जिनमें परिवाद प्रस्तुत किये गये प्रकरण तथा कार्यवाही समाप्त कर नस्तीबद्ध (फाईल) किये गये प्रकरण की अलग–अलग क्रमानुसार सूची बनाई जाकर, संबंधित दस्तावेजों/प्रस्तुत परिवाद की प्रतियां सहित राज्य प्रकोष्ठ को सूचना प्रेषित करते हुये स्थायी अभिलेख का संधारण जिला एवं राज्य स्तर पर किया जावे।

   4. निरीक्षण के दौरान सीज किये अभिलेख को समुचित प्राधिकारी के द्वारा अपने स्तर पर नहीं लौटाया जावे एवं प्रकरण के नतीजे की सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पश्चात् अभिलेख की आवश्यकता नहीं होने पर ही केन्द्र को अभिलेख लौटाया जावें।

   5. परिपत्र क्रमांक 10/2010 के द्वारा प्रकरणों को अन्वेक्षणाधीन रखने से संबंधित दिये गये सामान्य दिशा निर्देश की पालना की जाकर प्रत्येक माह की मासिक रिपोर्ट के साथ लंबित प्रकरणों की कारण सहित सूची प्रकोष्ठ में प्रेषित की जावें।

   6. जिला पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ में विभाग द्वारा पंजीबद्ध कराये गये प्रत्येक प्रकरण (पुलिस प्रथम सूचना सहित) की पत्रावली स्थायी रूप से संधारित की जावे एवं पत्रावली की एक प्रति राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ में संधारित की जावें। न्यायालय में प्रस्तुत किये गये प्रकरणों में प्रत्येक दिनांक की प्रगति रिपोर्ट जिला नोडल अधिकारी के द्वारा जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी के मार्फत प्राप्त की जाकर, प्रगति बाबत राज्य प्रकोष्ठ को भी नियमित रूप से अवगत करायें ताकि राज्य स्तर से अभियोजन प्रक्रिया पर पर्यवेक्षण किया जा सके।

8. अतः यह निर्देशित किया जाता है कि समस्त समुचित प्राधिकारियों के द्वारा उक्त आदेश की सख्ती से पालना की जाकर इस पर की गई कार्यवाही से सम्बन्धित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें एवं उक्त आदेश का किसी भी प्रकार से उल्लंघन पाया जाने पर संबंधित विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होंगे।

sd/-

(बी.एन. शर्मा आई.ए.एस.)
प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
विभाग, राजस्थान सरकार

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
4. श्री बी.के. गुप्ता, सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी, उपविधि परामर्शी (वाद) विधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. डॉ0 (श्रीमती) परम नवदीप सिंह, विधायक सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी, राजस्थान, जयपुर
6. राज्य नोडल अधिकारी, पीसीपीएनडीटी एवं निदेशक (आरसीएच) राजस्थान जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक (आरसीएच) राजस्थान जयपुर।
8. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी एवं जिला कलेक्टर, राजस्थान।
9. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर।
10. उपनिदेशक (आर.सी.एच.) एवं प्रभारी पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ट, राजस्थान जयपुर।
11. समस्त उपखण्ड अधिकारी एवं समुचित प्राधिकारी, राजस्थान।
12. समस्त जिला नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान
13. विशिष्ठ लोक अभियोजक (पीसीपीएनडीटी) राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ राजस्थान।
14. विधि विशेषज्ञ / स्वास्थ्य प्रबंधक, राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ट, राजस्थान, जयपुर।
15. समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान।
16. सैन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय जयपुर।

sd/-

विशिष्ठ शासन सचिव (प0क0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान जयपुर

अंतिम प्रतिवेदन / रिपोर्ट

1. पी.आई.आर. नं. .... निरीक्षक दिनांक :..

2. निरीक्षण अधिकारी का नाम एवं पद नामः ....

3. अन्य निरीक्षण सदस्यों का विवरण नाम व पद नाम सहितः

....

....

....

4. केन्द्र का नाम व पताः

....

....

....

5. केन्द्र संचालक का नामः

....

....

6. निरीक्षण के दौरान केन्द्र में सोनोग्राफी हेतु कार्यरत चिकित्सक का नामः

....

....

....

7. निरीक्षण के समय केन्द्र पर पाये गये उल्लंघन/कमियों का विवरणः

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

8. निरीक्षण के दौरान जब्त दस्तावेजों एवं उपकरण का विवरण :–

क्र. सं.	जब्त दस्तावेजों का विवरण	सीज/सील उपकरण का विवरण	सील उपकरण किस व्यक्ति की अभिरक्षा में है (नाम व पता)	सील उपकरण मालखानों में रखा गया है तो क्या मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज किया गया है विवरण एवं समर्थित दस्तावेज संलग्न करें।
1.				

9. पंजीयन मूल पत्रावली के अनुसार केन्द्र संचालक का नाम एवं पंजीयन के समय केन्द्र में सोनोग्राफी हेतु कार्यरत चिकित्सक का नाम तत्पश्चात् नियम 13 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं का विवरण (संलग्न दस्तावेज)

....

....

10. जब्त रिकॉर्ड का परीक्षण एवं केन्द्र द्वारा नियम 9 के अन्तर्गत पालना की सम्पूर्ण रिपोर्ट का परीक्षण एवं विस्तृत विवरण (संलग्न दस्तावेज)

....

....

....

नोटः– रिकॉर्ड से तात्पर्य है कि रिकार्ड अन्तर्गत धारा 29 सपठित नियम 9 (एफ–फार्म, सोनोग्राफी रजिस्टर, रेफरल स्लिप, इलेक्ट्रोनिक रिकार्ड आदि)

11. अनुसंधान का विस्तृत विवरण (अनुसंधान प्रारम्भ से समाप्त होने तक समर्थित दस्तावेज संलग्न करते हुये):

....

....

....

....

....

12. विनियमन कार्यवाही का विस्तृत विवरण (केन्द्र का पंजीयन निलम्बन/निरस्तीकरण एवं सोनोग्राफी मशीन का मेक मोडल का विवरण के साथ सील व सीजर/सील मुक्त की वस्तुस्थिति का उल्लेख किया जाना आवश्यक है) (संलग्न दस्तावेज):–

....

....

....

....

....

13. अंतिम रिपोर्ट का प्रकार (अपराध बनना पाया गया तो किस व्यक्ति के विरूद्ध किन धाराओं/नियमों का उल्लंघन पाया गया है, अपराध अन्तर्गत धारा का विस्तृत विवरण तथ्यों सहित/अपराध नहीं बनना पाया जाता है तो विस्तृत विवरण कारण सहित) (संलग्न दस्तावेज):–

....

....

, ...

....

....

नोटः–

1. अंतिम प्रतिवेदन रिपोर्ट के साथ सूची गवाहान एवं सूची दस्तावेज संलग्न किये जावें।
2. अनुसंधान समाप्ति पर अपराध नहीं बनने पर यह माना जायेगा कि उक्त केन्द्र में पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 के सभी प्रावधानों व नियमों का पालन किया जा रहा है।

अंतिम रिपोर्ट देने की दिनांक :–

संबंधित समुचित अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम व पद नाम की मोहर

राजस्थान सरकार

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःपीसीपीएनडीटी.सेल/परिपत्र/2012/ दिनांक :

परिपत्र क्रमांक – 16/2012

राज्य में गर्भ–धारण एवं प्रसव–पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 का प्रभावी क्रियान्वयन एवं लम्बित प्रकरणों के निस्तारण बाबत।

1. राज्य में गर्भ–धारण पूर्व एवं प्रसव–पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक प.23(2) चि. एवं स्वा.3/2003 पार्ट दिनांक 05.01.2012 जारी की जाकर, उपखण्ड स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के स्थान पर उपखण्ड अधिकारी (Sub Divisional Officer) को उपखण्ड समुचित प्राधिकारी बनाया गया है।

2. जिला एवं उपखण्ड स्तर पर अधिनियम के अन्तर्गत किये गये निरीक्षणों/शिकायतों में समुचित प्राधिकारी के द्वारा अनुसंधान पूर्ण किया जाकर, उल्लंघन पाया जाने पर सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने का दायित्व संबंधित समुचित प्राधिकारी में निहित है। इस संदर्भ में यहाँ यह भी निर्देशित करना समीचीन है कि समुचित प्राधिकारी के द्वारा अधिनियम की धारा 28(1)(ए) के अन्तर्गत अधिकृत अधिकारी के माध्यम से भी सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कराया जा सकता है तथा राज्य स्तर से समय–समय पर यह निर्देश प्रदान किये गये है कि संबंधित समुचित प्राधिकारी के द्वारा लंबित प्रकरणों में तुरन्त अनुसंधान पूर्ण कर नतीजा प्रदान किया जावें एवं अधिनियम के उल्लंघन की स्थिति में सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करते हुयें पालना रिपोर्ट से निदेशालय को अवगत करावें। राज्य सरकार द्वारा इस संदर्भ में परिपत्र क्रमांक 14 एवं 15 दिनांक 15.05.2012 प्रकरणों में न्यायालय में परिवाद प्रस्तुति करने एवं अनुसंधान कार्य से संबंधित दिशा–निर्देशों के संदर्भ में जारी किये गये है जिनकी पालना सुनिश्चित की जानी है।

3. राज्य स्तर से दिये गये निर्देशों के पश्चात् भी लंबित प्रकरणों में अनुसंधान पूर्ण कर पालना रिपोर्ट से निदेशालय को अवगत नहीं कराया गया है तथा यह भी ध्यान में लाया गया है कि उपखण्ड अधिकारी (Sub Divisional Officer) को उपखण्ड समुचित प्राधिकारी बनाया जाने के पश्चात् संबंधित पूर्व के उपखण्ड समुचित प्राधिकारियों द्वारा अन्वेषणधीन प्रकरणों की पत्रावलियां संबंधित उपखण्ड समुचित प्राधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है जिनमें नतीजा दिया जाकर अधिनियम मे उल्लंघन की स्थिति में सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किये जाने है।

4. निदेशालय द्वारा दिनांक 01.04.2007 से 31.12.2010 तक अधिनियम के अन्तर्गत समस्त जिलों में किये गये निरीक्षणों की भी सूचना प्राप्त की जाकर, उनमें पाये गये उल्लंघन के आधार पर दोषी चिकित्सकों/केन्द्रो के विरूद्ध अनुसंधानरत प्रकरणों में अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप परिवाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने के लिये समय–समय पर निर्देश प्रदान किये गये, किन्तु इसकी पालना निर्देशों के अनुरूप जिलों के द्वारा नही की गयी है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जनहित याचिका, डीबीपीआईएल पीटीशन नं0 3270/2012 में दिनांक 30.03.2012 में पारित आदेश के संदर्भ में चाही गयी सूचना प्रस्तुत करने से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.03.2012 से 2 माह के भीतर जिला स्तर पर अनुसंधानरत प्रकरणों में कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाना आवश्यक है।

5. यह भी ध्यान में लाया गया है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला नोडल अधिकारी कार्यालय में

केन्द्र के पंजीयन प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदन, नवीनीकरण तथा अन्य प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तुरन्त संबंधित उपखण्ड समुचित प्राधिकारी को पत्रावली प्रेषित नहीं की जाती है एवं आवेदन पत्रों को अनावश्यक लंबित रखा जाता है फलस्वरूप निश्चित अवधि में प्रकरणों का निस्तारण नही किया जा रहा है एवं नवीनीकरण के आवेदन पत्र पर 90 दिवस में निर्णय नहीं लिये जाने पर आवेदन पत्र का प्रावधानों के अन्तर्गत स्वतः ही नवीनीकृत माना जाना विभागीय शिथिलता का परिचायक होकर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की विषयवस्तु है।

6. राज्य स्तर द्वारा राज्य में अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में समय–समय पर परिपत्र/आदेश जारी कर दिशा–निर्देश प्रदान किये गये है। इन परिपत्रों की पालना सुनिश्चित किया जाना संबंधित प्राधिकारी का उत्तरदायित्व है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जनहित याचिका, डीबी पीआईएल पीटीशन नं0 3270/2012 में पारित आदेश में अधिनियम के अन्तर्गत परिवाद प्रस्तुत किये गये प्रकरणों में संबंधित न्यायालय को 2 माह में आरोप निर्धारित करने के निर्देश प्रदान किये गये है, इसके अतिरिक्त अन्य न्यायालयों में अधिनियम से संबंधित लंबित प्रकरणों पर भी त्वरित सुनवाई के निर्देश प्रदान किये गये है। इन प्रकरणों में परिवाद प्रस्तुत करने वाले संबंधित समुचित प्राधिकारी एवं विभाग के अन्य साक्षीगणों का परीक्षण, संबंधित न्यायालय द्वारा किया जावेगा। इस सम्बन्ध में न्यायालय के निर्देश पर विभाग के साक्षियों की संबंधित न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाकर, प्रकरणों में प्रभावी पैरोकारी सुनिश्चित कराया जाना संबंधित समुचित प्राधिकारी का उत्तरदायित्व है।

7. राज्य में अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अनुसंधान कार्य पूर्ण किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। प्रत्येक अनुसंधानरत प्रकरण में अनुसंधान पश्चात् उल्लंघन पाये जाने पर ठोस साक्ष्यों सहित परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किये जावें एवं विभिन्न स्तरों पर पर्यवेक्षण रखा जाकर, प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित कर अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये एतद् द्वारा राज्य सरकार की ओर से निम्न निर्देश प्रदान किये जाते हैः–

    1. वर्तमान में अधिनियम के अन्तर्गत अनुसंधानरत प्रकरणों में संबंधित समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राथमिकता के आधार पर तुरन्त अनुसंधान पूर्ण किया जाकर, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.03.2012 से 2 माह के भीतर आरोप पत्र/परिवाद प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

    2. पूर्व के उपखण्ड समुचित प्राधिकारियों के पास अनुसंधानरत रहे प्रकरणों में वर्तमान संबंधित उपखण्ड करावें तथा आपके द्वारा इस संदर्भ में समुचित निकटतम पर्यवेक्षण किया जाकर, समस्त उपखण्ड समुचित प्राधिकारियों को निर्देश प्रदान करावें कि अनुसंधानरत प्रकरणों में प्राथमिकता के आधार पर तुरन्त अनुसंधान पूर्ण किया जाकर, संबंधित अधिकृत अधिकारी के द्वारा सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित कराते हुये उपरोक्त निर्देशों की सख्ती से पालना करवाई जावें।

sd/-
(बी.एन. शर्मा आई.ए.एस.)
प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी, राजस्थान, जयपुर।

4. श्री बी.के. गुप्ता, सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी, उपविधि परामर्शी (वाद) विधि विभाग, राजस्थान जयपुर।

5. डॉ0 (श्रीमती) परम नवदीप सिंह, विधायक सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी, राजस्थान, जयपुर

6. राज्य नोडल अधिकारी, पीसीपीएनडीटी एवं निदेशक (आरसीएच) राजस्थान जयपुर।

7. अतिरिक्त निदेशक (आरसीएच) राजस्थान जयपुर।

8. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी एवं जिला कलेक्टर, राजस्थान।

9. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर।

10. उपनिदेशक (आर.सी.एच.) एवं प्रभारी पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ट, राजस्थान जयपुर।

11. समस्त उपखण्ड अधिकारी एवं समुचित प्राधिकारी, राजस्थान।

12. समस्त जिला नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान

13. विशिष्ठ लोक अभियोजक (पीसीपीएनडीटी) राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ राजस्थान।

14. विधि विशेषज्ञ / स्वास्थ्य प्रबंधक / अपराध शाखा, राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ, राजस्थान, जयपुर।

15. सैन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय जयपुर।

sd/-
विशिष्ठ शासन सचिव (प0क0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
राजस्थान सरकार

क्रमांकःपीसीपीएनडीटी.सेल/परिपत्र/2012/482 दिनांकः 20.04.2012

परिपत्र क्रमांक – 17/2012

राज्य में गर्भ–धारण एवं प्रसव–पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्रों के निस्तारण बाबत।

1. राज्य में गर्भ–धारण पूर्व एवं प्रसव–पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 (इसके पश्चात् अधिनियम संबोधित किया गया है) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक प.23(2) चि. एवं स्वा. 3/2003 पार्ट दिनांक 05.01.2012 जारी की जाकर, उपखण्ड स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के स्थान पर उपखण्ड अधिकारी (Sub Divisional Officer) को उपखण्ड समुचित प्राधिकारी बनाया गया है। अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण, नवीनीकरण अथवा अन्य प्राप्त आवेदन पत्रों पर संबंधित समुचित प्राधिकारी को विधिक प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित समयावधि में निर्णय प्रदान करना आवश्यक है।

2. जिला पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ का संचालन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिला नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी) के कार्यालय से किया जाता है। पंजीकृत केन्द्रो के द्वारा प्रस्तुत मासिक रिपोर्ट, फार्म ''एफ'' इत्यादि दस्तावेज एवं पंजीकरण नवीनीकरण इत्यादि आवेदन पत्रों की पत्रावलियां अथवा अन्य परिवर्तन संबंधित सूचना जिला पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ में अधिनियम से संबंधित पत्र प्राप्त होने पर संबंधित उपखण्ड समुचित प्राधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु दस्तावेजों को प्रेषित करने का उत्तरदायित्व जिला नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में निहित है।

3. निदेशालय के यह ध्यान में लाया गया है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला नोडल अधिकारी कार्यालय में केन्द्र के पंजीयन प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदन, नवीनीकरण तथा अन्य प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर तुरन्त संबंधित उपखण्ड समुचित प्राधिकारी को पत्रावली प्रेषित नहीं की जाकर आवेदन पत्रों को अनावश्यक लंबित रखा जाता है फलस्वरूप निश्चित अवधि में प्रकरणों को निस्तारण नहीं किया जा रहा है एवं नवीनीकरण के आवेदन पत्र पर 90 दिवस में निर्णय नहीं लिये जाने पर आवेदन पत्र का प्रावधानों के अन्तर्गत स्वतः ही नवीनीकृत माना जाना विभागीय शिथिलता का परिचायक होकर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की विषयवस्तु है।

4. राज्य में अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्य पूर्ण किया जाकर निस्तारण किया जाना आवश्यक है। प्रत्येक प्रकरण में विभिन्न स्तर पर पर्यवेक्षण रखा जाकर अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये एतद् द्वारा राज्य सरकार की ओर से निम्न निर्देश प्रदान किये जाते हैः–

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला नोडल अधिकारी कार्यालय में केन्द्र के पंजीयन प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदन, नवीनीकरण इत्यादि, केन्द्रों से संबंधित अन्य आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर तत्काल समुचित प्राधिकारी को पत्रावली प्रेषित की जावें एवं नवीनीकरण के आवेदन पत्र पर 90 दिवस में निर्णय नहीं लिये जाने पर प्रकरण के स्वतः नवीनीकृत माने जाने की दशा में देरी के लिये उत्तरदायी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

2. संबंधित उपखण्ड समुचित प्राधिकारी के द्वारा प्रत्येक पंजीयन एवं नवीनीकरण के आवेदन पत्र पर शीघ्र निर्णय लिया जाकर संबंधित केन्द्र को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप निश्चित समयावधि में आवश्यक रूप से सूचना प्रदान की जावें।

3. प्रत्येक पंजीकृत केन्द्र के द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नियम 13 के अन्तर्गत कार्मिक/स्थान या उपकरण के परिवर्तन की सूचना समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाती है। इस प्रकार के आवेदन पत्रों पर संबंधित समुचित प्राधिकारी के द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप शीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

4. अतः संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला समुचित प्राधिकारी को यह निर्देशित कियाजाता है कि उपखण्ड समुचित प्राधिकारियों के संदर्भ में जारी की गयी अधिसूचना के क्रम में आप अपने जिले में अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित कराते हुये उपरोक्त निर्देशों की सख्ती से पालन करावें।

sd/-
(बी.एन. शर्मा आई.ए.एस.)
प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
4. श्री बी.के. गुप्ता, सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी, उपविधि परामर्शी (वाद) विधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. डॉ0 (श्रीमती) परम नवदीप सिंह, विधायक सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी, राजस्थान, जयपुर
6. राज्य नोडल अधिकारी, पीसीपीएनडीटी एवं निदेशक (आरसीएच) राजस्थान जयपुर।

7. अतिरिक्त निदेशक (आरसीएच) राजस्थान जयपुर।

8. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी एवं जिला कलेक्टर, राजस्थान।

9. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर।

10. उपनिदेशक (आर.सी.एच.) एवं प्रभारी पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ट, राजस्थान जयपुर।

11. समस्त उपखण्ड अधिकारी एवं समुचित प्राधिकारी, राजस्थान।

12. समस्त जिला नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान

13. विशिष्ठ लोक अभियोजक (पीसीपीएनडीटी) राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ राजस्थान।

14. विधि विशेषज्ञ/स्वास्थ्य प्रबंधक/अपराध शाखा, राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ, राजस्थान, जयपुर।

15. सैन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय जयपुर।

sd/-
विशिष्ठ शासन सचिव (प0क0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
राज्य पी.सी.पी.एन.डी.टी. सैल
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक रा.पी.प्र. / एल.ए / 2015 / 809 दिनांक 1.7.15

<u>परिपत्र –18</u>

माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान जयपुर पीठ में विचाराधीन प्रकरण डी.बी. सिविल रिट याचिका (PIL) संख्या 3270 / 2012 / एस.के. गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के प्रकरण में दिनांक 15.04.2015 को पारित आदेश की अनुपालना में दिनांक 30.04.2015 को अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा सभी विभागों के प्रभारियों की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक के अनुक्रम में सभी पक्षकारों यथा संबंधित राज्य सरकार के विभाग, जिला / उपखण्ड समुचित प्राधिकारी जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समन्वयक जिला पीसीपीएनडीटी सभी रजिस्टर्ड सोनोग्राफी केन्द्र मार्फ जिला नोडल अधिकारी, राज्य में सोनोग्राफी मशीन खरीदने व बेचने वाली कम्पनीयों को आदेश की प्रति निदेशालय राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ के पत्र क्रमांक राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ / 2015 / 593 दिनांक 21.05.215 के द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न कर जरिए ई–मेल एवं डाक के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित की जा चुकी है। माननीय न्यायालय के इस आदेश को संबंधित पक्षकारों की सुविधा के लिए विभागीय साइट (www.rajswasthya.nic.in) की पीसीपीएनडीटी साइट पर भी अपलोड किया गया है।

दिनांक 18.06.2015 को राज्य सलाहकार एवं समुचित प्राधिकारी की बैठक में माननीय न्यायालय के उक्त आदेशों की अनुपालना हेतु परिपत्र जारी करने के आवश्यकता महसूस की गई जिसकी अनुपालना में निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी कर संबंधित पक्षकारों से यह अग्रह किया जाता है कि इसकी अनुपालना अतिशीघ्र की जाये ताकि माननीय न्यायालय को आगामी तारीख पेशी पर अनुपालना रिपोर्ट पेश की जा सके।

बिन्दु संख्या 1 :–

All the registered Medical Practitioners, authorized by amendment in rule 3 (3) of the PCPNDT Rules of 1996 made in the year 2012, to carry out the sonography test, shall sign the sonography reports. The digital signatures will not be allowed. Face & every report will be accompanied with the photo copy or printed copy of the registration certificate of the PCPNDT clinic.

सोनोग्राफी करने हेतु अधिकृत चिकित्सक प्रत्येक रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर करेगा। डिजीटल हस्ताक्षर मान्य नहीं है तथा प्रत्येक सोनोग्राफी रिपोर्ट के साथ अपने पीसीपीएनडीटी रजिस्ट्रेशन की फोटो कॉपी संलग्न करेगा। जिलों में समुचित प्राधिकारी जिला नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक यह कार्य सुनिश्चित करेंगे।

बिन्दु संख्या 2 :–

Every sale of the ultrasound sonography machine whether static or portable under section 3 (B) of the PCPNDT Act will be reported by the manufacturers to the State Appropriate Authority. The manufacturing companies and dealers will obtain sufficient prooof of the registration or application for registration before sale of the machine. The reporting will also include the sale of the second hand ultrasound sonography machine with the proff of sale to be registered as PCPNDT Clinic. Every sale of machine in violation of these directions will be treated as unauthorized sales, on which the machine will be liable to be seized.

प्रत्येक सोनोग्राफी निर्माता कम्पनी अथवा सोनोग्राफी मशीन खरीदने व बेचने वाली कम्पनी / व्यक्ति राज्य में खरीदी व बेचने वाली मशीनों की रिपोर्ट पूर्व की भांति राज्य समुचित प्राधिकी को प्रस्तुत करेगी तथा जिस केन्द्र / संचालक को मशीन खरीद अथवा बेच रही है उससे पूर्व उसका पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करेगी। जिलों में समुचित प्राधिकारी

जिला नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक यह कार्य सुनिश्चित करेगें।

बिन्दु संख्या 3 :–

A GPS will be required to be attached to check the location of the untrasound sonography machine. Every manufacturer wills install a GPS system at the time of sale of machine for tracing the location of the ultrasound sonography machine. The State Appropriate Authority will develop the technical know how of attracing a GPS on every machine within a period of three months. After three months, the sale of ultrasound sonography macine without attacing GPS System will not be permitted.

प्रत्येक सोनोग्राफी मशीन निर्माता कम्पनी सोनोग्राफी मशीन को बेचन के दौरान जीपीएस प्रणाली लगाकर बेचेगा। माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 15.04.2015 से तीन महिनों (दिनांक 15.07.2015 तक) के बाद में कोई भी कम्पनी बिना जीपीएस प्रणाली लगाये मशीन राज्य में नहीं बेच सकेगी।

इय बाबत कम्पनी मालिक एवं सोनोग्राफी केन्द्र संचालक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में स्थापित कन्ट्रोल रूम में आवश्यक सूचना यथा समय उपलब्ध करावें। जिलों में समुचित प्राधिकारी जिला नोडली अधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक यह कार्य सुनिश्चित करेंगे।

बिन्दु संख्या 4:–

The active trackers installed on sonography machine are of no use until the control rooms are established. The State Government will ensure that sufficient number of control rooms is established and a nodal officer is appointed for continuous monitoring of control room servers.

एक्टिव ट्रेकर/साइलेंट ऑबजर्वर के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर व जिला स्तर पर कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जाये। राज्य स्तर पर कन्ट्रोल रूम के प्रभारी सलाहकार तकनीकी सूचना होंगे तथा जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की देखरेख में कन्ट्रोल रूप कार्य करेगा एवं सलाहकार पीसीपीएनडीटी कन्ट्रोल रूम के माध्यम से एक्टिव ट्रेकर/साइलेंट आबजर्वर की मॉनिटरिंग करेगा।

कन्ट्रोल रूम सचालक के लिए व्यय का वहन पीआईपी वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रस्तावित किया गया है। जिसके अनुमोदन प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार राशि आवंटित की जायेगी।

बिन्दु संख्या 5 :–

The Society at large has to be vigilant about the pernicious practice of female foeticide, which is conceived in secrecy and executed in deceit in connivance with the medical practitioners. The member of the society is given freedom to report these crimes to the State Appropriate Authority and the District Appropriate Authority. The Complaints addressed to the District Magistrate or any other Appropriate Authority will be immediately reported to the State Appropriate Authority for taking steps. Wherever the complaints are found to be genuine, on making inspection, the complainant will be rewarded and for which the State Govt. Will issue Appropriate Scheme within 3 months. The decoy operations will be encouraged and for which the State Govt. will issue guidelines for both carrying out the decoy operaiton and for rewarding the participants in the successful decoy operations.

विभाग द्वारा इस बाबत 104 टोल फ्री मेडिकल सलाहकार सेवा पर भ्रूण लिंग परीक्षण की शिकायत दर्ज करने हेतु परिपत्र दिनांक 31.07.2014 को दिशा–निर्देश जारी किये गये है। इसका अत्यधिक प्रचार प्रसार किया जाये।

राज्य सरकार मुखबिर योजना के तहत ईनाम राशि 1 लाख रूपये से बढ़ाकर 2 लाख रूपये के आदेश दिनांक 30.04.2005 को जारी कर चुकी है। समस्त समुचित प्राधिकारी इस योजना का प्रचार प्रसार करें।

डिकॉय ऑपरेशन करने हेतु नई गाईड लाइन शीघ्र जारी कर समुचित प्राधिकारी को भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

बिन्दु संख्या 6 :–

The State Govt. is requested to continue its efforts to encourage and expand the scope of the Schemes for welfare of GIRL CHILD. The State Govt. has taken sufficient measures for public awakening, such as "BADHAI SANDESH" on the birth of GIRL CHILD, Involvement of various NGO's and Govt. Organisations in "BETI BACHAO BETI PADHAO" and in developing the "ASHA SOFTWARE" for timely and seamless online payment udner the various scheme to the beneficiary. The fall in the ratio of GIRL CHILD in the state of Rajasthan, however, requires the State Govt. to increase and expand the scope of the existing scheme and to initiate mre schemes. For Public awareness for protection of GIRL CHILD.

उक्त के संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राजस्थान उक्त बिन्दु के तहत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

बिन्दु संख्या 7:–

The State Govt. NGO's Charitable Societies and the school both Govt. and Private must be encouraged and given speical grants to organize programmes for development of the GIRL Child and awareness against female focticide and female infanticide.

गैरी सरकार संगठनों द्वारा कन्या भ्रूण हत्या व कन्या शिशू हत्या को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाये। इस बाबत भारत सरकार द्वारा पीआईपी में 2015–16 में धन राशि प्रदान करने हेतु प्रस्तावित किया गया है। एनजीओ द्वारा जारी गाइड लाइन बजट प्राप्त होने पर जिलों को भिजवा दिया जायेगा

इस परिपत्र पर वैधानिक स्थिति उत्पन्न होने की दशा में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.04.2015 के निर्देशन लागू होंगे।

(नवीन जैन)
विशिष्ठ शासन सचिव एवं
मिशन निदेशक (एनएचएम)
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग,
राजस्थान सरकार

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड एवं माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय, भारत सरकार।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष राज्य पर्यवेक्षी बोर्ड एवं माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. डॉ. राकेश कुमार संयुक्त शासन सचिव, (आरसीएच) भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नम्बर 145ए निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011
4. उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज0 जयपुर को बिन्दु संख्या 6 हेतु पालनार्थ।
7. प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग, राज0 जयपुर को बिन्दु संख्या 3 एवं 4 हेतु पालनार्थ।
8. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर को बिन्दु संख्या 6 एवं 7 हेतु पालनार्थ।

9. प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर को बिन्दु संख्या 7 हेतु पालनार्थ।

10. प्रमुख शासन सचिव विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान जयपुर।

11. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर को बिन्दु संख्या 6 एवं 7 हेतु पालनार्थ।

12. निदेशक, पीएनडीटी (MOHFW) कमरा नम्बर 203 डी निर्माण भवन, नई दिल्ली–110001

13. निदेशक (आईईसी) एवं अतिरिक्त मिशन निदेशक (एनएचएम) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर।

14. निदेशक (जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।

15. निदेशक (प.क.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।

16. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) राजस्थान जयपुर।

17. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीसीपीएनडीटी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज, जयपुर।

18. समस्त लोक अभियोजक, विशिष्ठ अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट (पीसीपीएनडीटी प्रकरण) अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर एंव भरतपुर को मार्फ संबंधित जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान।

19. समस्त जिला नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान / समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान द्वारा अब तक की गई अनुपालना रिपोर्ट से दिनांक 06.07.2015 को आयोजित ''बेटी बचाओ अभियान प्रकोष्ठ'' की बैठक में लाकर राज्य समुचित प्राधिकारी को अवगत करावें।

20. समस्त सोनोग्राफी कम्पनीयों को बिन्दु संख्या 3 एव 4 हेतु पालनार्थ मार्फ जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक राजस्थान।

21. समस्त सोनोग्राफी ऑपस, विजन इण्डिया, एडवांस बायोमेडिक्स को बिन्दु संख्या 3 हेतु पालनार्थ।

22. समस्त सोनोग्राफी केन्द्र को बिन्दु संख्या 1, 2 एवं 3 हेतु पालनार्थ मार्फ जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान।

23. सेन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय को बिन्दु संख्या 3 व 4 हेतु पालनार्थ एवं विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने बाबत।

24. संबंधित रक्षित पत्रावली

Andhra Pradesh

राजस्थान सरकार

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर
फोन नम्बर 0141–2221812
ई–मेल आईडी –pcpndt-rj@nic.in

क्रमांक एफ–30/राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ/राज्य समन्वयक/2016/1021 दिनांक 28.10.2016

परिपत्र –19

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

(अलवर, बासवाड़ा, बांरा, भरतपुर, बाडमेर, चितौडगढ़, चुरू, धोलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जालौर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, पाली, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानरगर, उदयपुर)

जिला कार्यक्रम प्रबन्धक

(अलवर, बासवाड़ा, बांरा, भरतपुर, बाडमेर, चितौडगढ़, चुरू, धोलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जालौर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, पाली, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानरगर, उदयपुर)

विषय :– पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत गर्भवती महिलाओं को भ्रूण लिंग जाँच हेतु राज्य से बाहर ले जाने पर कड़ी निगरानी रखने बाबत।

जैसा कि आपको विदित हैं कि राज्य की पीसीपीएनडीटी सेल द्वारा लगभग एक वर्ष से लगातार मुखबिरी की सूचना पर कार्यवाही की जा रही है तथा प्राप्त सूचना के आधार पर अनेक डिकॉय आपॅरेशन किये गये है। इस कडी में यह जानकारी प्राप्त हुई है कि आपके जिले के सीमावर्ती गॉवों में कुछ तथाकथित दलालों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को राज्य से बाहर ले जाने का आदेश है तथा वहाँ उनके गर्भ के शिशु का लिंग करवाकर अवैध रूप से गर्भपात भी करवाया जा सकता है।

अतः इसे खत्म अथवा कम करने पर रोक लगाने के लिए वीडियों कॉन्फ्रेस का आयोजन दिनांक 27.10.2016 को किया गया, जिसमें संबंधित को उचित कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया था। पुनः इस संबंध में आपको परिपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. सभी जिलों में संदेहासपद दस गॉव में एक या अधिक व्यक्तियों को मुखबिर के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेगें जो दलालों के लिए असुरक्षा व घृणा का वातावरण बनाएगें।
2. गांवों में चौपाल, जनसभा व शुक्रवार को लगने वाले जनकल्याण शिविर में सम्पूर्ण पीसीपीएनडीटी अधिनियम मुखबिर योजना व सजा के प्रावधानों की भी आवश्यक रूप से जानकारी देगें।
3. जिला आशा समन्वयक/बीएचएस/पीएचएस आशा सहयोगिनी को उन्हें दलालों पर शिंकजा कसने क `लिए प्रेरित करेंगे व सूचना देनें हेतु कहेंगे।
4. PCTS Software के पिछले दो वर्षों के डाटा का एनालिसिस करके पता लगाऐगें कि Abortion, Miscarrige etc. कहा व किस कारण से हुए है। कही इसका कारण भ्रूण लिंग परीक्षण तो नहीं है।

इस संबंध में [illegible] ध्यान रखें।

5. प्राइवेट टैक्सी व प्राइवेट एम्बुलेन्स जो गर्भवती महिलाओं को जांच हेतु सीमावर्ती राज्य में लेकर जा रहे है ऐसे सभी वाहनों पर कड़ी निगरानी रखेगें।

6. भ्रूण लिंग परीक्षण में सलिप्त दलालों के सम्पर्क में आने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखकर आवश्यक कार्यवाही करेगें।

7. ऐसे सभी व्यक्तियों (राजकीय/निजी/सेवानिवृत्त चिकित्सकों/नर्सों सहित) का पता लगाएगें जिनके द्वारा गर्भवती महिला को सीमावर्ती राज्यों में सोनोग्राफी करवाने भेजा जाता है।

8. ऐसी गर्भवती महिलाएं जिनकी उम्र 35 वर्ष से कम है दो या अधिक लड़किया है व प्रथम तिमाही में सोनोग्राफी करवाती है उनकी आवश्यक रूप से ट्रेकिंग की जाए। यह कार्य करने के लिए पूर्व में भी निर्देश दिये जा चुके है।

9. सभी व्यक्तियों की आवश्यक रूप से इस हेतु जिम्मेदारी सुनिश्चित करेंगे। समस्त एनएचएम स्टाफ को भी मुखबिर योजना से जुड़ने पर दो लाख रूपयें तक कि ईनाम राशि मिल सकती है यह भी बतायें।

10. अखबारों, सोशल मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार–प्रसार करें।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(नवीन जैन)

राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं

मिशन निदेशक, एनएचएम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला (अलवर, बासवाड़ा, बांरा, भरतपुर, बाडमेर, चितौडगढ़, चुरू, धोलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जालौर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, पाली, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानरगर, उदयपुर)

2. खण्ड कार्यक्रम प्रबन्धक जिला (अलवर, बासवाड़ा, बांरा, भरतपुर, बाडमेर, चितौडगढ़, चुरू, धोलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जालौर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, पाली, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानरगर, उदयपुर)

3. ब्लॉक हैल्थ सुपरवाईजर जिला (अलवर, बासवाड़ा, बांरा, भरतपुर, बाडमेर, चितौडगढ़, चुरू, धोलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जालौर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, पाली, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानरगर, उदयपुर)

4. प्रभारी सर्वर रूप को ई–मेल हेतु।

राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं
मिशन निदेशक, एनएचएम

राजस्थान सरकार

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर
फोन नम्बर 0141–2221812
ई–मेल आईडी –pcpndt-rj@nic.in

Andhra Pradesh

क्रमांक एफ–30 / राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ / राज्य समन्वयक / 2016 / 1021 दिनांक 28.10.2016

परिपत्र –20

समस्त जिला नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
राजस्थान।

विषय :– राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड (पीसीपीएनडीटी) की बैठक दिनांक 03.02.2017 में लिये गये निर्णय के क्रम में।

उपरोक्त विषय में लेख हैं कि राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड पीसीपीएनडीटी की बैठक दिनांक 03.02.2017 में लिये गये निर्णय के बिन्दु संख्या 12 की पालना में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके जिलों से सोनोग्राफी केन्द्रों की सीलशुदा समस्त सोनोग्राफी मशीनों को सुरक्षित रखने हेतु जिला मुख्यालय पर स्टोर चिन्हित कराये जाकर मशीनों को सुरक्षित रखाया जाना सुनिश्चित करावें।

(नवीन जैन)
अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी
(पीसीपीएनडीटी) एवं
शासन सचिव (प0क0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, शासन सचिव (प.क.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर, राजस्थान।
2. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं जिला कलक्टर राजस्थान।
3. निदेशक जन स्वा. (प.क.) / चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
4. निदेशक , वित्त (एनएचएम), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
5. संयुक्त निदेशक, समस्त जोन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान।
6. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक (एनएचएम) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान को पालनार्थ।
7. समस्त जिला समन्वयक, (पीसीपीएनडीटी) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान को पालनार्थ।
8. सर्वर रूम।
9. रक्षित पत्रावली

परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी)
एवं उप निदेशक (आरसीएच)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान, जयपुर

Clarification regarding qualification of registered medical practitioner having Diploma in Gynaecology and Obstetrics [19 November, 2013]

No. F. 12011/56/2012- PNDT
Government of India
Ministry of Health and Family Welfare
(PNDT- Section)

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated 19th November, 2013

To,

The Principal Secretaries,
(Health & Family Welfare Department)
All States /UTs.

Subject : Clarification regarding qualification of registered medical practitioner having Diploma in Gynaecology and Obstetrics [DGO]

Madam/Sir,

1. I am directed to refer to this Ministry's letterNo. 240/52/2008-PNDT dated 16.08.12 and to say that in many States, various authorities under the PC & PNDT Act, 1994 are giving restrictive interpretation regarding qualification of Gyyanecologist and that a number of representations have been received in this Ministry against such restrictive interpretation. It is further observed that no efforts have been made by such authorities to seek clarification, If any such doubt occurs, before issuing letters/notifications based on such restrictive interpretation of the provisions of the Act/ Rules.
2. In this context, reference is invitied to the provisions contained in Rule 3 (3) (1) (b) of the PC & PNDT Rules, 1996 which inter alia stipulates that a Registered Medical Practitioner having post Graduate degree or diploma is qualified to set up an ultrasound clinic or being employed in an ultrasound clinic.
3. It is, accordingly, clarified that Diploma in Gynaecology and Obsterics (DGO) is a post graduate qualification and hence a registered medical practitioner having Diploma in Gyanaecology and Obstetrics (DGO) is qualified to set up or being employed in an ultrasound centre within the meaning and scope of PC & PNDT Act, 1994 and the Rules framed thereunder.
4. Contents of this letter may be disseminated to all concerned for information and compliance.
5. This issues with the approval of the competent authority.

Yours Faithfully,
(D.N. Sahoo)
Under Secretary to the Government of India

Tel / Fax : 011-23061875

Copy to :

The Nodal Officer PNDT, All States, UTs

Registration of IVF/ART Centres/clinics under the PCPNDT Act, 1994
(09 October 2014)

F.N. 12011/25/2014-PNDT
Government of India
Ministry of Health and Family Welfare
(PNDT- Section)

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated the 09th October, 2014

To,

The Chairperson
State Appropriate Authority
All States /UTs.

Subject : Registration of IVF/ART Centres/Clinics under PC & PNDT Act, 1994 Issuance of guidelines reg.

Sir/ Madam/

I am directed to to state that all ART/IVF procedures & techniques are recognized as pre-natal diagnostic procedures/pre natal diagnostic techniques/pre natal diagnostic tests or under sections 2 (i), 2 (j) and 2 (k) of the PC & PNDT Act, 1994, which are reproduced as under :

Section 2 (i) "prenatal diagnostic procedures" mena all gyanecological or obsterrical or medical procedure such as ultrasonography, foetoscopy, taking, removing samples of amniotic fluid, chorionic villi embryo, blood or any other issue or fluid of a man, or of a woman before or after conception, or being sent to a Genetic Laboratory or Genetic Clinic for conducting any type of analysis or pre natal diagnostic tests for selection of sex before or after conception.

Section 2 (j) " prenatal diagnostic techniques" include all pre natal diagnostic procedures and pre-natal diagnostic tests.

Section 2 (K) " pre-natal diagnostic test" menas ultrasonography or any test or analysis of amniotic fluid, chorionic villi, embryo, blood or any other issue or fluid of a pregnant woman or conceptus conducted to detect genetic or metabolic disorders or chromosomal abnormalities or congenital anomalies or haemoglobinopathies or sex linked diseases.

2. In view of the above provisions of the Act, all the ART clinics or centres / IVF clinics or centres/Surrogacy Clinics or centres or other such centres are mandatorily required to be registered under PC & PNDT Act, 1994 either as Genetic Counselling Centres (Section 2 (C), Genetic clinics (Section 2 (d) or Genetic Laboratories (Section 2 (e), as defined under the PC & PNDT Act, 1994 depending on the activities being performed by the centres/clinics.

3. Further, the range of activities of these centres/ clinics or laboratories is extensively defined under Sections 2 (i), 2 (j) and 2 (k) of the PCPNDT Act, 1994. All diagnostic procedures/techniques/tests conducted in such clinics/centres should be recorded either in the Form F (revised) or Form E (Whichever is relevant) and reported to the Appropriate Authorities concerned. Sections A,B,C of the revised Form F Capture all possible diagnostic procedures/tests, non- invasive diagnostic

procedures/tests and invasive procedures/tests. Point 21 (v) of section (c) of revised form F may capture any other invasive procedures if it is not explicitily covered under the revised Form F.

4. As such there is no need of a separate form F for the IVF/ART centres and the IVF/ART centres are mandatorily required to be registered under the PCPNDT Act, 1994. All the Appropriate Authorities concerned are advised to compile and update data related to such ART/IV centres as a part of QPR and submit accordingly to this Ministry as clarly required under Rule 9 (8) of the PC & PNDT Act, 1996.

5. This issue with the approval of competent authority.

6. Kindly acknowledge the receipt of this letter.

Yours Faithfully,
(Dr. R.P. Meena)
Director (PNDT)
Tel : 23063628

Copy to :

The Nodal Officer PNDT, All States, UTs

Medical audit of all records including Form F under the PCPNDT Act, 1994 (12 May, 2015)

F.N. 24026/06/2015-PNDT
Government of India
Ministry of Health and Family Welfare
(PNDT- Division)

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated the 12th May, 2015

To,

The Principal Secretaries
(Health & FW),
All States /UTs.

Subject : Medical Audit of all Including of all records including Form F under the PC & PNDT Act, 1994- Reg.

Madam/ Sir

1. I am directed to recall that the records have to be maintained and preserved in the prescribed formats under as per the PC & PNDT Act, 1994 and rules framed thereunder by the Genetic counselling Centres/Genetic Clinics/Genetic laboratories/Ultrasound centres/Imaging Centres etc.
2. In this regard in the central supervisory Board (constituted under the Pre conception and Pre-natal Diagnostics Techniques Act. (PC & PNDT Act.) 1994 in its 22nd Meeting of Held on 13th October, 2014 under the Charimanship of Hon 'ble HFM, has noticed that the scrutiny/ Examination of various record is not being done properly by the concerned appropriate authorities.
3. The CSB has directed to conduct medical audit of all records including Form F, E, D and G by the District Appropriate Authories. It is therefore,, requested to instruct the District Appropriate Authorities to scrutinize and analyse all records tobe maintained under the PC & PNDT Act, 1994 and rules as it would help the Appropriate Authorities to identify the actual culprites who are involved in the illegal practice of sex selection. Further, the authorities may also analysc all records, including OPD, IPD and outcome registers of the IVF centres/facilities.

Yours Faithfully,
(Subhash Chandra)
Deputy Secretary to the Govt. of India
Tel : 23061540

Clarification regarding the powers of State Appropriate Authority and Closure of unused/idle/surrendered ultrasound machines [12 May, 2015]

N. V.11011/05/2013-PNDT
Government of India
Ministry of Health and Family Welfare
(PNDT- Division)

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated the 12th May, 2015

To,

The Principal Secretaries
(Health & FW),
All States /UTs.

Subject : Decisions tkaen in 22nd Meeting of he Central Supervisory Board (CSB) held on 13th October, 2014 under the Chairmanship of Hon'able Minister of Health & FW- Reg.

Sir,

I am directed to say that an Expert Committee was constituted to re examine the provisions of the PC & PNDT Act, 1994 and rules framed thereunder. The expert committee had given clarifications regarding the powers of state Appropriate authorities and the closure of unused/idle/surrendered Ultrasound machines. The recommendations were placed in the 22nd Meeting of the Central supervisory Board (CSB) [constituted under the pre conception and Pre-natal Diagnostics Techniques Act. (PC & PNDT Act.) 1994] held on 13th October, 2014 under the Chairmanship of Hon'able HFM. The CSB has endorsed the following recommendations made by the Expert Committee. :-

i. Same powers have been given to State Appropriate Authorities (SAA) as also to District Appropriate Authorities (DAA). SAA being an appellate authority over and above DAA with the jurisdiction for whole state, it has powers to direct the DAAs. In case DAA fails to implement the provisions of the PC & PNDT Act, 1994, SAA can take direct action against any violator of the PC & PNDT Act, 1994 and rules framed thereunder.

ii. The closure of unused/Idle/surrendered Ultrasound machines lying in the registered clinics by the District Appropriate Authorities should be termed as voluntary decommissioning of equipment in place of sealing. Such terminology will be legalize the process as it is voluntary in nature and is not done against any charge of offence.

2. In view of above recommendations of CSB, you are requested to take further action and disseminate the same among all stakeholders.

Yours Faithfully,
(Subhash Chandra)
Deputy Secretary to the Govt. of India
Tel : 23061540

Clarification regarding procedures to be followed in case of short term demonstration/ display of ultrasound/imaging machines in workshops/cme [14 May, 2015]

N. V.11011/05/2013-PNDT
Government of India
Ministry of Health and Family Welfare
(PNDT- Division)

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated the 14th May, 2015

To,

The Principal Secretaries
(Health & FW),
All States /UTs.

Subject : Clarification regarding procedure to be followed in case of short term demonstration/display of Ultrasound/Imaging Machines in the Workshops/CME-reg.

Sir,

I am directed to say that an Expert Committee was constituted to re-examine the provisions of the PC & PNDT Act, 1994 and rules framed thereunder. The expert committee had given clarifications regarding the powers of state Appropriate authorities and the closure of unused/idle/surrendered Ultrasound machines. The recommendations were placed in the 22nd Meeting of the Central supervisory Board (CSB) [constituted under the pre conception and Pre-natal Diagnostics Techniques Act. (PC & PNDT Act.) 1994] held on 13th October, 2014 under the Chairmanship of Hon'able HFM. The CSB has endorsed the following recommendations made by the Expert Committee. :-

""District Appropriate Authority may grant permission for education/training or dispaly of diagnostic technologies as prescribed below :

i. For diaplay at scientifice exhibition, the oreganising body should take permission from the District Appropriate Authority for the display of diagnostic technologies/equipment specifying their details. DAA should ensure that these diagnostic technologies are not used for live demonstration and the organizing body has to take all responsibilities for the violations under the PC & PNDT Act, 1994, If any

ii. For live demonstration at workshops and conference, permission should be granted only when these diagnostic technologies are demonstrated in registered facilities under the PC& PNDT Act, 1994 with transmission facility for viewing by the delegates. Along with the request by the organizing body the details of the diagnostic technologies/equipment used in the workshops/conferences and list of experts/professional demonstrating technologies along with qualifications must be submitted. The registered facility that provides its premises for same should also intimate to their respective District Appropriate Authority with all information pertaining to the equipment used and experts/professional demonstrating technologies. In all live demonstration and conferences Appropriate Authority should ensure that all the record under the provision of the PC & PNDT Act are maintained and preserved.

2. In view of above recommendations of CSB, you are requested to take further action and disseminate the same among all stakeholders.

Yours Faithfully,
(Subhash Chandra)
Deputy Secretary to the Govt. of India
Tel : 23061540

Clarification regarding DMRE degree - Diploma Medical Radiology and Electrology/Electrotherapy [24 February, 2016]

N. V.12011/10/2014-PNDT
Government of India
Ministry of Health and Family Welfare
(PNDT- Division)

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated the 24.02.2016

To,

The Appropriate Authority,
All States /UTs.

Subject : Clarification regarding recognition of DMRE Qualification granted by Agra University in respect of students being trained at S.N. Medical College Agra.

Sir/Madam,

1. Reference is invited to this Ministry's letter of even no. dated 19th August, 2014 addressed to the Directorated of family welfare, Government of NCT, Delhi stating that Diploma in Medical in Radiology and Electrology/ Electrotherapy (DMRE) doesn't qualify for registration/ renewal as per provision of the PC & PNDT Act, 1994 as amendment from time to time.

2. The matter has been examined in consultation with Medical Council of India (MCI) who have informed that the Diploma in Medical Radiology and Electrology (DMRE) qualificaiton granted by Agra University in respect of students being trained at S.N. Medical College, Agra is recognized by the Medical Council of India for the purpose of IMC Act, 1956 and is registerable qualification. Therefore, in terms of Section 2 (p) of the PC & PNDT Act, 1994l, the Diploma in Medical Radiology of Electrology Qualification granted by Agra University in respect of students being trained at S.N. Medical College, Agra shall be registrable qualification also under PC & PNDT Act, 1994.

Yours Faithfully,
(Manoj Kumar Jha)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel : 23061342

cfV;k dk fdl rjg ekjk tkrk g xHk e] lc tkfu;] rkfd vki egl l dj ik, ml nn dk

आज आपके साथ कुछ जानकारी शेयर कर रहा हूँ। जानकारी जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है। में डॉक्टर नही हूँ और ना मेडिकल की टर्म में कोई टेक्नीकल आदमी पर कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चे के माँ के गर्भ में होते विकास को आपसे साझा करू।

igyk lIrkg

निषेचित अण्डा मां गर्भ में प्रवेश करता है। इसी के साथ होती है एक नये जीवन की शुरूआत। नए कल की शुरुआत। शायद इस खबर से घर में सभी खुश होंगे। बच्चे के माँ बाप सबसे ज्यादा।

nljk lIrkg

नया जीवन मां से पोषण प्राप्त करने की शुरूआत करता है।

rhljk&pkFkk lIrkg

गर्भ में बच्चे की आंखे आकार लेना शुरू करती है साथ ही रीढ़ की हड्डी, मस्तिष्क, पेट, जिगर, और गुर्दों विकसित होने लगते है। दिल पंप के साथ धड़कने की शुरूआत करता है।

pkFkk lIrkg

बच्चे का सिर बनना शुरू हो जाता है। रीढ़ की हड्डी पूरी तरह बन कर तैयार हो चुकी होती है। हाथ और पैरों के विकसित होने की शुरूआत होने लगती है। दिल का धड़कना लगातार जारी रहता है।

ikpok lIrkg

छाती और पेट आकार लेते है और आंखों के साथ रेटीना और लेंस बनना तथा कान व अंगुलियों का बनना शुरू हो जाता है।

NBok&vkBok lIrkg

चेहरे, मुंह, जीभ, सिर व मस्तिष्क सहित सभी अंग पूरी तरह विकसित होकर काम करने लगते हैं। अब बच्चा बात करने पर प्रतिक्रिया देता है।

vkBok lIrkg

बच्चे के अंगुलियों के निशान बनने लगते है। ठीक वैसे ही फिंगर प्रिंट जैसे किसी 80 साल के बुजुर्ग के होते है।

X;kjgok&ckjgok lIrkg

बच्चे के शरीर के सभी अंग पूर्ण विकसित होकर काम करने लगते है। अब बच्चा दर्द को भी महसूस कर सकता है। ठीक वैसा ही दर्द महसूस कर सकता है जैसा हम और आप।

rhu eghus ckn

बच्चा अब अपने पूर्ण स्वरूप में हैं। अपने विकास के क्रम में है। उसका शरीर विकसित हो रहा है परंतु उधर उसकी मां व

चिकित्सक लिंग जांच के बाद ये चर्चा कर रहे है कि उसे कैसे मारा जाये।

अपनी ही मां और परिवार की सहमति से बच्चे को गर्भ में कैसे मारा जाता है, वो भी जरा यहाँ पढ़े।

इसके चार बड़े क्रूर और अमानवीय तरीके है। अक्सर महिलाओं को इस क्रूरता में शामिल करने के लिए डॉक्टर और घरवाले ये कहते है कि अभी तो गर्भ में पल रहे बच्चे में जान ही नही है। आत्मा नही है। केवल मांस है जबकि जैसा मैंने बताया कि बच्चा अब हर दर्द को महसूस करता है जैसे आप और हम करते है।

गर्भ में बच्चे को किन क्रूर और अमानवीय तरीको से मारा जाता है, वो भी पढ़े।

पहला तरीका—एक वैक्यूम क्लीनर जैसे सेक्शन मशीन से तेज दबाब और स्पीड से बच्चे के छोटे—छोटे टुकड़े कर बाहर की और प्रेशर से खींचकर बाहर निकाला जाता है। कितना अमानवीय, कितना दर्दनाक।

दूसरा तरीका—डॉक्टर मां के गर्भ में ही चाकू जैसे किसी कटर से बच्चे के शरीर के छोटे—छोटे टुकड़े करता है और फिर उसे बाहर निकालता हैं।

तीसरा तरीका—चिकित्सक माँ के शरीर में शल्य क्रिया से बच्चे को बाहर निकाल देते है। समय से पहले ही। अखबारों में जो अक्सर आप पढ़ते कि झाड़ियों में, नाले में भ्रूण मिला, वो इसी तरीके के दुष्परिणाम है।

चौथा तरीका—एक ऐसी दवाई को एमनियोटिक थैली में इंजेक्ट किया जाता हैं जिससे अंदर बच्चा जल कर मर जाता है, मर कर सिकुड़ जाता है और फिर खून के रूप में बाहर आ जाता है।

सोचिये, कितना अमानवीय है ये सब। कितना कड़वा सच। मैंने कितने लोगो के समूहों को सड़क पर उतरते देखा है। भीड़ के रूप में। विरोध के रूप में। मोमबत्ती जलाते हुए। धरना देते हुए। स्याही फेंकते हुए। सोशल मिडिया पर भड़ास निकालते हुए। उनकी बेचैनी और गुस्सा शायद उनसे ये करवाता होगा पर इस घोर अमानवीयता के खिलाफ कोई क्यों नही बोलता। अपने आस—पास सभ्य और एलीट के बीच हो रही इस मौन हत्याओं पर समाज भी मौन है।

और इससे बड़ा मजाक हमारी सभ्यता के साथ और क्या हो सकता है कि इस गन्दगी को लोग सफाई का नाम देते है।

— श्री नवीन जैन अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी एवं शासन सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान की फेसबुक पोस्ट से साभार

Successful Decoy Operations

Positive Outcomes